चतुर्दश माला, खंड 34, अंक 28

सोमवार, 5 मई, 2008
15 बैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes &
Unit
Parliament Li
Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 23 Jan 2009

(खण्ड 34 में अंक 21 से 28 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 34 तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)
अंक 28, सोमवार, 5 मई, 2008/15 बैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 541 से 560	2-73
अतारांकित प्रश्न संख्या 5262 से 5413	73-411
32 सदस्यों से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने संबंधी अनुरोध के बारे में	441-413 434-436
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	413-414
सभा पटल पर रखे गए पत्र	415-421
याचिका समिति	
41वां और 42वां प्रतिवेदन	421
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	421
(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ए.के. एंटनी	421-422
(दो) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित भू-संपदा प्रबंधन के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	422
समितियों के लिए निर्वाचन हेतु विनियमों में संशोधन	422-423
प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008	423-424
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) अलवर में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रही कीमतों के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	424-425

विषय कॉलम

(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धौला में एक रेल ऊपरिपुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 425

(तीन) तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना को चालू किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 425-426

(चार) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तमिल, कन्नड़, मलयालम तथा तेलगु भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 426-427

(पांच) जयपुर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सवाई मानसिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखे जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 427

(छह) रामगंज मंडी - भोपाल रेलवे लाईन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 427-428

(सात) उत्तर प्रदेश के बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत विभिन्न रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 428

(आठ) मध्य रेलवे में ग्वालियर-श्योपुर कलां रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 428

(नौ) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास करने संबंधी प्रस्ताव में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 429

(दस) देश में आम पर आधारित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. बेल्लारमिन 429-430

विषय कॉलम

(ग्यारह) पेयजल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए संसद सदस्यों को अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांच सौ इंडिया मार्क-2 हैंड पंप लगाने की अनुमति के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 430

(बारह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव 430-431

(तेरह) बिहार के बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर जिले में आपदा प्रबंधन दल तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 431

(चौदह) स्वर्गीय श्री सी.एन. अन्नादुरई का जन्म शती वर्ष मनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 431-432

(पन्द्रह) सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना की शर्तों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिल शुक्ल वारसी 432

(सोलह) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 432-433

(सत्रह) तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सत्तूर रेलवे स्टेशन पर नेल्लई एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 433

(अठारह) जम्मू-कश्मीर के लेह और कारगिल क्षेत्रों हेतु स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (ए.एच.डी.सी.) के लिए योजना सहायता के रूप में अनुपूरक धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री थुपस्तन छेवांग 433-439

विदाई संबंधी उल्लेख 436-440

राष्ट्र गीत 440

विषय	कॉलम

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 441-442

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 442-446

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 447-448

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 448

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 5 मई, 2008/15 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे आज अत्यंत दुःख के साथ जानी-मानी गांधीवादी और राज्य सभा की वर्तमान सदस्य कुमारी निर्मला देशपांडे के दुखद निधन की सूचना देनी है।

कुमारी निर्मला देशपांडे, जिन्हें स्नेहपूर्वक "दीदी" के नाम से पुकारा जाता था, ने अपने जीवन के 60 से भी अधिक वर्ष साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बढ़ावा देने और महिलाओं, जनजातियों व दलितों की अनवरत निःस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिए। आचार्य विनोबा भावे की "मानसकन्या" के नाम से भी जानी जाने वाली निर्मला जी 1952 में भूमि सुधार आन्दोलन-भूदान से जुड़ीं और समाज सेवा क्षेत्र में उनकी शुरुआत यहीं से हुई।

कुमारी निर्मला देशपांडे पहली बार 1997 में और पुनः 2004 में राज्य सभा के लिए मनोनीत हुईं। अपने कार्यकाल के दौरान वह अनेक संसदीय समितियों की सदस्य रहीं। वह संसदीय बाल मंच की सदस्य भी थीं। वह हरिजन सेवक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ऑफ एशिया, बापू सद्‌भावना और शिक्षा ट्रस्ट व इंडिया-पाकिस्तान फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स की चेयरपर्सन रहीं, वह राष्ट्रीय एकता परिषद् और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी रहीं।

कुमारी निर्मला देशपांडे ने हिन्दी और मराठी में अनेक उपन्यास, नाटक, यात्रा-वृत्तांत और टीकाएं लिखीं।

कुमारी निर्मला देशपांडे ने शांति और गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों की यात्राएं कीं। भारतीय उपमहाद्वीप में अमन-चैन कायम करने में उनके प्रयासों की सर्वत्र सराहना की गयी। उन्हें राष्ट्र के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "पद्म विभूषण" सहित विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए।

कुमारी निर्मला देशपांडे एक ऐसी अनूठी हस्ती थी जिन्होंने निष्काम भाव से अपना सम्पूर्ण जीवन समाज-सेवा और सांप्रदायिक सौहार्द्र के प्रति समर्पित कर दिया। उनका जीवन इतना सरल और सादा, ऊर्जा और उत्साह भरा था कि वह जिस किसी के भी सम्पर्क में आयीं वह उनका होकर रह गया। उन्होंने "सादा जीवन, उच्च विचार" वाली उक्ति को चरितार्थ कर गांधीवादी विचार और दर्शन के शाश्वत मूल्यों को पुष्ट किया।

कुमारी निर्मला देशपांडे का निधन 79 वर्ष की आयु में 1 मई, 2008 को नई दिल्ली में हुआ। उनके निधन से ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई करना कठिन होगा।

मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है।

दिवंगत आत्मा की याद में सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हों।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना के पायलटों हेतु प्रशिक्षण

***541. श्री एस. अजय कुमार:**

श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिग-21 विमान उड़ाने वाले पायलटों को और अधिक प्रशिक्षण देने और साथ ही इन विमानों के स्थान पर धीरे-धीरे नए आधुनिक विमान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) इस समय भारतीय वायुसेना के पायलटों को मिग प्रचालन उड़ान प्रशिक्षण स्क्वाड्रनों में मिग-21 विमानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारतीय वायुसेना में प्रशिक्षण हेतु पुराने बेड़े के विमानों

को चरणबद्ध ढंग से हटाकर तथा नए बेड़े को शामिल करके आधुनिक प्रौद्योगिकी के विमानों को शामिल करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

*542. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कृषक समुदाय के हित में केंद्र सरकार से कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) खरीफ तथा रबी 2007-08 मौसम हेतु मूल्य नीति पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर राज्य सरकारों ने अपनी टिप्पणियों/विचारों में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करने हेतु कोई सुझाव नहीं दिया था। तथापि, किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कृषि लागत और मूल्य आयोग चुनिंदा कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए करता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारो तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार तथा इसके साथ साथ अन्य तथ्यों पर विचार करती है। इसके अलावा सरकार सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्यक्रम में इस उद्देश्य से अंतःक्षेप करती है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों से नीचे न गिरे।

खाद्य तेलों का उत्पादन

*543. **श्री नरहरि महतो:**

श्री सुब्रत बोस:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है और चालू वर्ष के दौरान इसमें और गिरावट आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में खाद्य तेलों की मांग, आपूर्ति और इनके आयात का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य तेलों का जैव-ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने की वजह से इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। वर्ष 2001-02 से 2007-08 हेतु तिलहनों के उत्पादन और खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। खाद्य तेलों की मांग, आपूर्ति और आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। भारत में खाद्य तेलों का जैव ईंधन में विपथन किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में तिलहनों के उत्पादन और खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे कुछ उपाय निम्नानुसार हैं -

1. कुछ राज्यों में तिलहनों, दालों, खजूर का तेल और मक्का के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम क्रियान्वित करना, खजूर तेल के विकास

के लिए वित्तीय सहायता देना, ब्रीडर बीज की खरीदारी के लिए सहायता देना, फाउंडेशन बीज का उत्पादन करना, प्रमाणिक बीजों का उत्पादन और वितरण करना, एकीकृत जंतुबाधा प्रबंधन करना, आदि।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने तथा किसानों के लिए उनकी खेती को लाभकारी बनाने के लिए उनकी अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का विकास करने, उनका उत्पादन करने और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास करने के काम में लगी हुई है।

3. प्रमुख तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके किसानों के प्रोत्साहन में वृद्धि करना।

4. देश में विलायक निष्कर्षित तेलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और निष्कर्षण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को कम करके 14% किया गया है।

5. कोपरा/नारियल तेल को छोड़कर तिलहनों/खाद्य तेलों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस पर दी गई है।

6. 1-4-2008 से क्रूड और रिफाइंड खाद्य वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को कम करके क्रमशः शून्य और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

7. राज्य सरकारों को खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टाक सीमाएं लगाने की अनुमति दी गई है।

8. दिनांक 17-3-2008 से सभी प्रमुख खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

9. सरकार ने खाद्य तेल पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता से राज्य सरकारों के जरिए एक मिलियन टन खाद्य तेल की आपूर्ति करने की एक स्कीम लागू की है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 से 2007-08 हेतु तिलहनों के उत्पादन और खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	तिलहनों का उत्पादन* (नवम्बर-अक्तूबर)	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता (नवम्बर-अक्तूबर)
2001-2002	206.63	61.46
2002-2003	148.39	46.64
2003-2004	251.86	71.40
2004-2005	243.54	72.47
2005-2006	279.79	83.16
2006-2007	242.89	73.70
2007-2008	282.08 (अनुमानित)	84.27 (अनुमानित)

स्रोत:- *कृषि मंत्रालय

** वनस्पति, वनस्पति तेल एवं वसा निदेशालय

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की मांग, आपूर्ति और आयात

(लाख टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	खाद्य तेल की खपत* के लिए कुल अनुमानित आवश्यकता/मांग	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता/आपूर्ति	खाद्य तेलों का आयात (वित्तीय वर्ष)
2004-2005	113.00	72.47	45.42
2005-2006	118.50	83.16	42.88
2006-2007	124.10	73.70	42.17
2007-2008 अनुमानित	127.57**	84.27	37.64@

टिप्पणी- 1. कुल खपत को मांग/आवश्यकता के रूप में लिया गया है।

2. मांग, आपूर्ति और आयात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

* अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय में अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार की अध्यक्षता में गठित समूह द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए तिलहनों/खाद्य तेलों हेतु व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर लगाए गए अनुमान।

** कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर तिलहनों की अनुमानित मांग और खाद्य तेलों के संबंध में वनस्पति, वनस्पति तेल एवं वसा निदेशालय द्वारा आकलित संगत मांग।

@ दिसम्बर 2007 तक।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ब्रॉडबैण्ड सेवा

***544, श्री श्रीपाद येसो नाईक:**

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि में ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु अवसंरचा लागत में राजसहायता देने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संयोजकता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान लगभग 2100 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) इस वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार हेतु निर्धारित लक्ष्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सभी जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) 80% कस्बों/शहरों तथा 1 लाख से अधिक गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना।

(iii) लगभग 25,576 ग्रामीण एक्सचेंजों में ब्रॉडबैंड संयोजकता प्रदान करना।

[अनुवाद]

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

***545. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खरीफ 2007 मौसम के दौरान लागू की गई प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किए गए मूल्यांकन के आलोक में इस योजना में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के एक फसल मौसम में क्रियान्वयन के सीमित अनुभव को देखते हुए इस योजना का औपचारिक मूल्यांकन करना जल्दबाजी समझा गया। केन्द्रीय बजट 2007-08 में यथा घोषित प्रायोगिक डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. को खरीफ 2007 में केवल कर्नाटक राज्य के कुछ चयनित क्षेत्रों अर्थात 70 हुबलियों में क्रियान्वित किया गया।

प्रायोगिक डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. को क्षेत्रों/फसलों के संबंध में अधिक कवरेज के साथ रबी 2007-08 में जारी रखा गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि निजी बीमाकर्त्ताओं अर्थात् आई.सी.आई.सी.आई.-लोम्बार्ड और आई.एफ.एफ.सी.ओ.-टी.ओ.के.आई.ओ. जनरल बीमा कम्पनियों को भी शामिल करना होगा, जिन्हें डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के क्रियान्वयन में उसी प्रकार का अनुभव है।

बुलेट प्रूफ वाहन

***546. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना द्वारा वर्ष 2005 में जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी आपरेशनों में प्रयोग के लिए खरीदे गए बुलेट प्रूफ वाहनों की खींचने की शक्ति कम पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2000 में तैयार किए गए गुणात्मक मानदण्डों के आधार पर 200 हल्के बुलेटप्रूफ वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए 29-7-2005 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तरी और पूर्वी कमानों में इन वाहनों के उपयोग के दौरान अपर्याप्त कर्षण-शक्ति (पुलिंग पावर) की समस्या की सूचना प्राप्त हुई है। भविष्य में बुलेट प्रूफ वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए जनरल स्टाफ की गुणात्मक आवश्यकता का स्तर उन्नत किया गया है।

मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए सेना और आयुध निर्माणियों के संबंध में दिनांक 14-3-2008 को संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की 2008 की रिपोर्ट संख्या सी.ए. 4 (अनुपालन लेखापरीक्षा) के पैरा 2.1 में अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों में समस्या के होने के मुद्दे का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिस पर इस समय कार्रवाई चल रही है, के इस पैरे पर की गई कार्रवाई टिप्पणी तैयार करते समय जिम्मेवारी तय करने की आवश्यकता सहित सभी सम्बद्ध मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा।

निजी कंपनियों/व्यापारियों द्वारा जमाखोरी

***547. श्री निखिल कुमार:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी कंपनियों/व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक रखने के संबंद में इस समय निर्धारित सीमा कितनी है;

(ख) आज की तारीख में इन कंपनियों/व्यापारियों के पास उक्त वस्तुओं का वर्तमान स्टॉक कितना है;

(ग) क्या इन कंपनियों/व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं

की भारी मात्रा में जमाखोरी की है जिससे गत तीन माह के दौरान कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा जमाखोरी के संबंध में वर्तमान कानून में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों/व्यापारियों द्वारा रखे जा सकने वाले आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की है। तथापि, राज्य सरकारों को गेहूं, चावल, दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में उचित स्टाक सीमा निर्धारित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। अब तक इन प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन 8 राज्यों ने गेहूं और/अथवा दालों के लिए स्टाक सीमा विहित की है, चार राज्यों ने लाइसेंस की अपेक्षा विहित की है जबकि एक राज्य ने स्टाक की घोषणा को अनिवार्य बनाया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अलावा प्राइवेट व्यापारियों द्वारा की गई बड़ी खरीदारियों का आकलन करने के लिए सरकार ने 'चावल (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2007 और 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियो द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2008 जारी किए हैं, जिनमें क्रमशः खरीफ विपणन मौसम 2007-08 और रबी विपणन मौसम 2008-09 के दौरान 10,000 टन से अधिक चावल और गेहूं की खरीदारी (रखे गए स्टाक सहित) की घोषणा करना किसी भी कंपनी/फर्म/व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाया गया है। रबी विपणन मौसम 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियो द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2008 जारी किया गया था जिसमें 50,000 टन गेहूं से अधिक की खरीदारी करने वाले प्राइवेट व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे इन खरीदारियों और स्टाक की सरकार के समक्ष घोषणा करें। केन्द्र सरकार के पास 31-3-2008 तक दर्ज की गई रिटर्न के अनुसार कंपनियों/फार्मों द्वारा कुल 6.05 लाख टन गेहूं और 5.25 लाख टन चावल के स्टाक की घोषणा की गई है।

देश में प्राइवेट व्यापारियों के पास रखे आवश्यक वस्तुओं के समस्त स्टाक के ब्यौरे (उपर्युक्त सांविधिक अपेक्षा के अनुसार भेजी गई रिटर्नों के अलावा) विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सभी राज्य सरकारों ने स्टाक रखने की सीमा लागू नहीं की है। अतः सम्पूर्ण देश में प्राइवेट व्यापारियों के पास रखे स्टाक की सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता है। कुछ अवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर परामर्श किया गया है कि वे इन वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई (स्टाक रखने की सीमा लागू करने सहित) करें।

(ङ) और (च) जी, नहीं। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अधीन राज्य सरकारों के पास पहले ही पर्याप्त शक्तियां मौजूद हैं।

विवरण

गेहूं तथा दालों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 29-8-2006, 27-02-2007, 31-08-2007 तथा 28-02-2008 की केन्द्रीय अधिसूचना जारी होने के अनुसरण में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्धारित सीमाएं		अभ्युक्ति
		गेहूं	दालें	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	गेहूं के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।	आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित वाणिज्यिक डीलर (लाइसेंसिंग तथा वितरण) आदेश, 1982 के तहत निर्धारित स्टॉक सीमाओं को फिर से बहाल किया गया। "ए" वर्ग के नगरों में थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल और खुदरा विक्रेताओं के लिए 50 क्विंटल। "बी" तथा "सी" वर्ग के नगरों में थोक विक्रेताओं के लिए 1000 क्विंटल और खुदरा विक्रेताओं के लिए 40 क्विंटल	प्रारम्भ में दिनांक 23-9-2006 की अधिसूचना जी.ओ.एम. सं. 64 द्वारा स्टाक सीमा निर्धारित की गई और इसको दिनांक 2-3-2007 की अधिसूचना जी.ओ. एम.एस. सं. 10 और दिनांक 16-9-2007 की अधिसूचना जी.ओ. एम.एस. सं. 33 द्वारा दो बार बढ़ाया गया। इसका दिनांक 1-3-2008 की जी.ओ.एम.एस. सं. 7 द्वारा 29-2-2008 से आगे और 6 माह के लिए विस्तार किया गया।
2.	असम	गेहूं तथा दालों के संबंध में असम व्यापार सामग्री/लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण आदेश, 1982 को बहाल किया गया है। यदि कोई भी डीलर किसी समय एक बार बिक्री हेतु 10 क्विंटल से अधिक गेहूं का भंडारण करता है तो उस पर केवल लाइसेंसिंग अपेक्षा लागू की गई है। परन्तु डीलरों के लिए यह अपेक्षित है कि वे गेहूं के मूल्यों तथा स्टॉक की सूची प्रदर्शित करें।	गेहूं तथा दालों के संबंध में असम व्यापार सामग्री/लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण आदेश, 1982 को बहाल किया गया है। यदि कोई भी डीलर किसी समय एक बार बिक्री हेतु 10 क्विंटल से अधिक दाल का भंडारण करता है तो उस पर केवल लाइसेंसिंग अपेक्षा लागू की गई है। परन्तु डीलरों के लिए यह अपेक्षित है कि वे दाल के मूल्यों तथा स्टॉक की सूची प्रदर्शित करें।	असम सरकार की दिनांक 4-5-2007 की अधिसूचना संख्या एफ.एस.ए. 122/2002/पार्ट-3/83 द्वारा। दिनांक 14-12.2007 की अधिसूचना सं. एफ.एस.ए. 122/2002 पार्ट-3/150 द्वारा वैधता अवधि का 31-8-2007 से आगे विस्तार किया गया।. दिनांक 14-3-2008 की अधिसूचना सं. एफ.एस.ए. 122/2002/155 द्वारा छ: माह की अवधि के लिए वैधता का और विस्तार किया गया।

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	*थोक विक्रेताओं हेतु - 1000 क्विंटल खुदरा विक्रेताओं/आटा चक्की हेतु - 100 क्विंटल *उत्पादकों/मिल मालिकों हेतु 60 दिनों की पिसाई क्षमता (* वृद्धि के बाद स्टॉक सीमाएं)	थोक विक्रेताओं हेतु-2000 क्विंटल खुदरा विक्रेताओं हेतु - 50 क्विंटल	दिनांक 5-10-2006 की अधिसूचना संख्या 3(4)/2002-एफ. एंड एस. (पी. एंड सी.)/2934-3054 द्वारा स्टॉक सीमाएं निर्धारित की गई। गेहूं के स्टॉक सीमाओं में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और दिनांक 28-6-2007 के पत्र संख्या 11-8-2007 ई.सी.आर. एंड ई. द्वारा सहमति सूचित की गई है।
4.	गुजरात	आदेश में लाइसेंसिंग तथा स्टाक सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। इस आदेश अनुसार प्रत्येक डीलर/रोलर फ्लोर मिल मालिक को राज्य सरकार को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मात्राओं की तुलना में गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (गेहूं आटा) के स्टॉक की अधिक मात्रा की घोषणा करनी होगी: खुदरा विक्रेता: अधिकतम 500 क्विंटल थोक विक्रेता: अधिकतम 5000 क्विंटल उत्पादक (गेहूं आटा मिल) 30,000 या एक माह का मिलिंग क्षमता वाला स्टाक, जो भी कम हो। निगम क्षेत्र इकाई: 50,000 क्विंटल	सभी दालों को साथ लिया गया है। सभी नगर निगम क्षेत्रों हेतु: थोक विक्रेता: 1000 क्विंटल खुदरा विक्रेता: 50 क्विंटल अन्य नगरों/क्षेत्रों हेतु: थोक विक्रेता: 750 क्विंटल खुदरा विक्रेता: 40 क्विंटल	गेहूं हेतु दिनांक 17-3-2007 की अधिसूचना सं. जी.टी.एच./2007/16ई.सी.ए./10/2002/1359/बी द्वारा दालों के लिए दिनांक 17-3-2007 की अधिसूचना सं. सी.टी.एच.टी.एच./2007/17ई.सी.ए./102006/786/बी द्वारा।
5.	हिमाचल प्रदेश	किसी भी समय एक बार 20 क्विंटल से अधिक गेहूं बिक्री के लिए भंडारित करने वाले डीलर के लिए लाइसेंस अपेक्षित होगा।	किसी भी समय एक बार 50 क्विंटल से अधिक दाल (साबुत या टूटे) बिक्री के लिए भंडारित करने वाले डीलर के लिए लाइसेंस अपेक्षित होगा।	दिनांक 11-9-2006 की अधिसूचना सं. एफ.डी.एस.-ए(3)-3/90-1 द्वारा। दिनांक 13-3-2007 की अधिसूचना सं. एफ.डी.एस.-ए(3)-3/90-2 द्वारा और छः महीनों के लिए विस्तार किया गया।

6. कर्नाटक	कोई स्टॉक सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु डीलरों तथा थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंस संबंधी अपेक्षाएं लागू की गई हैं। मूल्य तथा स्टॉक प्रदर्शित करने की अपेक्षा भी लागू की गई है।	कोई स्टॉक सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु डीलरों तथा थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंस संबंधी अपेक्षाएं लागू की गई हैं। मूल्य तथा स्टॉक प्रदर्शित करने की अपेक्षा भी लागू की गई है।	कर्नाटक सरकार की दिनांक 7-5-2007 की अधिसूचना सं. एफ.सी.एस.-115 आर.पी.आर.-2006 द्वारा। 12-10-2007 की अधिसूचना सं. एफ.सी.एस. 115 आर.पी.आर. 2006 (पी-1) द्वारा और विस्तार किया गया।
7. केरल	खुदरा विक्रेताओं हेतु किसी भी समय 10 क्विंटल तक। थोक विक्रेताओं हेतु 750 क्विंटल तक।	खुदरा विक्रेताओं हेतु किसी समय 20 क्विंटल तक। थोक विक्रेताओं हेतु 750 क्विंटल तक।	केरल की राज्य सरकार ने गेहूं तथा दालों के संबंध में 31-8-2007 तक स्टॉक सीमाएं निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं. 5564/डी1/2007/एफ.सी.एस. एंड सी.ए.डी. जारी की है। राज्य सरकार ने दिनांक 22-3-2008 की अधिसूचना सं. 2824/डी 1/2008/एफ. एंड सी.एस.डी. द्वारा 1-3-2008 से 6 माह हेतु वैधता अवधि का और विस्तार कर दिया।
8. महाराष्ट्र	(i) थोक विक्रेताओं हेतु "ए" नगर - 3000 क्विंटल "बी" नगर और अन्य क्षेत्र - 1000 क्विंटल (ii) आटा मिल मालिकों हेतु - 30 दिनों की पिसाई क्षमता	थोक विक्रेताओं हेतु "ए" नगर - 3000 क्विंटल "बी" नगर और अन्य क्षेत्र - 1500 क्विंटल खुदरा विक्रेताओं हेतु - "ए" नगर - 100 क्विंटल "बी" नगर और अन्य क्षेत्र - 75 क्विंटल	दिनांक 15-9-2006 की अधिसूचना सं. 1006/1304/सी.आर. 324/सी.एस. 23 द्वारा स्टॉक सीमा निर्धारित की गई। दिनांक 14-3-2007 के पत्र सं. सेनकिरना 1006/1304/सी.आर. 324/सी.एस. 23 द्वारा 6 महीनों को और विस्तार की सूचना दी।
9. उड़ीसा	लाइसेंस संबंधी और स्टॉक सीमाओं की अपेक्षाएं लागू नहीं की गई हैं, परन्तु डीलरों/थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक तथा बिक्री मूल्य की घोषणा करनी अपेक्षित है, स्टॉक को बिक्री करने से रोकने के प्रतिषेध और स्टॉक की मांग, आदि को लागू किया गया है।	लाइसेंस संबंधी और स्टॉक सीमाओं की अपेक्षाएं लागू नहीं की गई हैं, परन्तु डीलरों/थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक तथा बिक्री मूल्य की घोषणा करनी अपेक्षित है, स्टॉक को बिक्री करने से रोकने के प्रतिषेध और स्टॉक की मांग, आदि को लागू किया गया है।	सभी क्लेक्टरों को संबोधित खाद्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के दिनांक 25-9-2006 के पत्र सं. 19907/एस.एफ.एस. एंड सी.डब्ल्यू. द्वारा और दिनांक 28-3-2007 के पत्र सं. 5901/ई.एल.-आइ.सी.-5/07 द्वारा 1-3-2007 से छः महीनों के लिए और बढ़ाया गया।

1	2	3	4	5
10.	तमिलनाडु	(i) थोक विक्रेता: (क) नगर निगम - 1000 क्विंटल (ख) जिला मुख्यालय - 750 क्विंटल (ग) अन्य क्षेत्र - 437.50 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: (क) नगर निगम - 31.25 क्विंटल (ख) जिला मुख्यालय - 18.25 क्विंटल (ग) अन्य क्षेत्र - 12.50 क्विंटल	(i) थोक विक्रेता: (क) नगर निगम - 2500 क्विंटल (ख) जिला मुख्यालय - 1250 क्विंटल (ग) अन्य क्षेत्र - 1250 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: (क) नगर निगम - 62.50 क्विंटल (ख) जिला मुख्यालय - 50 क्विंटल (ग) अन्य क्षेत्र - 50 क्विंटल	दिनांक 14-6-2007 की अधिसूचना सं. जी.ओ. (एम.एस.) सं. 198 द्वारा स्टॉक सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
11.	पश्चिम बंगाल	थोक विक्रेता - 250 क्विंटल खुदरा विक्रेता - 20 क्विंटल	कोई स्टॉक सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं।	प्रारम्भ में दिनांक 1-11-2006 की अधिसूचना सं. 6628/एफ.एस. द्वारा स्टॉक सीमाएं निर्धारित की गई थीं जिनको दो बार दिनांक 4-4-2007 के आदेश द्वारा 31-8-2007 तक तथा दिनांक 5-10-2007 के आदेश द्वारा 31-8-2007 से आगे बढ़ाया गया। इसे दिनांक 1-4-2008 के आदेश सं. 2500-एफ.एस./सेक्ट./फूड/14 आर-2/2006 द्वारा 27-2-2008 से आगे और बढ़ा दिया गया है।
12.	चंडीगढ़	कोई स्टॉक सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु एक डीलर के लिए केवल लाइसेंस संबंधी अपेक्षा लागू की गई है।	कोई स्टॉक सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु एक डीलर के लिए केवल लाइसेंस संबंधी अपेक्षा लागू की गई है।	दिनांक 26-4-2007 की अधिसूचना सं. डी.एफ.एस.ओ.-सी.एच.-आई.एल. 2007/2051 द्वारा।
13.	दादरा और नगर हवेली	खुदरा विक्रेता - 50 क्विंटल थोक विक्रेता - 250 क्विंटल	खुदरा विक्रेता - 25 क्विंटल थोक विक्रेता - 250 क्विंटल	22-6-07 की अधिसूचना सं. एस.यू.पी./ई.सी./सी.ओ./स्ट. लिमिट/595 द्वारा।

पाम ऑयल पर शुल्क समाप्त करने का नारियल उत्पादकों पर प्रभाव

***548. श्री पन्नियन रविन्द्रन:**

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अपरिष्कृत पाम ऑयल तथा अन्य खाद्य तेलों पर आयात शुल्क समाप्त किये जाने का नारियल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल उत्पादकों के हित में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा पाम आयल और अन्य खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती का निर्णय लिया गया था। नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने केरल में किसी भी बन्दरगाह के जरिए कच्चे और परिष्कृत पाम आयल और पामोलीन के आयात को निषिद्ध कर दिया है और खाद्य तेलों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध के दायरे से कोच्चि बन्दरगाह के माध्यम से नारियल तेल के निर्यात को छूट दे दी है।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार जब कभी भी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने लगती है, नेफेड के माध्यम से तिलहनों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना भी लागू कर रही है। नारियल किसानों के लाभ के लिए, नारियल विकास बोर्ड (सी.डी.बी.) विभिन्न कार्यक्रम जैसे नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, गुणवत्ता पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण, समेकित कृषि पद्धति और समेकित कृमि और रोग नियंत्रण के माध्यम से उत्पादकता सुधार भी कार्यान्वित कर रहा है। सी.डी.बी. द्वारा नारियल उत्पादों के लिए विपणन प्रोत्साहन कार्यकलाप भी किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मोबाइल टावरों का कार्यकरण

***549. श्री चन्द्रभान सिंह:**

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक मध्य प्रदेश सहित देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा स्थापित किए गए मोबाइल टावरों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में वर्ष 2008-09 के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ये सभी मोबाइल टावर उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे टावरों का राज्यवार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक मध्य प्रदेश सहित देश में स्थापित किए गए मोबाइल टावरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। मध्य प्रदेश सहित देश में मोबाइल टावरों का अवस्थिति-वार ब्यौरा एकत्रित और संकलित किया जा रहा है, जिसे तत्पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.टी.एन.एल. द्वारा स्थापित किए गए जी.एस.एम. मोबाइल टावरों के ब्यौरे निम्नवत् हैं

वर्ष	दिल्ली	मुंबई
2005-06	132	100
2006-07	105	54
2007-08	146	86
2008-09 (30 अप्रैल, 2008 तक)	40	04

(ख) बी.एस.एन.एल. द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

एम.टी.एन.एल. का वर्ष 2008-09 में दिल्ली में 120 जी.एस.एम. मोबाइल टावर और मुंबई में 273 जी.एस.एम. मोबाइल टावर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी, हां। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. कवरेज, क्षमता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. बेहतर निष्पादन हेतु अपने नेटवर्क को अनुकूलतम बना रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की निगरानी व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्रदान किए गए भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टावरों का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्रदान किए गए टावरों की संख्या				
		2005-05	2006-07	2007-08	पिछले तीन वर्षों में प्रदान किए गए कुल टावर	31.03.2008 के अनुसार कुल टावर उपलब्ध
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार	15	20	27	62	68
2.	आन्ध्र प्रदेश	589	454	119	1162	2051
3.	असम	273	87	222	582	784
4.	बिहार	335	187	243	765	1105
5.	छत्तीसगढ़	55	243	313	611	673
6.	गुजरात	206	853	479	1538	2164
7.	हरियाणा	446	219	76	741	1000
8.	हिमाचल प्रदेश	237	124	27	388	485
9.	जम्मू-कश्मीर	266	107	34	407	560
10.	झारखंड	207	110	50	367	578
11.	कर्नाटक	637	201	93	931	2038
12.	केरल	561	604	141	1306	2097
13.	मध्य प्रदेश	49	566	384	999	1369

1	2	3	4	5	6	7
14.	महाराष्ट्र	451	1024	738	2213	2824
15.	पूर्वोत्तर-I	79	52	72	203	282
16.	पूर्वोत्तर-II	46	50	29	125	212
17.	उड़ीसा	363	178	256	797	1065
18.	पंजाब	634	364	46	1044	1446
19.	राजस्थान	666	775	246	1687	2124
20.	तमिलनाडु	799	372	162	1333	1998
21.	उत्तराखंड	203	105	34	342	440
22.	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	726	1189	259	2174	3069
23.	उत्तर प्रदेश - (पश्चिम)	692	295	129	1116	1218
24.	पश्चिम बंगाल	325	233	209	767	106
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	222	267	103	592	763
26.	चेन्नै दूरसंचार जिला	294	54	6	354	676
	जोड़	9376	8733	4497	22606	32195

विवरण-II

वर्ष 2008-09 के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड का मोबाइल टावरों का लक्ष्य

क्र. सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	47
2.	आंध्र प्रदेश	1215
3.	असम	450
4.	बिहार	1012
5.	छत्तीसगढ़	913
6.	गुजरात	1500
7.	हरियाणा	259
8.	हिमाचल प्रदेश	485
9.	जम्मू-कश्मीर	357
10.	झारखंड	687
11.	कर्नाटक	1321
12.	केरल	600
13.	मध्य प्रदेश	2796
14.	महाराष्ट्र	2916

1	2	3
15.	पूर्वोत्तर-I	150
16.	पूर्वोत्तर-II	378
17.	उड़ीसा	620
18.	पंजाब	345
19.	राजस्थान	979
20.	तमिलनाडु	932
21.	उत्तराखंड	350
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1030
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	530
24.	पश्चिम बंगाल	750
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	279
26.	चेन्नै दूरसंचार जिला	140
	जोड़	21041

[अनुवाद]

मोटे अनाजों का उत्पादन

***550. श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रमुख मोटे अनाजों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी योजना/स्कीमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) प्रमुख मोटे अनाजों के उत्पादन का गत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

देश में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए "मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अक्तूबर, 2000 से कृषि की वृहत प्रबन्धन पद्धति में शामिल है, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित और अधिक उदारता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन में है। इसके अतिरिक्त कृषि तथा-सम्बद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आरम्भ की गई है।

विवरण

प्रमुख मोटे अनाजों का 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्य-वार उत्पादन

('000 टन)

राज्य	ज्वार			बाजरा			मक्का			रागी		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	516.0	588.0	411.0	81.0	82.0	47.0	2064.0	3087.0	2462.0	87.0	79.0	64.0
अरुणाचल प्रदेश							55.0	57.9	63.5			
असम							13.9	13.7	14.0			
बिहार	3.8	4.2	3.5	1.3	4.6	4.4	1465.7	1361.1	1714.8	10.5	11.3	12.5
छत्तीसगढ़	4.4	5.9	4.8				131.7	106.2	119.2	2.7	2.7	2.7
गोवा							0.8	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3
गुजरात	207.5	148.0	103.0	1084.7	1072.0	1019.0	412.5	560.0	363.0	25.8	22.0	11.0
हरियाणा	26.0	24.0	26.0	749.0	679.0	1024.0	40.0	34.0	32.0			
हिमाचल प्रदेश				0.2	0.1	0.2	736.0	543.1	695.4	3.0	3.4	3.2
जम्मू-कश्मीर	3.6	0.4	4.0	9.6	7.8	12.3	492.3	453.5	486.9			
झारखण्ड	1.7	0.2	0.3	2.0	0.1	0.1	286.0	238.5	296.4	11.0	8.8	11.2
कर्नाटक	1435.0	1665.0	1312.0	2670	421.0	187.0	2512.0	2728.0	2719.0	1733.0	1724.0	816.0
केरल	0.3	1.2	0.1							0.6	0.3	1.0
मध्य प्रदेश	630.6	627.6	595.7	241.5	271.7	253.9	1252.6	1249.0	840.2	0.1	0.1	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महाराष्ट्र	3624.0	3904.0	3772.0	1126.0	1032.0	1059.0	753.0	996.0	1150.0	147.0	132.0	123.0
मणिपुर							8.9	7.9	7.9			
मेघालय							24.0	24.1	25.0			
मिजोरम							15.7	22.7	21.0			
नागालैण्ड	4.0	0.8	0.8	4.0	3.1		83.5	92.9	108.3			
उड़ीसा	5.5	5.7	5.8	1.6	1.6	14	106.0	101.9	102.8	44.9	40.3	43.1
पंजाब				7.0	5.0	6.0	422.0	403.0	481.0			
राजस्थान	265.9	169.7	367.8	3002.2	2759.3	3421.0	1262.6	1102.1	1116.4			
सिक्किम							58.2	56.5	56.5	4.1	4.0	4.0
तमिलनाडू	252.1	231.4	294.0	124.3	94.8	99.0	294.7	241.2	759.1	154.1	132.7	148.2
त्रिपुरा							3.0	2.2	2.4			
उत्तर प्रदेश	252.3	241.9	238.0	1223.9	1246.3	1286.0	1494.0	1054.3	1163.9	0.9	0.9	
उत्तराखण्ड							44.0	44.0	42.0	190.0	174.0	186.0
पश्चिम बंगाल	0.6	0.6	0.6				139.6	128.4	253.5	15.1	15.3	
अंडमान और निकोबार आयरलैण्ड							0.1	0.1	0.2			
दादर और नगर हवेली	0.4	0.4	0.4							2.1	2.1	2.1
दिल्ली	10.5	10.5	10.9	5.6	3.1	2.9	0.2	0.1	0.1			
पांडिचेरी	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5				0.2	0.2	0.2
समस्त भारत	7244.3	7629.6	7150.8	7931.3	7684.0	8423.7	14172.0	14709.9	15097.0	2432.4	2353.6	1443.6

('000 टन)

राज्य	छोटे अनाज			जौ			कुल मोटे अनाज		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22
आन्ध्र प्रदेश	23.0	26.0	17.0				2771.0	3862.0	3001.0
अरुणाचल प्रदेश	21.4	22.4	21.4				76.4	80.3	84.9
असम	4.1	3.9	4.0				18.0	17.6	18.0
बिहार	2.3	5.5	4.6	18.3	18.8	19.9	1501.9	1405.5	1759.7
छत्तीसगढ	47.5	41.3	48.6	3.2	3.2	3.0	189.5	159.3	178.3
गोवा							1.1	1.0	0.8
गुजरात	4.0	34.0	20.0				1734.5	1836.0	1516.0
हरियाणा				67.0	76.0	115.0	882.0	813.0	1197.0
हिमाचल प्रदेश	7.0	5.7	5.1	42.0	18.4	243	788.2	570.7	728.2
जम्मू-कश्मीर	1.8	2.0	2.1	10.0	4.0	7.0	517.3	467.7	512.3
झारखण्ड	11.7	12.0	12.0	11.7	0.0	12.0	324.1	259.6	332.0
कर्नाटक	30.0	26.0	21.0				5977.0	6564.0	5055.0
केरल	0.0	0.0	0.0				0.9	1.5	1.1
मध्य प्रदेश	101.1	100.2	89.9	104.1	99.8	69.8	2330.0	2348.4	1849.6
महाराष्ट्र	45.0	21.0	36.0	1.7	2.0	1.0	5696.7	6087.0	6141.0
मणिपुर							8.9	7.9	7.9

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मेघालय	2.3	2.3	2.2				26.3	26.4	27.2
मिजोरम							15.7	22.7	21.0
नागालैण्ड	7.0	16.0	17.3	7.0	7.3		105.5	120.1	126.4
उड़ीसा	11.1	10.4	9.3				169.1	159.9	162.4
पंजाब	1.0	1.0	1.0	74.0	63.0	64.0	504.0	472.0	552.0
राजस्थान	8.0	5.4	5.0	417.7	492.1	591.7	4956.4	4528.6	5501.9
सिक्किम	3.6	1.8	1.8	1.5	1.4	1.4	67.4	63.7	63.7
तमिलनाडु	42.8	30.1	61.6				868.0	730.2	1361.9
त्रिपुरा							3.0	2.2	2.4
उत्तर प्रदेश	9.0	14.4	10.5	411.7	413.4	386.0	3391.8	2971.2	3084.4
उत्तराखण्ड	91.0	87.0	86.0	33.0	18.0	30.0	358.0	323.0	344.0
पश्चिम बंगाल	2.7	3.0	3.0	4.0	3.0	2.6	162.0	150.3	274.7
अंडमान और निकोबार आयरलैण्ड							0.1	0.1	0.2
दादर और नगर हवेली	0.2	0.2	0.2				2.7	2.7	2.7
दिल्ली				0.2	0.2	0.2	16.5	13.9	14.1
पांडिचेरी							0.7	0.8	0.8
समस्त भारत	477.6	471.6	479.6	1207.1	1220.6	1327.9	33464.7	34069.3	33922.6

खाली स्थान दिखाता है कि या तो फसल नहीं होती अथवा उत्पादन नगण्य है।

अतिरिक्त श्रम न्यायालयों का गठन

***551. श्री चन्द्रकांत खैरे:**

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रम संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने अतिरिक्त श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों का गठन किया है;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों तथा उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में उठने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में, औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सी.जी.आई.टी.-कम-एल.सी.) का गठन करने के लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान, औद्योगिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए मौजूदा सत्रह (17) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के आलावा पांच (5) नये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय स्थापित किए जाने थे। वर्ष 2004 तक नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार इन पांच केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई थी:

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण का नाम	वर्ष
नई दिल्ली II	2003
गुवाहाटी	2003
एर्नाकुलम	2004
चंडीगढ़ II	2004
अहमदाबाद	2004

राज्य क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के गठन के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ-साथ लम्बित मामलों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य क्षेत्र में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के संबंध में ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में एक वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र के रूप में "लोक अदालत का आयोजन" की एक नई योजना स्कीम शुरू की गई थी। इसके अलावा, यह मंत्रालय औद्योगिक विवादों का तेजी से निपटान सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं की आवधिक रूप में समीक्षा करता रहा है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (केन्द्रीय क्षेत्र) में लंबित/निपटाये गये मामलों की वर्षवार संख्या

क्र. सं.	सी.जी.आई.टी.	2005-06				2006-07			
		मामले		आवेदन		मामले		आवेदन	
		निपटाये गये	लंबित	निपटाये गये	लंबित	निपटाये गये	लंबित	निपटाये गये	लंबित
1.	मुम्बई-I	63	213	28	64	75	193	38	35
2.	मुम्बई-II	20	456	9	438	97	410	26	506
3.	धनबाद-I	150	1745	31	367	73	1,746	1	358
4.	धनबाद-II	195	929	0	36	45	949	0	36
5.	आसनसोल	50	562	14	79	64	606	17	62
6.	कोलकाता *	8	269	0	133	9	281	8	95
7.	चंडीगढ़-I	1,162	911	162	212	148	846	123	98
8.	चंडीगढ़-II	72	1,178	10	144	275	946	67	112
9.	नई दिल्ली-I	94	492	39	451	72	540	29	469
10.	नई दिल्ली-II	192	493	74	57	242	333	38	82
11.	कानपुर	96	663	188	184	158	560	55	154
12.	जबलपुर	126	1454	52	597	107	1,438	115	489
13.	चेन्नई *	131	584	24	35	379	293	4	30
14.	बंगलोर	95	352	20	82	113	288	19	95

15. हैदराबाद	659	780	187	631	156	856	556	199
16. नागपुर	19	912	0	15	178	836	3	18
17. भुवनेश्वर	41	424	38	99	41	412	36	136
18. लखनऊ	75	408	13	36	60	379	8	38
19. जयपुर *	108	154	24	24	51	228	0	0
20. गुवाहाटी	13	33	3	7	8	37	1	7
21. एर्नाकुलम	18	22	0	58	122	247	96	29
22. अहमदाबाद *	208	1,818	71	1,037	49	1,947	40	1,473
कुल	3,595	14,852	987	4,786	2,522	14,371	1,296	4,521

निपटाए गए = वर्ष के दौरान निपटाए गए। लम्बित = वर्ष के अंत में लंबित।

मामले: ये मामले हैं जो क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के) या सहायक श्रमायुक्तों (के) द्वारा करायी गई संराधन प्रक्रिया के असफल होने पर न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत सी.जी.आई.टी.-सह-श्रम न्यायालयों को भेजे जाते हैं।

आवेदन: ये आवेदन हैं जो कामगारों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-क और 33-ग के अंतर्गत सी.जी.आई.टी.-सह-श्रम न्यायालयों के समक्ष सीधे दायर किये जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (केन्द्रीय क्षेत्र) में दिसम्बर, 07 तक वर्षवार लंबित/निपटाये गये मामले

क्र.सं.	सी.जी.आई.टी.	2007-08			
		वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदन	वर्ष के अंत में लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6
1.	मुम्बई I	14	228	14	37
2.	मुम्बई III	55	420	101	525
3.	धनबाद I*	4	1,792	0	363
4.	धनबाद II**	5	994	0	64
5.	आसनसोल	37	660	4	65
6.	कोलकाता**	13	291	0	102
7.	चंडीगढ I#	43	868	22	102
8.	नई दिल्ली I	36	538	10	468
9.	कानपुर	52	553	15	150
10.	जबलपुर	77	1,453	104	387
11.	चेन्नई	68	307	1	37
12.	बंगलौर	84	365	13	77
13.	हैदराबाद	39	955	5	198
14.	नागपुर**	39	904	0	21
15.	भुवनेश्वर**	10	402	1	136
16.	लखनऊ	70	374	12	29
17.	जयपुर**	0	270	0	0
18.	नई दिल्ली II	146	253	18	75
19.	गुवाहाटी	17	28	0	7

1	2	3	4	5	6
20.	एर्नाकुलम	87	192	42	27
21.	अहमदाबाद**	10	2,014	11	1,583
22.	चंडीगढ़ ‖ए	104	877	5	135
	कुल	1,010	14,738	378	4,588

*नवम्बर, 07 तक **सितम्बर, 07 तक #जुलाई, 07 तक एए अप्रैल, 07 तक ए अक्तूबर, 07 तक

मामले: वे मामले हैं जो क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के) या सहायक श्रमायुक्तों (के) द्वारा करायी गई संराधन प्रक्रिया के असफल होने पर न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत सी.जी.आई.टी.-सह-श्रम न्यायालयों को भेजे जाते हैं।

आवेदन: वे आवेदन हैं जो कामगारों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-क और 33-ग के अंतर्गत सी.जी.आई.टी.-सह-श्रम न्यायालयों के समक्ष सीधे दायर किये जाते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

***552. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों को दी जा रही वित्तीय सहायता में भी वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में अनुमोदित 589 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) में से स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या 560 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) शेष बचे 29 जिलों के लिए उपयुक्त भूमि, अपर्याप्त कृषक जनसंख्या/क्षेत्र और घटिया संचार सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 8 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना व्यवहार्य नहीं पाया गया। शेष 21 जिलों में उपयुक्त संगठन से पर्याप्त क्षेत्र/जनसंख्या व्याप्ति, स्थापना और अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के प्रस्ताव की प्राप्ति पर कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलना निर्भर करेगा।

(ग) वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र संबंधी स्कीम के लिए बजटीय आबंटन क्रमशः 287.00 करोड़ रुपये और 314.08 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए 10वीं योजना में 885.32 करोड़ रुपये के आबंटन के विपरीत 11वीं योजना में आबंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2051.98 करोड़ रुपये किया गया है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	20
5.	बिहार	37
6.	छत्तीसगढ़	16
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	24
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू कश्मीर	14
13.	झारखण्ड	21
14.	कर्नाटक	26
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	47
18.	महाराष्ट्र	33
19.	मणिपुर	8
20.	मेघालय	5
21	मिजोरम	8
22.	नागालैंड	8
23.	उड़ीसा	29
24.	पांडिचेरी	2
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	32
27.	सिक्किम	4
28.	तमिलनाडु	29
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	63
31.	उत्तरांचल	13
32.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	560

सैन्यकर्मियों के लिए वेतन

***553. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**

श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 2008 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पुअर पे ट्रिगर्स आर्मी एक्सोड्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समाचार में प्रकाशित तथ्यो की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सेना से भारी संख्या में अधिकारी नौकरी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। सेना कार्मिकों को अधिक्रमण, अत्यधिक अनुकंपा आधार, निम्न चिकित्सा श्रेणी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने में विफलता आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से नौकरी छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, इन मामलों की सेवा की अनिवार्यताओं के अध्यधीन प्रत्येक मामले के आधार पर जांच की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान सेना के जिन अधिकारियों ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति/पद त्यागने के लिए आवेदन किए और जिन अधिकारियों को विभिन्न कारणों से नौकरी छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी थी, की संख्या क्रमशः 3474 और 2076 है।

सेना के अधिकारियों को देय वेतन, भत्ते और अन्य हित लाभ समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार

हैं। सरकार द्वारा गठित केंद्रीय वेतन आयोगों द्वारा भी इनकी जांच की जाती है। सेना के अधिकारियों की सेवा शर्तों, वेतन एवं भत्तों में सुधार किया जाना एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

न्यूनतम दैनिक मजदूरी में संशोधन

***554. श्री संतोष गंगवार:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु न्यूनतम दैनिक मजदूरी में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यूनतम दैनिक मजदूरी में कब तक संशोधन कर उसे कार्यान्वित किया जायेगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1)(ख) के अनुसार, समुचित सरकार ऐसे अंतरालों, जो पांच वर्षों से अधिक नहीं होगा, पर इस प्रकार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक होगा तो न्यूनतम दरों में संशोधन करेगी। तदनुसार, समुचित सरकारें अन्यों के साथ-साथ, कीमत स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखकर, समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा/संशोधन करती हैं। इसके अलावा, 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार ने परिवर्ती महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) प्रणाली अपनाई है जिसके द्वारा औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वी.डी.ए. में एक वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है जो अप्रैल और अक्तूबर से प्रभावी होता है।

केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अकुशल	अर्धकुशल	कुशल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश*	100.00	110.00	120.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.00	60.00	65.00
3.	असम*	72.99	76.32	79.70
4.	बिहार*	81.00	83.00	85.00
5.	छत्तीसगढ़*	69.00	99.59	106.02
6.	गोवा	93.00	99.00	105.00
7.	गुजरात*	55.00	65.00	100.00
8.	हरियाणा*	135.00	140.00	150.00

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	75.00	79.50	91.00
10.	जम्मू-कश्मीर	66.00	88.00	147.00
11.	झारखंड*	67.72	–	–
12.	कर्नाटक*	74.84	82.34	84.64
13.	केरल*	97.52	99.02	101.12
14.	मध्य प्रदेश*	61.37	84.30	87.96
15.	महाराष्ट्र*	65.00	72.92	75.33
16.	मणिपुर*	72.40	77.65	79.40
17.	मेघालय*	70.00	75.00	85.00
18.	मिजोरम	103.00	115.00	143.00
19.	नागालैंड	66.00	70.00	75.00
20.	उड़ीसा*	70.00	80.00	90.00
21.	पंजाब*	96.90	101.35	107.50
22.	राजस्थान*	73.00	77.00	81.00
23.	सिक्किम	85.00	–	–
24.	तमिलनाडु*	66.73	90.82	93.82
25.	त्रिपुरा*	47.18	47.18	83.85
26.	उत्तर प्रदेश*	76.31	88.31	102.91
27.	उत्तराखंड*	70.82	83.21	95.60
28.	पश्चिम बंगाल*	57.01	58.16	58.51
29.	अंडमान और निकोबार	130.00	140.00	168.00
30.	चंडीगढ़*	131.79	137.56	149.10
31.	दादरा और नगर हवेली*	99.80	106.30	112.80
32.	दमन और दीव*	87.00	97.00	104.00
33.	दिल्ली*	140.00	146.00	156.00

1	2	3	4	5
34.	लक्षद्वीप*	70.00	76.00	32.00
35.	पांडिचेरी	78.00	–	86.00
	केन्द्रीय क्षेत्र*@	75.34	88.78	112.68

*वी.डी.ए. प्रणाली प्रचलन में है।

@1-4-2008 से।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि

***555. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में हुई वृद्धि तथा विकास दर का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोबाइल सेवा कनेक्शनों में गुणवत्तापूर्ण पारेषण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। कुल मोबाइल उपभोक्ता आधार, जो मार्च, 2005 में 56.88 मिलियन था, मार्च, 2008 में बढ़कर 261.08 मिलियन हो गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान मोबाइल फोन उपभोक्ता आधार का ब्यौरा विकास दर, राज्यवार, वर्षवार सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों के माध्यम से ट्राई द्वारा जारी किए गए विनियमों में अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों की तुलना में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के निष्पादन को मॉनीटर करता है। ट्राई मासिक संकुलन रिपोर्ट के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पी.ओ.आई.) पर संकुलन को भी मॉनीटर करता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की दृष्टि से निरंतर अपने मोबाइल नेटवर्क की अवसंरचना में वृद्धि करके सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और इसे इष्टतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

31-3-2005 से विगत तीन वर्षों का मोबाइल फोनों का सर्किल/राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल/राज्य का नाम	निम्नलिखित तारीखों को कुल मोबाइल फोन				वर्ष के दौरान वृद्धि दर (% में)		
		31-3-2005	31-3-2006	31-03-2007	31-3-2008	2005-06	2006-07	2007-08
1.	अंडमान एवं निकोबार	10740	32587	44083	57846	203.42	35.28	31.22
2.	आंध्र प्रदेश	4251239	7669812	13045794	20577632	80.41	70.09	57.73
3.	असम	287002	1128597	2331898	3913099	293.24	106.62	67.81
4.	बिहार	1158534	3819442	5773370	10869459	229.68	51.16	88.27
5.	छत्तीसगढ	117951	191417	467294	701032	62.29	144.12	50.02
6.	गुजरात	4239010	6775707	11163757	16968200	59.84	64.76	51.99
7.	हरियाणा	1252666	2240298	4470606	6401457	78.84	99.55	43.19
8.	हिमाचल प्रदेश	354255	728578	1408876	2299811	105.66	93.37	63.24
9.	जम्मू-कश्मीर	274821	1114652	1491315	2201912	305.59	33.79	47.65
10.	झारखंड	206372	403371	571217	640229	95.46	41.61	12.08
11.	कर्नाटक	3913203	6890546	11382511	17043556	76.08	65.19	49.73
12.	केरल	2826014	5019928	7601981	11698216	77.63	51.44	53.88
13.	मध्य प्रदेश	1871031	3441142	6682326	12491306	83.92	94.19	86.93
14.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	4657918	7417194	12788896	21079326	59.24	72.42	64.83
15.	पूर्वोत्तर	146606	500935	1201518	2118532	241.69	139.86	76.32
16.	उड़ीसा	762996	2172208	2963261	5180156	184.69	36.42	74.81

17. पंजाब	3763822	5461829	8364307	11715504	45.11	53.14	40.07
18. राजस्थान	1852881	4147323	8011334	13586738	123.83	93.17	69.59
19. तमिलनाडु (-) चेन्नै	3624160	5957147	10553554	18284050	64.37	77.16	73.25
20. उत्तराखंड	156467	321779	544882	685565	105.65	69.33	25.82
21. उत्तर प्रदेश	4442433	9907365	17561905	28366704	123.02	77.26	61.52
22. पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	895338	2732985	5040111	9381095	205.25	84.42	86.13
23. कोलकाता	2019998	3502096	5030986	7844469	73.37	43.66	55.92
24. चेन्नै	2228248	3246131	4637124	7061200	45.68	42.85	52.28
25. दिल्ली	6073819	8869702	12083283	16282949	46.03	36.23	34.76
26. मुंबई	5501404	8116905	9877466	13631670	47.54	21.69	38.01
कुल	56888928	101809676	165093655	261081713	78.96	62.16	58.14

टिप्पणी: (1) स्रोत: बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल./सी.ओ.ए.आई./ए.यू.एस.पी.आई.

(2) आंकड़ों में डब्ल्यू.एल.एल. (एफ) भी शामिल है।

(3) प्राइवेट प्रचालक केवल सेवा क्षेत्रवार आंकड़े प्रदान करते हैं न कि अंडमान एवं निकोबार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर-II के लिए अलग-अलग आंकड़े। इन राज्यों को क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर-I में शामिल किया गया है। तथापि, भारती एयरटेल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए लैंडलाइन के आंकड़े पृथक रूप से प्रदान करता है।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा आऊटसोर्सिंग

***556. डा. के.एस. मनोज:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी.जी.क्यू.ए.) ने अपनी कुछ सेवाओं की निजी एजेंसियों को आऊटसोर्सिंग की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.जी.क्यू.ए. की सेवाओं की निजी एजेंसियों को आऊटसोर्सिंग के कारण वर्गीकृत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में कोई खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) सफाई वाला/स्वीपर, कैंटीन स्टॉफ, मजदूर, सुरक्षा गार्ड्स, वाहन/चालक आदि।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

सरसों का उत्पादन

***557. डा. चिन्ता मोहन:**

श्री सूरज सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के सरसों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान इसके उत्पादन में दस प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान और वर्तमान में देश में उक्त तिलहन के बाजार मूल्यों और इसकी खपत के बारे में ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) चालू रबी मौसम के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा सरसों की कितनी मात्रा में खरीद किए जाने का अनुमान है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 22 अप्रैल, 2008 को जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में रेपसीड तथा सरसों का उत्पादन 2007-08 के दौरान 64.31 लाख टन अनुमानित है जोकि 2006-07 के दौरान 74.38 लाख टन के उत्पादन से 13.5% कम है। रेपसीड तथा सरसों के उत्पादन में गिरावट प्रमुख उत्पादक राज्यों में बुवाई के समय वर्षा में गिरावट के कारण 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान वर्ष के अन्तर्गत कम कवरेज क्षेत्र का होना है। रेपसीड तथा सरसों का उत्पादन राजस्थान तथा हरियाणा में 2008 के जनवरी माह में शीतलहर/जमाव स्थितियों के कारण भी कम हुआ है।

(ग) निम्नलिखित सारणी पिछले तीन महीनों के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरसों बीज के बाजार मूल्य दर्शाती है:

माह	बाजार मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)	
	न्यूनतम	अधिकतम
फरवरी, 2008	1950	2900
मार्च, 2008	2200	2900
अप्रैल, 2008	1850	2640

प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरसों बीज के बाजार मूल्य वर्तमान में 1850 रुपए प्रति क्विंटल तथा 2640 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं।

लगभग सारा रेपसीड तथा सरसों उत्पादन सरसों तेल के रूप में देश में खपत होता है। सरसों तेल की खपत सर्दी के मौसम के दौरान अधिक होती है।

(घ) जैसाकि सरसों बीजों का बाजार मूल्य 1800 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से काफी ऊपर चलते रहे हैं, सरकार ने रबी 2008 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कोई प्रापण नहीं किया है। व्यापारियों तथा मिल मालिकों ने सरसों बीजों की अपनी आवश्यकता मार्च-मई की चोटी की आवक अवधि के दौरान खुले विकल्प से मंडियों से पूरी कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन परिसंघ लिमिटेड (नैफेड) ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लगभग

1 लाख टन सरसों बीजों की प्रापण की योजना बनाई है। नैफेड ने प्रमुख उत्पादक राज्यों में चल रहे बाजार मूल्यों पर लगभग 20,000 टन सरसों बीजों का प्रापण किया है।

किसानों द्वारा आत्महत्या

***558. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किये गये अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों में विगत दो वर्षों के दौरान किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों ने किसानों द्वारा आत्महत्या के लिये फसल असफलता, सूखा, ऋणग्रस्तता, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को व्यापक रूप से कारण सूचित किया है।

इस मामले में भारत सरकार द्वारा किये गये सुधारात्मक उपायों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल नामक 4 राज्यों में तुलनात्मक रूप से किसानों द्वारा आत्महत्याओं के अधिक मामलों की रिपोर्ट करने वाले 31 जिलों के लिये 16978.69 करोड़ रु. का पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन शामिल है। इस पैकेज का क्रियान्वयन तीन वर्षों की अवधि के लिये किया जायेगा। इस पुनर्वास पैकेज का उद्देश्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की बेहतर आपूर्ति, कृषि के प्रति बेहतर फसल केन्द्रित प्रणाली, सिंचाई की विश्वस्त सुविधाओं, पनधारा प्रबंध, बेहतर विस्तार तथा कृषक सहायक सेवाओं, बागवानी, पशुधन, डेयरी, मात्स्यिकी आदि के जरिये सहायक आय के अवसरों के माध्यम से सतत तथा व्यवहार्य फार्मिंग व जीविका सहायक प्रणाली की स्थापना करना है। 31-1-2008 की स्थिति के अनुसार इस पैकेज के तहत 10070.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, 2008-09 के केन्द्रीय बजट में सरकार द्वारा किसानों के लिए ऋण में छूट तथा ऋण राहत संबंधी स्कीम भी घोषित की गई है।

विगत 2 वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के संबंध में जानकारी तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि, चार राज्यों में पुनर्वास पैकेज के तहत शामिल 31 अभिज्ञात जिलों में विगत दो वर्षों में दी गई कृषि ऋण की राशि निम्नलिखित है:-

(रुपये करोड़ में)

राज्य का नाम	लक्ष्य 2006-07	31-3-07 को वितरण	लक्ष्य 2007-08	वितरण की नवीनतम स्थिति
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	13,817.78	12,627.23	15032.50	10703.32*
कर्नाटक	3076.20	2962.99	3749.41	2004.65$
केरल	1945.07	2324.30	2395.45	1143.76$

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	2583.39	2012.90	2225.35	1582.44**
कुल	21,422.44	19,927.42	23402.71	15434.17

* 31-12-2007 की स्थिति के अनुसार

**31-01-2008 की स्थिति के अनुसार

$ 30-09-2007 की स्थिति के अनुसार

विवरण

राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अवधि	संख्या (राज्य सरकार द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों पर आधारित)	
1.	आंध्र प्रदेश	2006	514	
		2007 (30-09-2007 तक)	142	
2.	कर्नाटक	2006-07	343	
		2007-08 (31-12-2007 तक)	235	
3.	महाराष्ट्र		कुल	विदर्भ
		2006	2355	1448
		2007	1985	1230
		2008 (जनवरी, 08 तक)	110	72
4.	केरल	2001 से 2006 तक	841	
		2007 (31-10-2007 तक)	26	
5.	तमिलनाडु	2000-2007 (मार्च, 2007 तक)		
6.	पंजाब*	2005	6	
		2006	3	
7.	गुजरात	2006	149	
		2007	103	

*राज्य सरकार के दिनांक 21-3-06 के पत्र सं. 4/39/06 कृषि 2(10)/7257 के तहत सूचित जानकारी पंजाब के कपास बेल्ट से संबंधित है। पंजाब सरकार ने दिनांक 11-5-07 के पत्र सं. 4/15/07-कृषि 2 (10)/3943 के तहत यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा 2006 में ऋण के बोझ के कारण आत्महत्याओं की संख्या क्रमशः 2, शून्य, 3 तथा 3 थी।

टिप्पणी 1: उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, हरियाणा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मणीपुर, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों से किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में "शून्य" रिपोर्ट मिली है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

***559. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान तथा आज तक सरकार तथा निजी एजेंसियों/व्यापारियों द्वारा अलग-अलग गेहूं सहित खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में खरीद की गई;

(ख) क्या सरकार ने 2008-09 के दौरान पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए अपनी एजेंसियों को तत्काल कदम उठाने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने क्या निदेश जारी किए हैं तथा उनके संबंध में उक्त एजेंसियों ने क्या कार्रवाई की है तथा एजेंसी-वार कब तक खरीद आरंभ कर दी जाएगी;

(घ) निजी एजेंसियों/व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों की अत्यधिक खरीद तथा जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) रबी विपणन मौसम 2007-08 में केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां) द्वारा 111.3 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी और रबी विपणन मौसम 2008-09 में 03-5-2008 तक 163.88 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में 28-4-2008 तक सरकारी एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए 229.03 लाख टन चावल की खरीद की गई है। सभी निजी एजेंसियों/व्यापारियों द्वारा की गई समस्त खरीद के आंकड़े खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, गेहूं और चावल के स्टाक की घोषणाओं के तहत रिटर्न दायर करने वाली कंपनियों/फर्मों ने 31-3-2008 तक 24.54 लाख टन गेहूं और 10.97 लाख टन चावल की खरीद की घोषणा की है।

(ख) और (ग) जी, हां। सभी सरकारी एजेंसियों को रबी विपणन मौसम 2008-09 में गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों का पर्याप्त प्रचार करने, गेहूं के विपणनीय अधिशेष वाले सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोलने, सभी खरीद केन्द्रों पर उचित इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बोरियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेने के बारे में निदेश जारी किए गए हैं। सभी सरकारी एजेंसियों ने इन अनुदेशों पर आवश्यक कार्रवाई कर ली है और खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है।

(घ) निजी एजेंसियों/व्यापारियों द्वारा गेहूं और चावल की बड़ी खरीदारियों की मानीटरिंग करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2008 और 'चावल (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007' जारी किए गए हैं जो क्रमशः रबी विपणन मौसम 2008-09 और खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के लिए प्रभावी हैं। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 10 हजार टन से अधिक गेहूं/धान (चावल के रूप में) खरीदेगा वह उस राज्य के खाद्य सचिव को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि चावल की खरीदारी 25000 टन से अधिक होती है तो रिटर्न केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है। केन्द्र सरकार ने व्यापारियों/फर्मों द्वारा रखे जा सकने वाले खाद्यान्नों के स्टाक की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की है। तथापि, राज्य सरकारों को गेहूं और चावल के संबंध में उचित स्टाक सीमा लागू करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ङ) वर्ष 2008-09 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी खरीद में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याण योजनाओं के तहत पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों की खरीद में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय गेहूं (रबी विपणन मौसम) 2008-09

(i) किसानों को और गेहूं उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2008-09 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 250 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

(ii) निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(iii) 11-2-2008 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2008, नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2008-09 के दौरान 10 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य विभाग को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि गेहूं की खरीदारी 25000 टन से अधिक होती है तो रिटर्न केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

(iv) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 31 अगस्त, 2008 तक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

(v) निजी खाते पर अगले आदेशों तक गेहूं के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

(vi) मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में भारतीय खाद्य निगम की ओर से नेफेड को गेहूं की खरीद करने की अनुमति दी गई है।

(vii) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर समितियों/उप एजेंटों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से कमीशन की अनुमति दी गई है।

चावल (खरीफ विपणन मौसम) 2007

(i) किसानों को और चावल उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के लिए साधारण और ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 645 रुपये और 675 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है और इस प्रकार खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 65 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि प्रदान की गई है।

(ii) सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है।

(iii) भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों, आदि की ओर से धान की खरीद करने वाली समितियों और स्व-सहायता समूहों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 1.5 प्रतिशत की दर से कमीशन की अनुमति दी गई है।

(iv) गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(v) चावल के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

(vi) दिनांक 27-11-2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'चावल (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007' नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो खरीफ विपणन मौसम 2007-08 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 10,000 हजार टन से अधिक धान (चावल के रूप में) अथवा चावल खरीदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य विभाग को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि धान (चावल के रूप में) अथवा चावल की खरीदारी 25000 टन (देशभर में) से अधिक होती है तो निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न केन्द्रीय

सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजी जाएगी।

(vii) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना की अवधि 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें चावल के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

पैकेजों पर जानकारी का छिपाया जाना

***560. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**

श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विनिर्माता अपने उत्पादों के पैकेजों पर दी जाने वाली आवश्यक जानकारी को कथित रूप से छिपा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में तत्संबंधी उल्लंघन के दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में संबंधित कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हों, सहित क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पैकेजों पर दी जाने वाली जानकारी के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई अभियान भी शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977 के उल्लंघन, जिसमें पैकेजों पर जरूरी सूचना का छिपाया जाना भी शामिल है, के लिए वर्ष 2006-07 और 2007-08 में क्रमशः 46566 और 46224 मामले दर्ज किए गए।

(ख) पिछले दो वर्षों में राज्य-वार और वर्ष-वार दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस संबंध में कानूनों को अधिक सख्त बनाने के लिए दण्ड को बढ़ाने हेतु अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है जिसके लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है।

(ग) और (घ) जी, हां। पैकेजों पर दी जाने वाली सूचना के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए गत दो वर्षों में समाचार पत्रों आदि के जरिए अखिल भारतीय आधार पर 30 विज्ञापन प्रकाशित किए गए तथा दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से 1051 विडीयों स्पॉट टेलिकास्ट किए गए।

विवरण

गत दो वर्षों में सूचना को छिपाए जाने सहित पैकेज में रखी वस्तुएं नियमों के उल्लंघन के संबंध में दर्ज मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	20005	22527
2.	अंडमान व निकोबार	10	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
4.	असम	125	–
5.	बिहार	05	15

1	2	3	4
6.	चंडीगढ़	190	120
7.	छत्तीसगढ़	58	75
8.	दादरा व नगर हवेली	–	–
9.	दमन व दीव	–	–
10.	दिल्ली	2603	1666
11.	गोवा	84	185
12.	गुजरात	2024	–
13.	हरियाणा	363	529
14.	हिमाचल प्रदेश	208	–
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–
16.	झारखण्ड	–	–
17.	कर्नाटक	7182	7994
18.	केरल	154	2611
19.	लक्षद्वीप	0	–
20.	मध्य प्रदेश	1366	927
21.	महाराष्ट्र	2617	3957
22.	मणिपुर	–	–
23.	मेघालय	49	–
24.	मिजोरम	0	28
25.	नागालैण्ड	–	–
26.	उड़ीसा	34a	–
27.	पांडिचेरी	3	1
28.	पंजाब	71	–
29.	राजस्थान	610	430
30.	सिक्किम	–	–
31.	तमिलनाडु	–	–

1	2	3	4
32.	त्रिपुरा	3	-
33.	उत्तराखण्ड	178	172
34.	उत्तर प्रदेश	5513	4642
35.	पश्चिमी बंगाल	210	344

दूरसंचार सेवाओं में लाइसेंस संबंधी मानदंड

5262. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लाइसेंस संबंधी मानदंडों के संबंध में दूरसंचार सेवाओं के सुझावों की अनदेखी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 2006 के यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस डाक्यूमेन्ट का अनुपालन करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्पैक्ट्रम प्रभारों को पुनः तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रमुख निर्णय लिए गए हैं; और

(ङ) सरकार देश में वर्ष 2006 के लाइसेंस संबंधी मानदंडों पर किस हद तक अडिग रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 28-08-2007 की, अन्य बातों के साथ-साथ, इन सिफारिशों की स्वीकृति के उपरांत, कि किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए, यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिनांक 14-12-2005 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार फरवरी-मार्च 2008 में 22 सेवा क्षेत्रों में 16 कंपनियों को 120 नए एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्ट्रम शुल्क/प्रभारों की पुनरीक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन

5263. श्री मोहन जेना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषतः उड़ीसा के जाजपुर जिले की समिया, धानामंडल, कायीना ग्राम पंचायतों सहित कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाओं से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) इस विभाग में ग्रामीण टेलीफोनी सुविधा प्राप्त गांवों के संबंध में आंकड़े रखे जाते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने उड़ीसा के जाजपुर जिले के अंतर्गत स्थित समिया और धानामंडल ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी है। कायीना ग्राम पंचायत में चालू वित्त वर्ष के दौरान यह सुविधा उपलब्ध करा देने की योजना है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) ने देश में दूरसंचार सुविधा से वंचित 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) उपलब्ध कराने के लिए नवंबर, 2004 में बी.एस.एन.एल. के साथ एक करार किया है। इनमें 100 से कम जनसंख्या वाले गांव, घने वन क्षेत्रों में स्थित/नक्सलवाद से प्रभावित गांव आदि शामिल नहीं हैं। 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार इनमें से 53,073 गांवों में वी.पी.टी. उपलब्ध करा दिए गए हैं और शेष 13,749

गांवों में दिसंबर, 2008 तक वी.पी.टी. सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। दूरसंचार सुविधा से वंचित गांवों की संख्या, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दिए गए गांवों की संख्या और जिन गांवों में अभी भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, उनकी संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

29-02-2008 की स्थिति के अनुसार यू.एस.ओ.एफ. करार के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की सर्किलवार स्थिति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	कवर नहीं किए गए गांवों की कुल संख्या	कवर किए गए गांवों की कुल संख्या	जिन गांवों को अभी कवर किया जाना है, उनकी संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1,074	657	417
3.	असम	8,931	8,638	293
4.	बिहार	0	0	0
5.	झारखंड	1,694	1,092	602
6.	गुजरात	4,144	4,041	103
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1,002	867	135
9.	जम्मू-कश्मीर	1,755	1,274	481
10.	कर्नाटक	0	0	0
11.	केरल	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11,894	11,801	93
13.	छत्तीसगढ़	5,043	3,317	1,726
14.	महाराष्ट्र	6,441	5,882	559
15.	मेघालय	1,957	207	1,750
16.	मिजोरम	96	28	68
17.	त्रिपुरा	75	69	6

1	2	3	4	5
18.	अरुणाचल प्रदेश	646	210	436
19.	मणिपुर	876	456	420
20.	नागालैंड	28	19	9
21.	उड़ीसा	4,899	1,334	3,565
22.	पंजाब	0	0	0
23.	राजस्थान	12,386	11,083	1,303
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0
27.	उत्तरांचल	3,881	2,098	1,783
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	जोड़	66,822	53,073	13,749

प्रवासी पक्षियों को रोकना

5264. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में आने वाला बारहेडेड मंगोलियन गूज अपने साथ एवियन फ्लू वायरस की घातक एच-5 एन-1 किस्म ला रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पक्षियों को भारत में देखा गया है; और

(ग) इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सब टाइप एच5 के हाईली वाएरुलेंट इंफ्लूएंजा ए वायरस को 2005 में मंगोलिया में पाए जाने वाले बार-हेडेड मंगोलियन गूज से अलग कर दिया गया है।

(ख) बार-हेडेड मंगोलियन गूज 2007 के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में देखे गए थे।

(ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा तैयार "एवियन इंफ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्ययोजना" में रोग से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई निर्धारित है। संक्रमित क्षेत्र के संबंध में, इन कार्रवाईयों में, अन्य बातों के साथ-साथ कुक्कुट की आवा-जाही को नियंत्रित करना, सभी कुक्कुट को मारना, अंडों और कुक्कुट आहार को नष्ट करना और उसके बाद सफाई एवं संक्रमणमुक्त करना और साफ-सफाई पूरी होने के बाद तीन महीनों की अवधि तक कुक्कुट के पुनः स्टॉकिंग को रोकना शामिल है। इसी अवधि के दौरान, संक्रमित क्षेत्र से बाहर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भी कड़ी निगरानी रखी जाती है जिससे संक्रमण को किसी प्रकार फैलने से रोका जा सके।

दूरसंचार क्षेत्र में थ्री-जी प्रौद्योगिकी

5265. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में तीसरी

पीढ़ी के अत्याधुनिक मोबाइल फोन (थ्री-जी) प्रौद्योगिकी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में उपभोक्ताओं को क्या प्रमुख लाभ मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार ने उन 3 जी सेवाओं, के लिए विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें 2.1 गिगाहर्ट्ज बैंड में प्रदान करने की अनुमति होगी और इसके लिए सफल बोली दाताओं को स्पेक्ट्रम का आबंटन नियंत्रित, समकालिक आरोही ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

3जी (तीसरी पीढ़ी) मोबाइल दूरसंचार, मोबाइल नेटवर्कों की अगली पीढ़ी का जातिगत नाम है, जिसमें उच्च डाटा दर की पारेषण क्षमताओं के साथ वायरलेस मोबाइल प्रौद्योगिकी सम्मिलित होगी। 3 जी नेटवर्क उच्च दर पर डाटा प्रदान करने में सक्षम होंगे और ये वायस, फैक्स और पारंपरिक डाटा सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त हाई-रीजोल्यूशन वीडियो और मल्टीमीडिया सेवाओं जैसी विविध सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।

क्षेत्रीय आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र

5266. श्री एस.के. खारवेन्थन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय आदर्श पुष्प कृषि केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में ऐसे और क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में "समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन" नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित क़र रहा है। यह स्कीम पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू की गई और बाद में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार किया गया। यह स्कीम बागवानी, जिसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों और प्रौद्योगिकियों को शुरू करना, क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, कटाई पश्चात प्रबंधन और सर्वांगीण दृष्टिकोण से विपणन और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचनात्मक विकास शामिल हैं, के विकास से संबंधित मामलों का समाधान करते हुए मिशन मोड दृष्टिकोण में क्रियान्वित की जा रही है।

इस स्कीम के अधीन माडल पुष्प कृषि केन्द्र अर्थात माडल पुष्पकृषि क्षेत्र की स्थापना के लिए 70.00 लाख प्रति यूनिट की दर से सहायता दी जाती है।

इसका कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और देश के बाहर से आयात करके पौध रोपया सामग्री/जर्म-प्लाज्म प्राप्त करने के अलावा राज्य में पुष्प-कृषि विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

मॉडल पुष्प-कृषि केन्द्र की स्थापना हेतु प्रदत्त राज्यवार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस स्कीम के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजना में मॉडल पुष्प-कृषि केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन-वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक मॉडल पुष्प-कृषि केन्द्र के विकास हेतु राज्यवार सहायता को दर्शाने वाला विवरण

	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	पी	एम	पी	एफ	पी	एफ	पी	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	1	70					1	70
असम	1	70						
मणिपुर								
मेघालय	1	70						
मिजोरम	1	70					1	70
नागालैण्ड					1	70	2	140
सिक्किम								
त्रिपुरा	1	70						
जम्मू-कश्मीर							1	70
हिमाचल प्रदेश								
उत्तराखण्ड								
वित्तीय-ला ख में								

	2005-06		2006-07		2007-08		कुल	
	पी	एम	पी	एफ	पी	एफ		
1	10	11	12	13	14	15	16	17
अरुणाचल प्रदेश							2	140
असम							1	70
मणिपुर							-	-
मेघालय							1	70
मिजोरम							2	140
नागालैण्ड					1	70	4	280
सिक्किम							-	-
त्रिपुरा							1	70
जम्मू-कश्मीर					1	70.00	2	140
हिमाचल प्रदेश							-	-
उत्तराखण्ड							-	-
वित्तीय-ला ख में								

पी = वास्तविक

एफ = वित्तीय

एम.एम.एफ.सी. = मॉडल पुष्प-कृषि केन्द्र

चावल डीलरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

5267. श्री नवीन जिन्दल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा पड़ोसी देशों में चावल भेजने/उसकी तस्करी संबंधी शिकायत दर्ज कराए जाने के पश्चात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तमिलनाडु और पांडिचेरी में चावल डीलरों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में चावल और अन्य खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के विशेष प्रयास करने हेतु परामर्श दिया गया है कि सीमा के पार पड़ोसी देशों में चावल अथवा गेहूं की तस्करी न हो। इसके अलावा, गृह मंत्रालय और राजस्व विभाग को भी परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव पग उठाएं कि चावल और गेहूं की तस्करी देश के बाहर न हो अथवा न्यूनतम निर्यात मूल्य की वंचना करने के लिए चावल की ओवर इनवाइसिंग करके इसका निर्यात न हो।

[हिन्दी]

उपभोक्ता प्रकोष्ठ में शिकायत

5268. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं में समस्याओं के संबंध में संचार भवन स्थित उपभोक्ता प्रकोष्ठ में अधिकतर शिकायतें बिहार से मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बिहार में दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अभिगम नेटवर्क में वायरलेस प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रयोग

(ii) बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(iii) बिहार राज्य में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 37 जिलों में 489 अवसंरचना स्थलों (टावरों) के संस्थापन और प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यू.एस.ओ. निधि द्वारा हाल ही में एक स्कीम शुरू की गई है।

(iv) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को विश्वसनीय डिजीटल माध्यम से संयोजित करना (एम.सी.पी.सी. को आई.डी.आर. या ओ.एफ.सी. से बदलना)

(v) ओवरहेड ड्रॉप वायर में कमी लाने के लिए खंभा विहीन नेटवर्क संस्थापित करना।

(vi) अल्पदूरी प्रभारण केंद्र (एस.डी.सी.सी.) में इंटरऐक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स (आई.वी.आर एस.) आधारित केंद्रीकृत दोष शिकायत पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराना।

(vii) एस.बी.एम. (सिंगल बेस मॉड्यूल) को आर.एस.यू. (रिमोट स्विचिंग यूनिट) से बदलना।

(viii) सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को ए.एन.-आर.ए.एक्स.) (अभिगम नेटवर्क-ग्रामीण ऑटोमैटिक एक्सचेंज) से बदलना।

(ix) नई प्रौद्योगिकी और स्थिर वायरलेस टर्मिनलों सहित डब्ल्यू.एल.एल. उपकरणों के लिए वार्षिक अनुरक्षण

करार (ए.एम.सी.) किए गए हैं तथा नई आपूर्तियों में ए.एम.सी. की व्यवस्था की गई है।

(x) डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन के मामले में अधिक टॉकटाइम और स्टैंडबाय टाइम उपलब्ध कराने के लिए स्थिर वायरलेस टर्मिनलों के साथ उच्च क्षमता वाली बाह्य अनुरक्षण मुक्त बैटरी की व्यवस्था करना।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

5269. श्री सुभाष महरिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी के निर्यात पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात एवं निर्यातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा चीनी निर्यातकों को चीनी निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने चीनी के प्रत्येक निर्यातक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। सरकार समुद्र भाड़ा, हैंडलिंग और विपणन प्रभारों सहित आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं चीनी कारखानों को करती है जिन्होंने अपने यहां स्वदेशी रूप से निर्मित चीनी का निर्यात किया हो। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार चीनी कारखानों से इतर निर्यातकर्ता इस संबंध में भुगतान के पात्र नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा कलस्टर

5270. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार और स्थान-वार विशेषकर गुजरात में कितने हथकरघा कलस्टरों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में नए रथकरघा कलस्टरों की स्थापना के लिए नए स्थानों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकर्घा कलस्टरों की स्थापना और विकास के लिए राज्य-वार तथा कलस्टर-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी और खर्च की गई है; और

(ङ) इन कलस्टरों की राज्य-वार और कलस्टर-वार वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) गुजरात राज्य सहित देश में अभी तक स्वीकृत हथकरघा क्लस्टरों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) क्रियान्वयी एजेंसियों द्वारा नए हथकरघा क्लस्टरों के स्थान का पता लगाया जाएगा। वर्ष 2007-08 के दौरान एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत 251 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। इन क्लस्टरों को विवरण-I में दिए गए 251 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया गया है।

(घ) 10वीं योजना के दौरान स्वीकृत 20 हथकरघा क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए क्लस्टर-वार जारी निधियां और उन पर किया गया व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) 20 हथकरघा क्लस्टरों की उपलब्धियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

गुजरात सहित देश के स्वीकृत हथकरघा क्लस्टरों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत क्लस्टरों की संख्या	क्लस्टरों का स्थान-वार नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	28	चिराला, माधवरम, पयाकराओपेटा, पेडना, इसुकापल्ली, मुद्देरेड्डीपल्ली, यूम्मीगन्नूर, प्रद्दूतूर, श्रीपुरम-येल्लांकी, गडवाल, पुत्तापका, कोठपल्ली, अम्पोलू, कोटरागन्ड्रेडू, वीरावरम, दग्गलुरू, पोलावरम, वेटापेट्टम, संघम, मदनपल्ली, याडीकी, कोडूमुरे, कोसीगी, मेडक, जंगाव, खम्माम, थंगलापल्ली, मोथकुरगुण्डला,
2.	बिहार	10	भागलपुर, मधुबनी, (भावर), कटोरिया, बिहारशरीफ, चम्पानगर, खरीक, नाथनगर, हुसैनाबाद, मनपुर, सिगोरी,
3.	छत्तीसगढ	5	मुंगीहर, चूइकखदन, बजावंद, कटगी, रायगढ,
4.	गुजरात	5	भुज, पालनपुर, पोरबंदर, लिम्बडी, अहमदाबाद,
5.	हिमाचल प्रदेश	3	कुल्लू, कांगड़ा, गोहर (मंडी),
6.	झारखंड	10	इबरा चत्तू, जियाजोरी, मारगोरा, सिथिओ, पोखरीकाला, उरूगुटू, कुन्टी, सराइयाहाट, भजइया, मन्द्रो,
7.	कर्नाटक	14	गंडग, महिंगपुर, चल्लकेरा, मोलकलमुरू, थिम्मासन्द्रा, कोल्लेगल, विजयपुरा, वाई.एन. होसाकोटे, निडागुन्डी, थुमिनाकुट्टी, सवादत्ती,
8.	केरल	20	त्रिवेन्द्रम, चेन्नइमंगलम, कोठापल्ली, बडाकरा, श्रीपदम, रामपुरम, ट्रेवेंकोर, भागवदीनाडा, उरूटम्बलम, स्वदेशी, नवीना, थिट्टीविला, नेयाटिंकरा, आइकन एच/आई, छत्तनूर, कोजीकोठ, नेडुमंगद, पलाकड, कोझोड, पयन्नूर,
9.	मध्य प्रदेश	11	चन्द्री-ग्वालियर, सारंगपुर-पधाना, महेश्वर, सौसर, वरसेओनी, महेश्वर (रूरल एरिया) महेश्वर-कसरावाड, पटरोही, अथाना, आस्था, मंदसौर,
10.	उड़ीसा	18	सोनेपूर, बाड़गढ़ लक्ष्मीप्रसाद, बारबा, बेरथमपुर, फकीरपुर, पठानगढ़, डुंगरीपल्ली, उडाला, सिनापल्ली, गोपालपुर, बरीपाडा, जालेश्वर, धेनकनाल, आस्का, रानापुर, बोलागढ़, जगदीशपुर,
11.	राजस्थान	2	पोखरन, नापसर,
12.	तमिलनाडु	30	तिरूवन्नामलाई, त्रिच्ची, कुरिन्जीपेड्डी, निलयापुर, पलानी वीरवल्लनूर, पदिरिवेडू, जयानकोड्डुम, कांचीपुरम, शोलीनगर, अपकुडाल, सिरूमुगई, थंडमपल्लयम, एमनेश्वरम, वेन्गूमेडू, एडापाडी, दस्सापा गुन्डेड पूदूर, चेन्नलमलाई, पेल्लीयाडी, तिरूपुर, पुनेवलल्ली, तिरूबुरवनम, अत्यामपाठी, वांदीयूर, सवेपुरम, चिन्नलापट्टी, गुडीयथ्थम, पुड्डुपेट्टई, इसला'' तिरूमलपुर,

1	2	3	4
13.	उत्तर प्रदेश	25	बाराबंकी, मुबारकपुर, बिजनौर, वाराणसी, अमरोहा, कैराना, बजरडीह, भोजपुर, गोरखपुर, धुलीपुर, आदलहाट, पृथ्वीपुर, सराइयान (बटोहिया एंड कोनिया), पीलीभीत, बेसन्दी, मझवान, चकसिकती, विलना, नाहरपुर, बुरहानपुर, सैफानी, खेकड़ा, इब्राहिमपुर, सरइयान (आजमगढ़), मलावन, ठाकुरद्वारा,
14.	उत्तराखंड	5	छिंका, मंगलूर, डुंडा, मुनिसयारी, धारचूला
15.	पश्चिम बंगाल	27	समुद्रगढ़-धत्रीग्राम, सांतीपुर, तुफान गंज, राधामोनी, मिर्जापुर, जंगिपारा, गंगारामपुर, हराली और कुरचि, रघुनाथपुर, विश्णुपुर, डेंडेरहाट, दीनहटा, बोरडंजी, सतारी, कुमारग्राम, मालगांव, चौकइश्लामपुर, बालागढ़, चंदनपुर, सोलमुखी, श्यामसुंदरपुर, तिनतुलिया, काशीपुर, देवीपुर, चरकास्थस, चाकाबोरली, बेगमपुर,
16.	अरुणाचल प्रदेश	8	जिरो, नहरलगुन, दापोरिजो, नाचो, आलो, पाशीघाट, तेजे, चांगलांग,
17.	असम	11	विजयनगर, श्रीहटी, बेतवारी, लखिमपुर, कपालबांडी, बोयतामबरी, बजरघाट, जेजोरी, डगोरी, डिगालगांव, सीपाझार,
18.	मणिपुर	20	इम्फाल, कुंबी, काकचिंग, तुकुल, चुडावांदपुर, नावरंम, कबराबांद, लामडिंग फुनरतांग, सोवोबुक-कबुई खनजावां, लामबंग, वांगखी कोसाम लखाई, मोयरंग-कांजीबंग, बईखाम-किटना, गोंगलोग, बेबागई मेबम लेकई, दिमाडेलोग, ऊंचाटन, आन्ध्रो, खुरई (थोडम),
19.	मेघालय	4	गारोबंदा, संईपुग, लेपनगर, पाहन,
20.	नागालैंड	5	कोहिमा, दिमापुर, जुनेहबोटो, मोकोकचुंग, वोखा
21.	त्रिपुरा	10	नलचर, गोबिंदपुर, नुतानगर, अमरपुर, मोहरीपुर, संखोला, हलाहली, मलाया, मुगीयाकांमी, गोकुलनगर-विशालगढ़।
	कुल	271	

विवरण-II

20 हथकरघा क्लस्टरों को जारी की गई निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्लस्टर का नाम	10वीं योजना के दौरान जारी धनराशि			* किया गया व्यय
			2005-06	2006-07	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	। माधबरम	21.05	27.65	48.70	57.05

1	2	3	4	5	6	7
		2. चिराला	21.05	27.65	48.70	45.70
2.	असम	3. विजयनगर	21.05	27.65	48.70	65.33
3.	बिहार	4. भागलपुर	21.05	27.65	48.70	80.12
4.	हिमाचल प्रदेश	5. कुलू	21.05	27.65	48.70	69.90
5.	कर्नाटक	6. गडक	21.05	27.65	48.70	63.43
6.	केरल	7. त्रिवेन्द्रम	21.05	27.65	48.70	43.52
7.	मध्य प्रदेश	8. चंदेरी/ग्वालियर	21.05	27.65	48.70	50.76
8.	मणिपुर	9. इम्फाल	21.05	27.65	48.70	76.15
9.	उड़ीसा	10. सोनपुर	21.05	27.65	48.70	44.90
		11. बारगढ	21.05	27.65	48.70	43.72
10.	तमिलनाडु	12. त्रिचि	21.05	27.65	48.70	45.38
		13. तिरुअनमलाई	21.05	27.65	48.70	50.53
		14. कुजिपाडी	21.05	27.65	48.70	55.80
11.	उत्तर प्रदेश	15. बाराणसी	100.00	0.00	100.00	54.30
		16. बाराबंकी	21.05	27.65	48.70	46.90
		17. मुबारकपुर	21.05	27.65	48.70	41.08
		18. विजनौर	21.05	27.65	48.70	49.52
12.	पश्चिम बंगाल	19. समुद्रगढ धात्रिग्राम (वर्दवान)	21.05	27.65	48.70	49.68
		20. शांतीपुर (नडिया)	21.05	27.65	48.70	42.06
	कुल		499.95	525.35	1025.30	1083.83

*इसमें 2007-08 में जारी धनराशि में से किया गया व्यय भी शामिल है।

विवरण-III

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार 20 हथकरघा क्लस्टरों की उपलब्धि

- 955 स्व-सहायता दल गठित, 10650 बुनकर शामिल।
- 18 संघ और 01 उत्पादक कंपनी गठित, 18,000 बुनकर शामिल।
- वाराणसी और भागलपुर क्लस्टर में बुनकरों की 300 रुपये तक मजदूरी वृद्धि।
- 342 जागरुकता शिविर आयोजित किए गए जिनमें

क्लस्टर पाकेटों के 40800 बुनकरों को शामिल किया गया।

- बीमा योजना के तहत 13,000 बुनकर पंजीकृत किए गए।
- 642 बुनकरों को बैंकों से ऋण सुविधा-53.75 लाख रुपये के ऋण संवितरित किए गए।
- रंगाई की गुणता सुधार के लिए 49 रंजक कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें 1300 रंजकों ने भाग लिया।
- 61 प्रदर्शनियां और 50 क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गई जिनमें 9.37 करो रुपये की कुल बिक्री हुई।
- 25 निर्यात क्रियाविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद का सक्रिय योगदान रहा।
- 825 नए डिजायन और उत्पाद शुरू किए गए।
- संघ और स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारियों हेतु 26 प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 34 सूत डिपो स्थापित किए गए।
- 20 क्लस्टरों द्वारा उत्पाद सूची बनाई गई।
- रीड्स और हील्ड्स को बदलकर 1580 करघों को उन्नत किया गया।
- 18 साझा सुविधा केन्द्र और डाई हाउसेज अनुमोदित किए गए।
- 2 डाई-हाउसेज को उन्नत किया गया।

[अनुवाद]

डाक सेवाओं में कार्गो उड़ानें

5271. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग देश में कुछ गंतव्यों के लिए रोजाना कार्गो उड़ान संचालित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस सेवा का विस्तार अन्य विभिन्न गंतव्यों तक करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। डाक विभाग ने एयर इंडिया से एक वर्ष की अवधि के लिए मालवाहक विमान भाड़े पर लिया है। यह मालवाहक विमान कोलकाता-गुवाहाटी-इम्फाल-अगरतला-कोलकाता मार्ग पर सप्ताह में छः दिन उड़ान भरता है।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं योजना में डाक विभाग की प्रमुख शहरों में डाक के पारेषण के लिए तीन मालवाहक हवाई जहाजों को वैट-लीज पर लेने की एक योजना स्कीम है। तथापि, इस स्कीम को वित्त व्यय समिति द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिभा पलायन के कारण हानि

5272. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्षेत्र के कई पद खाली पड़े हैं क्योंकि उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ विदेश जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रतिभा पलायन के कारण कितनी हानि हुई है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, बड़ी संख्या में विद्यार्थी जब उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशों में चले जाते हैं और अक्सर उन देशों में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, तब प्रतिभा की कमी पड़ जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अनुभवी विशेषज्ञों के भारत लौटकर

भारत में अपने उद्यम/कार्य स्थापित करने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है।

पुणे स्थित कैवेलियरी इकाई

5273. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सैन्य स्थापनाओं से पुणे में एक नई कैवेलियरी इकाई खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) देश में मौजूदा ऐसे सेना स्थापनाओं का ब्यौरा क्या है जहां पर कैवेलियरी इकाइयां स्थित हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) पुणे में नई कैवेलरी यूनिट खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केवल एक कैवेलरी यूनिट है जो जयपुर में स्थित है तथा उसका एक स्क्वाड्रन नई दिल्ली में है।

कमोडिटी एक्सचेंज

5274. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नेशनल और रीजनल कमोडिटी एक्सचेंज का ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार इनमें किन-किन उत्पादों का व्यापार किथा जा रहा है;

(ख) कितने नए एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव है और उनके प्रस्तावित स्थान कौन से हैं;

(ग) क्या वायदा कारोबार में भाग लेने वाले कृषकों को ऋण मुहैया कराने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) वायदा बाजार में राज्य स्तरीय विपणन समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और सरकारी क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उसमें कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) देश में 'नेशनल' और 'रीजनल' कमोडिटी एक्सचेंजों तथा उन उत्पादों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनमें व्यापार करने के लिए उनको मान्यता प्राप्त है।

(ख) सरकार को खोले जाने वाले नए एक्सचेंजों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तथापि, सरकार किसी भी कम्पनी, एसोसिएशन आदि से कमोडिटी एक्सचेंज खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवेदन पर विचार करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य स्तरीय विपणन समितियों, गैर-सरकारी संगठन और सहकारी क्षेत्र एक समूह के रूप में किसानों की कमोडिटी एक्सचेंजों में मूल्य जोखिम प्रबंधन हेतु उनके उत्पादों को एग्रेगेट करने और जमानती वित्त में सहायता करने में उपयोगी भूमिका निभा सकता है। ये समूह सुविधा प्रदान करने वाले एजेंटों अथवा किसानों और एक्सचेंजों के बीच रिस्क-बीयरिंग लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, इन समूहों द्वारा डाउनसाइड जोखिमों और ट्रांस्एक्शन लागतों को कई किसानों में बांटा जा सकता है ताकि गैर अनुपातिक प्रभावन से उत्पन्न होने वाली वादा खिलाफी को कम किया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, ऐसी एजेंसियां सूचना के प्रसार और किसानों के ज्ञान/क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। वस्तुतः बाजार गतिविधियों पर नजर रखना और कमोडिटी एक्सचेंजों में उपयुक्त पोजिशन लेना अलग-अलग किसानों की तुलना में समूहों के लिए कहीं ज्यादा आसान होता है। विकल्पतः ये समूह अपनी सूचना, वित्तीय और आधार ढांचा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यस्थों पर भरोसा कर सकते हैं। ये मध्यस्थ ब्रोकर, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, तकनीकी परामर्शी सेवा आदि हो सकते हैं।

वायदा बाजार आयोग ने भावी सौदा व्यापार में राज्य स्तरीय विपणन समितियों, गैर सरकारी संगठनों और सहकारी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एक दो चरणों वाली कार्यनीति अपनाई है। प्रथम चरण में वायदा बाजार आयोग ने एक्सचेंजों के साथ भावी सौदा बाजार के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किया है। दूसरे चरण में जब ये

संगठन अपने घटकों को सीखने और भावी सौदा व्यापार में भागीदारी के लिए सक्षम बनाने का निर्णय लेते हैं, तब एक्सचेंज टर्मिनलों, एक्सचेंज प्रक्रिया को स्पष्ट करने आदि सहित प्रशिक्षण सत्र/कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।

आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ सहकारिताएं और संघ पहले ही भावी सौदा बाजारों में भागीदारी करने लगे हैं।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	वस्तु
1	2
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुंबई	**कृषिजन्य वस्तुएं** कच्चा जूट, चीनी, हल्दी, चना, मसूर, कपास की खली, मैंथा, सोया तेल, इलायची, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, काफी, ग्वार, सीड, गुड़, आलू, अरकानट, काजू करनेल, अरण्ड, नारियल, मूंगफली, ग्वार, रबड़, कॉटन, मक्का, सरसों, पामोलीन, सूरजमुखी का तेल, तिल, सोया बीन, चावल की भूसी का तेल, चावल की भूसी का तेल निकाली हुई खली, येल्लो पीज **धातुएं** एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना, निकल, चांदी, जस्ता, लीड, स्पांज लौह, इस्पात, टिन **अन्य** फरनास तेल, प्राकृतिक गैस, ए.टी.एफ., कार्बन क्रेडिट
नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई	**कृषि** जौ, मक्का, चना, अरण्ड का बीज, बिनौले के तेल की खली, मैंथा तेल, सरसों/रैपसीड, सोया तेल, सोयाबीन, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ग्वार सीड, ग्वार का गौंद, गुड़, आलू, चीनी, रबड़, काजू, कच्चा जूट, मसूर, येल्लो पीज, चीनी एस, येल्लो सोयाबीन मील, कच्चा पॉम तेल, सफेद तिल, मूंगफली, मूंगफली एक्सपैलर तेल, बिनौला के तेल की खली, सरसों एक्सपैलर तेल, सरसों के तेल की खली, कॉटन कॉफी **धातुएं** सोना, इस्पात इन्गोट, चांदी, इलैक्ट्रोलाइटिक कॉपर कैथोड, निकल कैथोड, जस्ता इन्गोट, एल्यूमिनियम इन्गोट **अन्य** कच्चा तेल, फरनास तेल, पोलीप्रोपीलीन, पोलीविलाइल क्लोराइड, कार्बन क्रेडिट

1	2
नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अहमदाबाद	**कृषि** इलायची, काली मिर्च, रबड़, कच्चा जूट, इस्बगोल, चना, कॉफी, कोपरा, जीरा, ग्वार का गोंद, टाट, सोया तेल, मैंथोल क्रिस्टल **धातुएं** एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना, लीड, निकल, चांदी, टिन जस्ता

*नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों को भारत सरकार द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत अधिसूचित सभी वस्तुओं में व्यापार करने के लिए अनुमति है।

ख. क्षेत्रीय कमोडिटी एक्सचेंज

एक्सचेंज का नाम	वस्तु
1. राजधानी ऑयल्स एण्ड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली	सरसों/रैपसीड, गुड़
2. अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	अरण्ड बीज
3. भटिण्डा ओम एण्ड ऑयल एक्सचेंज लिमिटेड, भटिण्डा	गुड़
4. बीकानेर कमोडिटी एक्सचेंज लि., बीकानेर	सरसों, इसका तेल और खली, ग्वार बीज, ग्वार का गोंद, चना
5. फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि., कोची	नारियल तेल, कोपरा और इसकी खली
6. हरियाणा कमोडिटिज लि., सिरसा	सरसों, सरसों तेल और इसकी खली
7. इण्डिया पेपर एण्ड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोची	काली मिर्च
8. सुरेन्दरनगर काटन आयल एण्ड आयलसीड एसोसिएशन लि.	कपास, कपास की गांठ और बीज
9. बोम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लि., मुंबई	अरण्ड बीज, आर.बी.डी. पामोलीन
10. बुलियन एसोसिएशन लि., जयपुर	सरसों, सरसों तेल और इसकी खली
11. सेंटर इण्डिया कामर्शियल एक्सचेंज लि., ग्वालियर	सरसों
12. चैंबर ऑफ कामर्स, हापुड़	गुड़, सरसों
13. काटन एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुंबई	काटन
14. इस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लि., कोलकाता	कच्चा जूट, जूट की वस्तुएं, टाट
15. मेरठ एग्रो कमोडिटिज एक्सचेंज कं. लि., मेरठ	गुड़
16. राजकोट कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अरण्ड बीज, मूंगफली तेल

1	2
17. स्पाइज एण्ड आयलसीड एक्सचेंज लि., सांगली	हल्दी
18. विजय व्यापार चैंबर लि., मुज्जफरपुर	गुड़
19. नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर	सोयाबीन, सोया तेल, पाम डेरिवेटिव्ज, सरसों, इसका तेल और खली

आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं

5275. श्री तथागत सत्पथी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार उड़ीसा के साथ किए समझौते का उल्लंघन करके महेन्द्रातानया परियोजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक आंध्र प्रदेश द्वारा परियोजना का कितना कार्य कर लिया गया है; और

(ग) मामले को सुलझाने के लिए पक्षकारी राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) महेन्द्रातानया नदी, वम्सधारा नदी, जो कि एक अन्तर्राज्यीय नदी है, की एक सहायक वितरिका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वम्सधारा बेसिन के जल के अपने हिस्से का प्रयोग करने के लिए महेन्द्रातानया परियोजना शुरू कर रही है। इन्होंने आगे सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए महेन्द्रातानया नदी (जो कि बम्सधारा नदी की सहायक वितरिका है) से जल का उपयोग बम्सधारा बेसिन के 52.50 टी.एम.सी. के अधिकृत हिस्से के अंतर्गत है तथा इससे उड़ीसा के साथ किसी समझौते का उल्लंघन नहीं होता है। उड़ीसा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से दोनों राज्यों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा परियोजना के संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध किया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने "सैद्धांतिक स्वीकृति" प्राप्त करने के लिए 15-4-2008 को केन्द्रीय जल आयोग में महेन्द्रातानया परियोजना की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना के विभिन्न पक्षों की जांच करते समय केन्द्रीय जल आयोग सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के अन्तर्राज्जीय पक्षों की भी जांच करता है।

छोटे शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास

5276. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का दूरस्थ पश्चिमी भाग अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के छोटे शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए कोई पहल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बंगलौर की तर्ज पर अहमदाबाद का विकास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) ने पूरे देश में 51 केन्द्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 44 केन्द्र स्तर-II और स्तर-III शहरों में हैं। राज्यवार एस.टी.पी.आई. केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

नए एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने की नीति के अनुसार, राज्य सरकार को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल तथा 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान एस.टी.पी.आई. को उपलब्ध कराना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नया एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने के लिए एस.टी.पी.आई. को 50 लाख रुपए आरम्भिक

राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव की निर्यात क्षमता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एस.टी.पी.आई. को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक व्यवहार्यता अध्ययन करना पड़ता है।

विवरण

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नई दिल्ली-110003

क्र. सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइजैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाड़ा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखण्ड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नै
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरै
38.		तिरुनावेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तरांचल	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

1	2	3
46.		दुर्गापुर
47.		खड़कपुर
48.		सिलीगुडी
49.		हल्दिया
50.	बिहार	पटना
51.	मेघालय	शिलोंग

ऊन तथा ऊनी उत्पादों के विकास हेतु स्कीमें/कार्यक्रम

5277. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊन तथा ऊनी उत्पादों के विकास हेतु केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (सी.डब्ल्यू.डी.बी.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा क्या स्कीमें और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी स्कीमें/कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऊन तथा ऊनी उत्पादों के विकास के लिए सरकार द्वारा सी.डब्ल्यू.डी.बी., निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को मुहैया कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य से कितनी निधियां आबंटित की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया था:-

(i) एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)

(ii) ऊन का गुणवत्ता प्रसंस्करण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

(i) एकीकृत ऊन सुधार व विकास कार्यक्रम

(ii) ऊन एवं ऊनी वस्त्रों का गुणवत्ता प्रसंस्करण और

(iii) सामाजिक सुरक्षा योजना

(ख) सरकार ने ऊन और ऊनी वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के वास्ते 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को 35.00 करोड़ रु. जारी किये थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऊन और ऊनी वस्त्र उत्पादों के विकास के लिए निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने ऊन क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 82.19 करोड़ रु. के आबंटन का प्रस्ताव किया है।

विवरण

• *ऊन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा 10वीं योजना (2002-03 से 2004-05) के दौरान निधियों की राज्यवार रिलीज*

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का नाम	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम	वर्ष					कुल
				2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गुजरात	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	गुजरात भेड़ व ऊन विकास निगम लि., गांधीनगर	64.84	34.50				99.34
		भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)			133.50	42.30		50.00	225.80
		अंगोरा ऊन विकास	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद			5.00			5.00
2.	राजस्थान	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर	42.76					42.76
		भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)	सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर					100.00	100.00
			महाप्रबंधक, महामहिम महाराजा हनुवंत सिंह ट्रस्ट, जोधपुर					17.27	17.27
		मशीन कतरन सह प्रशिक्षण परियोजना	केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, आबिकनगर	0.72					0.72
		सी.एफ.सी.-एस.डब्ल्यू.आई.एस.	राजस्थान कालीन एवं ऊनी उत्पाद सोसाइटी, जयपुर				0.585	0.990	1.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			मै. चित्रा कारपेट, बीकानेर				0.585	1.00	1.59
		गड़ेरिया जागरूकता सह भेड़ स्वास्थ्य कार्यक्रम	गौडवाड़ ग्रामीण विकास व अनुसंधान					32.50	32.50
			सचिव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान करने के लिए सोसाइटी (एस.यू.आर.ई.), बाड़मेड़					9.750	9.75
			अध्यक्ष, महिला मंडल, बाडमेड़					45.50	45.50
			सचिव, साक्षी अनुसंधान एवं विकास समिति, फलोदी					41.60	41.60
			रैयत विकास संस्थान, जोधपुर					3.25	3.25
3.	हिमाचल प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य ऊन खरीद व विपणन संघ लि., शिमला	42.14	50.69				92.83
		भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई,डब्ल्यू.आई.पी.)			125.05		92.48	56.95	274.48
		सुखाने वाला संयंत्र			7.85	7.00			14.85
		ऊन फाइबर का सुधार-सी.एफ.सी. (अंगोरा)	एम.डी. भट्टी को विवर्स, कुल्लू			0.58	1.40	0.54	2.52
			सीसम एच/आई एवं एच/सी औद्योगिकी उत्पादन सह बिक्री सहकारी समिति लि., कुल्लू				0.585	1.12	1.71
		एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	पशुपालन विभाग, शिमला	0.35					0.36

4. उत्तर प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	उत्तर प्रदेश पोल्टरी व लाइवस्टॉक स्पेशलिटिज लि., लखनऊ	16.08	25.50				41.58
	मशीन कतरा सह प्रशिक्षण परियोजना		0.54					0.54
	भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)	निदेशक, पशुपालन विभाग लखनऊ			156.15			156.15
5. हरियाणा	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	हरियाणा राज्य लाइवस्टॉक विकास बोर्ड, चंडीगढ़		73.09				73.09
	भेड़ एवं ऊन सुधार योजना	पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, पंचकुला			10.00	80.77	7.00	97.77
6. कर्नाटक	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	एम.डी., कर्नाटक भेड़ व ऊन विकास निगम, बंगलौर	8.51					8.51
	भेड़ व ऊन सुधार योजना		0.47	12.94	12.63	6.69	30.32	63.05
	ऊन का गुणवत्ता प्रसंस्करण				41.25			41.25
	मशीन कतरन सह प्रशिक्षण परियोजना		2.34					2.34
7. आंध्र प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	निदेशक, पशुपालन विभाग, हैदराबाद	34.19					34.19
	भेड़ एवं ऊन सुधार योजना						113.50	113.50
	बोर्ड योजना का मूल्यांकन (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)	विभागाध्यक्ष (सी.एस.डी.), एन.आई.आर.डी., हैदराबाद		8.80		8.80		17.60
8. जम्मू-कश्मीर	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू/एल.ए.एच.डी.सी./लेह	7.05	21.31				28.36
	भेड़ व ऊन सुधार कार्यक्रम (पी.एम.)	सचिव, पशुपालन विभाग, श्रीनगर	52.80	329.32		136.00		518.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रिवाल्विंग निधि का सृजन	सचिव, पशुपालन विभाग, श्रीनगर				100.00		100.00
		विशिष्ट फाइबर का विकास (पश्मीना)	सचिव, पशुपालन विभाग, जम्मू		60.75	20.00	30.00		110.75
		मशीन कतरन सह प्रशिक्षण परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू/एल.ए.एच.डी.सी., लेह/पशुपालन	4.88					4.88
		एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू	0.46					0.46
		सुखाने वाला संयंत्र	सचिव, पशुपालन विभाग, जम्मू			7.00			7.00
9.	उत्तरांचल	भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)	सी.ई.ओ., उत्तरांचल भेड़ व ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	37.75	38.37		49.37	20.90	146.39
		एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोग-शाला, पिथौरागढ़	7.80	1.42	2.66			11.88
		विशिष्ट फाइबर का विकास (अंगोरा विकास)	प्रबंधकस, लोक विकास परिषद, रूद्रप्रयाग				7.80		7.80
			ईडी, हिमाचल पर्यावरण पारि-स्थितिकी एवं विकास संस्थान, देहरादून				3.90		3.90
			सी.ई.ओ., उत्तरांचल भेड़ व ऊन विकास बोर्ड, देहरादून				3.90		3.90
		ऊन फाइबर का सुधार-सी.एफ.सी. (अंगोरा)	निदेशक, स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़				0.585	1.02	1.61

	विशिष्ट फाइबर का विकास (अंगोरा विकास)	रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला, पिथौड़ागढ़		6.55	17.83			24.83
10. पंजाब	ऊन का गुणवत्ता प्रसंस्करण	लुधियाना डायर्स एंड प्रोसेर्स लि. लुधियाना					50.00	50.00
11. दिल्ली	सहायता सेवा (परामर्श)	क्षेत्रीय निदेशक, वूल मार्क सर्विस इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली			7.13		2.75	9.88
	सहायता सेवा (अनुसंधान एवं विकास)	रजिस्ट्रार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली				5.00	5.00	10.00
12. महाराष्ट्र	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेहघी व सेली विकास महामंडल लि., पुणे	9.68		8.96			18.64
	भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)					27.40	13.55	40.95
	अनुसंधान, परामर्शसेवा, अध्ययन एवं प्रशिक्षण	ऊन अनुसंधान संघ, थाणे			14.80			14.80

भारतीय पशु चिकित्सा और मत्स्यन अनुसंधान परिषद्

5278. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पशुचिकित्सा और मत्स्यन अनुसंधान परिषद् (आई.सी.वी.एफ.आर.) की स्थापना करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.सी.वी.एफ.आर. की स्थापना करने की शर्तें भी पूरी कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि और सहकारिता विभाग के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग के विलय को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) भारतीय पशुचिकित्सा और मात्स्यिकी अनुसंधान परिषद के गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि की सभी शाखाओं जिसमें बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी, कृषि इंजीनियरिंग, गृह विज्ञान, कृषि वानिकी, आदि शामिल हैं, में योजना एवं समन्वय के संबंध में देश में एक शीर्ष निकाय है। एक किसान, पारंपरिक रूप से अपनी खेतीबाड़ी में विभिन्न क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसमें फसल, पशुधन, बागवानी आदि शामिल हैं। अतः, किसान को ईष्टतम तरीके से प्रौद्योगिकी प्रदान करने में कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए हॉलिस्टिक एवं समेकित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।

(ङ) और (च) कृषि और सहकारिता विभाग के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के विलय के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई

5279. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ड्रिप सिंचाई परियोजना/स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सफलता और उसके लिए अपेक्षित निधियों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) ड्रिप सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करने और निधियों का आबंटन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) स्कीम के अंतर्गत कम लक्ष्य निर्धारित करने और कम सफलता मिलने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने देश में ड्रिप सिंचाई की क्षमता और संभावना का जायजा लेने तथा निधियों की आवश्यकता और कार्यान्वयन कार्यनीति पर सुझाव देने के लिए जुलाई 2003 में एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल की सिफारिश के आधार पर सरकार ने ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2006 में लघु सिंचाई से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की।

(ग) और (घ) लघु सिंचाई स्कीम का लक्ष्य और निधियों का आवंटन मांग वाहित है तथा यह विभिन्न राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर किया जाता है। स्कीम के शुरू होने से दो वर्षों के भीतर लघु सिंचाई के अधीन 6.97 लाख हैक्टे. क्षेत्र लाया गया है। इस प्रकार पहले की अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसमें स्कीम के शुरू होने से पहले 50,000 हैक्टे. प्रति वर्ष की औसत क्षेत्र वृद्धि दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

घरेलू इंटरनेट सेवा के शुल्क में कटौती

5280. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा मुहैया करवाई जा रही घरेलू इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए इस समय मौजूद स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की विशेष घरेलू सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत संचार निगम लि. द्वारा पूरी तरह घरेलू इंटरनेट सेवा संबंधी कोई स्कीम प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड संपूर्ण विश्व में विधिसम्मत वेबसाइटों के लिए इंटरनेट अभिगम प्रदान कर रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवाएं, डायलप इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, लीज्ड लाइन इंटरनेट, आई.एस.डी.एन. इंटरनेट तथा मोबाइल इंटरनेट हैं। ये सेवाएं बी.एस.एन.एल. के सभी लैंडलाइन तथा मोबाइल ग्राहकों को उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय चीनी संस्थान

5281. श्री अनिल शुक्ल वारसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियुक्तियों/पदोन्नतियों तथा निधियों के आबंटन में लापरवाही बरतने के कारण राष्ट्रीय चीनी संस्थान के कार्यकरण और अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्थान के लिए किए गए आबंटन सहित स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों में कितनी नियुक्तियां/पदोन्नतियां हुई हैं और कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे वैज्ञानिक संस्थान की सूची में शामिल करने के बाद वैज्ञानिक संस्थान के स्तर पर संस्थान का उन्नयन करने के लिए निदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निदेशों का कार्यान्वयन न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कब तक कार्यान्वित हो पाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर चीनी प्रौद्योगिकी, चीनी इंजीनियरिंग, एल्कोहल प्रौद्योगिकी एवं अन्य सम्बद्ध विषयों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है तथा चीनी उद्योग, एल्कोहल एवं सम्बद्ध उद्योग, सह-उत्पाद उपयोग आदि की समस्याओं पर भी अनुसंधान करती है। संस्था का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अनुसंधान फार्म तथा प्रयोगात्मक चीनी कारखाना भी है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले/ले चुके विद्यार्थियों की संख्या और प्रयोगात्मक चीनी कारखाने के प्रचालन के संबंध में संस्था का कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा है:-

क्र. सं.	मद	2005-06	2006-07	2007-08
01.	प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या	139	155	165 (प्रवेश प्राप्त)
02.	प्रयोगात्मक चीनी कारखाने में पेराई किया गया गन्ना (क्विंटल)	5837.38	6366.44	9213.11
03.	उत्पादित चीनी (क्विंटल)	80.00	172.00	170.00

संस्था का दसवीं योजना (2002-07) के दौरान अनुमोदित योजना परिव्यय 6.45 करोड़ रुपये था जिसके प्रति संचयी खर्च लगभग 3.15 करोड़ रुपये था। 11वीं योजना (2007-12) में 7.25 करोड़ रुपये है। गैर योजना के अधीन संस्था की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

डाकघरों के माध्यम से गृह ऋण

5282. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाकघरों के माध्यम से गृह ऋण मुहैया करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में यह सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चुनिंदा डाकघरों में ऋण आवेदनों (गृह ऋण सहित) को एकत्र करने और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक की संबद्ध शाखाओं को अग्रेषित करने के लिए आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सर्किलों में 02 जुलाई, 2007 को शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना के लिए भारतीय डाक और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जल संसाधनों का उपयोग

5283. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तारीख तक देश में विद्युत उत्पादन, कृषि तथा पेयजल सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों की उपलब्ध क्षमता, आवश्यकता तथा आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): जल संसाधनों की उपलब्धता का आकलन, नदी बेसिनवार किया गया है और विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग या तो सतही जल प्रणालियों अथवा भूजल स्कीमों के द्वारा किया जाता है। जल संसाधनों की नदी बेसिनवार उपलब्धता संलग्न विवरण-I में दी गई है। विभिन्न प्रयोजनों अर्थात घरेलू, सिंचाई, उद्योगों, विद्युत, अंतर्देशीय नौवहन, पारिस्थितकी और वाष्पन हानियों के लिए जल संसाधनों की कुल आवश्यकता का आकलन राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग द्वारा इसकी रिपोर्ट में किया गया है और वर्ष 2010, 2025 और 2050 के अंत में राज्यवार अनुमानित आवश्यकता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

नदी बेसिन वार औसत वार्षिक जल उपलब्धता

[बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.)]

क्र.सं.	नदी बेसिन	औसत वार्षिक जल उपलब्धता
1	2	3
1.	सिन्धु	73.31
2.	गंगा ब्रह्मपुत्र बराक	

1	2	3
	क. गंगा उप बेसिन	525.02
	ख. ब्रह्मपुत्र एवं बराक उप बेसिन	585.60
3.	गोदावरी	110.54
4.	कृष्णा	78.12
5.	कावेरी	21.36
6.	पेन्नार	6.32
7.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.52
8.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.46
9.	महानदी	66.88
10.	ब्राह्मणी एवं बैतरनी	28.48
11.	सुबर्णरेखा	12.37
12.	साबरमती	3.81
13.	माही	11.02
14.	लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की और बहने वाली नदियां	15.10
15.	नर्मदा	45.64
16.	तापी	14.88
17.	तापी से तादरी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	87.41
18.	तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.53
19.	राजस्थान मरुभूमि में अन्तर्देशीय जल निकास का क्षेत्र	नगण्य
20.	बंगलादेश और म्यांमार में लघु नदी बेसिन जल निकास	31.00
	कुल (राष्ट्रीय)	1869.37

विवरण-II

राज्यवार अनुमानित जल की आवश्यकता

[बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.)]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी उपयोगों के लिए कुल जल आवश्यकताएं		
	वर्ष 2010	वर्ष 2025	वर्ष 2050
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	66.4	78.5	109.8
अरुणाचल प्रदेश	1.4	2.1	12.6
असम	18.8	24.1	50.1
बिहार और झारखंड	47.7	64.3	106.6
गोवा	0.5	0.8	0.9
गुजरात	35.3	46.0	56.8
हरियाणा	32.1	31.8	31.6
हिमाचल प्रदेश	5.8	6.0	6.7
जम्मू-कश्मीर	7.1	9.1	15.5
कर्नाटक	36.4	42.7	58.8
केरल	11.6	15.6	30.9
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ	51.2	67.6	113.6
महाराष्ट्र	56.1	74.0	101.5
मणिपुर	1.5	1.7	5.1
मेघालय	1.2	1.5	2.2
मिजोरम	0.4	0.6	1.2
नागालैंड	1.2	1.6	6.1
उड़ीसा	24.0	32.8	49.1
पंजाब	51.1	48.8	47.5

1	2	3	4
राजस्थान	55.3	54.8	59.6
सिक्किम	0.4	0.5	0.8
तमिनलाडु	44.1	51.6	61.7
त्रिपुरा	1.6	2.0	6.9
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	118.0	137.0	171.6
पश्चिम बंगाल	37.3	44.5	66.4
संघ राज्य क्षेत्र	1.8	2.5	4.0

किसानों को लाभकारी मूल्य

5284. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के उनके द्वारा लगाई गई लागत की तुलना में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के किसानों की दयनीय हालत में सुधार लाने के लिए कोई पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार की कृषि मूल्य नीति का प्रयोजन उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि वे अधिक निवेश तथा उत्पादन कर सकें तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराना है। मूल्य नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित तथा एकीकृत मूल्य ढांचे का विकास करना भी है।

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ-साथ ऐसे अन्य संबंधित कारकों का, जो समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण माने जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिंसों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों का निर्णय करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग बहुत से महत्वपूर्ण कारकों का ध्यान रखता है, जिसमें उत्पादन लागत शामिल है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू होते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बजट 2008-09 में सरकार द्वारा घोषित किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक किसानों को दिये गए सभी प्रत्यक्ष कृषि ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक देय है इस योजना के तहत कवर किये गये हैं। तथापि, सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर तक भू-आधिपत्य) एवं छोटे किसानों (1-2 हेक्टेयर) के लिए ऐसे सभी ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक देय थे और जिनका भुगतान 29 फरवरी, 2008 तक नहीं हुआ, पूरी तरह से माफ किए जाएंगे।

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य

5285. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली मंत्रालय द्वारा सरकार की सहमति से भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संस्वीकृत खाद्य ऋण सीमा के माध्यम से चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खरीद करने वाली एजेंसियों की योजनाओं को सत्यापित करने के बाद ही आर्थिक लागत का अनुमोदन करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक से खाद्य ऋण प्राप्त करने में खरीद करने वाली एजेंसियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और किन एजेंसियों तथा वर्षों के लिए ऐसे अनुमोदन लम्बित हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों के जरिए धान, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इस नीति के अधीन ये सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य जमा बोनस (यदि कोई हो) पर खाद्यान्नों की खरीदारी करती हैं। इन खरीद प्रचालनों का वित्त-पोषण करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों का समूह भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों को फसल दर फसल आधार पर नकद ऋण सीमा का वित्त-पोषण करता है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा नकद ऋण सीमा और उस पर लगे ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए राजसहायता रिलीज कर दिए जाने के बाद की जाती है।

मानक सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए हिसाब लगाई गई अनंतिम आर्थिक लागत पर आधारित खरीद प्रचालनों के लिए राज्य सरकारों को अनंतिम राजसहायता का भुगतान किया जाता है। तथापि, किसी भी राज्य के लिए विपणन मौसम में खरीदी गई फसल हेतु अंतिम राजसहायता का भुगतान आर्थिक लागत को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जाता है जिसका हिसाब राज्य सरकारों से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणों पर आधारित होता है। कुछ राज्यों के लिए आर्थिक लागत को अंतिम रूप देने के काम में इन राज्यों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण देरी हो गई थी।

भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम की लागत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मंजूर नकद ऋण का कोई संबंध नहीं है और भारतीय खाद्य निगम के सामने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नकद ऋण की मंजूरी करने के संबंध में कोई समस्या नहीं आई है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं कि केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों के खरीद प्रचालनों हेतु राज्य सरकारों के कानूनी खर्चों की शीघ्रता से प्रतिपूर्ति की जाए:-

(i) प्रत्येक तिमाही में एक बार अग्रिम और अनंतिम राजसहायता रिलीज की जा रही है।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की जांच करने और अंतिम आर्थिक लागत की संस्तुति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है।

स्पैक्ट्रम की नीलामी से राजस्व

5286. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को सरकार के लिए और राजस्व सृजित करने हेतु स्पैक्ट्रम की नीलामी हेतु वित्त मंत्रालय से सुझाव प्राप्त हुए हैं जैसाकि दिनांक 17 फरवरी, 2008 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2003 में निर्धारित मूल्य पर स्पैक्ट्रम आबंटित करने के विरुद्ध अपनी आपत्तियां बता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) दिनांक 17-02-2008 के "बिजनेस लाइन" की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटन की

प्रक्रिया कानूनी रूप से संभव थी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्त मंत्रालय का यह विचार संचार मंत्रालय द्वारा अपनाए गए रुख से हटकर है जिन्होंने नीलामी को पहले इस आधार पर नकार दिया था कि ऐसा करना विधिसम्मत नहीं होगा।

स्पेक्ट्रम प्रभारों को यथार्थ स्तर पर लाने के मद्देनजर विभिन्न हितार्थियों और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श आदि विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम शुल्क/प्रभार की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त आरंभिक स्पेक्ट्रम आवंटन दूरसंचार सेवा लाइसेंसों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सेवाओं में वृद्धि के साथ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन तत्संबंधी मानदंडों के अनुसार किया जाता है। प्रचालक द्वारा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का भुगतान राजस्व भागीदारी के आधार पर किया जाता है। स्पेक्ट्रम का वार्षिक राजस्व 1997-98 में 25 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-2008 में 3000 करोड़ रु. हो गया है।

बांध परियोजनाएं

5287. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत उड़ीसा के कालाहांडी तथा नौपद जिलों में उदान्ती, रून्दोल नदी पर बांध के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत उड़ीसा के कालाहांडी तथा नौपद जिलों में उदान्ती सन्दोल नदी पर बांध के निर्माण हेतु वित्तपोषण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन,.एल. की मोबाइल सेवा में बाधा आना

5288. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा भारत निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के मोबाइल तथा लैंडलाइन टेलीफोन सेवाओं में तकनीकी समस्याओं के कारण देश में ये सेवाएं पूरा दिन बाधित रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 2008 के दौरान आज की तारीख तक देश में एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल तथा लैंड लाइन सेवाओं में बाधा आने के बारे में समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से राज्य-वार कितने मामले सामने आए;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों ने उत्तर बिहार में तारों के संरक्षण हेतु हाल ही में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) बी.एस.एन.एल. की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशंस (जी.एस.एम.) आधारित सेल्यूलर मोबाइल सेवा और लैंडलाइन सेवा आमतौर पर संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं।

कभी-कभार मीडिया विद्युत आपूर्ति उपस्कर में खराबी के कारण सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है जिसे ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। कुछ स्थानों पर कभी-कभार मोबाइल नेटवर्क में संकुलन दिखाई पड़ा है जिसके लिए बी.एस.एन.एल. ने अपने नेटवर्क में संवर्धन हेतु पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे कवरेज, क्षमता और सेवा गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

एम.टी.एन.एल. में, 750 के लाइनों के उन्नयन और क्षमता विस्तार के कारण एम.टी.एन.एल. दिल्ली के सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क में कुछ अस्थायी संकुलन पैदा हो गया था। अब यह चालू हो गया है और नेटवर्क संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। नया नेटवर्क बेहतर कवरेज तथा अधिक क्षमता प्रदान करेगा।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) बिहार में बी.एस.एन.एल. के अधिकारी बार-बार पुलिस प्राधिकारियों से मिले हैं और लिखित रूप में भी उनके साथ यह मामला उठाये हैं।

क्षेत्र	बूथ	इंसुलेटिड कंटेनर
अंसारी रोड/दरिया गंज	7	2
अशोक विहार	20	4
बाबा खडग सिंह मार्ग/तिलक मार्ग/मंदिर मार्ग/क्नॉट प्लेस	8	1
बदरपुर	13	34
बादली	1	17
बहादुरगढ़	4	0
बवाना	3	13
बंगाली मार्किट	2	0
भोगल/जंग पुरा	3	0
बुद्ध विहार	5	10
बुराड़ी	0	62
चांदनी चौक	2	0
चाणक्यपुरी/साऊथ एवेन्यु	7	0
छत्तरपुर	0	18
दक्षिणपुरी	5	8
डिफेंस कालोनी/कोटला/सेवानगर	4	1
दिल्ली कैंट	7	5
दिलशाद गार्डन/सीमा पुरी	6	5
डी.एल.एफ. फेज 1-5, अंसल सुशान्त लोक, पालम विहार, गुड़गांव	11	0
द्वारका/बिंदापुर/नसीरपुर	28	10
ईस्ट आफ कैलाश	4	0
फ्रैंड्स कालोनी	5	0
घेवरा	0	6
ग्रेटर कैलाश	7	0
ग्रेटर नौएडा	8	0

क्षेत्र	बूथ	इंसुलेटिड कंटेनर
जी.टी.बी.	8	2
गुलाबी बाग	6	0
हौज खास	13	1
हुड्डा सैक्टर, गुड़गांव	22	0
जहांगीर पुरी	8	14
जामा मस्जिद	2	0
जनकपुरी	14	0
कालका जी	13	7
कमला नगर	8	0
कराला	1	17
करावल नगर/गोकुलपुरी/मुस्तफाबाद	8	67
कड़कड़डुमा एरिया सी.जी.एच.एस. काम्पलैक्स	11	3
करौल बाग	10	1
कश्मीरी गेट	1	0
खानपुर	5	11
कृष्णा नगर	6	3
लाजपत नगर	12	2
लक्ष्मीनगर/शकरपुर	5	2
लोधी कालोनी	7	0
मदन गीर	6	0
मालवीय नगर	11	4
मंदिर मार्ग	3	0
मंगोलपुरी	10	6
मजनू का टीला	1	0
मायापुरी	6	2

क्षेत्र	बूथ	इंसुलेटिड कंटेनर
मयूर विहार/वसुंधरा एनक्लेव/अशोक नगर	18	17
महरौली	2	15
माडल टाऊन	4	2
मोरी गेट	3	1
मोती बाग	7	0
मोती नगर	10	2
नजफगढ़	2	65
नंदनगरी/मंडौली/सुंदरनगरी	8	42
नांगलोई	11	91
नारायणा	6	3
नरेला	9	36
न्यु गाजियाबाद/खोड़ा/लोनी	24	89
एन.आई.टी., जनता कालोनी, फरीदाबाद	11	23
निजामुद्दीन	2	0
नौएडा	42	59
ओखला	2	30
ओल्ड सिटी एरिया, गुड़गांव	7	12
ओल्ड फरीदाबाद और हुड्डा सैक्टर	26	14
ओल्ड गाजियाबाद	14	28
पहाड़गंज	11	2
पालम	5	27
पंचशील	2	0
पंडारा रोड/सुजान सिंह पार्क/काका नगर	3	0
पश्चिम पुरी/विहार/मादीपुर	21	2
पटेल नगर	10	0

क्षेत्र	बूथ	इंसुलेटिड कंटेनर
पड़पड़गंज/मंडावली/आई.पी. एक्सटेंशन	16	11
पीतम पुरा	15	0
पंजाबी बाग	3	0
पुष्प विहार	4	0
राजेन्द्र नगर	7	1
राजौरी गार्डन	8	0
आर.के. पुरम	15	3
रोहिणी	29	10
समालखा	0	9
संगम विहार	2	52
सरिता विहार	14	0
सरोजिनी नगर/नेताजी नगर	10	0
स्वरूप नगर	3	19
सीलमपुर/शाहदरा/जाफराबाद	20	15
शाहबाद डेयरी	2	5
शेख सराय	6	0
शकरपुर	7	1
शालीमार बाग	11	4
शास्त्री नगर	3	0
सोनिया विहार	0	18
साऊथ एक्स	5	0
सुल्तान पुरी	9	7
सनलाईट कालोनी	5	0
तीन मूर्ति	1	0
तिलक नगर	12	1

क्षेत्र	बूथ	इंसुलेटिड कंटेनर
तीमारपुर	3	4
त्रिलोकपुरी/कल्याणपुरी/कोंडली	13	32
तुगलकाबाद	1	7
उत्तम नगर/हस्तसाल	15	25
वसंत कुंज	12	11
वसंत विहार	4	0
विकास पुरी	12	1
यमुना विहार/भजनपुरा/गोंडा	4	26

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना

5290. श्री रमेश दूबे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दिनांक 19 नवम्बर, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों (आई.टी.आई.आर.) की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां प्रथम चरण में ऐसे आई.टी.आई.आर. की स्थापना किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आई.टी.आई.आर.) स्थापित करने की नीति को अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा

5291. श्री हरिसिंह चावड़ा:

श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित लक्ष्य को राज्य-वार कितना पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, नई दूरसंचार नीति, 1999 (एन.टी.पी.-99) में वर्ष 2010 तक, तारशुदा और बेतार दोनों में ग्रामीण क्षेत्रों में 4% टेलीघनत्व के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को देखते हुए, 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार 9.03 ग्रामीण टेलीघनत्व पहले ही प्राप्त कर लिया है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आगे निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा 27 राज्यों में फैले 500 जिलों में, जहां वर्तमान में फिक्स्ड बेतार या मोबाइल सुविधा नहीं है, विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की

स्थापना और प्रबंधन हेतु इमदाद सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक स्कीम शुरू की गई है।

- सरकार ने सेवा प्रदाताओं और अवसंरचना प्रदाताओं के लिए निष्क्रिय के साथ-साथ सक्रिय अवसंरचना साझेदारी पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

घर में प्रयोग में लाए गए जल के पुनः उपयोग हेतु योजना

5292. श्री अधीर चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भू-जल में निरंतर हो रही कमी को देखते हुए घर में प्रयोग में लाए गए जल के पुनः उपयोग करने हेतु एक योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि "घर में प्रयोग में लाए जाने वाले जल के पुनः उपयोग" के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि, चालू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत पुनः आवर्तित जल के पुनः उपयोग के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (रुपये लाख में)	पुनः उपयोग का उद्देश्य
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में हरित स्थानों की सिंचाई के लिए तृतीयक उपचरित वाहित जल के संचयन के द्वारा पेयजल का संरक्षण	3672.60	उद्यान कृषि
2.	नागपुर	गंदे पानी का पुनः आवर्तन और पुनः उपयोग	13011.00	विद्युत सृजन (महाजेनकों के ताप विद्युत घर के लिए)

असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कामगार

5293. श्री रूपचन्द मूर्मू: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक दशक के दौरान असंगठित विनिर्माण उद्यमों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत पुरुष एवं महिला कामगारों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में कामगारों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, आर्थिक जनगणना, 1990 और 1998 के अनुसार, 1990 से 1998 के दौरान उद्यमों की संख्या 287,189 से बढ़कर 3,03,486 हो गई है। अधिकांश उद्यम असंगठित क्षेत्र में हैं। यद्यपि रोजगार की संख्या प्रति इकाई कुछ घटकर 2.88 से 2.74 रह गई है, कुल रोजगार 720,07,560 से बढ़कर 831,55,712 हो गया है। पुरुषों/महिलाओं के क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उद्यमों की कुल संख्या और उन उद्यमों में रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उद्यमों की कुल संख्या और इन उद्यमों में रोजगार

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उद्यमों की कुल संख्या (लाख में)		उद्यमों में कुल रोजगार (लाख में)	
		1990	1998	1990	1998
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24.87	29.02	67.40	75.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.21	0.21	0.94	0.82
3.	असम	4.95	5.93	16.88	21.94
4.	बिहार	12.28	14.43	34.51	34.34
5.	दिल्ली	4.55	6.86	20.84	34.99
6.	गोवा	0.61	0.72	2.20	2.17
7.	गुजरात	14.98	19.15	47.34	52.66
8.	हरियाणा	4.57	5.33	13.53	15.62
9.	हिमाचल प्रदेश	1.83	2.25	4.68	5.76
10.	जम्मू-कश्मीर	@	2.16	@	4.75
11.	कर्नाटक	16.94	19.12	50.82	52.58
12.	केरल	12.29	15.65	32.94	38.50
13.	मध्य प्रदेश	18.73	21.24	48.89	52.46
14.	महाराष्ट्र	26.24	32.34	89.74	104.46
15.	मणिपुर	0.61	0.80	1.57	1.99
16.	मेघालय	0.50	0.56	1.70	1.83
17.	मिजोरम	0.23	0.25	0.72	0.78
18.	नागालैंड	0.24	0.30	1.31	1.77
19.	उड़ीसा	10.94	14.50	26.15	30.89
20.	पंजाब	5.99	7.17	17.67	21.01

1	2	3	4	5	6
21.	राजस्थान	11.69	15.31	28.41	35.37
22.	सिक्किम	0.11	0.13	0.49	0.47
23.	तमिलनाडु	21.11	25.14	62.27	71.81
24.	त्रिपुरा	0.85	1.04	2.19	2.68
25.	उत्तर प्रदेश	26.33	30.43	68.98	74.86
26.	पश्चिम बंगाल	27.50	32.34	74.53	87.64
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.14	0.55	0.64
28.	चंडीगढ़	0.33	0.40	2.01	2.19
29.	दादरा एवं नागर हवेली	0.03	0.04	0.16	0.33
30.	दमन और दीव	0.05	0.06	0.19	0.30
31.	लक्षद्वीप	0.05	0.05	0.18	0.17
32.	पांडिचेरी	0.31	0.43	1.22	1.83
	योग	250.02	303.49	721.01	832.77

टिप्पणी: * अपने खातों वाले उद्यम शामिल हैं।

@ जनगणना नहीं हो सकी।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, आर्थिक जनगणना, 1990 और 1998।

सेना का आधुनीकीकरण

5294. श्री अबु अयीश मंडल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना का विचार अपने सैनिकों की "लड़ाकू क्षमता" को बढ़ाने के लिए अपने व्यापक आधुनीकीकरण अभियान में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) भारतीय सेना के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से पूर्ण रूप से कब तक सुसज्जित हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय सेना का आधुनिकीकरण का कार्य दीर्घकालिक संदर्शी योजना के अनुसार पहले ही चल रहा है जिसकी समय-समय पर समीक्षा, मानीटरी और अद्यतन किए जाने का कार्य किया जाता है। दीर्घकालिक संदर्शी योजना (15 वर्षीय) को सेना पूंजीगत अधिग्रहण योजनाओं (5 वर्षीय) और वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं में विभाजित किया गया है।

(ग) भारतीय सेना का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और बजट आबंटनों पर आधारित होता है।

दुग्ध उद्योग

5295. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में सहकारिता और सरकारी क्षेत्र के दुग्ध उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं और परिणामस्वरूप काम न होने के कारण इसके कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को महाराष्ट्र सहित देश के किसी भी हिस्से से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फल और सब्जी उत्पादकों के लिए योजना

5296. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में फल उत्पादकों के कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), जो कि कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, ने देश में विभिन्न फल उत्पादक संघ बनाने को सरल बनाया है। बागवानी उत्पाद के उत्पादकों को सशक्त बनाने की दृष्टि से फल उत्पादकों का संघ फसलों, आधुनिक प्रौद्योगिकियां, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन तथा उत्पाद के विपणन के विकास संबंधी जानकारी का प्रसार करने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड फल उत्पादकों की राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसान मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करता है। ऐसे उन्नीस उत्पादक संघ स्थापित किए गए हैं (सूची संलग्न विवरण-I पर)। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उत्पादक संघ को आवंटित निधियां संलग्न विवरण-II पर दर्शाई गई हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा बनाए गए/संबद्ध संघ का ब्यौरा

क्र. सं.	जिन्स	संघ का नाम
1.	पुष्प	पुष्प उत्पादक संघ
2.	आंवला	आंवला उत्पादक संघ
3.	सेब	सेब उत्पादक संघ
4.	अमरूद	अमरूद उत्पादक संघ
5.	आम	आम उत्पादक संघ
6.	केला	केला उत्पादक संघ
7.	स्ट्राबेरी	स्ट्राबेरी उत्पादक संघ
8.	संतरा	संतरा उत्पादक संघ
9.	गुठलीदार फल	गुठलीदार फल उत्पादक संघ
10.	सपोटा	सपोटा उत्पादक संघ
11.	अनार	अनार उत्पादक संघ
12.	वैनिला	वैनिला उत्पादक संघ
13.	लीची	लीची उत्पादक संघ
14.	सब्जियां	सब्जियां उत्पादक संघ
15.	सुगंधित पौधे	सुगंधित पौधे उत्पादक संघ
16.	पैशन फल	पैशन फल उत्पादक संघ
17.	अंगूर	अंगूर संघ
18.	नर्सरी मैन	नर्सरी मैन उत्पादक संघ
19.	आर्किड	दी आर्किड सोसायटी ऑफ इण्डिया

विवरण-II

सेमिनार/संगोष्ठी के लिए उत्पादक संघ को आवंटित निधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	संघ का नाम	राष्ट्रीय स्तर पर	राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर	संस्वीकृत राशि/ (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2005-06					
1.	अखिल भारतीय आम उत्पादक संघ	हां			2.00
2.	भारतीय आंवला उत्पादक संघ	हां			3.00
3.	भारतीय अंगूर उत्पादक संघ	अंतर्राष्ट्रीय			10.00
4.	भारतीय पैशन फल उत्पादक संघ		हां		1.00
5.	भारतीय आंवला उत्पादक संघ	हां			2.00
6.	भारतीय संतरा उत्पादक संघ		हां		0.50
7.	भारतीय सब्जी उत्पादक संघ		हां		3.00
8.	भारतीय सब्जी उत्पादक संघ		हां		1.00
9.	भारतीय सब्जी उत्पादक संघ		हां		1.00
10.	भारतीय पुष्प उत्पादक संघ		हां		1.00
11.	भारतीय आम उत्पादक संघ	हां			1.00
12.	भारतीय आम उत्पादक संघ	हां			0.75
13.	भारतीय आम उत्पादक संघ	हां			1.00
14.	भारतीय लीची उत्पादक संघ				0.50
15.	भारतीय सेब उत्पादक संघ	हां			0.50
				कुल	**28.25**
वर्ष 2006-07					
1.	भारतीय लीची उत्पादक संघ			हां	0.50
2.	भारतीय सेब उत्पादक संघ	हां			0.50
3.	लीची		हां		1.00

1	2	3	4	5	6
4.	भारतीय गुठलीदार फल उत्पादक संघ			हां	0.49
5,	भारतीय आंवला उत्पादक संघ	हां			3.00
6.	भारतीय स्ट्राबेरी उत्पादक संघ	हां			1.00
7.	भारतीय स्ट्राबेरी उत्पादक संघ			हां	1.50
8.	भारतीय सेब उत्पादक संघ		हां		1.00
9.	भारतीय पुष्प उत्पादक संघ	हां			2.00
10.	भारतीय गुठलीदार फल उत्पादक संघ	हां			2.00
11.	भारतीय सुगंधित उत्पादक संघ			हां	1.75
12.	भारतीय आम उत्पादक संघ			हां	1.00
13.	भारतीय अमरूद उत्पादक संघ	हां			5.00
14.	भारतीय आंवला उत्पादक संघ	हां			5.00
15.	भारतीय सेब उत्पादक संघ	अंतरराष्ट्रीय			3.00
16.	भारतीय सब्जी उत्पादक संघ		हां		3.00
17.	भारतीय सेब उत्पादक संघ			हां	1.50
18.	भारतीय पैशन फल उत्पादक संघ		हां		1.00
19.	भारतीय सुगंधित पौधे उत्पादक संघ		हां		1.00
20.	भारतीय लीची उत्पादक संघ			हां	0.30
21.	भारतीय लीची उत्पादक संघ			हां	1.18
22.	भारतीय गुठली फल उत्पादक संघ		हां		1.00
23.	भारतीय पुष्प उत्पादक संघ		हां		0.50
24.	भारतीय स्टाबेरी उत्पादक संघ		हां		1.00
25.	भारतीय स्टाबेरी उत्पादक संघ		हां		1.00
26.	भारतीय सब्जी उत्पादक संघ	हां			5.00
27.	भारतीय सुगंधित पौधे उत्पादक संघ		हां		1.00
				कुल	**46.22**

1	2	3	4	5	6
वर्ष 2007-08					
1.	भारतीय स्ट्राबेरी उत्पादक संघ	हां			2.00
2.	भारतीय स्ट्राबेरी उत्पादक संघ	हां			1.00
3.	भारतीय सेब उत्पादक संघ	हां			2.00
4.	भारतीय संतरा उत्पादक संघ	हां			0.50
5.	भारतीय लीची उत्पादक संघ		हां		1.00
6.	भारतीय सुगंधित पौधे उत्पादक संघ	हां			3.00
7.	भारतीय पैशन फल उत्पादक संघ		हां		2.00
8.	भारतीय आम उत्पादक संघ		हां		2.00
9.	भारतीय आम उत्पादक संघ		हां		1.00
10.	भारतीय सपोटा उत्पादक संघ	हां			0.50
				कुल	**15.00**

[अनुवाद]

अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन

5297. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री एल. राजगोपाल:

श्री नन्द कुमार साय:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन के तहत अभी तक शुरू की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर भारत ने अभी तक कितना व्यय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 28 अगस्त, 2005 को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार और अफगानिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) समझौता ज्ञापन के तहत दिनांक 22-29 अप्रैल, 2006 को दोनों देशों के मध्य संयुक्त द्विवर्षीय कार्य योजना को विकसित करने के लिए अफगानिस्तान में पांच विशेषज्ञों का एक भारतीय शिष्टमंडल भेजा गया था, जिसमें उप-महानिदेशक (अभियांत्रिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, सहायक महानिदेशक (बागवानी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एवं डा. बी.पी. पटनायक, एम.डी., एन.एस.सी., नई दिल्ली शामिल थे। अफगानिस्तान के कृषि अधिकारियों से परामर्श करके शिष्टमंडल ने क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास, जननद्रव्य का आदान-प्रदान तथा प्रदर्शन और पायलट प्लांट

का विकास, सस्योत्तर प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, निदान-शास्त्र एवं वैक्सीनोलोजी, आहार एवं चारा विश्लेषण तथा खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा तथा जननद्रव्य आदान-प्रदान (देसी स्थानीय गोपशु, भेड़ तथा बकरी) की पहचान की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त द्विवार्षिक कार्य योजना के मुख्य कार्य क्षेत्रों के तौर पर पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा भंडारण, के लिए अफगानिस्तान में प्रदर्शन और पायलट प्लांट का विकास किया गया।

उपरोक्त पहचाने गये क्षेत्रों को भारतीय विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह तथा भारतीय और अफगानी विसेषज्ञों द्वारा संयुक्त निगरानी एवं मूल्यांकन के अंतर्गत अफगानिस्तान सरकार के कृषि, पशुपालन एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

तथापि, अभी तक कोई भी परियोजनाएं तैयार नहीं की गईं।

(घ) चूंकि अभी तक कोई भी परियोजनाएं तैयार नहीं की गईं, अतः भारत द्वारा परियोजनाओं पर व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

सुंगधित पौधों की खेती

5298. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में सुगंधित पौधों की खेती और पुष्पकृषि क्षेत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्र में पुष्पकृषि क्षेत्र तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का कृषि विभाग सुगंधित फसलों और पुष्पों की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता दे रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान 100 हैक्टे. भूमि में औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती के लिए 11.25 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया। इसके अलावा, 20 हैक्टे. भूमि में पुष्पकृषि के विकास के लिए 5.20 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने दक्षिणी अंडमान के फेरारगंज में 5 एकड़ में वनीला की खेती के लिए एक परियोजना भी स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

डब्ल्यू.एल.एल. फोन सेवाओं की स्थिति

5299. श्री निहाल चन्द:

श्री सुभाष महरिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) और मोबाइल प्रौद्योगिकी के संबंध में ग्रामीण दूरभाष सेवाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): देश में वायरलेस इन लोकल लूप तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में वायरलेस इन लोकल लूप तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	29-02-2008 की स्थिति के अनुसार		
		ग्रामीण		कुल ग्रामीण (सार्वजनिक+निजी)
		जी.एस.एम.	डब्ल्यू.एल.एल.*	
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	22728	3490	26218

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	3877104	1168576	5045680
3.	असम	752530	96024	848554
4.	बिहार	1396447	781564	2178011
5.	छत्तीसगढ़	106891	77543	184434
6.	गुजरात	4274921	474635	4749556
7.	हरियाणा	1176812	483862	2260674
8.	हिमाचल प्रदेश	1241629	221563	1463192
9.	जम्मू-कश्मीर	520836	41061	561897
10.	झारखंड	115915	67180	183095
11.	कर्नाटक	2607721	779464	3387185
12.	केरल	2994546	908905	3903451
13.	मध्य प्रदेश	1045638	1129399	2175037
14.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	3569533	2118513	5688046
15.	पूर्वोत्तर-I	260130	38159	298289
16.	पूर्वोत्तर-II	84693	15177	99870
17.	उड़ीसा	1554607	364593	1919200
18.	पंजाब	2945006	569551	3514557
19.	राजस्थान	4259604	1083873	5343477
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	3227930	974828	4202758
21.	उत्तराखंड	210851	51067	261918
22.	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	4550781	1018687	5569468
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21000359	718043	2818402
24.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	3422311	417867	3840178
25.	कोलकाता	706369	0	706369
26.	चेन्नै	44114	26061	70175

1	2	3	4	5
27.	दिल्ली	0	0	0
28.	मुंबई	0	261	126
	कुल-भारत	47670006	13629811	61299817

*डब्ल्यू.एल.एल. (एफ) सहित

रेशम निर्यात का मूल्यांकन

5300. श्री अजीत जोगी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेशम और अन्य रेशम उत्पादों के निर्यात का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या रेशम और अन्य रेशम उत्पादों के उत्पादकों के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में समस्या आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद को दिसंबर 2007 तक अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007-08 के नौ महीनों के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। रेशम निर्यात, 667.50 मिलियन अमरीकी डालर के अनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 1927 करोड़ रु., जो लगभग 480 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है, हुआ। यह उपलब्धि लक्ष्यों से लगभग 28% कम है। प्रत्याशित कुल निर्यात लगभग 2600 करोड़ रु. का है जो 650 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है और लक्ष्य से 27% कम है।

(ग) और (घ) जी, हां। रेशम और रेशम उत्पादों के उत्पादकों के सम्मुख अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में सामने आ रही कुछ समस्याएं नीचे दी गई हैं:-

- अमरीका डालर मूल्य की तुलना में हाल में भारतीय रुपए की मजबूती के कारण रेशम निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
- रेशम को सदैव एक लक्जरी वस्तु के रूप में माना गया है और मंदी अर्थव्यवस्था के दौरान उपभोक्ता के कड़े रुख का सामना करना पड़ता है। अतः जब उपभोक्ता उत्पाद प्रभावित होते हैं रेशम में पहले कटौती होती है और इसमें रिकवरी प्रायः बाद में होती है। यह स्थिति अनुमानतः कम से कम एक और वर्ष जारी रहने की संभावना है।
- अमरीकी और यूरोपीय बाजारों से मांग में निरंतर कमी हुई है। वास्तव में यू.के., पोलैंड और मोरक्को को छोड़कर 95% से अधिक देशों के निर्यातों में कमी आई है।
- कोटा प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद रेशम सामान निर्यातों के मामले में भारत, प्रमुख रेशम उत्पादक देशों विशेषकर चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।
- वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए बढ़ती इनपुट लागत और मूल्यों पर दबाव प्रमुख चुनौतियां है।
- भारतीय रेशम निर्यातक ईयू देशों और अमरीका को निर्यात करते समय ईयू नाफ्टा (उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार संघ) जैसे व्यापार ब्लॉकों के गठन जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
- आयातक देशों द्वारा लगाए गए कड़े पर्यावरणीय विनियमन अन्य गैर-टैरिफ बाधा है जिसका भारतीय रेशम निर्यातक सामना कर रहे हैं।

– ब्याज दर में वृद्धि ने भी भारत के निर्यातों को प्रभावित किया है।

(ङ) रेशम और अन्य रेशम उत्पादों के निर्यात में कमी को देखते हुए सरकार ने निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए हैं:-

– सरकार, विभिन्न संवर्द्धन क्रियाकलाप शुरू करने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुंबई को सहायता उपलब्ध करा रही है।

– सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करने से पूर्व निर्यातकों के साथ अनेक बैठकें की हैं। विदेश व्यापार नीति में सभी ड्यूटी रेमीशन योजनाओं को जारी रखा गया है और यह सदैव रेशम निर्यातकों को प्रोत्साहित करती रही है।

– सरकार ने एक्जिम नीति के तहत निर्यातकों को अग्रिम लाइसैंसिंग योजना के तहत कच्ची सामग्री के शुल्क मुक्त आयात सुविधा, निर्यात उत्पादों के लिए शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत सामानों का आयात जैसी विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन/इनपुट-आउटपुट मानकों को युक्तसंगत बनाया है।

– उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए वस्त्र क्षेत्र के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योनजा के तहत लागू दर से 5% प्वाइंट कम पर ऋण उपलब्ध है।

– रेशम मशीनरी पर आयात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है।

– आर.बी.आई. ऋण नीति निर्यातकों के अधिक अनुकूल बनाई गई है। निर्यातक अब पोस्ट शिपमैंट के लिए 90 दिनों तक अथवा प्री शिपमैंट के लिए 180 दिनों तक 2.5% की दर पर ऋण ले सकते हैं।

– रेशम उत्पादकों और साथ-ही साथ निर्यात विनिर्माताओं के संतुलित हितों को ध्यान में रखते हुए कच्ची रेशम संबंधी आयात नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

– सभी लंबित ड्राबैक दावो का निपटान किया जा रहा है।

– डी.ई.पी.बी. योजनाओं को और एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

उपर्युक्त के अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य रेशम उत्पादन विभागों ने देश में चीन की रेशम के आयात का मुकाबला करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हुए भारतीय रेशम उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहलें की हैं। रेशम का निर्यात बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेशम उत्पादित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से रेशम यार्न की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं-

(1) केंद्रीय रेशम बोर्ड, द्विफसलीय रेशम उत्पादन पर अधिक बल देते हुए राज्य सरकारों के सहयोग से उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है।

(2) केंद्रीय रेशम बोर्ड ने जापान इंटरनेशनल कॉ-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) की सहायता से नई द्विफसलीय प्रजाति विकसित की है। इन प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग के परिणामस्वरूप देश में शहतूत कच्ची रेशम के ग्रेड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर आयात के विकल्प का उत्पादन किया है।

(3) आर. एंड डी. प्रयासों के माध्यम से केंद्रीय रेशम बोर्ड ने बी.वी. रेशम कीट को उष्णकटिबंधीय बनाने और शहतूत की नई किस्में (वी 1, एस 36, ए.आर. 11, ए.आर. 12, एस. 13 और एस. 34) का विकास करने में सफलता प्राप्त की है। अपेक्षाकृत अधिक उपज वाले पौधों के फलस्वरूप रेशम की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार आया है।

(4) सी.एस.बी. ने "सिल्क मार्क" योजना, जो शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बने उत्पादों का हाल मार्क है और रेशम उत्पादों की शुद्धता की गारंटी है, शुरू की है। सिल्क मार्क भारतीय रेशम के घरेलू और निर्यात बाजारों में ब्रांड संवर्धन में प्रमुख भूमिका भी निभाएगा।

[अनुवाद]

एन.टी.सी. द्वारा नए ब्रांड विकसित किया जाना

5301. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) की नए ब्रांड विकसित करने और मौजूदा ब्रांडों को नया रूप देकर अपने खुदरा विपणन को बढ़ावा देने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) एन.टी.सी. चरणबद्ध रूप में अपने सोरूमों का पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है। कंपनी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों आदि जैसी श्रेणियों के लिए ब्रांड सृजन की भी योजना बना रही है। प्रसिद्ध विपणन एजेंसियों की सहायता से अपने मौजूदा ब्रांड "इन.टी.वाई.सी.ई." को नया रूप देना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है।

[हिन्दी]

तिलहनों का उत्पादन

5302. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

श्री सूरज सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों का उत्पादन करने वाले तिलहनों की देश में वर्ष के अलग-अलग महीनों में बुवाई और कटाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान किन-किन तिहलनों की बुवाई की गई और इन तिलहनों को कौन-कौन से महीनों से बोया गया तथा इसके लिए अलग-अलग कितनी भूमि का उपयोग किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान नारियल और सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और सरसों के उत्पादन में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी मात्रा कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) खाद्य तेल उत्पादन वाले तिलहनों को देश में अलग-अलग महीनों में बोया और काटा जाता है। देश में वर्ष 2007-08 के दौरान मुख्य तिलहनों की फसल-वार मौसम-वार बुआई का ब्यौरा तथा उनमें प्रत्येक के अधीन क्षेत्र नीचे दिया गया है:

फसल	क्षेत्र (000' हैक्टेयर)	बुआई मौसम
मूंगफली	5245	खरीफ (जून, जुलाई)
	1065	रबी (सितम्बर, अक्तूबर)
		ग्रीष्म (फरवरी, मार्च)
तोरिया/सरसों	5878	रबी (अक्तूबर, नवम्बर)
सोयाबीन	8800	खरीफ (जून, जुलाई)
सूरजमुखी	751	खरीफ (जून से अगस्त)
	1085	रबी (सितम्बर, अक्तूबर)
		ग्रीष्म (फरवरी, मार्च)
कुसुम	318	रबी (अक्तूबर, नवम्बर)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तिलहनी फसलों की वर्ष-वार क्षेत्र कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान नारियल का उत्पादन 15.84 बिलियन गिरिया था जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान 15.50 बिलियन का अनुमानित उत्पादन था। सोयाबीन का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 582.20 हजार टन तक बढ़ा है। सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः क्षेत्र कवरेज में वृद्धि होने तथा अनुकूल मौसम स्थितियों के कारण हुई।

तोरिया/सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 1006.80 हजार टन तक कम हुआ है। तोरिया/सरसों के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से क्षेत्र कवरेज में कमी और प्रतिकूल जलवायु स्थितियों के कारण हो सकती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तिलहनी फसलों की वर्ष-वार क्षेत्र कवरेज का ब्यौरा

(क्षेत्र हजार हैक्टे. में)

फसल	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08*
मूंगफली	6736.0	5615.1	6310.0
एरण्ड बीज	864.2	628.4	768.0
तिल	414.4	469.0	407
रामतिल	1723.2	1703.2	1714.0
तोरिया व सरसों	7276.5	6790.0	5878.0
अलसी	436.8	436.5	402.0
कुसुम	364.6	377.0	318.0
सूरजमुखी	2339.6	2164.8	1836.0
सोयाबीन	7707.5	8328.7	8800.0
कुल तिलहन	27862.8	26512.7	26433.0

*तीसरे अग्रिम अनुमान

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं

5303. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ उद्योगों में बच्चों के नियोजन की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन उद्योगों को जिनमें बाल श्रम की अनुमति है, कार्यरत बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निदेश देने के लिए एक नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी हां, गैर-जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की अनुमति है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 15 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है तथा यह उन गैर-जोखिमकारी उद्योगों में कार्य दशाओं को विनियमित करता है जिनमें बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध नहीं है।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्देश में यह व्यवस्था दी है कि गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों के कार्य घंटे छः घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होने चाहिए तथा कम से कम दो घंटे शिक्षा के लिए सुनिश्चित किए जाने चाहिए। शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण व्यय संबंधित नियोक्ता को वहन करना होता है। इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों

को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय को दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जा रही है।

राज्य सहकारिताएं

5304. श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सहकारिताओं को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने सरकार से सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने और अभी तक अछूते क्षेत्रों में सहकारी कार्यकलापों का विस्तार करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। सहकारी समितियों संबंधी एक मॉडल अधिनियम का सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने स्वर्गीय चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति नियुक्त की। समिति ने मई, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक मॉडल सहकारी समिति अधिनियम की सिफारिश की गई। समिति की सिफारिशों का जोर सहकारी समितियों के प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाने और उन्हें स्वायत्त तथा आत्म निर्भर संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने पर है। समिति की रिपोर्ट को सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। समिति द्वारा यथा संस्तुत मॉडल सहकारी समिति अधिनियम पर विचार विमर्श करने के लिए जुलाई, 1992 में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में समिति की सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया तब से ही सरकार का प्रयास सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए राज्यों को राजी करने का रहा है।

अंततः सहकारी समितियों के संबंध में संविधान में संशोधनों पर विचार करने के लिए 7 दिसम्बर, 2004 को राज्य सहकारिता मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त और व्यवसायिक कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन का अनुमोदन करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए मुख्य मुद्दों का समाधान करते हुए संविधान (106वां संशोधन) विधेयक 2006 को 22 मई, 2006 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके ग्रामीण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार की दृष्टि से व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अगस्त, 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक कार्यबल का गठन किया। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2005 में भारत सरकार को प्रस्तुत की। सरकार ने सिद्धान्ततः कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया था तथा इन पर सहमति हुई जिसके आधार पर सरकार ने एक पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन किया। इस पैकेज के कार्यान्वयन हेतु उनकी सहमति लेने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। 20 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

कृषि क्षेत्र में नौकरियां

5305. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा अधीनस्थ क्षेत्रों में सृजित की गयी नौकरियों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी पैनल की नियुक्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) रोजगार के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय सर्वेक्षणों से उपलब्ध हुए हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रोजगार तथा बेरोजगार के संबंध में हाल ही में हुए दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार वर्तमान दैनिक स्तर के आधार पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार 1999-2000 में (55वां दौर) 191.55 मिलियन से 2004-05 (61वां दौर) में 200.40 मिलियन तक बढ़ा हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र के लिए किए गए आंबटन तथा उन् पर किए गए खर्च नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2005-06	4179.32	3890.00	3802.77
2006-07	4800.00	4860.00	4639.91
2007-08	5520.00	6927.94*	5937.28*

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित

*फरवरी 2008 तक

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, आयोग द्वारा प्रस्तुत, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों जोकि कृषकों के लिए संशोधित प्रारूप में निहित हैं तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से प्राप्त विचारों तथा सुझावों तथा राज्यों के साथ बनायी गई सहमति के आधार पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 का अनुमोदन कर दिया है जोकि नवम्बर 2007 में संसद में प्रस्तुत की गई थी। इसमें अन्य बातों के अलावा भूमि, जल, पशुधन, मत्स्यन तथा जैव-संसाधनों के संबंध में संपत्ती सुधार शामिल हैं, तथा ये फ्रंटियर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज तथा व्याधिमुक्त रोपण सामग्री, किसानों को मृदा स्वास्थ्य पासबुक का निर्गमन तथा एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रणाली, क्षेत्र तथा फसल विशेष उपकरण व मशीनरी, महिलाओं हेतु सहायक सुविधाएं जैसे शिशु सदन, बाल देखरेख केन्द्र, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण, उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सामयिक, पर्याप्त तथा आसान पहुंच तथा किसान हितैषी बीमा प्रलेख; सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग व कृषि विस्तार को सशक्त बनाने के लिए कृषि विद्यालयों की स्थापना; व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किसानों की व्याप्ति; देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना; कृषि बाजार ढांचे तथा कृषि हेतु सीमावर्ती बाजारों का विकास, कृषि विद्यालयों में पाठ्यक्रम सुधार; खेती की विशेष कोटियां जैसे जैविक खेती तथा अनुबन्धित खेती; कृषि परिवारों हेतु ग्रामीण गैर कृषि रोजगार उपाय तथा ग्रामीण ऊर्जा हेतु एकीकृत एप्रोच आदि शामिल हैं। नीति को संचालन रूप देने के लिए कार्यवाही की योजना तैयार करने हेतु कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा एक अन्तःमंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। भिन्न-भिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही बहुत सी योजनाएं/ कार्यक्रम राष्ट्रीय किसान नीति 2007 के प्रावधानों के अनुसार हैं। इनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं, जल संग्रहण विकास उपक्रम, एकीकृत न्यूट्रियन्ट प्रबन्धन तथा एकीकृत कीट प्रबन्धन व राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार योजना कार्यक्रम बनाने में स्वायत्तता प्रदान करने वाली वृहद प्रबन्धन योजना के तहत अन्य योजनाएं शामिल हैं।

सरस्वती नदी का उद्धार एवं पुनर्जीवित करना

5306. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सरस्वती नदी का उद्धार एवं पुनर्जीवित करने के संबंध में वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी एवं इस परियोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते केन्द्र सरकार को नसीबपुर (जिला हुगली) स्थित इसके ऑफटेक प्वाइंट से संक्रैल (जिला हावड़ा) स्थित हुगली नदी में इसके मुहाने तक "दक्षिणी सरस्वती नदी के सुधार" के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस स्कीम को 32.10 करोड़ रुपये (केन्द्र का हिस्सा 24.08 करोड़ रुपये) की अनुमानित लागत से "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत शामिल किया गया है। 1.00 करोड़ रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त राज्य सरकार को मार्च, 2008 में जारी की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इस स्कीम को वर्ष 2009-10 तक पूरा करने की योजना है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सहकारी समितियां

5307. श्री रशीद मसूदः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियों को अपने कार्यकरण और अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए उन्हें विदेशी कंपनियों/सहकारिताओं के साथ सहयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारिता क्षेत्र से जुड़े नियम बनाने और इन्हें कार्यान्वित करने इसके पंजीकरण और विवादों के निपटान के लिए एक पृथक सहकारिता आयोग की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाकघर के जरिए किराना वस्तुओं की बिक्री

5308. श्री एल. राजगोपालः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघरों के जरिए किराना वस्तुओं की बिक्री करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय विकास निगम तथा डाक विभाग के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के सभी डाकघरों में इसे अनिवार्य बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश डाक सर्किल ने विशेषकर, आंध्र प्रदेश राज्य के जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए उनके वन उत्पादों की बिक्री हेतु गठित आंध्र प्रदेश सरकार के एक उपक्रम गिरिजन सहकारिता निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ऐसे वन उत्पादों की बिक्री करने वाले आंध्र प्रदेश डाक सर्किल के डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विभाग के पास इस स्कीम के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आंध्र प्रदेश डाक सर्किल में वन उत्पादों की बिक्री करने वाले डाकघरों के नाम

क्र.सं.	डाकघर का नाम
1.	हनामकोंडा प्रधान डाकघर
2.	वारंगल प्रधान डाकघर
3.	खैरताबाद प्रधान डाकघर
4.	सनतनगर डाकघर
5.	विजयनगर कॉलोनी डाकघर
6.	हिमायतनगर डाकघर
7.	श्रीनगर कॉलोनी डाकघर
8.	पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी डाकघर
9.	बहादुरपुरा डाकघर
10.	सैदाबाद डाकघर
11.	सांघीनगर डाकघर
12.	गांधीनगर डाकघर
13.	बेगमपेट डाकघर
14.	वनस्थलीपुरम डाकघर
15.	संस्कृति टाउनशिप डाकघर
16.	मुशीराबाद डाकघर
17.	विवेकानन्दनगर डाकघर

सस्ती एक्सप्रेस पार्सल सेवा

5309. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सस्ती एक्सप्रेस पार्सल सेवा की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों से विशेषकर खाड़ी देशों से तेज गति से धनराशि का स्थानान्तरण करने की सुविधा की पेशकश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) डाक विभाग ने बाजार की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए 01-04-08 से एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सेवा की दरों की पुनःसंरचना एवं इनमें संशोधन किया है। संशोधित दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) डाक विभाग ने अमीरात पोस्ट के सहयोग से 26-04-08 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली का उपयोग करते हुए 'इलैक्ट्रॉनिक अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर्स' शुरू किया है। शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात से भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और केरल राज्यों में 97 प्रधान डाकघरों के माध्यम से यह सेवा प्रदान की जा रही है। इस सेवा का उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा लंबे समय से अनुभव की जा रही एक किफायती धनांतरण सुविधा की आवश्यकता को पूरा करना है। इस सेवा से संयुक्त अरब अमीरात के समस्त प्रवासी भारतीय समुदाय लाभान्वित होंगे।

विवरण

01-04-08 से लागू एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की संशोधित दरें

श्रेणी	2 कि.ग्रा. तक के लिए दरें (रुपयों में)	प्रत्येक अतिरिक्त कि.ग्रा. के लिए (3-10 कि.ग्रा. के बीच) (रुपयों में)	प्रत्येक अतिरिक्त कि.ग्रा. के लिए (10 कि.ग्रा. से अधिक) (रुपयों में)
1	2	3	4
स्थानीय	25	3	2

1	2	3	4
500 कि.मी. तक	40	5	4
501-1000 कि.मी.	50	10	8
1001-2000 कि.मी.	60	20	15
2000 कि.मी. से अधिक	80	25	20

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण

5310. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री रशीद मसूद:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय नदियां प्रदूषण निरोधी अभियानों के बावजूद भी और अधिक विषैली होती जा रही. हैं तथा इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग से सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने प्रदूषण निरोधी अभियानों की कोई समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धातुओं एवं कीटनाशकों का पता लगाने के लिए उनके द्वारा मानीटर की जा रही 128 नदियों में से 53 नदियों के आसपास के जल में मापी गई मात्रा में स्वीकृत सीमा से अधिक धातुओं की उपस्थिति का पता चला है। इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग से सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने सूचित किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के तहत देश की नदियों के संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में आम जनता एवं महत्वपूर्ण पणधारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जन सहभागिता एवं जागरूकता, इसके घटकों में से एक है। त्वरित शहरीकरण एवं जनसंख्या में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ रहे प्रदूषण भार से नदियों का संरक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। संरक्षण नीति की कार्यनीतियों की समीक्षा तथा एन.आर.सी.पी. के तहत अतिरिक्त शहरों और नदियों की पहचान करना सतत प्रक्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य नदियों में जल गुणवत्ता में सुधार करना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में संशोधन के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों, इस क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के साथ बैठकें की हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

5311. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज की तिथि तक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की धनराशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धनराशि में ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के तहत गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (अर्थात् चूकों) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी प्रतिभूति विशेष में निवेश करने से पूर्व, पोर्टफोलियो मैनेजर अधिकतम सावधानी बरतते हैं, फिर भी ऐसे कुछ मामले हो जाते हैं जब लेनदार ब्याज या मूलधन के भुगतान में चूक/विलम्ब करता है।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पोर्टफोलियो प्रबंधक यानी भारतीय स्टेट बैंक मुकदमे दायर करने सहित जरूरी कार्रवाई करता है और इसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अनुवीक्षण भी किया जाता है।

विवरण

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की सूची

क्र. सं.	प्रतिष्ठान	राज्य	वर्ष	राशि (रुपयों में)
1.	बंगलौर महानगर पालिका (बी.एम.पी.)	कर्नाटक	2005	78,65,753/-
2.	रिचर्डसन एण्ड क्रड्डस लि. (आर.सी.एल.)	महाराष्ट्र	2002	1,25,98,750/-
3.	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम.पी.एस. आई.डी.सी.)	मध्य प्रदेश	2004	14,70,000/-
4.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी.एस.पी.एल.)	कर्नाटक	2005	20,83,176/-
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम (एच.पी.एस.एफ.सी.)	हिमाचल प्रदेश	2005	5,85,094/-
6.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम (यू.पी.एस.एफ.सी.)	उत्तर प्रदेश	2004	36,15,11,787/-
7.	उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक निगम (पी.आई.सी.यू.पी.)	उत्तर प्रदेश	2003	1,37,67,539/-

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती पर प्रतिबंध

5312. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सरकारी क्षेत्र में भविष्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए एस.टी.पी.आई. योजना

5313. श्री राकेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु तथा मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई.एस.) के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) नामक कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना को बन्द करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को उन राज्यों में जारी रखने का है जो उक्त योजना के अंतर्गत निवेश आकर्षित करने में असफल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना एक स्थायी योजना है जो विदेश व्यापार नीति 2002-2007 तथा समय-समय पर यथासंशोधित कार्यपद्धति हैंड बुक खण्ड-I द्वारा शासित है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) नए एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने की नीति के अनुसार, राज्य सरकार को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल तथा 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान एस.टी.पी.आई. को उपलब्ध कराना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नया एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने के लिए एस.टी.पी.आई. को 50 लाख रुपए आरम्भिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव की निर्यात क्षमता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एस.टी.पी.आई. को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक व्यवहार्यता अध्ययन करना पड़ता है।

जम्मू में सेना को डीजल की आपूर्ति

5314. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू में सेना को आवश्यक डीजल आपूर्ति के अन्तर्गत डीजल की जगह पानी तथा अन्य तरल पदार्थों की आपूर्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मामले में कितने लोग लिप्त पाए गए हैं तथा अब तक डीजल की आपूर्ति में कितनी धांधली हुई है; और

(घ) अब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेना में जम्मू के संबंध में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

बीहड़ क्षेत्रों का सुधार

5315. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को मध्य प्रदेश के बीहड़ क्षेत्रों में सुधार के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के चम्बल नदी जल-क्षेत्र में खादर भूमि के पुनरूद्धार/विकास के लिए 50.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रायोगिक परियोजना प्रस्ताव मार्च, 2006 में प्राप्त हुआ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार, खादर क्षेत्र के पुनरूद्धार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1990 में राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई थी। उपर्युक्त सिफारिश को देखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ अन्य वित्त पोषण एजेन्सियों से सम्पर्क करने की सलाह दी गई।

[अनुवाद]

टेलीफोन सुविधा रहित गांव

5316. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कई गांव टेलीफोन की सुविधा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में स्थान-वार कितने गांवों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी वाले 5,93,601 गांव हैं। इनमें से 5,19,616 गांवों में पहले ही भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में आबादी वाले 5,592 गांवों में से अभी तक 5,122 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ग) क्षेत्र में अगले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित शेष 470 सुविधारहित गांवों की गौण स्विचन क्षेत्र-वार (एस.एस.ए.-वार) संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में अगले दो वर्षों के दौरान प्रदान की जाने वाली टेलीफोन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित गांवों की अवस्थिति-वार संख्या

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) का नाम	वी.पी.टी. प्रदान किए जाने वाले गांवों की अनंतिम संख्या
1.	अमरेली	18
2.	भावनगर	19
3.	भुज	90
4.	जामनगर	100
5.	जूनागढ़	172
6.	राजकोट	12
7.	सुरेन्द्रनगर	59
	जोड़	470

दूरसंचार विभाग द्वारा यू.एस.ओ.एफ. के माध्यम से वी.पी.टी. के पुनः सत्यापन का कार्य किया गया है।

[हिन्दी]

डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन

5317. श्री बापू हरी चौरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में सभी छोटे और बड़े डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जहां पर अभी टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(च) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बांटने वाले डाकियों और डाकपालों को कम वेतन दिया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार देश में इन डाकियों और डाकपालों के वेतन में वृद्धि करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

(च) जी नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में इस मसले का समाधान हो जाएगा।

(झ) सिफारिशें सरकार की जांच के अधीन हैं।

[अनुवाद]

बाजार हस्तक्षेप योजना

5318. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई अनुदान की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सहायता राशि में पचहत्तर प्रतिशत तक की वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हो, तो इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इन राज्यों के मझौले और छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु किए गए वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि मंत्रालय ने विपणन हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के तहत विभिन्न राज्यों (उत्तरपूर्वी राज्यों के लिए 75%) के लिए क्षति के लिए 50% केन्द्र सरकार के हिस्सा निम्न प्रकार निर्मुक्त किया है:-

वर्ष	जिंस	राज्य	राशि (लाख रुपये में)
2006-07	अदरक	मिजोरम	70.36
2006-07	हटकोरा	मिजोरम	17.91
2007-08	मिर्च	मिजोरम	72.87
2007-08	सेब	हिमाचल प्रदेश	148.14
2007-08	पैशन फ्रूट	मिजोरम	129.75
2007-08	अदरक	मिजोरम	105.75

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के लिए एम.आई.एस. क्रियान्वित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे (दिनांक 21-4-2008 के स्वीकृति आदेश) संस्वीकृत कर दिया गया है। बिहार राज्य से एम.आई.एस. के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के मझोले और लघु कृषकों को भी मौजूदा एम.आई.एस. के तहत शामिल किया है। इसके अलावा, इन राज्यों के मझोले और लघु कृषकों को भी मूल्य समर्थन स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (नाइस), वृहद प्रबंधन कृमि स्कीम (एम.एम.ए.) सहित सरकार की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से लाभ मिला है।

प्रमाणित बीज

5319. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलहनों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को दो गुना करने की कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को दिए गए पूंजी अनुदान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार तिलहनों, दलहनों, पाम आयल और मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) की समेकित योजना का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। दालों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को दोगुना करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन के तहत प्रजनक बीज के उत्पादन को 2007-08 में 9220 क्विंटल से दोगुना बढ़ाकर 2011-12 तक 18660 क्विंटल करने के लिये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्यों से दालों के प्रजनक बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को मांग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि आगामी 5 वर्षों में दालों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को दोगुना बनाया जा सके।

भारत सरकार ने एन.एफ.एस.एम.-दलहन के तहत 2007-08 के दौरान भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर की निम्नलिखित परियोजना को मंजूरी दी है:-

(i) सम्पूर्ण 11वीं योजना के लिये 10.00 करोड़ रु. हेतु (प्रति वर्ष 2.00 करोड़ की दर पर) आई.आई.पी.आर. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से प्रजनक बीज उत्पादन के लिये अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण)

(ii) सम्पूर्ण 11वीं योजना के लिये 5.00 करोड़ रु. हेतु आई.आई.पी.आर. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

(ग) और (घ) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम व मक्का (आईसोपाम) स्कीम का विस्तार करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये स्कीम में संशोधन किये गये हैं। आइसोपाम के तहत 10वीं योजना के लिये घटकों, सहायता की पद्धति और क्रियान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तिलहन, दलहन एवं मक्का के लिये आइसोपाम के तहत वित्तीय सहायता की पद्धति

घटक	व्यय की मदें	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी	सहायता की पद्धति	व्यय का प्रतिशत केन्द्रीय	अंश राज्य
1	2	3	4	5	6
1. बीज					
i. तिलहनों, दलहनों व मक्का के प्रजनक बीजों का उत्पादन	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं/एस.एस.सी. आदि के जरिए प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए	आई.सी.ए.आर. नोडल एजेंसी के रूप में	124 पदों के लिए प्रति वर्ष 175 लाख रु.	100	-
ii. तिलहनों, दलहनों व मक्का के प्रजनक बीज की खरीद	आई.सी.ए.आर. द्वारा उत्पादन के लिए प्रजनक बीज की खरीद हेतु	i. राज्य कृषि विभाग ii. एन.एस.सी./एस.एफ. सी.आई.	बीज प्रभाग द्वारा निर्धारित समान दरों के अनुसार पूरी लागत	75 100	25 -
iii. आई.सी.ए.आर. द्वारा संविदा पर अनुसंधान	तिलहनों व दालों, विशेष रूप से मूंगफली, सोयाबीन तथा तोरिया सरसों की सूखारोधी किस्मों के विकास के लिए संविदा अनुसंधान। भारत सरकार के अनुमोदन से आई.सी.ए.आर., राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों तथा इक्रीसैट द्वारा शुरू किये जाने के लिए इस घटक के तहत अध्ययन हेतु राज्य द्वारा इन फसलों की खेती में बाधा विशिष्ट नई समस्याओं जिनके लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है, पर भी अनुसंधान का सुझाव दिया जा सकता है।	आई.सी.ए.आर., एस.ए.यू. तथा इक्रीसैट	पूरी लागत	100	-

1	2	3	4	5	6
iv. तिलहनों, दलहनों व मक्का के आधारी बीजों का उत्पादन	एस.एस.सी./आयलफैड/कृभको, नैफेड, इफको आदि के जरिए राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रजनक बीज को आधारी बीज में बहुलीकृत करने के लिए	1. एस.डी.ए., नेफेड, कृफको, इफको ii. एन.एस.सी./एस.एफ. सी.आई., नेफेड, कृभको इफको	1000 रु. प्रति क्विंटल तदैय	75 100	25 -
v. तलहनों, दलहनों व मक्का के प्रमाणित बीजों का उत्पादन (बीज ग्राम स्कीम)	एस.एस.सी./आयलफैड आदि के जरिए किसानों के खेत पर चयनित गांव में प्रमाणित बीजों के उत्पादन का आयोजन	i. एस.डी.ए. ii. एन.एस.सी./एस.एफ. सी.आई., नेफेड, कृभको इफको	100 रु. प्रति क्विंटल तदैव	75 100	25 -
vi. तिलहनों, दलहनों व मक्का के प्रमाणित बीजों का वितरण*	बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करने के लिए सब्सिडी प्राप्त दर पर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति	i. एस.डी.ए. ii. एन.एस.सी./एस.एफ. सी.आई. iii. नेफेड, कृभको, इफको iv. एस.डी.ए. के जरिए निजी क्षेत्र के बीज उत्पादक एजेंसियां	i. सभी फसलों के प्रमाणित बीजों की लागत का 50% या 1200/-रु. प्रति क्विंटल इसमें जो कम हो किसानों को निःशुल्क	i. एस.डी.ए. 75 ii. एन.एस.सी./ एस.एफ.सी.आई. iii. नेफेड, कृभको, इफको 100 iv. निजी क्षेत्र 75	25 - - 25
vii. मिनिकिट का वितरण (किस्म विविधीकरण)	एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई./नेफेड, कृभको, इफको तथा एस.डी.ए. के जरिए निजी एजेंसियों द्वारा किसानों को उन्नत किस्मों/संकरों की नई किस्मों के बीज मिनिकिटों की आपूर्ति	एन.एस.सी./एस.एफ.सी. आई. नेफेड, कृभको, इफको तथा सरकारी एजेंसियों के जरिए निजी क्षेत्र		100	-
viii. अवसंरचना विकास	तिलहनों, दलहनों एवं मक्का के बीजों के लिए भण्डारण गोदामों तथा बीज फार्मों में मड़ाई की फर्स	i. एस.डी.ए. ii. एन.एस.सी./एस.एफ. सी.आई./एस.ए.यू./कृषि	सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू. डी. की दरों के अनुसार वास्तविक लागत	50 100	50 -

	तथा सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु। दालों की उच्च उपज देने वाली किस्मों/संकरों के प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए विशेष आवश्यकताएं पूरी करना।	विज्ञान केन्द्र iii. आई.आई.पी.आर., कानपुर

*बीज उत्पादक एजेंसियों को स्कीम के तहत बीज प्रमाणित कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तथापि, गुणवत्ता बीज के मामले में मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

घटक	व्यय की मदें	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी	सहायता की पद्धति	व्यय का प्रतिशत केन्द्रीय	अंश राज्य
1	2	3	4	5	6
2. प्रदर्शन					
i. प्रखंड प्रदर्शन	किसानों के खेत पर उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए	एस.डी.ए.	मूंगफली के लिए 4000/- रु., सोयाबीन के लिए 3000/-रु. तोरिया व सरसों के लिए 2000/-रु., सूरजमुखी के लिए 2500/-रु., तिल, कुसुम, रामतिल तथा एरंड के लिए 1500/-रु., अलसी के लिए 2000/-रु., मसूर के लिए 2200/-रु., चना तथा मटर के लिए 2500/-रु., राजमा के लिए 3500/-रु. की अधिकतम सीमा में आदानों की लागत का 50%।	75	25
ii. मूगफली में पौलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी प्रखंड प्रदर्शन	मूंगफली में पौलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन करने के लिए	एस.डी.ए.	8000/-रु. अर्थात (आदानों की आपूर्ति के लिए 4000/-रु.) 4000/-रु. प्रति है. पौलीथीन सीट के लिए	75	25
iii. समेकित कीट प्रबंध	किसानों के खेत पर आई.पी.एम. प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए	एस.डी.ए.	(क) आई.पी.एम. प्रदर्शन (कृषक क्षेत्र स्कूल) प्रति प्रदर्शन 22680 रु. (ख) निम्नानुसार पादप वृद्धि की विभिन्न दशाओं में जैव-गहनता। (i) चना-ट्राइकोडर्मा, ट्रैप+ल्योर, नीम 1500, ल्योर, एन.पी.वी., ल्योर, 747.50 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा में बीटी (ii) अरहर-ट्राइकोडर्मा, नीम 1500, ट्रैप+ल्योर, एन.वी., 1440 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा में बीटी ल्योर	75	25

			(iii) सरसों-ट्राइकोडर्मा, नीम 1500, क्रिसोपेर्ला, नीम 1500, 930 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा के साथ
			(iv) मूंगफली-ट्राइकोडर्मा, क्रीसोपर्ला, एन.पी.वी.-एस.एल., ट्रैप+ल्योर, नीम 1500, एन.पी.वी.एस.एल., ल्योर, 1627.50 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा में बीटी
			(v) सोयाबीन-ट्राइकोडर्मा, एन.पी.वी-एस.एल.ट्रैप+ल्योर, नीम 1500, 428 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा में ल्योर
			(vi) सूरजमुखी: ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, एन.पी.वी.बी.टी. 1230/-रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा के साथ
			(vii) मक्का: ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, बीटी 1480 रु. प्रति है. की अधिकतम सीमा के साथ
iv. (क) फ्रंट लाईन प्रदर्शन	किसान के खेतों पर नई फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए	आई.सी.ए.आर.	5000/-रु. प्रति है. की वास्तविक लागत तक सीमित
(ख) मूंगफली में पौलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी पर फ्रंट-लाईन प्रदर्शन		आई.सी.ए.आर.	9000/-रु. प्रति है. (5000 रु.+4000/-रु. प्रति है.) की वास्तविक लागत के प्रदर्शन तक सीमित
3. पौध संरक्षण रसायन	कीटों/रंगों के फैलने की स्थिति में राज-सहायता प्राप्त मूल्यों के रूप में पीपी रसायनों की आवश्यकता आधारित आपूर्ति के लिए	एस.डी.ए.	रसायन की 50% लागत या 500/-रु. प्रति है. जो भी कम हो।

1	2	3	4	5	6
4. पौध संरक्षण उपकरण	राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों के लिए पीपी उपकरणों की आपूर्ति के लिए	एस.डी.ए.	(i) हाथ परिचालित उपकरण की 50% लागत या 800/-रु. प्रति पी.पी.ई. जो भी कम हो। (ii) विद्युत चालित: उपकरण की 50% लागत या 2000/-रु. प्रति उपकरण जो भी कम हो।		
5. खरपतवार नाशक	खरपतवार समस्याग्रस्त फ्रंस में राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों के लिए खरपतवार नाशकों की आपूर्ति के लिए	एस.डी.ए.	रसायन की लागत का 50% या 500/-रु. प्रति है. तक सीमित		
6. न्यूक्लियर पौली-हैड्रोसिस वायरस (एन.पी.वी.)	चना और अरहर, दलहन फसलों में पोड बोरर के नियंत्रण के लिए एन.पी.वी. की आपूर्ति के लिए	एस.डी.ए.	50% लागत के 250/-रु. प्रति है. तक सीमित		
7. रिजोबियम कल्चर/फास्फेट सोल्यूवाईजिंग वैक्टीरिया की आपूर्ति	मूंगफली एवं सोयाबीन तथा दलहन के लिए रिजोबियम कल्चर तथा सभी तिलहनों, दलहनों और मक्का फसलों के लिए पी.एम.वी. की किसानों के लिए राजसहायात प्राप्त आपूर्ति के लिए।	एस.डी.ए.	सामग्री+परिवहन की 50% लागत या 100/-रु. प्रति है. या जो भी कम हो।		
8. जिप्सम/पाईरिट/लाईमिग/डोलोमाइट का वितरण	राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों के लिए जिप्सम पाईरिट/लाईमिंग/डोलोसाइट (सल्फर स्रोत के रूप में) की आपूर्ति	एस.डी.ए.	750/-रु. प्रति है. तक सीमित सामग्री+परिवहन की लागत		
9. स्प्रिंकलर सेटों का वितरण	बेहतर राज्य उपायोग क्षमता के लिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों के लिए स्प्रिंकलर सेटों की आपूर्ति के लिए	एस.डी.ए.	750/-रु. प्रति है. तक सीमित स्प्रिंकलर सैट की लागत का 50%		

10. किसान प्रशिक्षण	संवर्धित फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और फसलोपरान्त प्रबंधन में किसानों के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए	एस.डी.ए.	50 किसानों के बैच के लिए 15000/-रु. प्रति प्रशिक्षण
11. स्टाफ और आकस्मिक व्यय	राज्य में कार्यान्वयन और कार्यक्रम मानीटरिंग के लिए विशेष स्टाफ संस्वीकृति के लिए	एस.डी.ए.	नौवीं योजना के दौरान जारी आठवीं योजना के तहत टी.एम.ओ.पी. स्कीम के तहत संस्वीकृत संख्या के अनुसार दसवीं योजना के दौरान भी लागू होगा।
12. आईसोपोम का मूल्यांकन	स्कीम/घटकों के क्रियान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए	ए.एफ.सी. या भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य एजेंसी	वास्तविक लागत आधार
13. स्रोत से खेत तक जल-लाने के लिए पाइप	रिसाव हानि से बचने के लिए जल स्रोत से खेत तक जल लाने के लिए पाइप	एस.डी.ए.	50% लागत तक सहायता की बढ़ोत्तर या 800 मीटर तक जल ले जाने वाले पाईपों और सभी प्रकार के पाईप अर्थात पी.वी.सी., एच.डी.पी.ई. इत्यादि तथा किसान की आवश्यकता के लिए 15,000/-रु.।
14. अधिकारी प्राशिक्षण	कृषि के क्षेत्र में नए घटनाक्रम के बारे में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए एस.डी.ए. के अधिकारियों/विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा टी.एम.ओ.पी. मुख्यालय और उसके निदेशालयों को नियमित प्रशिक्षण देने के लिए	आई.सी.ए.आर.	30 अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 16000/-रुपये।
15. अधिकारियों का विदेश में प्रशिक्षण	विभाग के अधिकारियों द्वारा विदेश में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन अध्ययन के लिए देशी प्रौद्योगिकी		खर्चे की वास्तविक लागत समग्र योजना अवधि के लिए 2,50 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि का प्रावधान आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
	संवर्धन और उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना आवश्यक है।				
16. प्रचार	अन्तरण संभावित समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए 7 कृषि विशेषज्ञों के बीच सहसंबंध स्थापित करना		एकमुश्त 2 लाख प्रति राज्य		
17. अन्य कार्यकलापों में निजी क्षेत्र को शामिल करना	(क) बीज उत्पादन (ख) आदानों की आपूर्ति (ग) विस्तार समर्थन (घ) फ्रंट-लाईन और ब्लाक प्रदर्शन		एस.डी.ए. के माध्यम से प्रत्येक घटक के लिए 15% की कैप		

(ख) दसवीं योजना के लिए आईसोपाम के तहत नया अनुमोदित घटक

क्र.सं.	घटक	सहायता का अनुमोदित पैटर्न
1.	संवर्धित कृषि उपकरणों की आपूर्ति	हस्तचालित/बैलचालित के लिए लागत की 50% दर से सहायता या 2500/-रु. प्रति उपकरण तथा विद्युत चालित उपकरण के लिए लागत की 50% दर से 15000/-रु. प्रति उपकरण जो भी कम हो।
2.	कमी क्षेत्रों में लघुपोषक तत्वों की आपूर्ति	लागत की 50% से या 500 प्रति है. सहायता या जो भी कम हो।

आयल पाम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पद्धति

घटक	सहायता की पद्धति
i. पौधरोपण सामग्री	किसान के सम्पूर्ण जोत आकार के लिए लागत का 75% जिसकी सीमा 7500/-रुपये होगी।
ii. कृषि लागत	पक्वन अवधि के दौरान लागत 50% जो 15 है. तक 15500 रु. प्रति हैक्टेयर की सीमा तक होगा।
iii. ड्रिप सिंचाई	लघु, सीमान्त, अ.जा./अ.ज.जा. और महिला किसानों के लिए लागत का 50% जिसकी सीमा 7400 रु. से 93000/-रु. के बीच होगी और अन्य वर्गों के लिए 35% जिसकी सीमा 5,200/-रु. से 6500/-रु. तक होगी। प्रति लाभानुभोगी को अधिकतम 4 है. के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
iv. प्रशिक्षण, विस्तार एवं प्रचार, स्थापना एवं स्टाफ तक अन्य चालू स्कीम	प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, स्थापना और स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार और सीड उद्यान, पर्ण विश्लेषण प्रयोगशाला, स्टाफ/अधिकारियों को प्रशिक्षण और जीनोटाइप के परीक्षण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित समर्थन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
v. प्रदर्शन	किसानों के खेतों पर सामूहिक रूप से 500 है. या इससे अधिक पर नए आयल पाम पौध रोपण शुरू किए जा रहे हैं। किसानों को कृषि एवं प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन करने, पौध संरक्षण उपाय करने और आयल पाम की उत्पाद संभावना के विचार से प्रत्येक है. एक है. पर 20 प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। आयल पाम प्रदर्शनों के अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यय इस शर्त के विषयाधीन होगा कि 4-5 वर्ष की पक्वन अवधि के दौरान कृषि के लिए प्रति है. 30950/-रु. अधिकतम और पौध सामग्री के प्रति है. 10000/-रु. अधिकतम होगा। बकाया लागत यदि कोई हो तो पौध रोपण सामग्री कृषि और अन्य व्यय या तो किसानों द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा पूरे किए जा सकते हैं।
vi. डीजल पम्प सैट	लागत का 50% लेकिन अधिकतम सीमा प्रति सैट 10000/-रु. है।

घटक	सहायता की पद्धति
vii. बंजर भूमि का विकास	किसानों के स्वामित्व वाली बंजर भूमियों के विकास अथवा राज्य और केन्द्रीय सरकार अथवा सहकारी समितियों के निगमों के स्वामित्व में सरकारी भूमियों/बंजर भूमियों के विकास के लिए आवंटित राशि का 15%। इस 15% में से 25% राशि बंजर भूमियों की अवसंरचना, सिंचाई सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

आई.पी.एम. प्रदर्शनों, कृषक फील्ड स्कूल (आई.पी.एम. प्रदर्शन-सह प्रशिक्षण) के लिए सहायता पद्धति/मानक

क्र.सं.	मद	राशि रुपये में
(क)	30 किसानों और 5 ए.ई.ओ./एन.जी.ओ./लीड किसानों इत्यादि के लिए निवल को छोड़कर 150/-रु की दर से आई.पी.एम. किट (35x150)	5,250/-
(ख)	14 दिवसों के लिए प्रति दिन प्रति भागीदार 15/-रुपए की दर से 39 भागीदारों (5 ए.ई.ओ., 30 किसानों 3 प्रशिक्षकों) के लिए उसी दिन चाय/अल्पाहार	7,980/-
(ग)	पी.ओ.एल. आकस्मिक व्यय इत्यादि	2,500/-
(घ)	प्रति व्यक्ति 30/-रु. की दर से भागीदारों को आई.पी.एम. सहित्य का वितरण	1,050/-
(ङ)	कीटों/रोगों में ई.टी.एल. के पारण पर फेरोमोन्स, बीज उपचार, संकटकालीन छिड़काव इत्यादि की लागत और कोई अन्य संगत सामग्री, उपकरण	2,000/-
(च)	एक प्रदर्शन के लिए 5 स्वीप नेट्स (6 किसानों के समूह के लिए प्रति स्वीप नेट 80/-रु. की दर से 1 स्वीप नेट और 1 ए.ई.ओ.	400/-
(छ)	आई.पी.एम. कृषि दिवस आयोजित करना	–
	प्रति व्यक्ति 15/-रु. की दर से 38 भागीदारों और 62 साथी किसानों के लिए उसी दिन चाय/अल्पाहार	1,500/-
(ख)	आकस्मिकताएं, बैठक व्यवस्था और पी.ओ.एल. इत्यादि	2,000/-
	एक एफ.एफ.एस., आई.पी.एम. प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण, जिसमें 30 किसान और 5 प्रशिक्षु शामिल होते हैं, पर होने वाला कुल व्यय	22,680/-

[हिन्दी]

ब्लैकबेरी मोबाइल सेवाओं पर आपत्ति

5320. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ब्लैकबेरी मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के विरुद्ध आपत्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन सरकारी एजेंसियों ने किस-किस प्रकार की आपत्तियां की हैं; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार देश में विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा कितने सब्सक्राइबरों को ब्लैकबेरी सेवा उपलब्ध कराई जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सुरक्षा

एजेंसी ने कुछ लाइसेंसधारकों द्वारा समुचित अंतरावरोधन निगरानी प्रणाली और संदेशों की सामग्री को डी-कोड करने की सुविधा के बिना प्रॉपराइटरी प्रोटोकॉल पर ई-मेल सेवा प्रदान करने के संबंध में अपनी चिंताएं जताई हैं।

(ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार आज की तारीख तक देश में लगभग 1,14,000 उपभोक्ताओं को विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा ब्लैकबेरी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[अनुवाद]

पानी के अन्दर चलने वाले मानवरहित वाहन

5321. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) का विचार महासागर की निगरानी करके सारे देश की सुरक्षा करने हेतु मानवरहित पानी के अन्दर चलने वाले वाहनों और समुद्री सैन्य विन्यास (सी.बेड अरेज) का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मानवरहित पानी के अन्दर चलने वाले वाहनों और समुद्री सैन्य विन्यास को विकसित करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पानी के अन्दर चलने वाले वाहनों और समुद्री सैन्य विन्यास को जल्दी विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सीबेड व्यूह-रचना तथा पानी के अन्दर स्वचालित रूप से चलने वाले वाहन (ए.यू.वी.) के संबंध में आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने संबंधी परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इन चल रही प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं की दिसम्बर, 2009 तक पूरा होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

देय तारीख के बाद बिल जमा करने पर जुर्माना

5322. श्री गणेश सिंह:

श्री निहाल चन्द:

श्री महावीर भगोरा:

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की डॉल्फिन सेवा के नेटवर्क को सुदृढ बनाने के लिए नए टॉवर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने टॉवर स्थापित किए जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सेवा के बिलों को देय तारीख के बाद जमा कराने पर जुर्माना वसूलने के क्या कारण हैं जबकि पहले कोई जुर्माना नहीं लिया जाता था?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद, नौएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद शहरों सहित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) दिल्ली में जी.एस.एम. सेवाओं के लिए 120 टावरों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एम.टी.एन.एल. दिल्ली में नीति के अनुसार विलंब शुल्क वसूल किया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामदा फोन स्कीम

5323. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस कम्युनिकेशंस का विचार कर्नाटक में ग्रामदा फोन स्कीम की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम दूरसंचार विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि के दिशानिर्देशों के अंतर्गत चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोडगु, मंड्या, तुमकुर, हसन, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, कोलार, चिकबल्लापुर, उदुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों के 10,000 से अधिक गांवों में रहने वाले कुल 90 लाख लोग इस स्कीम के अंतर्गत कवर होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(छ) यह स्कीम उन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना के लिए मार्च, 2005 में मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ करार किया है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है।

(ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना के लिए कर्नाटक में कुल 180 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना के लिए इनमें से 43 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र मैसर्स आर.सी.एल. को आबंटित किए गए हैं।

(घ) कोडगु, मंड्या, तुमकुर, हासन, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, कोलार, चिकबल्लापुर और दक्षिण कन्नड़ के गौण स्विचन क्षेत्रों/अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों के अधीन गांवों में रहने वाले लोग इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं।

(ङ) और (च) ये ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें 2001 की जनगणना के अनुसार वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि और मैसर्स आर.सी.एल. के बीच हुए करार में विहित प्रशुल्क पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि 01-04-2005 और 31-03-2009 के बीच संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए अग्रिम आर्थिक सहायता के रूप में सहायता प्रदान करती है। समीकृत वार्षिक आर्थिक सहायता जहां देय है, करार की वैद्यता की अधिकतम अवधि तक प्रदान की जाएगी, जो मार्च, 2010 को समाप्त हो जाएगा।

(छ) यह स्कीम पहले ही, 01-04-2005 से शुरू की जा चुकी है। मैसर्स आर.सी.एल. ने 01-4-2005 से 31-03-2007 की अवधि के दौरान कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में इसको आबंटित 43 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में अब तक 1,28,288 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराई हैं।

बनाना शर्ट

5324. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के प्लांटइन फाइबर उत्पादों से निर्मित "बनाना शर्ट" की निर्यातकों में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने इसके उत्पादन और बिक्री को सुधारने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रोयजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों हेतु दिशानिर्देश

5325. श्री जी.एम. सिद्‌दीश्वर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में इस समय राज्यवार कितनी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 31-12-2005 की स्थिति के अनुसार, 918 निजी नियोजन एजेंसियां कार्य कर रही थीं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित की गई निजी नियोजन एजेंसियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) रोजगार चाहने वालों के हितों की रक्षा हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 30-10-2003 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निजी नियोजन एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

निजी नियोजन एजेंसियों के कार्यकरण की सूचना देने वाले राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम	निजी नियोजन एजेंसियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	48
2.	कर्नाटक	41
3.	पंजाब	32
4.	असम	29
5.	पश्चिम बंगाल	32
6.	मध्य प्रदेश	15
7.	हरियाणा	25
8.	जम्मू-कश्मीर	11
9.	गुजरात	60
10.	केरल	48
11.	तमिलनाडु	32
12.	महाराष्ट्र	254
13.	पांडिचेरी	3
14.	उड़ीसा	4
15.	राजस्थान	83
16.	उत्तर प्रदेश	74
17.	उत्तरांचल	2
18.	बिहार	69
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	56
	कुल	918

विवरण-II

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30-10-2003 के पत्र संख्या डी.जी.ई.टी.-एम-27014/2/2003-ई.ई.-I द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों हेतु दिशा-निर्देश।

i. निजी नियोजन एजेंसियां, उन एजेंसियों के रूप में परिभाषित हैं, जो देश में श्रम बाजार की विशिष्ट नियोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनमें उन एजेंसियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ii. निजी नियोजन एजेंसियों को राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के नामोद्दिष्ट प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। ऐसी एजेंसियों के पंजीकरण हेतु, रोजगार चाहने वालों के हितों की रक्षा हेतु यदि राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार आवश्यक समझती है, तो प्रतिभूति राशि जमा कराना आवश्यक होगा।

iii. ऐसी एजेंसियों को कमोबेश नियमित रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए।

iv. निजी नियोजन एजेंसियां इस बात का पर्याप्त ध्यान

रखेंगी कि नियोजन गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए न हो।

v. नियोजन हेतु निजी नियोजन एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके पास पंजीकृत रोजगार चाहने वालों के प्रोफाइल के साथ नियोजकों की आवश्यकताओं की अनुरूपता के माध्यम से नियोजन सेवाएं प्रदान करें। अतः ऐसे मामलों में निजी नियोजन एजेंसियों को रोजगार चाहने वालों से उचित सेवा प्रभार, जो रोजगार चाहने वाले के प्रथम माह के वेतन से अधिक न हो, लेने की अनुमति देनी होगी। तथापि, निजी नियोजन एजेंसियों को रोजगार चाहने वालों से प्रारंभिक सेवा प्रभारों को पूरा करने के लिए पंजीकरण प्रभारों के रूप में 100/-रु. से अधिक लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

vi. नियोक्ता द्वारा निजी नियोजन एजेंसियों को सेवा प्रभार के किए गए भुगतान को पारदर्शी रखा जा सकता है क्योंकि यह नियोक्ता व निजी नियोजन एजेंसियों के मध्य एक पारस्परिक करार है। तथापि यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि नियोक्ता द्वारा नियोजन सेवाओं हेतु निजी नियोजन एजेंसियों को किए गए किसी भी भुगतान के प्रभार की राशि रोजगार चाहने वाले के मासिक वेतन की दर को प्रभावित न करे।

vii. निजी नियोजन एजेंसियां रोजगार चाहने वालों का डेटाबेस तैयार करेंगी जिसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्त पर राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा नियंत्रित रोजगार कार्यालयों को तथा विलोमत उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

viii. निजी नियोजन एजेंसियों के कार्यकरण पर इन दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के रोजगार विभाग को प्राधिकृत किया जाए तथा दोनों एजेंसियों को मिल-जुल कर कार्य करना चाहिए।

ix. निजी नियोजन एजेंसियों को विनियमन करते समय, संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सार्वजनिक एवं निजी नियोजन एजेंसियों के मध्य अन्तर कार्रवाई की अपनी प्रणाली विकसित करेंगे।

x. निजी नियोजन एजेंसियों द्वारा किए गए उल्लंघन की स्थिति में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार को पंजीकरण रद्द करने के अलावा उसकी प्रतिभूति जमाराशि जब्त करने का अधिकार होगा।

xi. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा निर्धारित रोजगार चाहने वालों के पंजीकरण एवं नियोजन से जुड़ी सांख्यिकी सूचना देना निजी नियोजन एजेंसियों के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के प्राधिकृत व्यक्तियों को उन नियोक्ताओं, जिन्हें निजी नियोजन एजेंसी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, के नामों को जानने का अधिकार होगा।

xii. शिकायतों अथवा विवादों का निपटारा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा घोषित किसी नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा किया जाए।

xiii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा नामोद्दिष्ट प्राधिकरण तथा संबंधित नियोजन एजेंसियों के मध्य करार पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

xiv. सरकार के नामोद्दिष्ट प्राधिकरण के यहां पंजीकृत निजी नियोजन एजेंसियां स्पष्ट ढंग से अपनी पंजीकरण संख्या तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे दर्शाएंगी।

xv. यदि पंजीकृत निजी नियोजन एजेंसियों की अन्य राज्यों में शाखाएं होंगी, तो उन्हें संबंधित राज्य (यों)/संघ राज्य क्षेत्र (ों) के नामोद्दिष्ट प्राधिकरण के साथ पृथक करार (रों) में शामिल होने की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

किसान कॉल सेंटर

5326. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर झारखंड में राज्य-वार कितने किसान कॉल सेंटर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे सेंटर किसानों को पर्याप्त जानकारी प्रदान करें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) किसान काल सैन्टर (के.सी.सी.) देश के 14 स्थानों में कार्यशील हैं। प्रत्येक केन्द्र द्वारा कवर किए गए राज्य और 14 केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। वर्तमान में झारखंड राज्य की कोलकाता में अवस्थित किसान काल सैन्टर के माध्यम से सेवा की जा रही है। तथापि, केवल झारखंड के किसानों की सेवा करने के लिए रांची में किसान काल सैन्टर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जो विद्यमान 14 के सी.सी. को बढ़ाकर 28 स्थानों पर उनका विस्तार करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के भाग के रूप में है।

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि ऐसे केन्द्र किसानों को निम्न प्रकार से पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराते हैं:-

(i) वर्तमान में 14 के.सी.सी. में 144 काल सैन्टर एजेन्ट कार्यरत हैं जो 21 स्थानीय बोलियों में किसानों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

(ii) यदि काल सैन्टर एजेन्ट (स्तर-I पर) किसानों के प्रश्नों का पूरा उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं तो कालों को स्तर-II में भेज दिया जाता है (संख्या में, 128, राष्ट्रव्यापी) जहां कृषि विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञ किसानों को सीधे उत्तर देते हैं. स्तर II के 128 विशेषज्ञों में से 2 झारखंड राज्य में अवस्थित हैं।

(iii) किसान काल सैन्टर चलाने के लिए तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा उद्दिष्ट 20 नोडल अधिकारियों द्वारा काल सैन्टर एजेंटों के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है।

(iv) इसके अतिरिक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग ने किसान ज्ञान प्रबंधन पद्धति (के.के.एम.एस.) के रूप में डाटा संरचना का विकास करने के लिए पहल भी शुरू कर दी है और फसलों, बागवानी, कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा संबंधी प्रथाओं के विभिन्न पैकेजों पर डाटा-बैंक उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। सूचना बैंक के रूप में किसान काल सैन्टर को सहायता देने के लिए डाटा संरचना तैयार की जाती है। के.के.एम.एस. किसानों के प्रश्नों का तत्काल सही उत्तर देने के लिए किसान काल सैन्टर एजेंटों की मदद करते हैं।

(v) किसान काल सैंटरों के कार्यकलापों का प्रबोधन करने के लिए, एक राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति (एस.एल.एम.सी.) का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष, सचिव (कृषि), तथा सदस्य के रूप में, कृषि एवं सहायक विभागों के निदेशक, स्थानीय बी.एस.एन.एल. कार्यालय के प्रतिनिधि, के.सी.सी. के संबंधित नोडल अधिकारी होंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रचार एवं कनैक्टीविटी से संबंधित विषयों का पता लगायेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए के.सी.सी. के एजेंटों के उत्तरों की प्रमाणिकता और परिशुद्धता का भी पता लगाते हैं।

(vi) किसानों में "1551" टोल मुक्त संख्या को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न साधनों जैसे मुद्रित पोस्टकार्डों, अंतर्देशीय पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जाता है और स्थानीय प्रचार जिला एवं खंड स्तर पर ए.टी.एम.ए. के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

किसान काल सेन्टरों के ब्योरे

क्र. सं.	किसान काल सेन्टर का स्थल	कवर किए गए राज्य और संघ शासित क्षेत्र
1	2	3
1.	मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा और दमन और दीव
2.	कानपुर	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल
3.	कोची	केरल और लक्षद्वीप समूह
4.	बंगलौर	कर्नाटक
5.	चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
7.	चण्डीगढ	चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब
8.	जयपुर	राजस्थान
9.	इन्दौर	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ
10.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखण्ड

1	2	3
11.	गुवाहाटी	त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम
12.	अहमदाबाद	गुजरात और दादर एवं नगर हवेली
13.	दिल्ली	दिल्ली एवं हरियाणा
14.	जम्मू	नवम्बर, 2006 से जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र

[अनुवाद]

महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

5327. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थानों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण मुख्यतया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी एवं निजी) में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, अनेक राज्य/संघ शासित सरकारों ने 264 सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (डब्ल्यू.आई. टी.आई.), 95 निजी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.सी.), सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 685 महिला विंग तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में 108 महिला विंगों की स्थापना की है जिनमें कुल प्रशिक्षण सीटों की संख्या 49,336 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय तथा विभिन्न राज्यों में 10 क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। ये संस्थान नोएडा, मुंबई, बंगलौर, तिरुवनंतपुरम, हिसार, इंदौर, कोलकाता, तुरा, इलाहाबाद, वडोदरा तथा जयपुर में स्थित हैं।

तथापि, वर्तमान में महिलाओं हेतु, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षण हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (डब्ल्यू.आई.टी.आई.) तथा विंगों का राज्यवार वितरण

(आंकड़े अक्तूबर 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	सरकारी		निजी		योग	कुल सीटें
	म.औ.प्र. सं.	सामान्य औ.प्र. सं. में महिला प्र. विंग	म.औ.प्र. सं.	निजी औ.प्र. सं. में महिला प्र. विंग		
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
दिल्ली**	3	7	29	2	41	2760
हिमाचल प्रदेश	16	शून्य	शून्य	शून्य	16	1140

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	8	5	4	शून्य	17	928
चंडीगढ़	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	280
उत्तर प्रदेश	11	48	8	शून्य	67	3852
उत्तरांचल	4	5	शून्य	शून्य	9	560
हरियाणा	31	शून्य	8	शून्य	39	2460
पंजाब	38	32	शून्य	शून्य	70	4564
जम्मू-कश्मीर**	10	44	शून्य	शून्य	54	1246
कुल	**122**	**141**	**49**	**2**	**314**	**17790**
दक्षिण क्षेत्र						
कर्नाटक	17	शून्य	11	शून्य	28	2260
केरल	8	शून्य	1	शून्य	9	1334
तमिलनाडु	12	3	12	शून्य	27	2568
आंध्र प्रदेश**	23	10	4	17	54	3980
पांडिचेरी	2	1	शून्य	शून्य	3	232
लक्षद्वीप	शून्य	0	शून्य	शून्य	0	0
कुल	**62**	**14**	**28**	**17**	**121**	**10374**
पूर्वी क्षेत्र						
नागालैंड	1	0	शून्य	शून्य	1	112
मेघालय	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	52
बिहार**	7	शून्य	शून्य	शून्य	7	432
झारखंड	6	शून्य	शून्य	शून्य	6	544
पश्चिम बंगाल	4	12	1	शून्य	17	640
उड़ीसा	10	शून्य	5	शून्य	15	928
असम	5	5	1	शून्य	11	864
मणिपुर**	1	7	शून्य	शून्य	8	192

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0
त्रिपुरा	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	116
अंडमान निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0
अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	80
सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0
कुल	**37**	**24**	**7**	**0**	**68**	**3960**
पश्चिम क्षेत्र						
गुजरात	6	24	3	शून्य	33	2160
मध्य प्रदेश	14	शून्य	शून्य	शून्य	14	846
छत्तीसगढ	8	5	शून्य	शून्य	13	488
महाराष्ट्र	15	476	8	89	588	13702
दादरा व नगर हवेली	शून्य	1	शून्य	शून्य	1	16
गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0
दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0
कुल	**43**	**506**	**11**	**89**	**649**	**17212**
कुल योग	264	684	95	108	1152	49336

**आंकड़े अक्तूबर 2006 से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

5328. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से अधिकारियों तथा सैनिकों ने सेवानिवृत्ति से पहले सशस्त्र सेनाओं को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अधिकारियों द्वारा सेना छोड़ने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा सेनाओं में शारीरिक मानकों में छूट देना

5329. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेनाओं में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु शारीरिक मानकों में छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) इस समय रक्षा सेनाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु शारीरिक मानकों में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. की असंतोषजनक मोबाइल सेवा

5330. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार किन-किन क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में मोबाइल टेलीफोन सेवा के दायरे में कितनी जनसंख्या आती है;

(ख) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में मोबाइल टेलीफोन सेवा के विस्तार तथा विकास कार्य का ब्यौरा क्या है, जो सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या देश में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल टेलीफोन सेवा असंतोषजनक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के अधिकारियों के कार्यकरण के बारे में कोई समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में समीक्षा का क्या परिणाम निकला?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्तमान में देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में मोबाइल की सुविधा है। दिनांक 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार उत्तर-प्रदेश में मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 27820571 है। मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की सेवा क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जनवरी, 2008 में 120 नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस जारी किए, जिससे सुविधा रहित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस की प्रभावी तिथि के तीन वर्षों के भीतर, सेवा क्षेत्र में 50% जिला मुख्यालयों में सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इन सेवाओं की शुरुआत के लिए शीघ्र कार्रवाई हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं और 27 राज्यों में फैले 500 जिलों में, जहां वर्तमान में फिक्स्ड बेतार या मोबाइल सुविधा नहीं है, 7871 अवसंरचना स्थलों (टॉवरों) की स्थापना और प्रबंधन के लिए स्कीम हेतु, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 587.88 करोड़ रु. की कुल इमदाद सहायता प्रदान की जा रही है। 1 जून, 2007 से प्रभावी करारों पर मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए तथा वर्ष 2008 के अंत तक चरणबद्ध रूप में इन टॉवरों से मोबाइल सेवाएं चालू किए जाने की संभावना है। 29 फरवरी, 2008 तक इस स्कीम के तहत 150 टॉवर स्थापित कर लिए गए हैं। इसके अलावा बी.एस.एन.एल. की वर्ष 2008-09 के दौरान केवल उत्तर प्रदेश में 12.3 लाख उपभोक्ताओं सहित 126 लाख सेलुलर मोबाइल उपभोक्ता जोड़ने की अनंतिम योजना है। भारती एयरटेल की वर्ष 2008-09 के दौरान 8 मोबाइल स्विचिंग केन्द्र, 4802 रिसीव साइट संस्थापित करने की योजना है। अन्य प्रचालकों की भी ऐसी ही विस्तार योजनाएं हैं।

(ग) और (घ) बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की गई मोबाइल टेलीफोन सेवा सामान्यतः संतोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है, तथा यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित सेवा-गुणवत्ता मापदण्डों को पूरा कर रही है। तथापि, कुछ स्थानों पर कभी-कभी इसके नेटवर्क में संकुलन देखा गया है जिसके लिए बी.एस.एन.एल. ने अपने नेटवर्क में संवर्धन के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। इससे कवरेज क्षमता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नेटवर्क को इसके निष्पादन हेतु सतत रूप से अनुकूलतम भी बनाया जा रहा है तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित सेवा-गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार निष्पादन

की सुनिश्चितता हेतु बी.एस.एन.एल. द्वारा नेटवर्क की मॉनीटरिंग को सुदृढ बनाया गया है।

(ङ) और (च) बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों के क्रियाकलापों का सतत रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है तथा उनका निष्पादन बहुत संतोषपूर्ण है जिससे पूरे देश में बी.एस.एन.एल. के नेटवर्क में समग्र रूप से सकारात्मक वृद्धि हुई है।

विवरण

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	बेतार उपभोक्ता
1.	अंडमान और निकोबार	55494
2.	आंध्र प्रदेश	19810366
3.	असम	3592354
4.	बिहार	10388353
5.	छत्तीसगढ	654847
6.	गुजरात	16211925
7.	हरियाणा	6179875
8.	हिमाचल प्रदेश	2212545
9.	जम्मू-कश्मीर	2102832
10.	झारखंड	608976
11.	कर्नाटक	16557489
12.	केरल	11235384
13.	मध्य प्रदेश	11960691
14.	महाराष्ट्र	19945315
15.	पूर्वोत्तर-I	1632716
16.	पूर्वोत्तर-II	369739
17.	उड़ीसा	4891886
18.	पंजाब	11398714
19.	राजस्थान	13073180
20.	तमिलनाडु	17622540
21.	उत्तराखंड	663113
22.	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	15551768
23.	उत्तरप्रदेश - (पश्चिम)	11605690
24.	पश्चिम बंगाल	8945353
25.	कोलकाता "मेट्रो"	7594970
26.	चेन्नै "मेट्रो"	6866958
27.	दिल्ली "मेट्रो"	15910382
28.	मुंबई "मेट्रो"	13288338
	संपूर्ण भारत	250931793

[अनुवाद]

नेबरहुड एपारेल एण्ड टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर जॉब एश्योरेंस

5331. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने नेबरहुड एपारेल एण्ड टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर जॉब एश्योरेंस (एन.ए.टी.आई.जे.ए.) चल रहे हैं;

(ख) एन.ए.टी.आई.जे.ए. के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान एन.ए.टी.आई.जे.ए. के अंतर्गत राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए तथा ग्यारहवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में कितने लोगों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तारीख तक इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित, जारी तथा खर्च की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) "नेबरहुड अपैरल एंड टेक्सटाइल रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर जॉब एशोयरेंस (नतीजा)" योजना मूल परिधान विनिर्माण

प्रौद्योगिकी में रोजगार से संबद्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बनाई गई है। यह योजना अगले 4-5 वर्षों में परिधान उद्योग में अपेक्षित 4 मिलियन प्रशिक्षित कामगारों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुविधा रहित वर्गों को लाभप्रद रोजगार देने के लिए संपूर्ण देश में जिला और उप जिला स्तरों पर प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करना है। प्रारंभ में ऐसे सरकारी क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए और निजी क्षेत्र में विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पी.एस.सी.), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.), पोलिटेक्निक, बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यू. एस.सी.), वस्त्र अनुसंधान संघों (टी.आर.ए.), अपैरल प्रशिक्षण और डिजायन केन्द्रों (ए.टी.डी.सी.) आदि सहित मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों पर विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य बदलते वैश्विक बाजार परिदृस्य में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप अवसंरचना का उन्नयन करके मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन/पूर्वाभिमुखीकरण करना है। मांग को पूरा करने के लिए नए प्रशिक्षण केन्द्रों के सृजन पर बाद में विचार किया जा सकता है। चूंकि, इस योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है इसलिए इस समय कोई और ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव कृषि

5332. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने जैव कृषि हेतु राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण के प्रत्यायन के लिए ए.पी.ई.डी.ए. को एक प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) गुजरात राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी (जी.एस.एस. सी.ए.) ने 2006 में अपने क्रियाकलापों का जैविक उत्पादों के प्रमाणन में विविधीकरण करने के लिए रूचि दिखाई थी। चूंकि जी.एस.एस.सी.ए. एक प्रमाणन निकाय बनने के लिये अर्हक नहीं हो सका, इसलिये कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने जैविक उत्पादों के लिये प्रमाणन कार्यक्रम की स्थापना में दो वर्षों के लिये जी.एस.एस.सी.ए. के तीन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही शुरू की है।

(ख) मई, 2006 तथा सितम्बर, 2007 के बीच विदेश (इटली तथा जर्मनी) में एक और भारत में 5 प्रशिक्षण आयोजित किये गये। प्रशिक्षण में आई.एस.ओ.-65 के अनुसार जैविक प्रमाणन कार्यक्रम की स्थापना की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। प्रशिक्षण के पश्चात तीन प्रशिक्षित अधिकारी जी.एस.एस.सी.ए. के लिये वर्तमान में प्रमाणन कार्यक्रम में कार्यरत हैं।

(ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) के तहत अपेक्षायें पूरी करने पर जी.एस.एस.सी.ए. निर्यात के लिये जैविक उत्पादों के प्रमाणन हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकता है।

जंगली मशरूम की खपत

5333. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के विभिन्न जिलों में अज्ञात मशरूम की खपत के कारण अनेक लोगों की मृत्यु के मद्देनजर इस प्रकार की मशरूम की खपत रोकने के लिए विभिन्न राज्यों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुदेशों पर असम तथा अन्य राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) असम सरकार ने जंगली एवं जहरीली मशरूम की खपत के कारण होने वाली मौतों की जांच करने के लिए पहले से ही विशेषज्ञ दल जिसमें असम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी शामिल हैं, भेज दिया है।

असम कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर असम सरकार ने सभी जिला प्राधिकारियों को पहले से निर्देश जारी कर दिये हैं कि लोगों को परामर्श दें कि जंगली एवं अज्ञात मशरूमों की खपत न करें।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. के कार्यालयों में घोटाले का पर्दाफाश

5334. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने महाराष्ट्र में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के कार्यालयों में छापे मारने के पश्चात् 27 लाख रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है जैसाकि दिनांक 19 मार्च, 2008 के "दैनिक भास्कर" नागपुर संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य प्रकाशित हुए थे;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की कोई आधिकारिक जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो क्या बी.एस.एन.एल. टॉवर अनुरक्षण घोटाले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। सी.बी.आई. नागपुर ने दिनांक 18-3-2008 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) से कुछ दस्तावेज मांगे हैं और यह बताया है कि आर.सी. 11 (ए)/07-एन.जी.पी. के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

(ख) (i) सी.बी.आई. नागपुर शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 120 (ख) और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 13(1) (घ) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत (1) श्री एन.पी. पराटे, उप महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल., यावतमाल (2) श्री पी.एल. वाडेकर, मुख्य लेखा अधिकारी, बी.एस.एन.एल., यावतमाल (3) श्री एम.एम. खिरातकर, प्रभागीय इंजीनियर, बी.एस.एन.एल., यावतमाल और (4) मैसर्स महेश कंसट्रक्शन, इंदौर के स्वामी के विरुद्ध दिनांक 31-12-2007 को एक नियमित मामला आर.सी. 11 (ए)/07 एन.जी.पी. पंजीकृत किया गया था।

(ii) संक्षिप्त आरोप यह है कि केबल के स्तंभों को रंगने और गाड़ने के कार्य के संबंध में आरोपित सरकारी कर्मचारियों ने एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ बी.एस.एन.एल. से धोखाधड़ी करने के लिए अपराधिक षडयंत्र किया और गलत तरीके से बी.एस.एन.एल. यावतमाल को लगभग 27.31 लाख रुपए की हानि पहुंचाई। मामले के पंजीकरण के पश्चात दिनांक 13-03-2008 और 15-3-2008 को सरकारी कर्मचारी सर्व/श्री एम.एम. खिरातकर, प्रभागीय इंजीनियर (केंद्रीय) बी.एस.एन.एल. नागपुर, पी.एल. वाडेकर, मुख्य लेखा अधिकारी, औरंगाबाद और प्राइवेट व्यक्ति अर्थात श्री संतोष कुमार राजपुर, इंदौर और विशाल जैन, यावतमाल के घरों और कार्यालय परिसरों की तलाशी ली गई।

(iii) सी.बी.आई. द्वारा जांच जारी है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं, सी.बी.आई. अभी भी मामले की जांच कर रही है।

बनारसी साड़ियों का निर्यात एवं विकास

5335. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी और भदोही जिलों में निर्मित प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों के निर्यात एवं वाणिज्यिक विकास हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) देश में तथा विदेशों में बनारसी साड़ियों की मांग एवं आपूर्ति कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी और भदोही सहित देश भर से बनारसी साड़ियों सहित हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के ध्येय से 10वीं योजना के दौरान हथकरघा निर्यात योजना के नाम से एक योजना संचालित की गई थी। 11वीं योजना में "विपणन और निर्यात संवर्धन योजना" के नाम के तहत कतिपय परिशोधनों के साथ इस

योजना को जारी रखा गया है। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में प्रतिभागिता द्वारा डिजाइन नवीकरण तथा उत्पाद विविधीकरण और उनके अंतर्राष्ट्रीय विपणन के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य रेंज विकसित करने के लिए पात्र एजेंसियों को सहायता देने की व्यवस्था है। तथापि, मुख्य रूप से बनारसी साड़ियों का निर्यात प्राइवेट निर्यातकों द्वारा किया जाता है। सरकार बनारसी साड़ियों का सीधे निर्यात नहीं करती है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना के तहत 75 निर्यात परियोजनाओं और 50 अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान 7 अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता के लिए 197.56 लाख रुपये तथा 10 वर्तमान निर्यात परियोजनाओं और एक नई निर्यात परियोजना के लिए 37.58 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

पिछले दो वर्षों के दौरान सामान्य रूप से हथकरघा निर्यात योजना के अंतर्गत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को प्रदत्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	अन्य राज्य	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में प्रतिभागिता हेतु	कुल
2006-07	*85.80 रुपये	74.39 रुपये	289.45 रुपये	449.64 रुपये
2007-08	*10.10 रुपये	27.48 रुपये	197.56 रुपये	235.14 रुपये

*वर्ष 2006-07 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को निर्यात परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशि कुल धनराशि का 53.56 प्रतिशत है और वर्ष 2007-08 में यह 26.87 प्रतिशत है।

सिल्क वस्त्र जिसमें साज समान वाले वस्त्र, साड़ियां तथा पर्दा कुसन आदि जैसे अन्य तैयार परिधान शामिल हैं, के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों और नई दिल्ली में टैक्स स्टाइलस इंडिया फेयर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि यू.एस.ए. अथवा इ.यू. में साड़ियों के निर्यात का क्षेत्र बहुत सीमित है लेकिन पर्याप्त संख्या में वाराणसी के निर्यातक विभिन्न उपयोग के वस्त्रों जैसे वस्तुओं को बेचने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के बैनर तले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में वाराणसी सहित देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया था:-

(1) हांगकांग हाउसवेयर मेला, हांगकांग - अप्रैल, 2006

(2) ईवटेक्स फेयर, 2006, इस्तानवुल, तुर्की-मई, 2006

(3) 17वां भारतीय गृह साज-सज्जा मेला, ओसाका, जापान-मई, 2006

(4) डोमोटेक्स मध्य पूर्व, दुबई, यू.ए.ई., मई, 2007

(5) टी.आई.पी. फेयर, 2006, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, सितम्बर, 2006

(6) टाईट्स फेयर-2006, ताइपे, ताइवान-अक्तूबर, 2006

(7) फैटेक्स, फेयर 2006 पेरिस, फ्रांस-नवम्बर, 2006

(8) स्प्रिंग फेयर, बरमिंघम, यू.के.-फरवरी, 2007

(9) हीमटेक्सटिल इंडिया, मुम्बई-अक्तूबर, 2006 और 2007

(10) टैक्स-स्टाइल्स, इंडिया फेयर, नई दिल्ली, फरवरी/मार्च, 2007 और 2008

(11) भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला (शरदकालीन) 2006 अक्तूबर, 2006 और 2007

(12) भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला बसंत)-मार्च, 2007 और 2008

(13) ग्लोबल होम टैक्सटाइल्स फेयर, यू.एस.ए.-मई 2007

(14) प्रेट-ए-पोर्टर फेयर, 2007-सितम्बर, 2007

भारतीय सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद निर्यातकों/बुनकरों को सिल्क नेट एवं अन्य प्रकाशनों के माध्यम से अद्यतन फैशन/रंग प्रवृत्तियों से अवगत कराता है और अद्यतन निर्यात प्रवृत्तियों इत्यादि की जानकारी हेतु संगोष्ठी आयोजित करता है।

(ङ) बनारसी साड़ियों की मांग और पूर्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्यात के आंकड़े व्यापक उत्पाद ग्रुप अर्थात् "साड़ियां" के अंतर्गत रखे जाते हैं और उन्हें साड़ियों की बुनाई की विभिन्न शैलियों/तकनीक के अनुसार नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की सघनता

5336. श्री पी.सी. थामस: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में कुल कितने ब्रॉडबैंड कनेक्शन जारी किए गए हैं तथा दूरभाष केन्द्रवार इनकी आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार की कोई भावी योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की राज्यवार सघनता कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार, केरल में लगभग 1.83 लाख ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। केरल सर्किल के लिए, बी.एस.एन.एल. ने वर्ष 2008-09 के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए 5,11,272 ब्रॉडबैण्ड पोर्ट तथा 643 गांवों को कवर करने के लिए 24,000 पोर्ट प्रदान करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, 31-03-2009 तक 700 एक्सचेंजों को ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी। यह विभाग राज्य-वार आंकड़े तैयार करता है। राज्य-वार ब्रॉडबैण्ड कनेक्शनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं का राज्य-वार ब्यौरा
(मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ता (13-03-2008 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	1725
2.	आंध्र प्रदेश	294111
3.	असम	21538
4.	बिहार (झारखंड सहित)	52779
5.	दिल्ली*	431377
6.	गुजरात	249785
7.	हरियाणा	58616
8.	हिमाचल प्रदेश	12514
9.	जम्मू-कश्मीर	13444
10.	कर्नाटक	421392
11.	केरल	183506
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	809982
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	112686
14.	पूर्वोत्तर**	7400
15.	उड़ीसा	32321
16.	पंजाब	131750
17.	राजस्थान	94110
18.	तमिलनाडु	499442
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	170966

1	2	3
20.	पश्चिम बंगाल	206595
	जोड़	3806039

*नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद शामिल हैं।

**मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा शामिल हैं।

[हिन्दी]

बर्ड फ्लू का संक्रमण

5337. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुर्गियों के साथ-साथ अन्य पक्षी भी बर्ड फ्लू से प्रभावित पाए गए हैं; और

(ख) बर्ड फ्लू के मुख्य लक्षण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) बर्ड फ्लू से प्रभावित पक्षियों की अचानक मृत्यु हो सकती है या उनमें निम्नलिखित विभिन्न लक्षण (इनमें से एक या सभी) देखे जा सकते हैं:-

(1) समन्वय की कमी (जिसमें चलने और सीधे खड़े होने की असमर्थता शामिल है)

(2) उत्कुंचित पंख

(3) सांस लेने में कठिनाई

(4) भूख न लगना

(5) अवसाद और कुम्हलाना

(6) लोलकी और कलगी का नीला पड़ना

(7) माथा, पलक, कलगी, लोलकी, हाक्स की एडीमा और सूजना

(8) पानी जैसा अतिसार

(9) पिन-पॉएंट हेमोरेज (अधिकतर पैर और जंघों में देखा जाता है।)

(10) नाक और चोंच से खून या पानी जैसा रिसाव

(11) अंडा उत्पादन में अचानक कमी

(12) अंडों के खोल नरम या विकृत रूप में होना।

ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. सेवा

5338. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के विस्तार के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा उपलब्ध नहीं है तथा खराब कवरेज की वजह से जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश भर में 2642 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में से 2580 क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप सेवाएं प्रदान कर दी हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा पर्याप्त कवरेज से लोगों को आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे है:

(i) कवरेज को सुदृढ़ बनाने के लिए बी.एस.एन.एल. ने अपने नेटवर्क में 2007-08 के दौरान 20 लाख लाइनें (2949 टावर) बढ़ाई है।

(ii) कुछ ऐसे अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को छोड़कर जो कि तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हैं, अधिकांश अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को जून, 2008 तक डब्ल्यू.एल.एल. सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों हेतु मोबाइल वैन स्कीम

5339. श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार, उन महानगरों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन बिलों के भुगतान हेतु मोबाइल वैन स्कीम शुरू की गयी है;

(ख) क्या देश के अन्य भागों विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिलों के संग्रहण हेतु मोबाइल वैन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) आज की तारीख के अनुसार टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए किसी भी महानगर में मोबाइल वैन योजना नहीं चल रही हैं।

(ख) से (घ) बैंकों, डाक घरों, फ्रैंचाइजी और अन्य साधन जैसे कि क्रेडिट/डेबिट कार्डों, मोबाइल फोनों आदि के माध्यम से ऑन लाइन भुगतान सहित पर्याप्त संख्या में संग्रहण केन्द्र उपलब्ध होने के कारण प्रचालकों द्वारा मोबाइल वैन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आधुनिक कताई और बुनाई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

5340. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधुनिक कताई और बुनाई प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन पर राज्यवार और वर्षवार कितनी निधियां आवंटित, जारी व खर्च की गयी हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु राज्यवार और वर्षवार कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी सहायता से वस्त्र उद्योग को कितना लाभ पहुंचा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) सरकार, दो योजनाओं के तहत आधुनिकी वीविंग एवं नीटिंग प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) के तहत साझी अवसंरचना, साझी सुविधाओं और फैक्ट्री भवन के लिए 40 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत के 40% की दर से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के तहत मशीनरी की खरीद के लिए ऋणदाता एजेंसी द्वारा लिए गए सामान्य ब्याज पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा, विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी के लिए टी.यू.एफ.एस. के तहत 10% पूंजी सब्सिडी भी दी जाती है।

(ग) एस.आई.टी.पी. के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:-

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	वर्ष वार जारी की गई निधियां (करोड़ रु. में)			
		2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	5	0.00	12.74	49.92	62.66
बिहार	1	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	7	8.00	8.00	64.00	80.00
कर्नाटक	1	0.00	2.12	10.62	12.74

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	5	4.82	6.89	45.39	57.10
पंजाब	1	0.00	0.00	4.00	4.00
राजस्थान	3	0.00	3.87	15.75	19.62
तमिलनाडु	6	5.73	5.39	40.91	52.03
पश्चिम बंगाल	1	0.00	4.00	8.00	12.00
कुल	30	18.55	43.01	238.59	300.15

टी.यू.एफ.एस. के तहत वर्ष-वार जारी की गई निधियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1,00	70.00	198.894	202.59	249.06	283.604	485.00	823.92	1143.37

टी.यू.एफ.एस. के तहत वर्ष-वार

नोट: राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष 2008-09 के बजट में एस.आई.टी.पी. के तहत 450 करोड़ रु. और टी.यू.एफ.एस. के तहत 1090 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(घ) एस.आई.टी.पी. के तहत अब तक स्वीकृत किए गए तीस (30) वस्त्र पार्कों में 17000 करोड़ रु. (अनुमानित) का निवेश, वार्षिक रूप से 27000 करोड़ रु. का वस्त्रों का उत्पादन और पांच (5) लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सुकर होंगे।

1999-2000 से 2006-07 के दौरान टी.यू.एफ.एस. में 93,447 करोड़ रु. का निवेश हुआ जिसमें वीविंग क्षेत्र में 14,198 करोड़ रु. नीटिंग क्षेत्र में 2894 करोड़ रु. और प्रसंस्करण क्षेत्र में 9325 करोड़ रु. का निवेश शामिल है।

एल.आई.सी. में कर्मचारी मजदूर संघ

5341. डा. के.एस. मनोज: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) में कर्मचारी मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त कुछ कर्मचारी मजदूर संघ सरकार द्वारा पंजीकृत/मान्यताप्राप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एल.आई.सी. के इन कर्मचारी मजदूर संघों को पंजीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि जीवन बीमा निगम में निम्नलिखित कर्मचारी मजदूर संघ विद्यमान हैं।

1. फैडरेशन ऑफ एल.आई.सी. ऑफ इंडिया क्लास-I आफिसर्स एसोसिएशन (क्लास-I फैडरेशन)।
2. नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस आफिसर्स (एन.ओ.आई.एन.ओ.)।

3. नेशनल फैडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया (एन.ए.आई.एफ.डब्ल्यू.आई.)।

4. ऑल इंडिया इश्योरेंस इम्प्लाइज एसोसिएशन (ए.आई.आई.ई.ए.)।

5. ऑल इंडिया एल.आई.सी. इम्प्लाइज फैडरेशन (फैडरेशन)।

6. भारतीय बीमा कर्मचारी सेना (कर्मचारी सेना)।

7. नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स (एन.ओ.आई.डब्ल्यू.)।

8. ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस इम्प्लाइज फैडरेशन (इंटक)।

9. ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस इम्प्लाइज फैडरेशन (एल.आई.एफ.ई.)।

10. अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ (क्लास-IV यूनियन)।

(ख) और (ग) मजदूर संघ का पंजीकरण व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926, जिसके अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन मजदूर संघों को पंजीकृत करने के लिए मजदूर संघों के पंजीयक नियुक्त किए जाते हैं जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करते हैं, के अंतर्गत कवर किया जाता है।

एल.आई.सी. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, वर्तमान में एल.आई.सी. में किसी भी संघ को मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्ष 1966 में, श्रम मंत्रालय द्वारा सदस्यता का सत्यापन कराया गया था। सत्यापन के आधार पर, ऑल इंडिया इंश्योरेंस इम्प्लाइज एसोसिएशन (ए.आई.आई.ई.ए.) तथा इससे संबद्ध सभी प्रभागीय इकाइयों को वर्ष 1967 में उनके द्वारा अनुशासन संहिता को स्वीकार करने की शर्त पर मान्यता प्रदान की गयी थी। ए.आई.आई.ई.ए. द्वारा किए गए और केन्द्रीय क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा उनके विरुद्ध संस्थापित अनुशासन संहिता के उल्लंघनों के बाद, निगम ने 1968 में उपर्युक्त एसोसिएशन तथा इससे संबंधित इकाइयों की मान्यता रद्द कर दी। तत्पश्चात एल.आई.सी. में न तो किसी संघ की सदस्यता का सत्यापन किया गया है न किसी संघ को मान्यता प्रदान की गयी है।

(घ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के उपबंधों के अंतर्गत, कोई भी मजदूर संघ पंजीकरण हेतु मजदूर संघों के पंजीयक को आवेदन कर सकता है तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर पंजीयक मजदूर संघों को पंजीकृत कर सकता है।

बंद पड़ी वस्त्र मिलों के कामगारों का पुनर्वास

5342. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र मिलों के बंद होने से राज्यवार कुल कितने कामगर बेरोजगार हो गए;

(ख) उनके पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उसके पश्चात् आज की तारीख तक राज्यवार कितने कामगारों को वित्तीय सहायता दी गयी;

(घ) क्या लाखों कामगारों को वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बेरोजगार हुए प्रत्येक कामगार को सहायता सुनिश्चित करने के क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। पात्र मिलों के सभी पात्र कामगारों को टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के तहत राहत का भुगतान कर दिया गया है/किया जा रहा है। तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अनुपालन के बिना अथवा बंद करने की प्रक्रिया में सरकारी परिसमापक की नियुक्ति के बिना मिलों के बंद होने के परिणामस्वरूप प्रभावित कामगार टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के तहत शामिल नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पांच वर्षों के दौरान 29-2-2008 की स्थिति के अनुसार बंद हुई सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर लघु उद्योग) की नामावली में कामगारों की कुल संख्या नीचे दी गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद मिलों (गैर लघु उद्योग) की नामावली के राज्यवार कामगार

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1.	आंध्र प्रदेश	968	0	312	72	0
2.	असम	1318	0	0	0	0
3.	बिहार	0	0	0	0	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	1368	0	0	970	134
6.	हरियाणा	81	77	0	88	0
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
8.	कर्नाटक	990	0	2	0	0
9.	केरल	1363	0	0	549	0
10.	मध्य प्रदेश	1802	0	0	0	0
11.	महाराष्ट्र	1347	0	1425	0	0
12.	मणिपुर	0	0	0	0	0
13.	उड़ीसा	472	877	0	57	0
14.	पांडिचेरी	129	0	0	0	0
15.	पंजाब	0	0	0	732	0
16.	राजस्थान	55	56	1626	0	0
17.	तमिलनाडु	7707	1915	116	142	301
18.	उत्तर प्रदेश	0	0	3045	22	0
19.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	236	0	0	0	0
	योग	17836	2925	6526	2632	435

विवरण-II

सरकार ने रुग्ण इकाइयों और संभावित रूप से रुग्ण कम्पनियों का समय से पता लगाने और ऐसी कंपनियों के लिए आवश्यक तत्काल उपचारी, सुधारक और प्रतिकारी उपाय करने के मद्देनजर रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) स्थापित किया है। बी.आई.एफ.आर., संभावित रूप से अर्थश्रम इकाइयों के विषय में पुनर्वासन प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रचालन एजेंसियां नियुक्त करता है। इस जांच के आधार पर पुनर्वासन पर निर्णय बी.आई.एफ.आर. द्वारा लिया जाता है। सहकारी क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के तहत नहीं है।

31-10-2006 की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत 848 वस्त्र मिलों के मामलों में से और 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार बंद 407 मिलों में से 111 वस्त्र मिलों के मामले बी.आई.एफ.आर. में दर्ज हैं और मामलों की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

इसके अलावा, बंद पात्र वस्त्र मिलों के पात्र कामगारों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने के लिए वस्त्र नीति, 1985 के पैरा 18 की शर्तों के अनुसार वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) शुरू की गई है। यह योजना, गैर लघु उद्योग निजी मिलों के स्थायी रूप से बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत देने के लिए 15-09-1986 से प्रभावी है। इस योजना के तहत तीन वर्षों के लिए टेपरिंग आधार पर, प्रथम वर्ष में वेतन के 75%, दूसरे वर्ष में 50% और तीसरे वर्ष में 25% के बराबर राहत उपलब्ध है। केवल 6-6-1985 को अथवा इसके बाद बंद हुए मिलों को टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के तहत रखा गया है। मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत बंद किया गया है अथवा विकल्प के रूप में मिलों को बंद करने की प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया हो। ऐसे बंद मिलों में बंद होने की तारीख को कामगारों की न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा पूरी होनी चाहिए और बंद होने की तारीख को उसका नाम मिल की नामावली में होना चाहिए। बंद वस्त्र मिलों के बेरोजगार कामगारों को, विभिन्न शिकायत निवारण बैठकें जिनकी अध्यक्षता माननीय वस्त्र मंत्री/वस्त्र आयुक्त/संयुक्त वस्त्र आयुक्त आदि द्वारा की जाती थी/है, आयोजित करके शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यालय द्वारा निरंतर प्रयास किए गए थे/किए गए हैं। ऐसी बैठकों में विभिन्न राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों/संगठनों/श्रम संघों और कामगारों के प्रतिनिधि होते थे/हैं।

अनुबंध

31-10-2006 की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत वस्त्र मिलों के मामलों और 28 फरवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बंद मिलों की राज्यवार स्थिति

राज्य	अब रुग्ण घोषित नहीं है	अब रुग्ण घोषित है	नियल पूंजी धनात्मक होने के कारण छोड़ी गई	रखरखाव योग्य नहीं	अन्य	एस.आई.सी.ए., 1885 की धारा 18(4) के तहत स्वीकृत योजना	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश/ए.ए. आई.एफ.आर. द्वारा स्थगन	जांच अधीन	एस.आई.सी.ए., 1985 की धारा 20(1) के तहत बंद करने की सिफारिश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश				1	2	1			7	11
असम				2						2
बिहार	1									1
दिल्ली	1	1		1				1	2	6
गुजरात		1						1	4	6
हरियाणा		1		2					3	6
कर्नाटक	1			1					3	5
केरल	1	3				1			2	7
मध्य प्रदेश									2	2
उड़ीसा		1		1			1			3
पंजाब				1					1	2
राजस्थान	1	1		3	1			1	5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु	2	5	1	4			1	2	19	34
उत्तर प्रदेश				1		1			7	9
उत्तरांचल									2	2
पश्चिम बंगाल		1							2	3
कुल	7	14	1	17	3	3	2	5	59	111

विवरण-III

पिछले पांच वर्षों के दौरान टी.डब्ल्यू.आर.एफ. के तहत किए गए राहत के भुगतान का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	गुजरात			मध्य प्रदेश			तमिलनाडु		
		मिलों की सं.	लाभार्थी कामगारों की सं.	दी गई राहत की राशि (रु. में)	मिलों की सं.	लाभार्थी कामगारों की सं.	दी गई राहत की राशि (रु. में)	मिलों की सं.	लाभार्थी कामगारों की सं.	दी गई राहत की राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2003-04	14	283	9804087	2	69	1523429	1	1	15677
2.	2004-05	2	46	1452289	1	3233	77988030	–	1 (डिफ.)	6273
3.	2005-06	7	1823	4100000	2	1336	36346646	–	1 (डिफ.)	39318
4.	2006-07	10	1043	4231359	2	1665	79000000	–	–	–
5.	2007-08	24	8776	284000000	2	361	14863795	1	1	30243

क्र.सं.	वर्ष	कर्नाटक			पश्चिम बंगाल			टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. के तहत कुल संवितरण	
		मिलों की सं.	लाभार्थी कामगारों की सं.	दी गई राहत की राशि (रु. में)	मिलों की सं.	लाभार्थी कामगारों की सं.	दी गई राहत की राशि (रु. में)	लाभार्थी कामगारों की सं.	दी गई राहत की राशि (रु. में)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	2003-04	-	-	-	-	-	-	343	11143193
2.	2004-05	1	18	541120	-	-	-	3298	79985712
3.	2005-06	1	65	2560682	-	-	-	3224	79996646
4.	2006-07	3	530	19188641	1	95	2000000	3333	142500000
5.	2007-08	3	1701	70623787	2	1153	18882175	12002	398400000
							कुल	22200	712025551

[हिन्दी]

वनस्पति तेल

5343. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति तेल क्षेत्र के विकास हेतु कोई बोर्ड कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ये बोर्ड संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी बैठकें समुचित रूप से नहीं हो रही हैं जिसके कारण उनके उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा करने के पश्चात् सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा इनसे क्या सफलता हासिल हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय तिलहन और सब्जी तेल विकास (नोवोड) बोर्ड का तिलहन और सब्जी तेल उद्योग के विकास और इससे संबद्ध मामलों के उद्देश्यों के साथ 1983 में अधिनियमित संसद के एक अधिनियम द्वारा 1984 में गठन किया था।

(ग) और (घ) नोवोड बोर्ड और उसकी प्रबंध समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं जिनमें बोर्ड को सौंपे गए "स्वतंत्र रूप से उत्पन्न तिलहन के एकीकृत विकास" नामक केन्द्र सेक्टर स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में बोर्ड की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता विभाग ने नोवोड बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही "स्वतंत्र रूप से उत्पन्न तिलहन के एकीकृत विकास" नामक केन्द्र सेक्टर स्कीम के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद द्वारा एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट में इस स्कीम के संतोषजनक कार्यान्वयन के संकेत मिले।

[अनुवाद]

केबल लैंडिंग स्टेशन की स्थापना

5344. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने केबल लैंडिंग स्टेशन (सी.एल.एस.) स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक सी.एल.एस. स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सी.एल.एस. स्थापित करने हेतु स्थान का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को यह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है; और

(च) यदि हां, तो इस सी.एल.एस. को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) आज की स्थिति के अनुसार देश में नौ केबल लैंडिंग स्टेशन (सी.एल.एस.) स्थापित किए गए हैं।

(ख) से (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की पूर्णतः सहायक कंपनी मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड ने भारत के पूर्वी तट से सुदूर पूर्व एशिया तक समुद्री केबल प्रणाली बिछाने की योजना बनाई है। इस मार्ग के लिए डेस्क टॉप अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर केबल लैंडिंग स्टेशन पश्चिम बंगाल के दीघा में स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(च) दीघा में केबल लैंडिंग स्टेशन जून, 2010 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

बीजों का आयात

5345. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में सुधार लाने हेतु इनके बीजों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसे बीजों की

गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु कोई निगरानी प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो बीज आयात और इसके लिए अपनायी जाने वाली जांच प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) पौध संगरोध (भारत में आयात के नियमन) आदेश, 2003 के साथ पठित बीज विकास से संबद्ध नई नीति के तहत, सरकार देश में उत्पादकता बढ़ाने के मद्देनजर गुणवत्ता बीजों और रोपण सामग्रियों के आयात को सरल और सुगम कर रही है।

सरकार ने ऐसे बीजों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए एक पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित किया है। प्रारंभ में, आयातक द्वारा स्वदेशी परीक्षणों के लिए बीज की एक अल्प मात्रा के आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है। इसके पश्चात् बड़े पैमाने आयात की अनुमति देने से पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों के तहत बहु-स्थानिक परीक्षण किए जाते हैं। यदि बहु-स्थानिक परीक्षणों में किस्म का निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तो आयातक केवल दो वर्ष की अवधि के लिए बीजों का आयात कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान, मूल प्रजातियों का ब्रीडर बीज और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण के माध्यम से भारत में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी।

रोपण सामग्री के संबंध में, प्रवेशोपरांत संगरोध और ऐसे नियमन जो पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित किए जाएं, के अध्यधीन, राज्य निदेशक बागवानी/कृषि की सिफारिश के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है। सब्जी बीज के मामले में, संगरोध नियमनों के अध्यधीन मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है।

बीजों और रोपण सामग्री के आयात से संबंध कृषि एवं सहकारिता विभाग की निर्यात और आयात (एक्जिम) समिति द्वारा अनुशंसित सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक्जिम समिति द्वारा अनुशंसित बीजों और रोपण सामग्री का आयात

क्र. सं.	बीजों/रोपण सामग्री का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
आयात				
1.	तरबूज बीज	64.730 एम.टी.	0.050	–
2.	वरसीम बीज	2,062.00 एम.टी.	2,930 एम.टी.	7,594.00
3.	स्ट्राबेरी पौधे	4.18 लाख	24,865	11.24 लाख
4.	आयलपाम स्प्राउट	27.55 लाख	16.5	31.30 लाख
5.	संकर कपास	5.00 किग्रा	12.00 किग्रा	9.00 किग्रा
6.	मक्का बीज	12.00 किग्रा	2.00 किग्रा	450.00 किग्रा
7.	बंद गोभी बीज	0.5 एम.टी.	–	100 किग्रा
8.	कंकड़ी बीज	0,1 एम.टी.	–	–

1	2	3	4	5
9.	पपीता बीज	0.850 एम.टी.	0.645 एम.टी.	0.651 एम.टी.
10.	केला टिश्यू कल्चर पौध	0.215 लाख	–	0.10 लाख
11.	मीठा सोरघम	0.052 एम.टी.	0.95 एम.टी.	–
12.	सूरजमुखी बीज	0.0116 एम.टी.	2.500 एम.टी.	0.050 एम.टी
13.	चिकोरी बीज	28.520 एम.टी.	2.10 एम.टी.	–
14.	फल पौधे (सेब, अंगूर, बेरी, सीट्रस और किन्नू इत्यादि)	0.936 लाख	25.17 लाख	29.12 लाख
15.	बांस सकर	–	15,000 सं.	–
16.	घास बीज	–	4,350 एल.बी.एस.	–
17.	पी. बीज	–	200 किग्रा.	–
18.	खजूर पाम	–	4.9 लाख	0.30 लाख
19.	नीम बीज	–	1,500 किग्रा.	–
20.	मीठी मक्का बीज	–	2.033 एम.टी.	69.4 एम.टी.
21.	आस्ट्रोमेरिया पौधा	–	–	6,000 सं.
22.	बेबीकॉर्न सीड	–	–	10.20 एम.टी.
23.	सोयाबीन बीज	–	–	75.00 किग्रा.
24.	आस्टर बीज	–	–	8.00 किग्रा.

पेशागत दक्षता हासिल करने हेतु बेरोजगारी भत्ता

5346. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और वजीफा देने का है जो सरकारी अथवा निजी क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के माध्यम से पेशागत दक्षता हासिल करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने वाले बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और वजीफा देने के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह हेतु राशन की वस्तुएं

5347. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को राशन वस्तुओं की आपूर्ति हेतु अनुमति देने के लिए संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 2007-08 और 2008-09 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध में यह उल्लेख भी है कि अनुरोध किए गए अतिरिक्त आवंटन प्रभावित कृषकों सहित सुनामी प्रभावित आबादी को सूखे राशन के मुफ्त वितरण की दृष्टि से हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए अंत्योदय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और उनको जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है।

उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या 28,000 है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वास्तविक तौर पर 16,000 गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड जारी किए हैं। इसलिए खाद्यान्नों का आवंटन इन 16,000 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र को गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए आवंटन पूर्व के वर्षों के दौरान इस श्रेणी के तहत खाद्यान्नों के उठान पर निर्भर करते हुए किया जा रहा है। उपर्युक्त स्थिति संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्पष्ट कर दी गई है।

संघ राज्य क्षेत्र में सुनामी प्रभावित आबादी के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक, जिसके तहत राहत उपायों के भाग के रूप में खाद्यान्न आवंटित किए जाते थे, के अधीन भी खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था। चूंकि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में मिला दिया गया है, अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत मजदूरी के भाग के रूप में या आपदा राहत के लिए खाद्यान्न आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस स्कीम के तहत, 1 अप्रैल, 2008 से मजदूरी का भुगतान केवल नकद रूप में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नई आयुध निर्माणियां

5348. श्री अजीत जोगी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई आयुध निर्माणियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावित आयुध निर्माणियों को कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले के कोरवा में नई पीढ़ी की कारबाइनों के विनिर्माण के लिए एक आयुध निर्माणी लगाने का प्रस्ताव 2007 में स्वीकृत हो गया है। नई आयुध निर्माणियों की स्थापना संबंधी कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) कोरवा में आयुध निर्माणी अक्तूबर, 2010 तक स्थापित की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण

5349. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है ताकि देश में खाद्यान्नों की कमी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार एवं कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादकों को हानि

5350. श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुग्ध चूर्ण तथा अन्य दुग्ध संबंधी उत्पादों का सस्ते दरों पर पाटन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश के दुग्ध उत्पादकों को काफी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के दुग्ध उत्पादक अत्यंत लघु भूमिधारक तथा कुछ मामलों में भूमिहीन हैं और वे इस चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो पाटन को रोकने और अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने के कारण भारत दूध के मामले में आत्मनिर्भर है। यह डेयरी उत्पादों का निवल निर्यातक भी है। हाल तक वाणिज्य मंत्रालय केसिन तथा स्किम दूध पाउडर के निर्यात पर प्रोत्साहन प्रदान कर रहा था। यद्यपि स्किम दूध पाउडर, बाल दुग्ध आहार, बटर मिल्क, योगर्ट, व्हे पाउडर, चीज, बटर, क्रीम, बटर ऑयल, आईस्क्रीम, इवेपोरेटेड मिल्क आदि जैसे कुछ डेयरी उत्पाद देश में आयात किए जाते हैं, लेकिन टैरिफ रेट कोटा के तहत स्किम दूध पाउडर के आयात पर 10,000 मीट्रिक टन की सीमा है। आयात की इस सीमा के बाद, आयात को गैर-प्रतिस्पर्धी बनाते हुए उनके आयात के मूल्य पर 60% का आयात शुल्क लगाया जाता है। उक्त को देखते हुए दुग्ध पाउडर तथा अन्य दुग्ध संबंधी उत्पादों के पाटन की संभावना नहीं दिखती।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए इस समय ऐसी चुनौती मौजूद नहीं है।

(घ) उपरोक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऑप्टिकल फाइबर केबल की चोरी तथा इन्हें नष्ट किया जाना

5351. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल की चोरी तथा इन्हें नष्ट किए जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में ऐसे कितने मामलों का पता चला है जहां निजी ऑपरेटरों ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं अथवा शुरू करने की प्रक्रिया में हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) की चोरी के बहुत कम मामले सामने आए हैं। तथापि, कुछ सर्किलों में ओ.एफ.सी. को बार-बार क्षति पहुंची है, जो मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग जैसी राज्य एजेंसियों और निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा सड़कों को चौड़ा करने/खुदाई संबंधी कार्य के कारण हुई है।

एम.टी.एन.एल. में ऑप्टिकल फाइबर केबल की चोरी का कोई मामला नहीं है।

(ख) गत वर्ष (2007-08) के दौरान क्षति का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बी.एस.एन.एल. द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान पता लगाए गए ओ.एफ.सी. की क्षति के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

अर्ध शहरी क्षेत्र-993

शहरी क्षेत्र-446

जोड़-1439

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान बी.एस.एन.एल. के ओ.एफ.सी. की क्षति संबंधी सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	मामलों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	बिहार	62
3.	असम	93
4.	छत्तीसगढ़	14
5.	गुजरात	9
6.	हरियाणा	731
7.	हिमाचल प्रदेश	354
8.	जम्मू-कश्मीर	3
9.	झारखंड	41
10.	कर्नाटक	8
11.	केरल	21
12.	पूर्वोत्तर-II	32
13.	उड़ीसा	20
14.	पंजाब	128
15.	राजस्थान	48
16.	तमिलनाडु	8
17.	उत्तरांचल	4
18.	पश्चिम बंगाल	34
	जोड़	1620

[हिन्दी]

खाद्यान्न तथा नकदी फसलों की खेती

5352. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकदी फसलों की खेती की तुलना में खाद्यान्न फसलों की खेती के अंतर्गत एकड़ भूमि कम हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नहीं, श्रीमान जी। निम्नलिखित सारणी गत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) तथा चालू वर्ष (2007-08) के दौरान देश में खाद्यान्न फसलों तथा नकदी फसलों (एक साथ ली गयी तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन तथा मेस्टा) के अंतर्गत व्याप्ति क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं -

वर्ष	क्षेत्र व्याप्ति (मिलियन हैक्टेयर)	
	खाद्यान्न	नकदी फसल
2004-05	120.08	40.89
2005-06	121.60	41.64
2006-07	123.71	41.74
2007-08*	124.26	41.79

*अग्रिम अनुमान

खाद्यान्न तथा नकदी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र व्याप्ति में 2004-05 से 2007-08 के दौरान वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षण स्तर

5353. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुचित प्रशिक्षण की कमी की पहचान भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटना के प्रमुख कारण के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण स्तर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) बेड़े के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायुसेना के पायलटों के कौशल का उन्नयन करना तथा प्रशिक्षण के मानकों में अभिवृद्धि/संवर्धन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

मोबाइल टावरों की क्षमता में वृद्धि

5354. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिले के बसीरहाट उपमंडल में विद्यमान विभिन्न मोबाइल टावरों की क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा मोबाइल टॉवरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने हाल ही में सेवा प्रदाताओं के बीच अवसंरचा की साझेदारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अगले एक वर्ष में देश में नए टॉवरों की स्थापना करके तथा मौजूदा टॉवरों में उपस्कर का स्तरोन्नयन करके 33.5 मिलियन लाइनों की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। बसीरहाट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जी,.एस.एम. बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जहां मौजूदा टॉवरों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन टॉवरों का संवर्धन अगले एक वर्ष में उत्तरोत्तर रूप से पूरा कर लिए जाने की भी योजना बनाई गई है।

विवरण

बसीरहाट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जी.एस.एम. बी.टी.एस. से संबंधित ब्यौरे

क्र.सं.	बी.टी.एस. का नाम
1.	बदुरिया
2.	बसीरहाट-I
3.	बसीरहाट-II (कॉलेजपारा)
4.	बसीरहाट मार्केट
5.	हरोआ
6.	मालंचा
7.	नजात
8.	स्वरूप नगर
9.	टाकी-I
10.	संदेशखाली
11.	भेबिया
12.	चाक्ला
13.	कटियाहाट
14.	इरिंडा
15.	बसीरहाट अस्पताल मोड़
16.	सरबेरिया
17.	बिठारी

क्र.सं.	बी.टी.एस. का नाम
18.	गोपालपुर (बसीरहाट)
19.	कचुआ
20.	खोलापोटा

[हिन्दी]

निःशुल्क रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराना

5355. श्री सुभाष महरिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के ग्राहकों को निःशुल्क रोमिंग सुविधा अथवा ऐसी कोई अन्य सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. अपनी क्षमता से ज्यादा कनेक्शन जारी कर रहे हैं जिसके परिणाम-स्वरूप लाइन मिल नहीं पाती है और लोगों को काफी कठिनाइयां होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टी.टी.ओ.) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर लाइन सेवा, सेल्युलर मोबाइल सेवा में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा तथा पट्टेशुदा लाइन सेवा संबंधी दूरसंचार सेवाओं को छोड़कर अन्य दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क को सेवा प्रदाता के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी.एस.एम. आधारित मोबाइल नेटवर्क में सामान्यतः आयामित क्षमता की तुलना में उपभोक्ताओं की संख्या का अधिक होना संभव है यदि वास्तविक कुल उपयोग आयामित परियात संचालन क्षमता से अधिक न हो। बी.एस.एन.एल. का कुल उपभोक्ता आधार सज्जित क्षमता की तुलना में थोड़ा अधिक है। नेटवर्क का कार्य निष्पादन किसी समय विशेष में उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले वास्तविक उपयोग पर निर्भर करता है। फिलहाल, बी.एस.एन.एल. की उक्त सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और सामान्यतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा इस समय निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। तथापि, नेटवर्क में कुछ स्थानों पर कभी-कभी संकुलन देखा गया है जिनके लिए बी.एस.एन.एल. ने अपने नेटवर्क में वृद्धि की कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी है। इससे कवरेज, क्षमता तथा सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नेटवर्क के कार्य निष्पादन के लिए इसे लगातार इष्टतम बनाया जा रहा है और बी.एस.एन.एल. द्वारा नेटवर्क की मॉनीटरिंग को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि इसका कार्य-निष्पादन ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

एम.टी.एन.एल. की नेटवर्क सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। एम.टी.एन.एल. दिल्ली में उन्नयन तथा क्षमता विस्तार के कारण सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में कुछ अस्थाई संकुलन की स्थिति थी जिन्हें अब चालू कर दिया गया है और नेटवर्क संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

युवाओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा

5356. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें निःशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर झारखंड में उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में प्रस्तावित तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के कार्य में संलग्न संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने युवाओं के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय स्कूल छोड़ने वालों, विद्यमान कामगारों की रोजगारपरकता में सुधार

करने के लिए "कौशल विकास पहल" नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है। पांच वर्षों के दौरान झारखंड राज्य सहित देश भर में एक मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, देश में 7.49 मिलियन प्रशिक्षुओं की सीट क्षमता के साथ 5465 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। सरकार ने प्रशिक्षुओं से 100/-रु. प्रतिमाह शिक्षा शुल्क वसूलने की सिफारिश की है, तथापि, 1913 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है।

कपास मिलों का पुनरुद्धार

5357. श्री महावीर भगोरा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान में पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कपास मिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं मिल-वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य-वार तथा मिल-वार कितनी कपास मिलों, अगर कोई हैं, का विलय अन्य मिलों के साथ किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत सरकार ने 22 मिलों के आधुनिकीकरण को अनुमोदित किया है। इन 22 मिलों में से, राजस्थान राज्य में स्थित एक मिल को स्पिनिंग और विविंग क्रियाकलाप के साथ एक नए ग्रीन फील्ड नामतः 'न्यू उदयपुर कॉटन मिल्स' के रूप में स्थापित करने पर विचार किया गया है। इस मिल को ब्यावर (राजस्थान) में पुनर्स्थापित किया जाना है।

(ख) राज्य-वार और मिल-वार प्रस्तावित व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन 22 मिलों का आधुनिकीकरण मार्च 2009 तक किया जाएगा बशर्ते परिसंपत्तियो की बिक्री सम्पन्न हो जाए।

(घ) दो मिलों, नामतः कोहिनूर नं. 1 और इन्दु नं. 6 का वर्ष 2006 में महाराष्ट्र राज्य में टाटा मिल्स में विलय कर दिया गया था।

विवरण

बी.आई.एफ.आर. और भारत सरकार द्वारा 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत की गई लागत

क्र.सं.	मिल का नाम	राज्य	आधुनिकीकरण की लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	मिनर्वा मिल्स	कर्नाटक	6328.80
2.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	केरल	1529.12
3.	कन्नानूर स्पि. व विविंग मिल्स	केरल	2019.90
4.	केरल लक्ष्मी मिल्स	केरल	2064.29
5.	विजयमोहिनी मिल्स	केरल	1366.57
6.	कन्नानूर स्पि. व विविंग मिल्स, माहे	पांडिचेरी	1759.15

1	2	3	4
7.	पोद्दार मिल्स	महाराष्ट्र	3689.37
8.	बारशी टेक्सटाइल मिल्स	महाराष्ट्र	1322.33
9.	फिनले मिल्स	महाराष्ट्र	3807.03
10.	टाटा मिल्स	माराष्ट्र उत्तर	5342.77
11.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	महाराष्ट्र उत्तर	3185.09
12.	कम्बोडिया मिल्स	तमिलनाडु	734.77
13.	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स	तमिलनाडु	1065.41
14.	पंकज मिल्स	तमिलनाडु	1301.76
15.	पायनियर स्पिनर मिल्स	तमिलनाडु	1006.97
16.	श्री रंगविलास स्पि. एवं वि. मिल्स	तमिलनाडु	2865.71
17.	कालीश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	तमिलनाडु	1021.90
18.	उदयपुर कॉटन मिल्स	राजस्थान	2755.66
19.	राजनगर टेक्सटाइल मिल सं. 1	गुजरात	4169.19
20.	आरती काटन मिल्स	पश्चिम बंगाल	2773.38
21.	बुरहानपुर ताप्ति मिल्स	मध्य प्रदेश	1468.83
22.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	मध्य प्रदेश	1418.31

[अनुवाद]

डिब्बाबंद वस्तुओं की मात्रा में कमी

5358. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रांडेड मदों के उत्पादकों ने पैकेज में वस्तुओं के वजन में कमी कर दी है जबकि मूल्यों को पूर्ववत रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सरकार का ध्यान मीडिया रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें यह कहा गया है कि विनिर्माताओं ने मूल्यों को पूर्ववत रखते हुए पैकबंद माल की मात्रा कम कर दी है।

बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं की गई वस्तुओं के संबंध में विनिर्माता किसी भी मात्रा में पैक बना सकते हैं। तथापि, नियमों की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए नियम 5 में प्रावधान है कि यदि तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु को अनुसूची में विनिर्दिष्ट आकार से भिन्न आकार में पैकबंद किया जाता है, तो विनिर्माता द्वारा पैकेज

पर "बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत मानक पैक आकार नहीं" अथवा "बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत गैर-मानक आकार" की घोषणा की जाती है।

इस संबंध में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में समाचार पत्रों में अखिल भारतीय आधार पर एक विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा विभाग ने नियमों के उपबंधों के समुचित प्रवर्तन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक माप नियंत्रकों को एक परामर्श भी भेजा है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद संबंधी आयोग

5359. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों में कृषि उत्पादन एवं मूल्य आयोग का गठन किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों में ऐसे आयोगों के गठन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) राष्ट्रीय किसान आयोग में राज्यों ने "कृषि उत्पाद और मूल्य आयोग" के गठन की कोई सिफारिश नहीं की।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास

5360. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र में विशेष रूप से इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान करने हेतु शुरू की गई परियोजनाओं तथा जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में राज्य-वार वस्त्र उद्योग से संबंधित पारिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों के परीक्षण के लिए राज्य-वार कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए निजी भागीदारी

5361. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी पार्टियों को शामिल करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ समेकित टेक्सटाइल पार्क्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन निजी पार्टियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्होंने अब तक इस योजना में अपनी रुचि दिखाई है तथा किन-किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार टेक्सटाइल पार्क्स स्थापित करने के लिए निजी पार्टियों को कोई राजसहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.), उपयुक्त सहायक अवसंरचना सुविधाओं के साथ वस्त्र पार्कों की स्थापना को आसान बनाने के लिए जुलाई, 2005 में अनुमोदित की गई थी। एस.आई.टी.पी. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखी गयी है।

(ख) अब तक एस.आई.टी.पी. के तहत तीस (30) वस्त्र पार्क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन पार्कों की राज्यवार अवस्थिति नीचे दी गई है:-

राज्य	परियोजनाओं की सं.	अवस्थिति
आंध्र प्रदेश	5	पोचमपल्ली, विशाखापत्तनम, महबूबनगर, हिन्दुपुर, नेल्लौर
बिहार	1	भागलपुर
गुजरात	7	सूरत (4), कच्छ (मुंद्रा सेज), खेड़ा, सानन्द
कर्नाटक	1	डोडबल्लापुर
महाराष्ट्र	5	इचलकरंजी (3), तारापुर, बारामती
पंजाब	1	धौला (बरनाला)
राजस्थान	3	किशनगढ़ (2), पाली
तमिलनाडु	6	पल्लडम, कड्डाल्लूर, पेरुंदुरई, कोमारपल्लयम, करुर, मदुरै
पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता
कुल	30	

(ग) एस.आई.टी.पी. में 40 करोड़ रु. तक की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% की दर से (सामान्य अवसंरचना, सामान्य सुविधाएं और कारखाने का भवन) सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(घ) वस्त्र पार्कों की स्थापना अतिरिक्त निवेश, वस्त्र उत्पादन और रोजगार सृजन को आसान बनाती है।

[हिन्दी]

आयात नीति

5362. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं तथा खाद्य तेलों के आयात हेतु नई व्यापक/समेकित नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार गेहूं, खाद्य तेल और अन्य खाद्यान्नों के निर्यात तथा आयात के बारे में नीति की निरन्तर समीक्षा कर रही है। आयात/निर्यात शुल्कों में समायोजन करने, आयात/निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और आयात/निर्यात को प्रोत्साहन देने आदि के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस का आवंटन

5363. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में 120 यूनिवर्सिल एक्सेस सर्विस लाइसेंस आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाइसेंसों का संचयी मूल्य 2001 की फीस पर आधारित था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में हाल में आवंटित 120 यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंसों का नया व्यावसायिक मूल्य रखने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 28-08-2007 की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाता की संख्या के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस प्रदान करने की बाबत दिनांक 14-12-2005 के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार 22 सेवा क्षेत्रों में 16 कंपनियों को फरवरी-मार्च, 2008 में 120 नये एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। संबंधित सेवा क्षेत्रों में यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान करने के लिए नवंबर, 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए प्रवेश शुल्क तय किया गया और इसका ब्यौरा इन दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विलय तथा अधिग्रहण संबंधी दिशानिर्देश

5364. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री नन्द कुमार साय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सेल्यूलर तथा यूनिफाइड टेलीकॉम लाइसेंस स्पेस में विलय तथा अधिग्रहण हेतु नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दिशा-निदेश इस संबंध में 28 अगस्त, 2007 को टी.आर.ए.आई. द्वारा की गई सिफारिशों से अलग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) दिनांक 22 अप्रैल, 2008 को सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.)/एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंसों के अन्तरा सेवा क्षेत्र विलय संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश मोटे तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा 28 अगस्त, 2007 को की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं। दिनांक 22 अप्रैल, 2008 के पत्र संख्या 20-100/2007-ए.एस.-I के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं. 20-100/2007-ए.एस.-I

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली

22 अप्रैल, 2008

विषय: सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.)/ एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंसों के अंतरा सेवा क्षेत्र के विलयन हेतु दिशा-निर्देश।

टेलीग्राफों एवं दूरसंचार सेवाओं के सुचारु रूप से प्रचालन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सी.एम.टी.एस./यू.ए.एस. लाइसेंसों के अंतरा सेवा क्षेत्र के विलयन हेतु अनुमति दी जाएगी ताकि सामान्य रूप से जनहित एवं विशिष्ट रूप से ग्राहक हित की रक्षा की जा सके:-

1. लाइसेंस के विलयन हेतु दूरसंचार विभाग का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा।

2. एक ही सेवा क्षेत्र के लिए लाइसेंसों के विलयन पर प्रतिबंध होगा।

3. लाइसेंस (लाइसेंसों) के विलयन की अनुमति निम्नलिखित श्रेणी के लाइसेंसों के लिए दी जा सकती है:

(i) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) लाइसेंस सहित सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) लाइसेंस।

(ii) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस सहित एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस।

(iii) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) सहित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) लाइसेंस।

उपर्युक्त सभी-श्रेणियों में विलयित लाइसेंस केवल यू.ए.एस.एल. श्रेणी में ही होंगे।

4. संगत सेवा बाजार को तार लाइन एवं बेतार सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाए। बेतार सेवा बाजार के अंतर्गत स्थिर बेतार भी शामिल होगा।

5. एक्सचेंज डाटा रिकॉर्ड (ई.डी.आर.) का उपयोग उपभोक्ता संख्या के आधार पर बाजार शेयर के परिकलन के प्रयोजनार्थ बेतार उपभोक्ताओं की संख्या की गणना में, वायरलाइन उपभोक्ताओं तथा विशिष्ट रूप से "विजिटर लोकेशन रजिस्टर" (वी.एल.आर.) आंकड़ा की गणना में किया जाएगा।

6. बाजार की शक्ति का निर्धारण करने के लिए संबंधित बाजार में लाइसेंसधारक के उपभोक्ता आधार और समायोजित सकल राजस्व दोनों की बाजार हिस्सेदारी पर विचार किया जाएगा ताकि विलय और अधिग्रहण कार्यकलाप को विनियमित करने के लिए प्रभुत्व के स्तर को तय किया जा सके।

7. विधिवत लेखा परीक्षित समायोजित सकल राजस्व संबंधित बाजार में आपरेटरों के लिए राजस्व आधारित बाजार हिस्सेदारी की संगणना का आधार होगा।

8. संबंधित बाजार में विलयित संगठन की बाजार हिस्सेदारी उपभोक्ता आधार (पृथक रूप से वायरलेस और वायरलाइन उपभोक्ता आधार के साथ) के अनुसार अथवा समायोजित सकल राजस्व के अनुसार 40% से अधिक नहीं होगी।

9. विलय और अधिग्रहण संबंधी किसी कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि ऐसे विलय और अधिग्रहण कार्यकलाप पर विचार करते समय संबंधित बाजार में यू.ए.एस./सी.एम.टी.एस. अभिगम सेवा प्रदाताओं की संख्या चार से कम हो जाती है।

10. किसी सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलय के परिणामस्वरूप विलय के बाद लाइसेंसधारक संगठन विलयित हो रहे संगठनों द्वारा धारित स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा का हकदार इस शर्त के अध्यधीन होगा कि विलय के पश्चात लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता द्वारा विलय का अनुमोदन करने की तिथि से 3 महीनों के भीतर किसी अन्य यू.ए.एस./सी.एम.टी.एस. लाइसेंसधारक की तरह पृथक रूप से जी.एस.एम. और सी.डी.एम.ए. प्रौद्योगिकियों के लिए विद्यमान स्पेक्ट्रम आबंटन मानदंड को पूरा करेगा।

उपर्युक्त 3 महीनों की अवधि में स्पेक्ट्रम आबंटन मानदंड को पूरा करने में विफल रहने के मामले में विलय के बाद लाइसेंसधारक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, वापस लौटा देगा जिसके न होने पर इसे लाइसेंस कराकर के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, 3 महीने की उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात स्पेक्ट्रम प्रभार की प्रयोज्य दर विलय के बाद लाइसेंसधारक द्वारा धारित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के मामले में प्रत्येक 3 महीने में दो गुना कर दी जाएगी।

इसके अलावा, जैसाकि सरकार निर्धारित करे, स्पेक्ट्रम अंतरण प्रभार का भुगतान विहित अवधि के भीतर देय होगा।

11. विलय हो जाने पर, स्पेक्ट्रम संवर्द्धन प्रभार भी प्रभारित किया जाएगा जैसा किसी अन्य यू.ए.एस./सी.एम.टी.एस. लाइसेंसधारक के मामले में लागू होता है।

12. स्पेक्ट्रम को अधिकतम सीमा के बाद अभ्यर्पित करने के लिए बैंड का चयन करना नए संगठन के विवेकाधीन होगा।

13. किसी एक सेवा क्षेत्र में विलय होने वाले संगठनों के लाइसेंसों से संबंधित यदि कोई देय राशि होगी तो उन सभी का निपटान दोनों में से किसी एक लाइसेंसधारक को, लाइसेंसों के विलय हेतु अनुमति जारी किए जाने से पूर्व करना होगा।

14. यदि किसी सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलय के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारक विलय होने के उपरांत "महत्वपूर्ण बाजारी शक्ति" (एस.एम.पी.) बन जाता है तो एस.एम.पी. पर लागू होने वाले मौजूदा नियम तथा विनियम विलय होने वाले संगठन पर भी लागू होंगे।

15. वार्षिक लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान लाइसेंसधारक के समायोजित सकल राजस्व के एक निश्चित विनिर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में किया जाता है। दो लाइसेंसों का विलय हो जाने पर, दोनों संगठनों के समायोजित सकल राजस्व का भी विलय हो जाएगा और इस प्रकार लाइसेंस शुल्क की उगाही विलय के परिणामस्वरूप बने कुल समायोजित सकल राजस्व पर उस सेवा क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट दर पर की जाएगी। इसी प्रकार, स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान के प्रयोजन हेतु, दोनों लाइसेंसधारकों द्वारा धारित स्पेक्ट्रम का योग/विलय किया जाएगा और वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार इस कुल स्पेक्ट्रम पर लागू निर्धारित दर से लगाया जाएगा।

तथापि, एम. एंड ए. के उपरांत संगठन द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए स्पेक्ट्रम धारित किए जाने पर, स्पेक्ट्रम प्रभार तथा लाइसेंस शुल्क आदि अथवा लाइसेंस-प्रदाता द्वारा अपनाया जा रहा कोई अन्य मानदण्ड उसी प्रकार से लागू होगा जैसाकि यू.ए.एस./सी.एम.टी.एस. लाइसेंसधारक के मामले में लागू होता है।

16. एक ही लाइसेंस क्षेत्र में एक अभिगम सेवाओं की लाइसेंसधारक कंपनी/कानूनी व्यक्ति/प्रवर्तक कंपनी के अन्य अभिगम सेवाओं के लाइसेंसधारक के उद्यम में इक्विटी स्टेक के अधिग्रहण के विनियमन हेतु महत्वपूर्ण इक्विटी के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा, अर्थात्

"कोई एकल कंपनी/कानूनी व्यक्ति, एक ही सेवा क्षेत्र में अभिगम सेवाओं अर्थात्, बुनियादी, सेल्यूलर और एकीकृत अभिगम सेवा के लिए प्रत्यक्ष रूप में अथवा अपने सहयोगियों के माध्यम से एक लाइसेंसधारक कंपनी से अधिक कंपनियों में महत्वपूर्ण इक्विटी धारणाधिकार नहीं रख सकते हैं। "यहां "महत्वपूर्ण इक्विटी" का तात्पर्य "10% अथवा उससे अधिक की इक्विटी" होगा। प्रवर्त्तक कंपनी/कानूनी व्यक्ति एक ही सेवा क्षेत्र के लिए एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनी में स्टेक नहीं रख सकते हैं।"

17. लाइसेंसों की प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात ही विलय हेतु अनुमति दी जाएगी।

18. विलय के बाद अस्तित्व में आई कंपनी की संबंधित सेवा क्षेत्र में लाइसेंस की अवधि, विलय की तारीख को विलय होने वाली दोनों लाइसेंसधारक कंपनियों के लाइसेंस की शेष अवधियों में से जिसकी अवधि सबसे कम होगी, के बराबर होगी।

    उदाहरण के लिए, यदि कंपनी "क" के लाइसेंस का विलय कंपनी "ख" के साथ हो तो कंपनी "क" अथवा "ख" के लाइसेंस की शेष अवधि में जिस कंपनी की अवधि सबसे कम है, वह अवधि संबंधित सेवा क्षेत्र में विलय के बाद अस्तित्व में आई कंपनी पर लागू होगी।

19. विवाद का समाधान ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के अनुसार दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में किया जाएगा।

20. लाइसेंस प्रदाता के पास नए दिशा-निर्देशों को शामिल करने या इन दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, जन हित में और तार सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

21. इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 21 फरवरी, 2004 के का.ज्ञा. सं. 20-232/2004-बी.एस.-III के तहत पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

ह./-

(आर.के. गुप्ता)

सहायक महानिदेशक (ए.एस.-I)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से

दूरभाष : 23036574

पोस्टल फाइनेंस मार्टो का स्थापित किया जाना

5365. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 'पोस्टल फाइनेंस मार्ट' स्थापित करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन डाकघरों की पहचान कर ली गई है जहां दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पी.एफ.एम. स्थापित किए जाने हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषरूप से कर्नाटक का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) पोस्टल फाइनेंस मार्ट प्रौद्योगिकीयुक्त पूर्णतया कंप्यूटरीकृत डाकघर में विभाग के सभी वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं एक ही छत के नीचे - "वन स्टॉप शॉप फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज" - प्रदान करता है। पोस्टल फाइनेंस मार्टो (पी.एफ.एम.) को स्थापित करने का उद्देश्य बाजार के मानकों के अनुरूप, ग्राहकोनुकूल वातावरण में, सुधरे हुए कार्यवातावरण वाले डाकघर में विशिष्ट मूल्यवर्द्धित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

(ग) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 313 पी.एफ.एम. स्थापित किए गए हैं।

(घ) कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) 10वीं योजना के दौरान 313 पी.एफ.एम. स्थापित करने के लिए 12.41 करोड़ रु. का व्यय (परिव्यय) हुआ।

विवरण

पोस्टल फाइनेंस मार्टों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	10	11
2.	असम	1	7
3.	बिहार	7	8
4.	छत्तीसगढ़	3	3
5.	दिल्ली	5	10
6.	गुजरात	7	8
7.	हरियाणा	4	6
8.	हिमाचल प्रदेश	5	5
9.	जम्मू-कश्मीर	5	3
10.	झारखंड	5	5
11.	कर्नाटक	10	10

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
12.	केरल	7	8
13.	मध्य प्रदेश	9	9
14.	महाराष्ट्र	16	11
15.	उत्तर-पूर्व	6	8
16.	उड़ीसा	7	6
17.	पंजाब	5	5
18.	राजस्थान	6	6
19.	तमिलनाडु	20	10
20.	उत्तर प्रदेश	8	10
21.	उत्तराखंड	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	5	9
	कुल	153	160

पोस्टल फाइनेंस मार्टों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद जी.पी.ओ.	हैदराबाद जुबिली प्रधान डाकघर
		सिकंदराबाद प्रधान डाकघर	त्रिमुलघेरी प्रधान डाकघर
		विजयवाडा प्रधान डाकघर	निजामाबाद प्रधान डाकघर
		गुंटूर प्रधान डाकघर	संगारेड्डी प्रधान डाकघर
		कूर्नूल प्रधान डाकघर	अनंतपुर प्रधान डाकघर
		करीमनगर प्रधान डाकघर	तिरुपति प्रधान डाकघर
		दाबा गार्डेंस एल.एस.जी. पी.ओ.	खम्मम प्रधान डाकघर
		एल.बी. कॉलोनी उप डाकघर	नेल्लूर प्रधान डाकघर
		वारंगल प्रधान डाकघर	राजामुंद्री प्रधान डाकघर
		डी.एच. सट्टन उप डाकघर	काकीनाडा प्रधान डाकघर

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
2.	असम	गुवाहाटी जी.पी.ओ.	डिब्रूगढ़ प्रधान डाकघर
			उत्तर लखीमपुर प्रधान डाकघर
			सिलचर प्रधान डाकघर
			तेजपुर प्रधान डाकघर
			जोरहाट प्रधान डाकघर
			नागांव प्रधान डाकघर
			करीमगंज प्रधान डाकघर
3.	बिहार	पटना जी.पी.ओ.	हाजीपुर प्रधान डाकघर
		बांकीपुर प्रधान डाकघर	आरा प्रधान डाकघर
		मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर	बिहारशरीफ प्रधान डाकघर
		छपरा प्रधान डाकघर	सासाराम प्रधान डाकघर
		गया प्रधान डाकघर	समस्तीपुर प्रधान डाकघर
		भागलपुर प्रधान डाकघर	मधुबनी प्रधान डाकघर
		दरभंगा प्रधान डाकघर	पूर्णिया प्रधान डाकघर
			मोतीहारी प्रधान डाकघर
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर प्रधान डाकघर	रायपुर गंज उप डाकघर
		दुर्ग प्रधान डाकघर	कोरबा प्रधान डाकघर
		बिलासपुर प्रधान डाकघर	राजनंदगांव प्रधान डाकघर
5.	दिल्ली	संसद मार्ग प्रधान डाकघर	इंद्रप्रस्थ प्रधान डाकघर
		नई दिल्ली जी.पी.ओ.	कालकाजी प्रधान डाकघर
		सरोजिनी नगर प्रधान डाकघर	अशोक विहार प्रधान डाकघर
		लोधी रोड प्रधान डाकघर	रमेश नगर प्रधान डाकघर
		दिल्ली जी.पी.ओ.	नारायणा प्रधान डाकघर
			कृष्णा नगर प्रधान डाकघर
			मलका गंज मुख्य डाकघर
			लाजपत नगर मुख्य डाकघर

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
			जनकपुरी उप डाकघर
			हौजखास उप डाकघर
6.	गुजरात	अहमदाबाद जी.पी.ओ.	नादियाड प्रधान डाकघर
		वडोदरा प्रधान डाकघर	नवसारी प्रधान डाकघर
		सूरत प्रधान डाकघर	वलसाड प्रधान डाकघर
		रेवडी बाजार प्रधान डाकघर	नवरंगपुरा प्रधान डाकघर
		फतेहगंज प्रधान डाकघर	मेहसाना प्रधान डाकघर
		राजकोट प्रधान डाकघर	हिम्मतनगर प्रधान डाकघर
		तखतेश्वर डाकघर, भावनगर	पालनपुर प्रधान डाकघर
			जामनगर प्रधान डाकघर
7.	हरियाणा	अंबाला जी.पी.ओ.	अंबाला सिटी प्रधान डाकघर
		करनाल प्रधान डाकघर	फरीदाबाद एन.आई.टी. प्रधान डाकघर
		एन.एच.-IV फरीदाबाद उप डाकघर	पानीपत प्रधान डाकघर
		माडल टाउन रोहतक उप डाकघर	गुड़गांव प्रधान डाकघर
			हिसार प्रधान डाकघर
			कुरुक्षेत्र प्रधान डाकघर
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला जी.पी.ओ.	सोलन प्रधान डाकघर
		मंडी प्रधान डाकघर	कुल्लू प्रधान डाकघर
		ऊना प्रधान डाकघर	धर्मशाला प्रधान डाकघर
		हमीरपुर प्रधान डाकघर	बिलासपुर प्रधान डाकघर
		पालमपुर प्रधान डाकघर	चंबा प्रधान डाकघर
9.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर प्रधान डाकघर	आर.एस. पुरा प्रधान डाकघर
		ऊधमपुर प्रधान डाकघर	राजौरी प्रधान डाकघर
		गांधीनगर प्रधान डाकघर	लेह प्रधान डाकघर
		कठुआ प्रधान डाकघर	
		अनंतनाग प्रधान डाकघर	

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
10.	झारखंड	रांची जी.पी.ओ.	दुमका प्रधान डाकघर
		दोरांदा प्रधान डाकघर	बी. देवघर प्रधान डाकघर
		जमशेदपुर प्रधान डाकघर	दलतोनगंज प्रधान डाकघर
		हजारीबाग प्रधान डाकघर	रामगढ़ कैंट प्रधान डाकघर
		धनबाद प्रधान डाकघर	बी.एस. सिटी प्रधान डाकघर
11.	कर्नाटक	हुबली प्रधान डाकघर (2004-05 में निर्मित)	इंदिरानगर उप डाकघर
		बैंगलूर जी.पी.ओ.	राजाजीनगर प्रधान डाकघर
		बानाशंकरी II स्टेज डाकघर	कोरमंगला ब्लॉक 3 उप डाकघर
		आर.टी. नगर प्रधान डाकघर	जे.पी. नगर उप डाकघर
		विजयनगर मुख्य डाकघर	बीजापुर प्रधान डाकघर
		चित्रदुर्ग प्रधान डाकघर	कारवार प्रधान डाकघर
		बालमत्ता उप डाकघर	गुलबर्ग प्रधान डाकघर
		यादवगिरि उप डाकघर	हासन प्रधान डाकघर
		बेलगांव प्रधान डाकघर	पुत्तूर प्रधान डाकघर
		बिदर प्रधान डाकघर	मांड्या प्रधान डाकघर
12.	केरल	त्रिवेंद्रम जी.पी.ओ.	आट्टिंगल प्रधान डाकघर
		कोल्लम प्रधान डाकघर	तिरुवल्ला प्रधान डाकघर
		चेंगन्नूर प्रधान डाकघर	एर्णाकुलम प्रधान डाकघर
		त्रिचूर प्रधान डाकघर	कोट्टयम प्रधान डाकघर
		इरिंजालकुडा प्रधान डाकघर	आलप्पुषा प्रधान डाकघर
		पालक्काड प्रधान डाकघर	कण्णूर प्रधान डाकघर
		कालीकट प्रधान डाकघर	तलश्शेरी प्रधान डाकघर
			ओट्टपालम प्रधान डाकघर
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल जी.पी.ओ.	आर.एस. नगर डाकघर, भोपाल
		सी.टी.टी. नगर प्रधान डाकघर, भोपाल	छिंदवाड़ा प्रधान डाकघर

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
		सागर कैंट प्रधान डाकघर	होशंगाबाद प्रधान डाकघर
		रीवा प्रधान डाकघर	शहडोल प्रधान डाकघर
		इंदौर जी.पी.ओ.	देवास प्रधान डाकघर
		इंदौर नगर प्रधान डाकघर	गुना प्रधान डाकघर
		उज्जैन प्रधान डाकघर	रतलाम प्रधान डाकघर
		जबलपुर प्रधान डाकघर	मंदसौर प्रधान डाकघर
		लश्कर प्रधान डाकघर, ग्वालियर	ग्वालियर आर.एस. उप डाकघर
14.	महाराष्ट्र	मुंबई जी.पी.ओ.	नासिक प्रधान डाकघर
		दादर प्रधान डाकघर	औरंगाबाद प्रधान डाकघर
		मालाबार हिल डाकघर	घाटकोपर मुख्य डाकघर
		घाटकोपर मुख्य डाकघर	बोरीवली प्रधान डाकघर
		के.सी. पार्क डाकघर	महाल उप डाकघर
		नागपुर जी.पी.ओ.	अमरावती प्रधान डाकघर
		कांग्रेस नगर डाकघर	पणजी प्रधान डाकघर
		औरंगाबाद प्रधान डाकघर	कोल्हापुर प्रधान डाकघर
		नासिक प्रधान डाकघर	रत्नगिरि प्रधान डाकघर
		धुले प्रधान डाकघर	सांगली प्रधान डाकघर
		शिवाजीनगर प्रधान डाकघर	पुणे प्रधान डाकघर
		सतारा प्रधान डाकघर	
		अहमदनगर प्रधान डाकघर	
		पणजी प्रधान डाकघर	
		सांगली प्रधान डाकघर	
		कोल्हापुर प्रधान डाकघर	
15.	उत्तर पूर्व	ऐजल प्रधान डाकघर, मिजोरम डिवीजन	लुंगलेई उप डाकघर, मिजोरम डिविजन
		धर्मनगर प्रधान डाकघर, धर्मनगर	कैलाशहर मुख्य डाकघर, धर्मनगर
		इम्फाल प्रधान डाकघर, बणिपुर	चुराचंदपुर उप डाकघर, मणिपुर

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
		अगरतला प्रधान डाकघर, अगरतला	आर.के. पुर प्रधान डाकघर, अगरतला
		कोहिमा प्रधान डाकघर, नागालैंड	मोकोकचुंग उप डाकघर, नागालैंड
		शिलांग जी.पी.ओ., मेघालय	तुरा प्रधान डाकघर, मेघालय
			नाहरलागुन उप डाकघर, अरुणाचल
16.	उड़ीसा	भुवनेश्वर जी.पी.ओ.	बालासोर प्रधान डाकघर
		कटक जी.पी.ओ.	भद्रक प्रधान डाकघर
		बेरहामपुर प्रधान डाकघर	पुरी प्रधान डाकघर
		संबलपुर प्रधान डाकघर	ढेंकनाल प्रधान डाकघर
		कोरापुट प्रधान डाकघर	केओनझारगढ़ प्रधान डाकघर
		राऊरकेला प्रधान डाकघर	जगत सिंह पुर प्रधान डाकघर
		भंजनगर प्रधान डाकघर	
17.	पंजाब	सैक्टर-16 उप डाकघर, चंडीगढ़	गोल्डन टैंपल उप डाकघर, अमृतसर
		सैक्टर-27 उप डाकघर, चंडीगढ़	राजपुरा टाउन उप डाकघर, राजपुरा
		लुधियाना प्रधान डाकघर	सी.पी.ओ. लुधियाना उप डाकघर, लुधियाना
		बस्ती नाउ उप डाकघर, जालंधर	फिल्लौर उप डाकघर, जालंधर
		मजीथ मंडी उप डाकघर, अमृतसर	पठानकोट मुख्य डाकघर
18.	राजस्थान	शास्त्री नगर प्रधान डाकघर, जयपुर	जवाहर नगर प्रधान डाकघर, जयपुर
		अलवर प्रधान डाकघर	भरतपुर प्रधान डाकघर
		अजमेर प्रधान डाकघर	उदयपुर प्रधान डाकघर
		कोटा प्रधान डाकघर	भीलवाड़ा प्रधान डाकघर
		शास्त्री नगर प्रधान डाकघर, जोधपुर	श्रीगंगानगर प्रधान डाकघर
		बीकानेर प्रधान डाकघर	पाली प्रधान डाकघर
19.	तमिलनाडु	अण्णा रोड प्रधान डाकघर	अण्णा नगर डाकघर
		अंबत्तूर प्रधान डाकघर	जवाहर नगर डाकघर
		अरांतंगी डाकघर	नंदनम डाकघर
		बोइलर प्रोजेक्ट डाकघर	टी. नगर प्रधान डाकघर

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
		कुड्डलूर प्रधान डाकघर	कल्लाकुरिची प्रधान डाकघर
		कोयम्बटूर प्रधान डाकघर	तंजावूर प्रधान डाकघर
		धर्मपुरी प्रधान डाकघर	शिवकाशी प्रधान डाकघर
		ईरोड प्रधान डाकघर	आर.एस. पुरम प्रधान डाकघर
		कारूर प्रधान डाकघर	पोल्लाची डाकघर
		कोविलपट्टी प्रधान डाकघर	तिरुपूर डाकघर
		मदुरै प्रधान डाकघर	
		नागरकोविल प्रधान डाकघर	
		पट्टुक्कोट्टई प्रधान डाकघर	
		पुतुकोट्टई प्रधान डाकघर	
		सेलम प्रधान डाकघर	
		त्रिची प्रधान डाकघर	
		तिरुनेलवेली प्रधान डाकघर	
		तेयनांपेट प्रधान डाकघर	
		तिरुवालीकेनी प्रधान डाकघर	
		उदगमंडलम डाकघर	
20.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद प्रधान डाकघर	अलीगढ़ प्रधान डाकघर
		सुलतानपुर प्रधान डाकघर	झांसी प्रधान डाकघर
		गाजियाबाद प्रधान डाकघर	मथुरा प्रधान डाकघर
		नोएडा प्रधान डाकघर	वाराणसी प्रधान डाकघर
		लखनऊ जी.पी.ओ.	बरेली सिटी प्रधान डाकघर
		रायबरेली प्रधान डाकघर	मेरठ कैंट प्रधान डाकघर
		कानपुर जी.पी.ओ.	कुराघाट प्रधान डाकघर
		संजय प्लेस डाकघर	अमेठी उप डाकघर
			फैजाबाद प्रधान डाकघर
			महानगर उप डाकघर

क्र.सं.	सर्किल	2005-06	2006-07
21.	उत्तराखंड	देहरादून जी.पी.ओ.	रुड़की प्रधान डाकघर
		देरादून कैंट प्रधान डाकघर	हल्द्वानी प्रधान डाकघर
			श्रीनगर एस.पी.ओ.
22.	पश्चिम बंगाल	पार्क स्ट्रीट प्रधान डाकघर	हावड़ा प्रधान डाकघर
		कल्याणी प्रधान डाकघर	आसनसोल प्रधान डाकघर
		बेलेघाटा प्रधान डाकघर	कोनताई प्रधान डाकघर
		सेरामपुर प्रधान डाकघर	बांकुरा प्रधान डाकघर
		बर्दवान प्रधान डाकघर	टोल्लीगुंग प्रधान डाकघर
			बरुईपुर प्रधान डाकघर
			राणाघाट प्रधान डाकघर
			जलपाईगुड़ी प्रधान डाकघर
			गंगतोक प्रधान डाकघर

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

5366. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) से कपास के किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान टी.एम.सी. का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितना आबंटन किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने स्वदेशी कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने और मिशन मोड में कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से फरवरी 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है। इस मिशन में चार लघु मिशन हैं, जिन्हें कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। कपास संबंधी अनुसंधान एवं विकास और किसानों तक प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार क्रमशः लघु मिशन I एवं II के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। विपणन अवसंरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण क्रमशः लघु मिशन III एवं IV के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय (भारतीय कपास निगम लि.) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। टी.एम.सी. के लघु मिशन III एवं IV के तहत कपास किसानों को आकर्षक लाभ मिलते हैं जो इस प्रकार हैं:-

लघु मिशन III (बाजार यार्डों का विकास)

(i) टी.एम.सी. परियोजना के तहत विकसित किए गए बाजार यार्डों में पक्के प्लेटफार्म, सड़क, शैड, गोदाम आदि उपलब्ध कराए गए हैं। इन सुविधाओं के फलस्वरूप इन बाजार यार्डों में कपास की गुणवत्ता को क्षति नहीं होती है और किसानों को अपने अच्छे गुणवत्ता उत्पादों का उपयुक्त मूल्य मिलता है।

(ii) टी.एम.सी. के तहत विकसित किए गए प्रत्येक

बाजार यार्ड में कांटे उपलब्ध कराए गए हैं जिससे किसानों को अपने उत्पाद का सही-सही वजन मिलता है।

(iii) प्रत्येक बाजार यार्ड में उपलब्ध कराई गई ग्रेडिंग सुविधाओं से यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को अपनी गुणवत्ता के अनुसार मूल्य मिले। विवाद होने की स्थिति में किसान ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं में अपनी कपास की जांच करा सकते हैं।

(iv) अधिकांश बाजार यार्डों में किसान सूचना केन्द्र (एफ.आई.सी.) स्थापित किए गए हैं जिससे किसान अपनी उपज में सुधार कर सकते हैं और अपने नजदीकी बाजार यार्डों में अपनी कपास का बेहतर बाजार भाव भी ले सकते हैं।

(v) टी.एम.सी. द्वारा विकसित सभी बाजार यार्डों में अग्नि शमन उपस्करों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार बाजार यार्ड में आग का जोखिम अब लगभग न के बराबर हो गया है और किसानों को ऐसे संभावित खतरों से बचने का लाभ हुआ है।

(vi) किसानों को किसान विश्रम गृह, कैन्टीन, पेयजल, शौच सुविधाएं, इनपुट सप्लाई शॉप आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे उन्हें बाजार में आने के दौरान उत्तम भोजन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने उत्पाद का उचित मूल्य लेने में भी सहायता मिलती है।

लघु मिशन-IV (जी. एंड पी. फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण)

(क) आधुनिकीकृत इकाइयों में प्रसंस्कृत कपास, अच्छे मूल्य पर बिकती है और भारतीय और साथ ही साथ विदेशी बाजारों में इसका बेहतर बाजार मूल्य होता है क्योंकि इसमें कम कूड़ा-कचरा और न के बराबर संदूषण होता है। इसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन से खरीददारों की भुगतान क्षमताएं बेहतर होती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर पारिश्रमिक मिलता है।

(ख) विदेशी बाजारों से कपास आयात करने वाली मिलों, ने अब भारतीय कपास, जो विश्व बाजार मूल्यों की तुलना में सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध है, का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मिल, विदेशी बाजारों से ऐसी खरीद करते समय उनके सम्मुख आने वाले अन्य झंझटों से भी बचते हैं। वे अब भारतीय किसानों को उनकी गुणवत्ता कपास के लिए बेहतर मूल्य देने के लिए तैयार हैं।

(ग) और (घ) लक्ष्यों और परियोजना के पूरा होने तक टी.एम.सी. योजना के लघु मिशन III एवं IV को 11वीं योजना के दो वर्षों अर्थात् 31-3-2009 तक जारी रखा गया है। 11वीं योजना में 241.35 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 50 करोड़ रु. की राशि बजट अनुमान 2007-08 में उपलब्ध कराई गई थी और 50 करोड़ रु. की राशि बजट अनुमान 2008-09 में उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. द्वारा मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर

5367. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा देश में अपने उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर की तरह बीमा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। एम.टी.एन.एल. मुंबई अपने उपभोक्ताओं को प्रायोगिक आधार पर एक वर्षीय जीवन बीमा स्कीम की पेशकश कर रहा है। हालांकि, ऐसी कोई स्कीम दिल्ली में शुरू नहीं हुई है। मुंबई में शुरू हुई इस स्कीम से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

1. एम.टी.एन.एल. एवं टाटा ए.आई.जी. ने दिनांक 28 जनवरी, 2008 को एक करार किया ताकि एम.टी.एन.एल. उपभोक्ताओं को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जा सके।

2. बीमा कवरेज की राशि 50,000/-रु. है तथा यह सहमति आधार पर समूह बीमा खाता (जी.पी.ए.) संख्या के आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

3. यह स्कीम 18-65 उम्र के आयु वर्ग के जी.एस.एम.,

सी.डी.एम.ए. (मोबाइल एवं एफ.डब्ल्यू.) के पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं तथा लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

4. टाटा ए.आई.जी. फोन पर अपने उपभोक्ताओं को संपर्क करेगा तथा एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क ऑफर के बारे में बताएगा तथा उपभोक्ताओं को समूह बीमा खाता (जी.पी.ए.) संख्या उनकी तत्संबंधी सहमति प्राप्त होने पर प्रदान की जाएगी। कोई दस्तावेज वास्तविक रूप में नहीं भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं को यह संख्या भावी दावा, यदि कोई हो, के लिए रखनी होगी।

5. यह स्कीम मौजूदा एवं नए दोनों उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

6. इस करार के तहत, टाटा ए.आई.जी. आंकड़ों के बारे में पूरी गोपनीयता रखेगा तथा "नेशनल डू नॉट कॉल" (ए.डी.एन.सी.) रजिस्ट्री को नियमित रूप से अद्यतन करेगा।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के मामलों में विलंब

5368. श्री पी.सी. थामस: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ न्यायालय में मामले हैं जिससे नियोजित कार्यों तथा योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन में अड़चनें आती हैं तथा विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों की निगरानी के लिए कोई मशीनरी है जिससे स्थगन आदेश का त्वरित निपटान किया जा सके जो देश में निविदा तथा कार्यों के ठेके क्रियान्वित करने में विलंब करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रमुख वित्तपोषित मामलों की संख्या कितनी है तथा उन मामलों की स्थिति क्या है जिसमें बी.एस.एन.एल. के खिलाफ देश में एक वर्ष से अधिक का स्थगन आदेश है; और

(च) समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। कभी-कभी भारत संचार निगम लिमिटेड के विरुद्ध न्यायिक मामले दायर किए जाते हैं जिनके कारण क्रय/कार्यादेश दिए जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे अधिकांश मामले उन सप्लायरों/ठेकेदारों द्वारा दायर किए जाते हैं जो बी.एस.एन.एल. द्वारा आमंत्रित खुली पारदर्शी निविदाओं में ठेका नहीं जीत पाते।

आज की तारीख के अनुसार एम.टी.एन.एल. में कोई भी न्यायिक मामला लंबित नहीं है जिससे नियोजित कार्यों में अड़चनें तथा विलम्ब उत्पन्न हो।

(ख) विगत समय में 2जी/3जी कॉम्बो नेटवर्क फेज V के प्रापण संबंधी निविदा जांच सं. 301 में मैसर्स मोटरोला द्वारा एक न्यायिक मामला दायर किया गया है। इसके कारण बी.एस.एन.एल. द्वारा मोबाइल उपस्कर के प्रापण में विलंब हुआ। तथापि, मैसर्स मोटरोला द्वारा इस मामले को बाद में वापस ले लिया गया था।

एस.टी.एम.-16 (एम.ए.डी.एम.) के प्रापण से संबंधित मैसर्स तेजस बनाम बी.एस.एन.एल. नामक एक मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक कोई स्थगनादेश नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) बी.एस.एन.एल. के पास अधिवक्ताओं के पैनल तथा केन्द्र सरकार के स्थाई परामर्शदाताओं की सेवाओं द्वारा इन न्यायिक मामलों की देखरेख करने के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रबंध है। बी.एस.एन.एल. के न्यायिक मामलों का बचाव एवं प्रतिरोध करने के लिए जहां कहीं अपेक्षित हो, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सॉलिसीटर जनरल तथा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल की सेवाएं भी ली जाती हैं।

सभी न्यायिक मामलों को मॉनीटर करने तथा उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए एम.टी.एन.एल. दिल्ली तथा मुंबई में क्रमशः महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक कानूनी प्रकोष्ठ है।

(ङ) आज की तारीख के अनुसार, न्यायालय में ऐसा

कोई भी बड़ा मामला लंबित नहीं है जिसमें बी.एस.एन.एल. के विरुद्ध स्थगनादेश जारी किया गया हो।

(च) उपर्युक्त (ग) और (घ) में दिए गए उत्तर के अनुसार।

टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु भवनों का निर्माण

5369. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या संचार और सूचना **प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख के अनुसार सरकार द्वारा टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए निर्मित कराए गए भवनों तथा उन पर हुए व्यय का राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए निर्मित कराए गए भवन वर्तमान में कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) एम.टी.एन.एल. द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए निर्मित भवनों उन पर होने वाले व्यय तथा स्थिति संबंधी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बी.एस.एन.एल. से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

एम.टी.एन.एल. द्वारा टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए निर्मित भवनों, उन पर हुए व्यय एवं वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा

दिल्ली

क्र.सं.	अवस्थिति	व्यय लाख में			
		2005-06	2006-07	2007-08	निर्मित भवनों की स्थिति [भाग (ग) का उत्तर]
1	2	3	4	5	6
1.	सरस्वती विहार	232.17	51.96	24.55	24 के का कार्य चल रहा है।
2.	सेक्टर-19 द्वारका	20.07	16.46	शून्य	2 के आर.एस.यू. का कार्य शुरू हो गया है।
3.	मिंटो रोड	132	20	7.15	17.5 के का कार्य शुरू हो गया है।
4.	शादीपुर	318	198	30	प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा है, 10 के आर.एस.यू. का कार्य चल रहा है।
5.	नरेला डी.एस.आई.डी.सी.	496	32	शून्य	6.5 के आर.एस.यू. का कार्य शुरू हो गया है।

1	2	3	4	5	6
6.	सेक्टर-9 रोहिणी	550	52	शून्य	23 के आर.एस.यू. का कार्य चल रहा है।
7.	अस्थाई आर.एस.यू. बवाना सेक्टर-III	शून्य	11.19	8.87	2 के आर.एस.यू. का कार्य शुरू हो गया है।
8.	अस्थाई आर.एस.यू. बवाना सेक्टर-V	शून्य	5.64	31.43	2 के आर.एस.यू. का कार्य शुरू हो गया है।

मुंबई

क्र.सं.	भवन का नाम	व्यय लाख में			निर्मित भवनों की स्थिति [भाग (ग) का उत्तर]
		2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6
1.	कंबाला हिल	189.10	8.60	0.00	टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
2.	नित्यानंद नगर	140.80	70.50	19.48	टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
3.	बंगाल कैमिकल	104.10	0.00		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
4.	बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स	0.00	61.50		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
5.	साकी विहार	0.00	0.00		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
6.	चारकोप II	0.00	0.00		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
7.	दहीसर	0.00	0.00		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
8.	एकसर बोरीवली	14.80	3.10		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
9.	सेक्टर-II सी.बी.डी. बेलापुर	52.20	43.30		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।

1	2	3	4	5	6
10.	प्लॉट 17ए सेक्टर 19 वाशी	0.70	0.00		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
11.	राबले न्यू मुंबई	81.31	0.90		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
12.	जुहू डांडा	246.90	117.60	109.76	पूरा होने को है।
13.	प्लॉट 33 सेक्टर 10 सनपडा	127.00	202.70	96.85	टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
14.	हकोबा	11.80	0.01	150.90	निर्माणाघन है।
15.	हिंगवाला लेन	20.50	48.30		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
16.	पहाड़ी गोरेगांव	31.10	113.70	71.08	टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
17.	प्लॉट 7 बी सेक्टर 21 खारगहर	78.70	0.90		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।
18.	प्लॉट 21 ई.एस.सी. 5ए न्यू पनवेल	66.10	0.70		टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है।

कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान

5370. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूर संवेदन द्वारा कृषि उत्पादन के प्रामाणिक पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विभाग के समन्वय से क्रॉप एकरेज एण्ड प्रोडक्शन एस्टीमेट (सी.ए.पी.ई.) एंड फोरकास्टिंग एग्रिकल्चरल आउटपुट यूजिंग साईंस मेट्रोलॉजी एंड लैंड वेस्ट आब्जरवेशन (एफ.ए.एस.ए.एल.) जैसी परियोजनाएं आरंभ की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की परियोजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्यौरा तथा इसकी अद्यतन प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अंतरिक्ष विभाग के साथ 1988 में एक योजना स्कीम "फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन अनुमान" (केप) प्रस्तावित की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करते हुए फसलों की कटाई पूर्व उत्पादन मूल्यांकन की पद्धति को अपग्रेड करना तथा विकास करना है। "अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान तथा भूमि आधारित अनुमानों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना" (फसल) नामक एक नई परियोजना/स्कीम अगस्त 2006 में प्रारंभ की गयी हैं। इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के त्वरित तथा मौसम दौरान बहुत से पूर्वानुमानों को लगाने के लिए अर्थमापी विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग करते हुए कृषि मौसम विज्ञान, भूमि तथा अंतरिक्ष जनित मापों का एकीकरण करना हैं। पूर्व "केप" स्कीम का "फसल" के साथ विलय कर दिया गया है।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर

17.5 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। केप परियोजना 1988 से कुछ विशेष फसलों यथा गेहूं, चावल, सोघम, कपास, आलू, सरसों तथा मूंगफली के जिले स्तर के कटाई पूर्व फसल उत्पादन पूर्वानुमान हेतु अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। केप के अनुभव पर आधारित 2006 से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा फसलों के मौसम के दौरान बहुत से पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए फसल कार्यान्वित की जा रही हैं। केप परियोजना भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के साथ सीमित समानान्तर सूचना के आंकड़ों के विश्लेषण पर प्रमुख रूप से आधारित हैं जबकि फसल परियोजना बुवाई तथा फसल वृद्धि के प्राथमिक चरणों में अर्थ सांख्यिकी निवेशों तथा कृषि मौसम विज्ञान संबंधी सूचना का प्रयोग करती हैं; तदानुरूप भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों के वर्णक्रमीय निवेशों को अंतगृहित करती हैं तथा अंत में जब फसल छतरी सतह पर प्रमुख रूप से उभर आती है तब कई मौसम कालिक क्षेत्र अनुमान तथा उत्पादन पूर्वानुमान हेतु मौसम/मौसम विज्ञान संबधी तथा अन्य समानान्तर सूचना के साथ भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के और अधिक आंकड़ों का प्रयोग करता है। आर्थिक वृद्धि संस्थान, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा संबंधित राज्य एजेन्सियां जैसे राज्य दूर संवेदी प्रक्षेपण केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय तथा आई.सी.ए.आर. संस्थान भी इस प्रयास मे शामिल रहते हैं।

(घ) फसल परियोजना दो वर्ष प्रत्येक के तीन चरणों में कार्यान्वित होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

सड़ा हुआ भण्डार

5371. श्री प्रभुनाथ सिंह:

श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी भण्डारगृह तथा भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भण्डार सड़ रहा है और वह मानव द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खराब हुए खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा तथा इसका किस प्रकार उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रकार की बर्बादी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण, मार्गस्थ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा (आंकड़े लाख टन में)
1.	2005	0.92
2.	2006	0.30
3.	2007	0.34
4.	2008 (मार्च, 2008 तक)	0.15

ठोस दानों के प्रतिशत और अन्य घटकों पर निर्भर करते हुए क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को पशुचारा-1, पशुचारा-2, पशुचारा-3, औद्योगिक उपयोग, खाद और डम्पिंग में श्रेणीकृत करने के बाद इनके उपयोग के लिए मानक दिशा निर्देश हैं।

(ग) सरकार ने ऐसी बर्बादी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित सधारात्मक पग उठाए हैं-

(i) खाद्यान्नों का उचित भंडारण करने के लिए गोदामों/भांडागारों का निर्माण और रखरखाव वैज्ञानिक तर्ज पर किया जाता है।

(ii) कीट जंतुबाधा पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित रूप से खाद्यान्नों के स्टाक का रोग निरोधी और रोगहर उपचार किया जाता है।

(iii) योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक का नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण किया जाता है तथा यदि कोई कमी देखी जाती है तो तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(iv) कवर और प्लिंथ (कैप) भंडारण में उचित डनेज सामग्री का उपयोग करके ऊंचाई लिए हुए प्लिंथों पर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(v) चट्टों को विशेष रूप से तैयार किए गए कम घनत्व के पॉलीथिन कवरों से ढका जाता है और नायलॉन की रस्सियों से बांधा जाता है।

(vi) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ताकि खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(vii) गोदामों और भांडागारों में खाद्यान्नों के स्टाक का मानसून पूर्व प्रधूमन किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार में कमी

5372. श्री इकबाल अहमद सरडगी:

श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले छह माह के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वार स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2007-08 में सूचना प्रौद्योगिकी-व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (आई.टी.-बी.पी.ओ.) क्षेत्र एक सबसे बड़ा नियोजक रहा, जिसने पिछले वर्ष के दौरान अनुमानित 375,000 कार्मिकों की नियुक्ति की।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाढ़ एवं मृदा अपरदन नियंत्रण के लिए कृतक बल

5373. श्री हरिकेवल प्रसाद:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ एवं मृदा अपरदन रोकने हेतु अर्थोपाय सुझाने के लिए किसी कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कृतक बल द्वारा क्या कार्य किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। असम तथा बिहार राज्यों में जुलाई, 2004 में गंभीर बाढ़ों के कारण असम तथा इसके पड़ौसी राज्यों एवं साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या की जांच करने हेतु भारत सरकार ने अगस्त, 2004 में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव नियंत्रण हेतु एक कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) अपनी रिपोर्ट में, कार्य बल ने बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण के लिए 4982 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न लघु अवधि एवं दीर्घावधि उपायों की सिफारिश की है जो XIवीं योजना के अंत तक पूर्ण किए जाने हैं। लगभग 500 करोड़ रुपये के कार्य दसवीं योजना में स्वीकृत किए गए और शेष बचे कार्यों के लिए, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 8000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" नामक एक स्कीम स्वीकृत की गई है।

राज्यों द्वारा भूजल प्रबंधन

5374. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा भूजल के उचित प्रबंधन के लिए राज्यों को जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य काफी समय से इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 'भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण' संबंधी माडल बिल का प्रारूप परिचालित किया है ताकि वे उपयुक्त भूजल कानून अधिनियमित कर सकें।

अभी तक, 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल संबंधी कानून अधिनियमित किए हैं।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने अति दोहित और गंभीर ब्लाकों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने/वर्षा जल संचयन को अपनाने के आवश्यक उपाय करने, भवन-उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने तथा इन क्षेत्रों में जन जागरूकता, जल प्रबंधन प्रशिक्षण आदि के माध्यम से भूजल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन निदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

निष्क्रिय मोबाइल टावर

5375. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्लोबल मोबाइल आधारित मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने हेतु कर्नाटक में स्थापित किए गए उनके मोबाइल टावरों द्वारा कितने क्षेत्र को कवर किया गया है;

(ख) क्या पिछले छह माह के दौरान कुछ मोबाइल टावर निष्क्रिय हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए 1,745 मोबाइल टावरों द्वारा कर्नाटक के 76,245 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की निर्देशिका

5376. **श्रीमती सुमित्रा महाजनः**
श्री रशीद मसूदः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगी हुई आसूचना एजेन्सियों तथा अधिकारियों की मांग के मद्देनजर सभी प्रीपेड तथा पोस्ट-पेड मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की निर्देशिका तैयार करने के लिए दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मोबाइल फोन एवं सेल्युलर आपरेटरों के साथ कोई चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उक्त मोबाइल कंपनियों तथा सेल्युलर आपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

5377. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञानों सहित कृषि शिक्षा राज्य का विषय है इसलिए कृषि, पशु-चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

मोबाइल फोन उपभोक्ता

5378. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)/भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में वर्ष 2008-09 के दौरान मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. देश में अपनी मोबाइल सेवा के वाणिज्यिक एवं सेवा पहलू को सुचारू नहीं बना पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 31-3-2008 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के अपने प्रचालन क्षेत्र के मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या 3,62,11,786 है।

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कार्यरत मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या 32,41,851 है।

सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2008-09 के दौरान अपने प्रचालन क्षेत्र में सेल्युलर मोबाइल (जी.एस.एम.) के 1,26,00,000 कनेक्शन जोड़ने की योजना बनाई है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2008-09 में 10,00,000 स्विचन क्षमता और सभी प्रकार (पी.एस.टी.एन., जी.एस.एम. और डब्ल्यू.एल.एल.) के 9,50,000 कुल निवल कनेक्शन जोड़ने की योजना बनाई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31-3-2008 की स्थिति के अनुसार सेल्युलर मोबाइल कनेक्शनों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	31-03-2008 की स्थिति के अनुसार सेल्युलर कनेक्शन
1	2	3
बी.एस.एन.एल.		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52468
2.	आंध्र प्रदेश	2240741
3.	असम	817954
4.	बिहार	1075094
5.	छत्तीसगढ़	578278
6.	गुजरात	2065893
7.	हरियाणा	1221215
8.	हिमाचल प्रदेश	554692

1	2	3
9.	जम्मू-कश्मीर	817905
10.	झारखंड	554883
11.	कर्नाटक	1789660
12.	केरल	2154757
13.	मध्य प्रदेश	1263683
14.	महाराष्ट्र	3186295
15.	पूर्वोत्तर-I	268802
16.	पूर्वोत्तर-II	361918
17.	उड़ीसा	1006084
18.	पंजाब	1930959
19.	राजस्थान	2257723
20.	तमिलनाडु	2400878
21.	उत्तरांचल	624170
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4253263
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1409671
24.	पश्चिम बंगाल	1364228
25.	कोलकाता दूरसंचार जिला	1024063
26.	चेन्नै दूरसंचार जिला	936509
एम.टी.एन.एल.		
1.	दिल्ली	1478440
2.	मुंबई	176311
	जोड़	37866537

[हिन्दी]

डाक एवं तार कार्यालय की स्थापना

5379. **श्री महावीर भगोरा:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में राज्य-वार स्थापित एवं बंद किए गए डाक एवं तारघर कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में वर्तमान समय में राज्य-वार कार्य कर रहे डाक एवं तार कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें डाक और तार सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश के सभी गांवों में डाक और तार सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान 16 नए डाकघर तथा एक दूरसंचार केंद्र खोला गया। विगत तीन वर्षों के दौरान खोले गए व बंद किए गए डाकघरों और दूरसंचार केंद्रों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है।

(ख) देश में राज्य/सर्किलवार कार्य कर रहे डाकघरों तथा तारघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-VI तथा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है।

(ग) से (ङ) डाक विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राहक के द्वार पर डाक का नियमित वितरण, लैटर बॉक्स से पत्रों को एकत्र करना तथा डाक-टिकटों/डाक लेखन सामग्री की बिक्री जैसी डाक सुविधाएं प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी गांवों में तार सेवाएं उपलब्ध हैं। किसी भी बी.एस.एन.एल. टेलीफोन के साथ-साथ स्थानीय/एस.टी.डी. पी.सी.ओ. से 1585 डायल करके फोन पर तार बुक की जा सकती है। गांवों सहित देश के सभी भागों में तार संदेशवाहकों/डाक के माध्यम से तार का वितरण किया जाता है। जहां तक टेलीफोन सुविधाओं का संबंध है, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा संबंधी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत 53073 गांवों को पहले ही कवर किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान खोले गए नए डाकघरों और दूरसंचार केंद्रों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	
		दूरसंचार केंद्र	उप डाकघर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	उप डाकघर/अति. विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाना
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश				
2.	असम		1		
3.	बिहार		1		
4.	छत्तीसगढ़				
5.	दिल्ली				
6.	गुजरात				
7.	हरियाणा		1		
8.	हिमाचल प्रदेश		1		
9.	जम्मू-कश्मीर		1		
	लद्दाख			2	3
10.	झारखंड				
11.	कर्नाटक				
12.	केरल				
	लक्षद्वीप				1
13.	मध्य प्रदेश		2		
14.	महाराष्ट्र				
15.	उत्तर पूर्व		1		
16.	उड़ीसा				
17.	पंजाब				

1	2	3	4	5	6
18.	राजस्थान				
19.	तमिलनाडु	1			
20.	उत्तर प्रदेश				
21.	उत्तराखंड		2		
22.	पश्चिम बंगाल				
	कुल	1	10	2	4

विवरण-II

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान बंद किए गए डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	1	शून्य	1
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	8	2	5	15 बंद/आमेलित किए गए
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	4
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	2	शून्य	2
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	2	शून्य	शून्य	2
14.	महाराष्ट्र	1	1	शून्य	2
15.	उत्तर पूर्व	6	शून्य	शून्य	6
16.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	पंजाब	8	1	39	48 बंद/आमेलित किए गए
18.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	26	8	46	80

विवरण-III

वर्ष 2005-2006 के दौरान दूरसंचार सर्किलवार बंद किए गए तार घरों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सी.टी.ओ.	टी.ओ.	टी.सी.	सी.ओ.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	2	0	385
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	3	0
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	7

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	0	0	1236
12.	केरल	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	7	172
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15.	उत्तरपूर्व-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	0	0	0	0
16.	उत्तरपूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड)	0	0	2	6
17.	उड़ीसा	0	0	0	0
18.	पंजाब	0	0	1	0
19.	राजस्थान	0	0	0	104
20.	तमिलनाडु	0	0	3	134
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	7	36
23.	उत्तराखंड	0	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
25.	एन.टी.आर. नई दिल्ली	0	0	0	0
	कुल	0	2	23	2080

विवरण-IV

वर्ष 2006-2007 के दौरान दूरसंचार सर्किलवार बंद किए गए तार घरों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सी.टी.ओ.	टी.ओ.	टी.सी.	सी.ओ.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	0	16	0	725
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	3220
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	3
6.	गुजरात	0	0	0	214
7.	हरियाणा	0	1	0	177
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	359
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	0	0	1453
12.	केरल	0	0	0	1093
13.	मध्य प्रदेश	0	0	15	496
14.	महाराष्ट्र	0	12	21	944
15.	उत्तरपूर्व-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	0	0	0	48
16.	उत्तरपूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड)	0	0	0	0
17.	उड़ीसा	0	0	0	256
18.	पंजाब	0	0	0	321
19.	राजस्थान	0	0	2	551
20.	तमिलनाडु	0	0	1	1181
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	1	8	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	7	27
23.	उत्तराखंड	0	0	0	8
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
25.	एन.टी.आर. नई दिल्ली	0	2	2	0
	कुल	0	32	62	11076

विवरण-V

वर्ष 2007-2008 के दौरान दूरसंचार सर्किलवार बंद किए गए तार घरों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सी.टी.ओ.	टी.ओ.	टी.सी.	सी.ओ.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	12	0
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	0	10	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	9	2	0
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	15	20	0
12.	केरल	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	49	4	0
14.	महाराष्ट्र	0	5	0	387
15.	उत्तरपूर्व-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	0	0	2	46

1	2	3	4	5	6
16.	उत्तरपूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड)	0	2	0	0
17.	उड़ीसा	0	15	0	0
18.	पंजाब	0	1	0	5
19.	राजस्थान	0	1	1	141
20.	तमिलनाडु	0	1	4	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	2	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	17	0	0
23.	उत्तराखंड	0	5	3	0
24.	पश्चिम बंगाल	0	15	1	0
25.	एन.टी.आर. नई दिल्ली	0	1	0	0
	कुल	0	148	49	579

विवरण-VI

31-3-2007 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार डाकघर

क्र. सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघर		उप डाकघर		ई.डी.एस.ओ.		ई.डी.बी.ओ.		कुल		डाकघरों की कुल संख्या
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1.	आन्ध्र प्रदेश	97	3	994	1353	12	19	196	13485	1299	14860	16159
2.	असम	19	0	222	882	0	35	57	3291	298	3708	4006
3.	बिहार	30	1	367	644	18	81	17	7896	432	8622	9054
4.	छत्तीसगढ	10		195	128	0	0	18	2773	223	2901	3124
5.	दिल्ली	12	0	405	4	10	9	62	68	489	81	570
6.	गुजरात	34	0	634	636	0	41	59	7513	727	8190	8917
	दमन और दीव	0	0	4	3	0	0	0	12	4	15	19
	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	3	0	0	0	34	1	37	38
7.	हरियाणा	16	0	294	177	3	11	12	2140	325	2328	2653
8.	हिमाचल प्रदेश	15	3	101	343	4	14	0	2299	120	2659	2779
9.	जम्मू-कश्मीर	9	0	175	74	11	11	32	1379	227	1464	1691
10.	झारखंड	13	0	226	209	11	17	22	2593	272	2819	3091
11.	कर्नाटक	60	0	923	808	14	33	248	7751	1245	8592	9837
12.	केरल	45	6	485	959	69	394	308	2790	907	4149	5056
	लक्षद्वीप	0	0	0	6	0	3	0	1	0	10	10
	माहे	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	4
13.	मध्य प्रदेश	42	0	693	326	33	35	80	7120	848	7481	8329

14.	महाराष्ट्र	59	0	1083	962	10	108	107	10250	1259	11320	12579
	गोवा	2	0	45	57	0	3	7	144	54	204	258
15.	उत्तर पूर्व											
	अरुणाचल प्रदेश	1	0	17	31	0	0	0	251	18	282	300
	मणिपुर	1	0	11	42	0	0	0	643	12	685	697
	मेघालय	2	0	25	35	0	0	1	423	28	458	486
	मिजोरम	1	0	23	17	2	3	32	327	58	347	405
	नागालैंड	1	0	15	27	0	0	10	275	26	302	328
	त्रिपुरा	3	0	29	53	2	7	24	598	58	658	716
16.	उड़ीसा	35	0	510	639	10	59	15	6884	579	7582	8161
17.	पंजाब	21	0	445	326	0	8	18	3082	484	3416	3900
	चंडीगढ़	1	0	42	2	0	1	0	6	43	9	52
18.	राजस्थान	47	2	627	690	14	30	30	8924	718	9646	10364
19.	तमिलनाडु	91	0	1448	1265	131	83	354	8712	2024	10060	12084
	पांडिचेरी	1	0	23	9	0	0	10	52	34	61	95
20.	उत्तराखंड	13	0	190	181	5	76	12	2239	220	2496	2716
21.	उत्तर प्रदेश	73	0	1637	839	123	248	154	14592	1987	15679	17666
22.	पश्चिम बंगाल	45	0	945	713	47	285	73	6641	1110	7639	8749
	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	0	10	16	1	5	0	68	12	89	101
	सिक्किम	1	0	12	10	0	4	0	183	13	197	210
	कुल	801	15	12866	11969	532	1623	1959	125439	16158	139046	155204

विवरण-VII

30-04-2008 की स्थिति के अनुसार कार्यरत तारघरों (सी.टी.ओ., टी.ओ., टी.सी. और सी.ओ.) की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सी.टी.ओ.	टी.ओ.	टी.सी.	सी.ओ.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	9	0	0	0
3.	असम	3	26	12	232
4.	बिहार	12	18	12	138
5.	छत्तीसगढ़	1	1	1	79
6.	गुजरात	5	12	0	0
7.	हरियाणा	3	13	1	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	2	5	4	39
10.	झारखंड	6	13	9	0
11.	कर्नाटक	5	49	7	1442
12.	केरल	3	36	100	744
13.	मध्य प्रदेश	4	3	16	0
14.	महाराष्ट्र	10	68	6	123
15.	उत्तरपूर्व-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	2	4	4	59
16.	उत्तरपूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड)	0	5	0	59
17.	उड़ीसा	3	12	5	465
18.	पंजाब	5	19	9	6
19.	राजस्थान	5	34	22	0
20.	तमिलनाडु	14	52	35	479

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5	55	53	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4	13	48	21
23.	उत्तराखंड	1	10	16	120
24.	पश्चिम बंगाल	2	26	13	1974
25.	एन.टी.आर. नई दिल्ली	1	18	15	0
	कुल	106	494	388	5980

[अनुवाद]

पार्सल की चोरी के मामले

5380. श्री विजय कृष्ण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डाकघरों से बांटे जाने वाले पार्सल की चोरी के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में आज की तारीख तक प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या चोरी हुए सामान के लिए सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान पार्सल चोरी/खो जाने के संबंध में 144 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) से (च) चूक के लिए दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। पंजीकृत पार्सलों के मामले में 100/- रु. तक की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। बीमाकृत पार्सलों के मामले में मुआवजे के रूप में वास्तविक नुकसान अथवा बीमा की राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। तथापि, अपंजीकृत पार्सलों के मामले में विभागीय नियमों के अनुसार कोई मुआवजा देय नहीं है। संबंधित अवधि में निपटाई गई शिकायतों में मुआवजे के रूप में 17287/- रु. की राशि का भुगतान किया गया।

खाद्य विनियामक प्राधिकरण

5381. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की खाद्य आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और देश खाद्य का विशुद्ध आयातक बन गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 2017 तक जैव-ईंधन खेती के अंतर्गत करीबन 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि लाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अधीन खाद्य नियामक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। उपबंधों के अनुसार खाद्य प्राधिकरण संसद द्वारा अधिनियमित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को लागू करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करने तथा खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और ठोस खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) देश में चावल और गेहूं की जरूरत बढ़ रही है। तथापि, भारत एक चावल निर्यातक देश है। गेहूं के मामले में सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के लिए गेहूं की जरूरत को पूरा करने के लिए 2006-07 और 2007-08 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए क्रमशः 55 लाख टन और 18 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया।

(ङ) कृषि और सहकारिता विभाग ने सूचित किया है कि जैव ईंधन फसल के अधीन 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार की सहायता से देश में जैट्रोफा और करंज की जैव ईंधन खेती शुरू की गई है।

(च) किसानों को अधिक गेहूं और धान पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खरीद मूल्यों को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

	गेहूं		धान			
			साधारण		ग्रेड 'ए'	
	रबी विपणन मौसम 2007-08	रबी विपणन मौसम 2008-09	खरीफ विपणन मौसम 2006-07	खरीफ विपणन मौसम 2007-08	खरीफ विपणन मौसम 2006-07	खरीफ विपणन मौसम 2007-08
न्यूनतम समर्थन मूल्य	750	1000	580	645	610	675
बोनस	100	-	40	100	40	100
खरीद मूल्य	850	1000	620	745	650	775

उड़ान निषिद्ध क्षेत्र

5382. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री नन्द कुमार साय:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में सभी परमाणु संस्थानों के लिए उड़ान निषिद्ध क्षेत्र स्वीकृत करने पर विचार किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में उड़ान निषिद्ध क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक उड़ान निषिद्ध क्षेत्रों के लिए लंबित पड़े अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उड़ान निषिद्ध क्षेत्रों की घोषणा किए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) नागरिक विमानन पर उड़ान निषिद्ध क्षेत्रों के प्रभाव के बारे में विचार करते समय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर इन क्षेत्रों को घोषित नहीं किया जाता है। संभावित खतरे की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के क्षेत्रों की निरंतर पुनरीक्षा कराई जाती है।

बृहत प्रबंध योजना

5383. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में बृहत प्रबंध योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) राज्यों द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) बृहत प्रबंध योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि वृहत प्रबंधन स्कीम (एम.एम.ए.) के अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं II पर संलग्न है।

(ग) एम.एम.ए. स्कीम 2000-01 से लागू हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता, कृषि वित्त निगम लि. एवं नाबार्ड परामर्शी लि. (एन.ए.बी.सी.ओ.एन.) द्वारा किए गए एम.एम.ए. स्कीम के मूल्यांकन के अनुसार स्कीम सफल रही है क्योंकि यह राज्य सरकारों को निधियों के विवेकपूर्ण आवंटन द्वारा उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य की क्षमताओं का दोहन करने की छूट देती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के तहत उच्च उपज वाली किस्मों के प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने एवं रोजगार सृजन में सहायता हेतु कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव किसानों एवं कार्यान्वयनकारी संस्थाओं के बीच इसकी लोकप्रियता के सूचक हैं।

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान कृषि वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	व्यय 2005-06	व्यय 2006-07	व्यय* 2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3300.00	4210.00	5200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1420.00	2200.00	2650.00

1	2	3	4	5
3.	असम	1720.00	2000.00	2050.00
4.	बिहार	1700.00	2170.00	2400.00
5.	छत्तीसगढ़	1800.00	2300.00	2350.00
6.	गोवा	200.00	260.00	300.00
7.	गुजरात	2200.00	2810.00	4350.00
8.	हरियाणा	1600.00	2040.00	2250.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	2040.00	2300.00
10.	जम्मू-कश्मीर	3000.00	4000.00	4240.00
11.	झारखंड	1300.00	1660.00	1700.00
12.	कर्नाटक	4700.00	5990.00	7010.00
13.	केरल	2400.00	3060.00	3450.00
14.	मध्य प्रदेश	3900.00	4980.00	6500.00
15.	महाराष्ट्र	6850.00	8730.00	12450.00
16.	मणिपुर	1600.00	2200.00	2650.00
17.	मिजोरम	1800.00	2500.00	3000.00
18.	मेघालय	1600.00	1800.00	1850.00
19.	नागालैण्ड	1800.00	2500.00	3000.00
20.	उड़ीसा	2000.00	2550.00	3300.00
21.	पंजाब	1100.00	0.00	1300.00
22.	राजस्थान	5800.00	7390.00	8600.00
23.	सिक्किम	1422.00	1900.00	2400.00
24.	तमिलनाडु	3600.00	4590.00	5450.00
25.	त्रिपुरा	1700.00	2000.00	2400.00
26.	उत्तर प्रदेश	5800.00	7400.00	8100.00
27.	उत्तरांचल	1700.00	2170.00	2650.00
28.	पश्चिम बंगाल	2500.00	3190.00	3500.00

1	2	3	4	5
29.	दिल्ली	50.00	0.00	50.00
30.	पांडिचेरी	100.00	0.00	50.00
31.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	280.00	25.00	40.00
32.	चंडीगढ़		0.00	0,00
33.	दादरा व नागर हवेली	20.00	10.00	30.00
34.	दमण व दीव		0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	200.00	25.00	30.00
	कुल	70762.00	88700.00	107600.00

विवरण-II

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान कृषि वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत राज्यवार व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	व्यय 2005-06	व्यय 2006-07	व्यय* 2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3093.73	5866.23	2866.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	1880.69	2146.86	893.2
3.	असम	377.80	2467.06	अभी प्राप्त नहीं
4.	बिहार	1114.09	2083.55	2184.62
5.	छत्तीसगढ़	4045.45	2797.03	811.17
6.	गोवा	286.83	418.97	160.05
7.	गुजरात	3903.82	5571.82	2160
8.	हरियाणा	1642.27	2643.52	826.2
9.	हिमाचल प्रदेश	1696.54	2644.37	902.32
10.	जम्मू-कश्मीर	2715.83	2505.96	अभी प्राप्त नहीं
11.	झारखंड	1874.02	अभी प्राप्त नहीं	अभी प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	8374.68	6402.65	2884.91
13.	केरल	3571.97	3428.38	709.99
14.	मध्य प्रदेश	3991.42	3878.78	3250
15.	महाराष्ट्र	10256.30	11626.63	5190.9
16.	मणिपुर	2039.25	2354.91	1325
17.	मिजोरम	1070.00	2227.00	1025.45
18.	मेघालय	1233.55	991.96	936.85
19.	नागालैण्ड	2155.50	2221.04	1500
20.	उड़ीसा	2000.00	3704.93	1729.91
21.	पंजाब	1279.22	1482.04	अभी प्राप्त नहीं
22.	राजस्थान	7938.26	9572.25	5356.56
23.	सिक्किम	1372.94	1823.57	1367.34
24.	तमिलनाडु	4501.23	6491.77	3276.47
25.	त्रिपुरा	1835.32	1853.25	1895.48
26.	उत्तर प्रदेश	6262.07	6950.17	8817
27.	उत्तरांचल	1944.77	2646.17	2047.57
28.	पश्चिम बंगाल	3134.79	2765.21	1414.99
29.	दिल्ली	19.62	0.00	अभी प्राप्त नहीं
30.	पांडिचेरी	23.42	7.25	9.05
31.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	33.32	12.50	19.52
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0
33.	दादरा व नगर हवेली	4.85		5.73
34.	दमण व दीव		3.13	अभी प्राप्त नहीं
35.	लक्षद्वीप	23.25	11.46	अभी प्राप्त नहीं
	कुल	85696.80	99600.42	53566.86

*अनन्तिम

वाणिज्यिक विकास के लिए एन.टी.सी. भूमि

5384. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) ने वाणिज्यिक विकास के लिए देश के विभिन्न भागों में अधिशेष भूमि की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एन.टी.सी. को कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। 31-3-2008 की स्थिति के अनुसार एन.टी.सी. के पास बिक्री के लिए उपलब्ध 1383.19 एकड़ अतिरिक्त भूमि का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शेष भूमि (1383.19 एकड़) की बिक्री से प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व की राशि समय-समय पर बाजार मूल्य और संपदा के स्थान पर निर्भर करती है। तथापि, प्रारूप पुनर्वासन योजना में मूल अनुमान के अनुसार, भूमि की बिक्री से मोटे तौर पर 1755 करोड़ रु. की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

31-3-2008 की स्थिति के अनुसार बिक्री के लिए उपलब्ध बेशी भूमि का ब्यौरा

क्र. सं.	मिलों का राज्य-वार नाम	बिक्री के लिए उपलब्ध बेशी भूमि (एकड़ में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	अदोनी मिल्स, अदोनी	7.17
2.	तिरुपति मिल्स, रेनीगुंटा	48.66
3.	अनंतपुर मिल्स, ताडापत्री	9.25
	कर्नाटक	
4.	मैसूर मिल्स, बेंगलूर	7.22
5.	एम.एस.के. मिल्स, गुलबर्गा	40.12
6.	मिनर्वा मिल्स, बेंगलूर	2.00
7.	श्री येलम्मा, तोलाहुन्से	98.80
	केरल	
8.	अलगप्पानगर मिल्स	5.38
9.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	13.25
	पंजाब	
10.	खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर	18.10
11.	दयालबाग मिल्स अमृतसर	9.84
12.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरर	12.60
	राजस्थान	
13.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	5.17
	गुजरात	
14.	अहमदाबाद न्यू टेक्स. मिल्स	7.45
15.	अहमदाबाद जुपिटर मिल्स, अहमदाबाद	4.97
16.	जहांगीर मिल्स, अहमदाबाद	3.15
17.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स नं. 1 अहमदाबाद	4.29
18.	न्यू मानिकचौक मिल्स, अहमदाबाद	8.99
19.	महालक्ष्मी मिल्स, भावनगर	16.32
20.	पेटलड टेक्सटाइल मिल्स, पेटलड	29.28
21.	विरंगम टेक्सटाइल मिल्स, विरंगम	14.10
22.	फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	8.38

1	2	3
	मध्य प्रदेश	
23.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	71.30
24.	नुरहानपुर ताप्ती मिल्स	39.88
25.	इंदौर मालवा मिल्स, इंदौर	84.21
26.	हीरा मिल्स, उज्जैन	96.45
27.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	33.85
	छत्तीसगढ़	
28.	बंगाल नागपुर मिल्स	52.10
	महाराष्ट्र	
29.	आर.बी.बी.ए. मिल्स, हिंगनघाट	6.04
30.	सेवतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला	1.03
31.	विदर्भ मिल्स, अघलपुर (प्लाट नं. 1, 2 और 6)	9.36
32.	मॉडल मिल्स, नागपुर	0.90
33.	आर.एस.आर.जी. मिल्स, अकोला (प्लाट नं. 3)	13.11
34.	टाटा मिल्स, मुंबई	9.98
35.	इंदु मिल्स सं. 1, मुंबई	8.71
36.	इंदु मिल्स सं. 6, मुंबई	11.96
37.	जाम मिल्स, मुंबई	7.99
38.	इंदु मिल्स सं. 4, मुंबई	7.79
39.	सीता राम मिल्स मुंबई	8.43
40-41.	कोहिनूर मिल्स सं. 1 व 2, मुंबई	21.72
42.	बर्सी मिल्स, बर्सी	32.66
43.	फिनले मिल्स	10.40
44.	मधुसूदन मिल्स, मुंबई	18.05
45.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	7.17
46.	भारत मिल्स, मुंबई	8.37
47.	दिग्विजय मिल्स, मुंबई	9.33
48.	औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	10.41
49.	पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	2.39
	तमिलनाडु	
50.	रावेश्वरर मिल्स, (साइट नं. 2)	15.86
51.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	7.53
52.	कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स, कोयम्बटूर	1.47
53.	सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	6.87
54.	कोयम्बटूर स्पि. व विविंग मिल्स	20.00
	उत्तर प्रदेश	
55.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	6.19
56.	बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	1.74
57.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	46.59
58.	लॉर्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	24.70
59.	स्वदेशी मिल्स, मऊनाथभंजन	9.20
60.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	23.47
61.	लक्ष्मी रत्तन मिल्स, कानपुर	13.80
62.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	29.64
63.	म्यूर मिल्स, कानपुर	49.20
64.	श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ	9.86
65.	रायबरेली टेक्सटाइल्स मिल्स, रायबरेली	30.42

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
66.	बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स नं. 2 कट्टांगज	19.04
67.	आरती कॉटन टेक्सटाइस मिल्स, हावड़ा	6.25
68.	मनिन्द्र बी.टी. टेक्स. मिल्स, कोसिग बाजार	30.86
	(ख) असम	
69.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, चन्द्रपुर	50.00
	(ग) बिहार	
70.	बिहार कोऑपरेटिव टेक्स. मिल्स, नोकाना	22.20
	कुल	1383.19

[हिन्दी]

रेशम क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूह

5385. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेशम व रेशम उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में महिला स्व-सहायता समूहों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रेशम व रेशम उत्पादों के उत्पादन व विपणन को बढ़ावा देने हेतु उक्त समूहों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ आवंटित एवं जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार सभी राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः "उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.)" कार्यान्वित कर रही है। योजना के तहत, भागीदारों की पहचान में प्रतिष्ठित एन.जी.ओ., स्वैच्छिक सेवा संगठनों, स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। वान्य क्षेत्र संघटकों के विषय में योजनाओं को वाना समरक्षण समितियों, वन प्रबंधन समूहों, स्व सहायता समूहों, महिला समूहों, प्रोजैक्ट-मोड में चुनिंदा समूहों में रीयरर्स समूहों जैसे चुनिंदा समूहों के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में रेशम उत्पादन के विकास के लिए विशेष एस.जी.एस.वाई. परियोजना के तहत महिला रेशम उत्पादकों को एस.एच.जी. में संगठित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सी.डी.पी. के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग करते हुए चुनिंदा समूहों में रेशम उत्पादन के गहन विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा रेशम उत्पादन समूह विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के तहत कोया और रेशम उत्पादन के लिए महिला स्व सहायता समूहों को वरीयता दी जाती है। समूह विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी को महिला लाभार्थियों सहित रेशम उद्योग के भागीदारों को हस्तांतरित करना है।

नीचे दी गई तालिका में 10वीं योजना के दौरान राज्य-वार विकसित किए गए समूहों की सूची, वास्तविक उपलब्धियों, अनुमोदित कुल परिव्यय और व्यय में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के हिस्से का ब्यौरा दिया गया है:-

#	राज्य	वास्तविक उपलब्धियां			वित्तीय आबंटन एवं व्यय (लाख रु. में)	
		विकसित किए गए समूहों की संख्या	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या	पौधारोपण का विकास (एकड़ में)	कुल परिव्यय	जारी की गई निधियों में सी.एस.बी. का हिस्सा
1.		3	480	406,8	305.00	37.32
2.		3	497	247.5	283.05	60.66
3.		2	104	113.0	116.78	23.23
4.		2	200	200.0	358.64	92.40
5.		2	200	300.0	203.11	108.78
6.		2	75	38.0	265.87	9.63
7.		1	200	25.0	427.83	21.49
		15	1,758	1,330.3	1,970.90	353.51

[अनुवाद]

एक समान कॉल दर

5386. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लोकल कॉल द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग तक टेलीफोन संपर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा;

(घ) क्या भारत से मध्य पूर्व के देशों को मोबाइल तथा लैंड लाइन द्वारा आई.एस.डी. कॉल दरें भारत से अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या विश्व के अन्य किसी देश की आई.एस.डी. की कॉल दरों की तुलना में काफी ज्यादा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार भारत से मध्यपूर्व के देशों को आई.एस.डी. कॉल दरों में कमी लाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, नहीं। फिलहाल, देश के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानीय कॉल की सुविधा के माध्यम से टेलीफोन संचार संपर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) देश की दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क का निर्धारण समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होता है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश के मौजूदा उपबंधों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर लाइन सेवा, सेल्यूलर मोबाइल सेवा में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा एवं पट्टेशुदा लाइन सेवा को छोड़कर अन्य दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का परिहार कर दिया गया है।

भारत से मध्य पूर्व देशों को की जाने वाली कॉल की

दरें विश्व के किसी अन्य देश, जिनमें सं. रा. अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, थाइलैंड, मलेशिया एवं इंडोनेशिया शामिल नहीं है, को भारत से की जाने वाली कॉल की दरों के या तो बराबर हैं या उनकी तुलना में कम है।

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल प्रभारों के रूझानों एवं उनमें नवीनतम परिवर्तनों संबंधी जानकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, संलग्न विवरण-I में दी गई है। बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. में आई.एस.डी. के प्रभारों में परिवर्तन संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-II एवं III में दिए गए हैं।

(च) फिलहाल, बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. में भारत से मध्य पूर्व देशों को की जाने वाली आई.एस.डी. कॉल की दरों को कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रशुल्कों की समीक्षा ग्राहकों की आवश्यकताओं बाजार की मौजूदा परिस्थितियों, भिन्न-भिन्न देशों तक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के वहन हेतु देय समापन/वहन प्रभारों एवं ट्राई के विनियमों के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

कतिपय प्लानों के अंतर्गत ग्राहक काफी कम दरों पर आई.एस.डी. कॉल कर सकते हैं।

विवरण-I

ट्राई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल प्रभारों में रुझान

(रु. प्रति मिनट)

देश	1-4-1999 से 30-9-2000 तक	1-10-2000 से 31-3-2002 तक	1-4-2002 से 19-7-2002 तक	20-7-2002 से अक्तूबर 2003 तक
सार्क देश एवं अन्य पड़ोसी देश	30.00	25.20	21.60	18
अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी के देश, एशिया के देश एवं ओसीनिया देश	49.20	40.80	32.40	24
अमेरिकी महाद्वीप के देशों में एवं पश्चिमी गालार्ध के अन्य स्थानों पर	61.20	49.20	40.80	24

ट्राई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल प्रभारों में अद्यतन परिवर्तन

(रु. प्रति मिनट)

देश	अक्तूबर, 2003 से 9 अप्रैल, 2004 तक	10 अप्रैल से 20 अक्तूबर, 2004 तक	21 अक्तूबर, 2004 से प्रभावी	21 मई 2005 से प्रभावी	1 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी
1	2	3	4	5	6
यूनाइटेड किंगडम	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20

1	2	3	4	5	6
सं.रा. अमेरिका एवं कनाडा	9.60	7.20	7.20	7.20	7.20
शेष यूरोप	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
द.पू. एशिया	12.00	9.60	9.60	9.60	9.60
श्रीलंका	21.18	18.00	12.00	12.00	7.20
शेष विश्व	24.00	18.00	18.00	12.00	12.00

विवरण-II

बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन/मोबाइल से की गई कॉलों के लिए आई.एस.डी. कॉल दरें

देश	पल्स (सेकेण्ड में)	रु. प्रति मिनट*
सं.रा. अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका	10	7.2
यूरोप (यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर), सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एवं हांगकांग, कवैत, बहरीन, यू.ए.ई., ओमान, कतर	7.5	9.6
शेष विश्व	6	12.00

*1.20 रु. के यूनिट कॉल दर के आधार पर, अन्य यूनिट कॉल दरों के लिए तदनुसार राशि प्रभारित की जाएगी।

विवरण-III

बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन/मोबाइल से की गई कॉलों के लिए आई.एस.डी. कॉल दरें

देश	लैंडलाइन से कॉल (पल्स सेकेण्ड में*)	मोबाइल से कॉल (रु. प्रति मिनट)
सं.रा. अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, हांगकांग, थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया	9.5	6.3
यूरोप, खाड़ी के देश, सार्क एवं अफ्रीका के देश	6.5	9.2
शेष विश्व	3.3	18.00

*चयनित प्लान के अनुसार पल्स दर 0.40 रु. से 1.20 रु.।

खाद्य सुरक्षा

5387. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के एक विशेषज्ञ दल ने भारत का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने को सहमत हुआ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2008 में ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिल्क मार्क आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया

5388. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिल्क मार्क आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एस.एम. ओ.आई.) के मुख्य कार्य व उद्देश्य क्या हैं;

(ख) एस.एम.ओ.आई. की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल सदस्यता कितनी है तथा इसकी सदस्यता हेतु राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने संगठनों ने अब तक आवेदन किया है;

(ग) सिल्क मार्क स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सदस्य जुड़े हैं और कितने उत्पादों पर लेबल लगाया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, सदस्यों से पंजीकरण शुल्क के रूप में राज्य-वार कितना राजस्व वसूला गया; और

(ङ) एस.एम.ओ.आई. स्कीम के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) सिल्क मार्क बजार में प्रचलित रेशम की नकदी किस्मों से भारतीय उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक उपाय है। यह पाया गया है कि बहुत से खुदरा दुकानदार शुद्ध रेशम के रूप में बनावटी रेशम की बिक्री कर रहे हैं और इस प्रकार इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय ने भारतीय सिल्क मार्क संगठन (एम.एम.ओ.आई.) के माध्यम से 'सिल्क मार्क' योजना शुरू करके उपभोक्ताओं और रेशम मूल्य शृंखला के अन्य स्टेक होल्डरों के हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 2004 के दौरान यह पहल की है।

लाभ और उद्देश्य:

- रेशम की शुद्धता के संबंध में उपभोक्ताओं और रेशम मूल्य शृंखला के अन्य स्टेकहोल्डरों के हितों की रक्षा करना।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का व्यापक संवर्धन।

प्रमुख कार्य/उत्तरदायित्व:

- रेशम मार्क लेबल का प्रचार, सदस्य और प्राधिकृत प्रयोक्ताओं का पंजीयन और उनका प्रशिक्षण।
- विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, रेशम मार्क उत्सव, एक्सपो आदि का आयोजन करना और उनमें भाग लेना।
- उपभोक्ताओं और उद्योग के लिए अन्य प्रचार अभियानों सहित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- बाजार आसूचना और निगरानी।

भारतीय सिल्क पार्क संगठन ने इसकी शुरूआत से तीन वर्षों की अवधि में देश में रेशम मार्क को बढ़ावा देने और लोगों को रेशम मार्क के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्नि क्रियाकलाप शुरू किए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय सिल्क मार्क संगठन के अंतर्गत बनाये गये सदस्यों की राज्य-वार कुल संख्या, अब तक

रेशम मार्क योजना के तहत चिन्हित रेशम मार्क उत्पादों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान सदस्यों से पंजीकरण शुल्क के माध्यम से एकत्रित राज्य-वार राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:-

(लाख रु. में)

विवरण: एस.एम.ओ. आई. क्षेत्र	विवरण: शामिल राज्य	जोड़े गए सदस्यों की संख्या	बाजार में पहुंचे रेशम मार्क चिन्हित उत्पादों की संख्या (संख्या लाख में)	निम्नलिखित वर्षों के दौरान पंजीकरण, रेशम मार्क लेबल आदि की बिक्री के माध्यम से एकत्रित राजस्व		
				2005-06	2006-07	2007-08
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	82	1.500	1.50	2.20	1.95
गुवाहाटी	पूर्वोत्तर राज्य	75	0.600	0.20	3.00	2.10
दिल्ली	दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा	26	0.250	0.15	1.50	1.45
बंगलौर	कर्नाटक, केरल	184	17.530	12.43	22.00	22.81
चैन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	228	21.500	15.40	28.00	15.00
मुंबई	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गुजरात	154	3.900	1.50	3.21	4.10
कोलकाता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार	76	1.500	0.50	3.00	1.80
वाराणसी	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	26	0.460	0.10	0.50	0.75
श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	25	0.360	0.10	0.45	0.60
	कुल	876	47.590	31.88	63.86	50.56

सिल्क के ब्रांड प्रमोशन के लिए किसानों से निर्यातकों तक सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल करते हुए सिल्क मार्क योजना पर नये सिरे से बल दिया जा रहा है। लगभग 47.6 लाख सिल्क पार्क चिन्हित उत्पाद बाजार में पहुंचे हैं।

(ङ) एस.एम.ओ.आई. योजना के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपर्ण कदम इस प्रकार हैं-

1. जागरुकता कार्यक्रम:

चूंकि संगठन मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, अतः यह भारत के अनेक शहरों में जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है। इसके प्रचालन के पिछले चार वर्षों में एस.एम.ओ.आई. ने रोड शो सहित 419 से अधिक कार्यक्रम/आयोजित किए हैं। एस.एम.ओ.आई. द्वारा आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों के स्थान नीचे दिए गए हैं-

#	अध्याय	जागरूकता कार्यक्रम/क्रियाकलाप का स्थान
1.	चैन्नई	मदुरई, पारामाकुडी, चैन्नई, कांचीपुरम, त्रिची, ओड्डनचैतीरम, तेनकाशी, शिवाकाशी, नागरकोइल, विरुदुनगर, मायावरम, कुड्डालोर, इरोड, सलेम, कोयम्बटूर, पलानी, सिरकाली, डिंडुगुल, तुतूकोरिन, पट्टुकोटाई, कटरालम, नइवेली, कुम्बाकोणम, विल्लूपुरम, तंजौर
2.	हैदराबाद	हैदराबाद, पोचमपल्ली, वारंगल, नलगोंडा
3.	गुवाहाटी	गुवाहाटी, नलवाड़ी, स्वालकुची, बोको, डुली याजान
4.	मुंबई	मुंबई, थाने, अहमदाबाद, भन्डारा, नागपुर, सांगली, सूरत, पुणे, योला
5.	नई दिल्ली	नई दिल्ली, देहरादून, नोएडा
6.	बेंगलोर	हिन्दुपुर, बेंगलोर, दावनगिरि, धरमावरम, मैसूर
7.	वाराणसी	वाराणसी, मुबारकपुर
8.	श्रीनगर	श्रीनगर, जम्मू
9.	कोलकाता	कोलकाता, बहरामपुर, भुवनेश्वर
10.	भागलपुर	भागलपुर

2. प्रदर्शिनियों एवं मेलों में भाग लेना:

उपभोक्ता मंचों, उपभोक्ता क्लबों और विभिन्न अन्य संघों के साथ संयुक्त कार्यक्रम निम्नलिखित प्रमुख शहरों में आयोजित किए गए - बेंगलूर, चैन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कांचीपुरम, कोलकाता, गुवाहाटी, नई दिल्ली, वाराणसी आदि।

3. प्रमुख शहरों में रेशम मार्क एक्सपो का आयोजन:

उपभोक्ताओं के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषकर प्रमुख शहरों में रेशम मार्क के प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए रेशम मार्क एक्सपो आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में ऐसे तीन एक्सपो आयोजित किए गए हैं और अन्य प्रमुख शहरों जैसे- अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, कांची, चंडीगढ़, दिल्ली आदि में इस प्रकार के एक्सपों आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

4. निगरानी दौरे:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता रेशम मार्क में अपना विश्वास न खोए और रेशम मार्क की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्थान पर दोहरी निगरानी व्यवस्था की गई है। निगरानी मशीन में निम्नलिखित परिकल्पना है-

रेशम मार्क कार्यपालक प्राधिकृत प्रयोक्ता परिसरों में दो महीने में एक बार नियमित रूप से दौरा करते हैं। कार्यपालक उपयोग किए गए लेबलों की संख्या का सत्यापन करते हैं और रेशम मार्क चिन्हित 5% उत्पादों का सत्यापन करते हैं। इन उत्पादों का शुद्धता और गुणवत्ता मैनुअल में सूचीबद्ध अन्य गुणवत्ता मानदंडों के लिए परीक्षण होता है।

5. विज्ञापन/प्रचार सहायता:

रेशम मार्क की दृश्यता बढ़ाने और रेशम मार्क के उपभोक्ताओं और प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने तथा विश्वास बढ़ाने करने के लिए प्रेस और दृश्यश्रृव्य मीडिया में नियमित विज्ञापन जारी किए जाते हैं। प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को भी उनकी खुदरा दुकानों में प्रदर्शन के लिए पर्याप्त प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

6. रेशम मार्क के प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण सहायता:

एस.एस.ओ.आई. लेबल का प्रयोग करते समय संबंधित

व्यक्तियों को अपेक्षित मानक अपनाने, अपनाए जाने वाले नियंत्रण तन्त्र के संबंध में मार्गदर्शन करता है।

कृषि परियोजनाएं

5389. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण की जा रही कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चल रही कृषि परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या नई परियोजनाओं हेतु राज्यों द्वारा विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार में अनुबंध आधार पर कर्मचारी और श्रमिक

5390. श्री इलियास आजमी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों तथा श्रमिकों की अनुबंध आधार पर भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा तत्पश्चात् राज्य-वार, मंत्रालय-वार तथा विभाग-वार भर्ती किए गए कर्मचारियों व श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) अनुबंध पर रखे गए श्रमिकों की भर्ती करने हेतु संस्थापनाओं की पहचान के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(घ) क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में दिए गए नियमों के अनुसार इस प्रकार के कर्मचारियों व श्रमिकों को वेतन, भत्ते व अन्य लाभ दिए जा रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् राज्य-वार व मंत्रालय एवं विभाग-वार श्रम ठेकेदारों द्वारा उक्त कर्मचारियों तथा श्रमिकों के शोषण की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योग

5391. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर कर्नाटक के बागलाकोट जिले में कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी, मूंगफली तथा सूरजमुखी इत्यादि स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) देश में चीनी, मूंगफली और सूरजमुखी आदि जैसे कोई कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है। तथापि, कर्नाटक सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित फूड पार्क अनुमोदित किए गए हैं:-

(i) बागलकोट

(ii) चित्रदुर्ग जिले में हिरीयुर

(iii) गुलबर्ग जिले में जवारगी

(iv) कोलार जिले में मालुर

इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है

कि मै. ग्रीन फूड पार्क लि. 100 एकड़ के प्लाट पर के.आई.ए.डी.बी. इंडस्ट्रीयल एरिया, नवनगर, बागलकोट जिले में एक फूड पार्क की स्थापना कर रहा है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार फूड पार्क को मूंगफली, सूरजमुखी आदि का संसाधन करने के लिए कम से कम 20 फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने के लिए भू-खंडों का आवंटन करना चाहिए जिन्हें पार्क क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

डाक नेटवर्क का उपयोग

5392. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे माइक्रो फायनान्स, बैंकिंग और सूचना आधारित सेवाएं इत्यादि मुहैया कराने हेतु देश में व्यापक डाक नेटवर्क का उपयोग करने का है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) डाक विभाग सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से डाक सेवाओं के अलावा विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है ताकि नेटवर्क का इष्टतम उपयोग हो सके। ये सेवाएं मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:-

I. विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बिजनेस करेसपोंडेंट स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है।

II. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्व-सहायता ग्रुपों तक माइक्रो क्रेडिट वितरण का विस्तार करने का कार्य भी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है।

III. विभाग ने रेल मंत्रालय के सहयोग से यात्री आरक्षण सेवा शुरू की है।

IV. विभाग ग्राहकों को दूरसंचार कंपनियों एवं अन्य उपभोक्ता सेवा प्रदाताओं के विभिन्न बिलों के भुगतान की सुविधा हेतु मंच प्रदान कर रहा है।

V. विभाग यू.टी.आई., भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकलिन टेंपलटन, रिलायन्स म्युचुअल फंड जैसी वित्तीय संस्थाओं आदि की ओर से म्युचुअल फंड आदि वित्तीय लिखतों का वितरण कर रहा है। विभाग ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. के गैर-जीवन बीमा उत्पादों का भी वितरण कर रहा है।

VI. विभाग अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण सेवा के माध्यम से 205 देशों से भेजे गए धन को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

VII. कुछ राज्यों में डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के लाभार्थियों के लिए मजदूरी का वितरण किया जाता है।

VIII. डाक विभाग द्वारा कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का कार्य शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दानारहित फसलें

5393. श्री रघुवीर सिंह शाक्य:

श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बिहार और अन्य राज्यों में फसलों के दानारहित हो जाने की वजह से किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बीज वितरक कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा संबंधित किसानों को मुआवजा और सहायता देने हेतु प्रभावी कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों में हेर-फेर

5394. श्री रामदास आठवले: क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक स्थानों पर विशेषकर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा अन्य निजी कंपनियों के स्थानीय/एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. में लगाए गए बिल के मीटरों में हेर-फेर किया गया है और उक्त पी.सी.ओ. ऑपरेटर टेलीफोन कॉल के लिए निर्धारित दरों से अधिक दर वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर विशेषकर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में विशेष रूप से निजी ऑपरेटरों के उक्त टेलीफोन बूथों पर निरीक्षण करने तथा उन पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) **निजी कंपनियां:**

सरकार द्वारा निजी कंपनियों के पी.सी.ओ. की निगरानी नहीं की जाती है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड:

स्थानीय/एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. के साथ छेड़छाड़ के किसी मामले की इस वर्ष के दौरान सामान्य रूप से तथा विशेषकर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में कोई जानकारी नहीं मिली है।

एम.टी.एन.एल. में पी.सी.ओ. प्रचालकों द्वारा अत्यधिक प्रभार लेने के दो मामलों की जानकारी मिली है। तथापि, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में प्रचालकों द्वारा अत्यधिक प्रभार लेने के मामले की जानकारी एम.टी.एन.एल. को नहीं मिली है।

एम.टी.एन.एल. में पी.सी.ओ. के उपयुक्त प्रचालन हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:-

1. स्थानीय/एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. का नियमित निरीक्षण एवं औचक जांच की जाती है।
2. शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाती है/चेतावनी जारी करने तथा पी.सी.ओ. को काटने हेतु आवश्यक कार्रवाई तदनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

हल्कान परिसर

5295. श्री नन्द कुमार साय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के सुगम आवागमन के लिए हल्कान परिसर का विकास किया है जैसाकि दिनांक 16 मार्च, 2006 के जनसत्ता में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्रों का विकास करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा कितनी निधियों का प्रस्ताव किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) की सहायता से मैसर्स कोन्कोर (रेल मंत्रालय का एक उपक्रम) द्वारा शीघ्र नाशवान माल के लिए ओझर हवाई अड्डे के निकट एक केन्द्र के विकास से सम्बन्धित परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में हल्कान परिसर में कार्यान्वित की जा रही है। इस संबंध में जून, 2006 में मैसर्स कोन्कोर के साथ एपेडा द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। परियोजना की अनुमानित लागत 2.13 करोड़ रुपये है और सितम्बर, 2008 में पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हवाई अड्डों/बन्दरगाहों पर शीघ्र खराब होने वाले सामान के लिए शीतागार और केन्द्र

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शीघ्र नाशवान माल के लिए केन्द्र

1. कोचीन

कार्यान्वयन एजेंसी-कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि.

कार्य समाप्त होने की संभावित तिथि-जनवरी, 2008

परियोजना की कुल लागत-23.45 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-13.09 करोड़ रुपये

निर्मुक्त राशि-8.86 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-4.23 करोड़ रुपये

स्थिति

- सिविल कार्य पूरा हो गया।
- अन्य प्रशीतन उपकरण, पैनल्स आदि स्थापनाधीन है।
- सामग्री सम्भाल उपकरण और इलेक्ट्रीकल उपकरण दिसम्बर 2007 तक पूरा कर लिए जायेंगे।
- इलेक्ट्रीकल संविदाएं वापस मांगी गई है क्योंकि पूर्ववर्ती चयनित ठेकेदार द्वारा वृद्धि की मांग की गई है।
- साइट पर एक्स-रे मशीन सुपुर्द की गई है।
- स्वचलिकरण दिसम्बर अन्त तक पूरा हो जायेगा।
- बाल मेट्स की स्थापना की गई है।
- शीत भण्डार चैम्बर समापनाधीन है।
- परियोजना के जनवरी 2008 तक पूरे होने की संभावना है।
- प्रशिक्षण और परीक्षण जनवरी के अन्त तक शुरू होगा। मार्च 2008 तक सुविधा पूर्ण कार्य करने लगेगी।
- केरल सरकार से प्राप्त दिनांक 14-11-2007 के पत्र में सी.आई.ए.एल. के लिए 3.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की निर्मुक्ति का निवेदन किया है। इस संबंध में हमने सी.आई.ए.एल. से बिल की सत्यापित प्रतियों के साथ वास्तविक व्यय प्रस्तुत करने का निवेदन किया है जोकि प्रतिक्षित है।

2. गोवा

कार्यान्वयन एजेंसी-कोन्कोर

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-सितम्बर, 2008

परियोजना की कुल लागत-2.37 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-2.37 करोड़ रुपये

निर्मुक्त राशि-शून्य

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-2.37 करोड़ रुपये

स्थिति

- जून, 2006 में मैसर्स कोन्कोर के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया।
- भूमि का अधिग्रहण किया गया।
- शीघ्र नाशवान उत्पादों की संभाल के लिए एक अस्थायी शैड बनाया गया है।
- टेंडर आमंत्रित करते हुए प्रारूप टेन्डर जारी किये गये हैं।
- 15 अक्तूबर, 2007 को बोली खोली गई।
- अग्रिम निर्मुक्त किया जाना है।
- परियोजना के सितम्बर, 2008 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

3. कोलकाता

कार्यान्वयन एजेंसी-भारतीय विमानन प्राधिकरण

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-दिसम्बर, 2007

परियोजना की कुल लागत-6.75 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-6.75 करोड़ रुपगे

निर्मुक्त राशि-1.35 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-5.40 करोड़ रुपये

स्थिति

- 1.35 करोड़ रुपये अग्रिम निर्मुक्त किये गये।
- सिविल कार्य पूरा हो गया है।
- इलेक्ट्रीकल और यांत्रिक और वातानुकूलन सामग्री आदि की सम्भाल के लिए टेंडर जारी किये गये हैं।
- ठेकेदार (मैसर्स वोल्टास) को चयनित किया गया और परियोजना दी गई।
- हाल के पत्र दिनांक 19-11-2007 के अनुसार ए.ए.आई. को लगभग 2.00 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति का निवेदन किया है।
- दिसम्बर, 2007 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

4. बागडोगरा

कार्यान्वयन एजेंसी-एस.जे.डी.ए.

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-सितम्बर, 2008

परियोजना की कुल लागत-2.99 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-2.99 करोड़ रुपये

निर्मुक्त राशि-शून्य

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-2.99 करोड़ रुपये

स्थिति

- एस.जे.डी.ए. के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए।
- एस.जे.डी.ए. द्वारा 2.3 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई और 0.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत है।
- भूमि विकास और चारदीवारी निर्माण क्रियान्वयनाधीन है।
- संविदा प्रक्रिया जारी है और दिसम्बर, 2007 में पूर्ण होने की संभावना है।
- अग्रिम भुगतान की निर्मुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
- मैसर्स एस.जे.डी.ए. ने परियोजना लागत के 20% के लिए अनुरोध किया गया है और उनके अनुरोध पर कार्रवाई चल रही है और निर्मुक्ति कर दी जाएगी।
- शीघ्र नाशवान माल परिसर भवन का सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
- इस सुविधा के प्रचालन और रखरखाव के लिए उपयुक्त एजेंसी के चुनाव के लिए मैसर्स एस.जे.डी. दिसम्बर के अन्त तक ई.ओ.आई. जारी करेगा।
- सितम्बर, 2008 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले माल के लिए केन्द्र

1. अहमदाबाद

कार्यान्वयन एजेंसी-जी.ए.आई.सी.

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-सितम्बर, 2008

परियोजना की कुल लागत-7.61 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-1.65 करोड़ रुपये

निर्मुक्त राशि-शून्य

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-1.65 करोड़ रुपये

- मैसर्स जी.ए.आई.सी. ने संशोधित रिपोर्ट 760.17 लाख रुपए की लागत के साथ प्रस्तुत की।
- जी.ए.आई.सी. राज्य संसाधनों से व्यवहारिक कमी की क्षतिपूर्ति से सहमत है।
- तकनीकी समिति ने 24-8-2007 की अपनी बैठक में परियोजना की सिफारिश की।
- प्राधिकरण की 18-9-2007 की बैठक में परियोजना प्रस्ताव रखा गया, तथापि समय की कमी के कारण बोर्ड की अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा।

- परियोजना 12 माह में पूर्ण होने की संभावना है।

2. गुवाहाटी

कार्यान्वयन एजेंसी-कोन्कोर

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-दिसम्बर, 2008

परियोजना की कुल लागत-4.00 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-4.00 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-शून्य

स्थिति

- टेक्नो आर्थिक संभावना अध्ययन पूरा किया जा चुका है।
- रिपोर्ट की एक प्रति मैसर्स कोन्रकोर को टिप्पणी के लिए प्रस्तुत कर दी गई है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है।
- मैसर्स कान्कोर हवाई अड्डों के सभी परियोजनाओं के प्रचालन से सहमत है।
- मैसर्स कोन्कोर ने एन.ई. निधि से राजसहायता के लिए 28 सितम्बर, 2007 को एक व्यापार योजना प्रस्तुत की है। यह एपेडा के परीक्षणाधीन है।
- परियोजना के दिसम्बर 2008 तक पूरे होने की संभावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर शीघ्र खराब होने वाले सामान के कार्गो के लिए शुरू किए गए केन्द्र

1. हल्दिया (समुद्रपत्तन)

कार्यान्वयन एजेंसी-एफ.पी.आई. एंड एच. विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-दिसम्बर, 2008

परियोजना की कुल लागत-5.51 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-.51 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-1.20 करोड़ रुपये

स्थिति

- एम.ओ.यू. जुलाई, 2006 में हस्ताक्षिरत किया गया है।
- पश्चिमी बंगाल सरकार के एफ.पी.आई. एंड एच. विभाग ने परामर्शी फीस को वहन करने के लिए अतिरिक्त निधि का अनुरोध किया है।
- प्रस्ताव 18-7-2007 को प्राधिकरण बैठक के समक्ष रखा गया। हालांकि समय की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर अगली बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा।
- दिसम्बर, 2008 तक पूरा होने की संभावना है

वाक इन किस्म के प्रशीतक कन्टेनर

1. दिमापुर, आइजोल, इम्फाल और अगरतला

कार्यान्वयन एजेंसी-कोन्कोर

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-दिसम्बर, 2007

परियोजना की कुल लागत-0.26 करोड़ रु. (6.5 लाख रुपये प्रत्येक)

एपेडा सहायता-0.26 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-0.26 करोड़ रुपये

स्थिति

- एम.ओ.यू. मैसर्स कोन्कोर के साथ मार्च, 2007 में हस्ताक्षिरत किया गया है।
- अगरतला एवं दिमापुर के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है।
- मैसर्स कोन्कोर द्वारा मैसर्स ए.ए.आई. से भूमि के लिए अनुरोध किया गया।
- परियोजना दिसम्बर, 2007 तक पूरा होने की संभावना है।

2. जयपुर

कार्यान्वयन एजेंसी-आर.एस.ए.एम.बी.

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-अक्तूबर, 2007

परियोजना की कुल लागत-0.19 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-0.19 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-0.19 करोड़ रुपये

स्थिति

- एम.ओ.यू. 6 अक्तूबर, 2006 को हस्ताक्षिरत किया गया है।
- कंटेनर जून, 2006 को प्रतिस्थापित किए गए है और चल रहे हैं। प्रतिदिन 1 टन कार्गो की सम्भल की जा रही है।
- अदायगी अभी जारी करनी बाकी है।

3. जयपुर (4 प्रशीतक वैनों की खरीद)

कार्यान्वयन एजेंसी-आर.एस.ए.एम.बी.

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-प्रतिस्थापित

परियोजना की कुल लागत-1.08 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-1.026 करोड़ रुपये (95%)

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-1.026 करोड़ रुपये

स्थिति

- एम.ओ.यू. हस्ताक्षिरत किया गया है।
- आवश्यक उपकरण खरीदे गये है और वे चेसिस वाहनों पर है।
- अदायगी अभी जारी करनी बाकी है।
- अगले महीने तक पूरा होने की संभावना है।

4. भुवनेश्वर

कार्यान्वयन एजेंसी-ए.पी.आई.सी.ओ.एल.

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-मार्च, 2008

परियोजना की कुल लागत-0.10 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-0.10 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-0.10 करोड़ रुपये

स्थिति

- वाक इन किस्म के शीत कमरों की प्रतिस्थापना के लिए मैसर्स सन्दीप उपकरण एवं रसायन प्राइवेट लि. को कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी किया गया है।
- राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।
- भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर कंटेनर सुपुर्द कर दिया गया है।
- कंटेनर की अदायगी अभी बाकी है।

5. जम्मू

कार्यान्वयन एजेंसी-जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार

कार्य समाप्त होने की सम्भावित तिथि-मार्च, 2008

परियोजना की कुल लागत-0.10 करोड़ रु.

एपेडा सहायता-0.10 करोड़ रुपये

31-03-08 तक निर्मुक्त की जाने वाली राशि-1.10 करोड़ रुपये

स्थिति

- एपेडा वाक इन किस्म के कंटेनर स्थापित करने के लिए सिद्धांततः सहमत हुई है।
- उपकरणों की विशिष्टताओं के साथ एम.ओ.यू. की ड्राफ्ट कापी ए.जी.एम. (वी.के. कौल) के जरिए राज्य सरकार को अग्रेषित।

भर्ती में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार

5396. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की रक्षा सेनाओं में सैनिकों की भर्ती में

अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कथित मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेनाओं में सैनिकों की भर्ती में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार का कोई गंभीर मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान भर्ती के संबंध में आठ शिकायतों की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की गई थी। रक्षा सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के संबंध में किसी भी अनाचार के प्रति सरकार सतर्क रहती है। भर्ती में अनियमितता के आरोप के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत की तुरंत जांच की जाती है तथा यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो निर्धारित कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है।

जैव उर्वरकों पर राज सहायता

5397. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक शिष्टमंडल ने मंत्रालय से उच्च पैदावार वाले बीजों का उपयोग शुरू करने और शहरी जैविक अपशिष्ट से बने जैव उर्वरकों पर राज-सहायता देने हेतु 10,000 करोड़ रुपये की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार को उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग को आरम्भ करने एवं शहरी जैविक अपशिष्ट को परिवर्तित करके जैविक उर्वरक बनाने पर राजसहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव किसी शिष्टमंडल से प्राप्त नहीं हुआ है।

हालांकि उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम 50 लाख रुपये तक अनुमानित लागत के एक तिहाई की दर से न्यूनतम 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले शहरी अपशिष्ट कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना (केवल मशीनरी एवं भवन के लिए) के लिए राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के तहत भी फल एवं सब्जी बाजार अपशिष्ट कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा तक 25% पश्च अन्त राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

रक्षा खरीद में वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग

5398. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार रक्षा खरीद में वित्तीय शक्तियों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है जैसाकि दिनांक 15 मार्च, 2008 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बताए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए 14 मार्च, 2008 को संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 4 और 5 में अन्य बातों के साथ-साथ वी.आई.पी. बोइंग बिजनेस जेटों के अर्जन, लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक के अर्जन, दोषपूर्ण गोलाबारूद स्वीकार किए जाने के कारण हुए परिहार्य नुकसान, विमानों का उन्नयन और सेना कमांडरों को प्रत्यायोजित विशेष वित्तीय शक्तियों के दुरुपयोग से संबंधित पैरा भी निहित है। मौजूदा अनुदेशों में लेखा अभिमतों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था है ताकि वह इसे आगे लोक सभा सचिवालय को भेज सके।

[हिन्दी]

सैन्य कर्मियों का पर्श्विक प्रवेश

5399. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा सेवाओं में एक सीमा तक पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकारी रैंक से नीचे के सैन्य कर्मियों के अन्य विभागों में पार्श्विक प्रवेश के संबंध में कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) कारगिल समीक्षा समिति के अनुसरण में गठित मंत्री समूह ने "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार" पर दी गई अपनी रिपोर्ट में सेना के युवा वर्ग को भावी युद्ध की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने हेतु सर्वाधिक युद्ध प्रभावी दशाओं में रखने के प्राथमिक उद्देश्य से सेना कार्मिकों के अर्ध सैनिक संगठनों में पार्श्विक स्थानांतरण की सिफारिश की थी।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने, हाल ही में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, भी अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा कार्मिकों को आजीवन रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से, रक्षा में 7 से 17 वर्ष की सेवा करने के पश्चात रक्षा कार्मिकों के केंद्रीय पुलिस संगठनों/ रक्षा सिविलियन संगठनों में पार्श्विक स्थानांतरण योजना की सिफारिश की है।

सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

डाक विनियामक तथा विकास प्राधिकरण की स्थापना

5400. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कूरियर सेवा के कार्यकरण के विनियमित करने के लिए एक डाक विनियामक तथा विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु हाल ही में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय डाक अधिनियम, 1898 का संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस अधिनियम की स्थिति क्या है तथा डाक अधिनियम संशोधन विधेयक में क्या मुख्य बदलाव करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम की अभी भी जांच की जा रही है और सरकार द्वारा इसके विभिन्न प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय भी लिया जाना है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस आशय का एक प्रस्ताव है लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2008 अभी तैयारी के स्तर पर है तथा इसे अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ङ) इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र संसद के वर्षाकालीन सत्र में ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का निर्माण

5401. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से असम में सेना और वायुसेना की जमीन के टुकड़े पर डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ और मंत्रालय ने क्या उत्तर दिया;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा भूमि के

हस्तांतरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रस्ताव 30 मार्च, 2005 को मिला था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और रक्षा सेनाओं से संबंधित संक्रियात्मक तथा प्रशासनिक मुद्दे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव में जोड़े जाने के लिए उन्हें अवगत करा दिए गए हैं।

खाद्य उत्पादन

5402. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि होने और कृषि उत्पादन में मंदता के कारण 2006-07 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन का स्तर गिरकर 1970 के स्तर पर पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्न उत्पादन में मंदता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्पादन में कमी होने के कारण ऐसी संभावना बन रही है कि देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजना में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या रणनीति बनाई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 1970-71 के दौरान 200.4 किलोग्राम था, 2006-07 के दौरान 195.3 किलोग्राम था तथा 2007-08 के दौरान इसके 201.3 किलोग्राम होने का अनुमान है। हाल के समय में खाद्यान्न उत्पादन 2004-05 के दौरान 198.36 मिलियन टन से 2005-06 के दौरान 208.60 मिलियन टन, 2006-07 के दौरान 217.28 मिलियन टन तथा 2007-08 के दौरान पुनः 227.32 मिलियन टन (22-4-2008 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान) तक बढ़ गया है।

(ग) और (घ) नहीं श्रीमान जी, देश के निकट भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहने की संभावना है। चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, एक केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" (एन.एफ.एस.एम.) रबी 2007-08 से देश में प्रारंभ की गयी है। इसका उद्देश्य लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि के माध्यम से 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात 2011-12 तक चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को कृषि तथा संबंध क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.आई.) प्रारंभ की गयी है।

मिग विमानों की दुर्घटना

5403. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मिग विमानों की अनेक दुर्घटनाओं के मद्देनजर भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ.) के अंतर्गत परिचालित किए जा रहे मिग विमानों के उन्नयन हेतु व्यापक समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) भारतीय वायुसेना के मिग विमानों के बेड़े की अद्यतन स्थिति क्या है तथा मिग बेड़े के पुनरुद्धार, उन्नयन अथवा इसके निपटान संबंधी क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या उन्नत बाइसन विमान भी पूरी तरह परिचालित और सुरक्षित होने में विफल रहा है और इस बेड़े का एक बड़ा भाग अनुरक्षण और कल-पुर्जों के अभाव में बेड़े से बाहर कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) इस समय, भारतीय वायुसेना मिग 21 विमानों और इनके रूपांतरणों का परिचालन कर रही है। संक्रियात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए वैमानिकी और शस्त्र प्रणालियों के अनुकूल विमानों का उन्नयन एक सतत कार्य है। मिग विमानों का प्रतिस्थापन/चरणबद्ध रूप से हटाने की योजना पहले ही शुरू कर दी गई है। सबसे पुराने मिग 29 विमानों की संक्रियात्मक उपयोगिता अवधि और नए विमान को शामिल करने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन्हें सुनियोजित तरीके से चरणबद्ध रूप में हटाया जा रहा है। बाइसन विमान की परिचालनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक नियमित अनुरक्षण कार्यक्रम बनाया है। मिग विमान के बाइसन बेड़े की सेवा उपयुक्तता को सुधारने के लिए भारतीय वायुसेना ने पहले ही विभिन्न विदेशी फर्मों के साथ

दीर्घकालिक अनुरक्षण संविदा की हुई है और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में ओवरहॉल सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं।

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं संबंधी वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट

5404. श्री एस.के. खारवेनथनः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं संबंधी वैद्यनाथन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (अल्पावधि एवं दीर्घावधि) के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा गठित बैद्यनाथन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

1. ग्रामीण अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एस.टी.सी.सी.एस.) के संदर्भ में वैद्यनाथन समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

- वित्तीय पुनर्संरचना में संचित हानियों को हटाने के लिए सहायता, राज्य सरकारों द्वारा दी गई एवं अदत्त गारंटियों को कवर करना, पूंजी को एक विशिष्ट न्यूनतम स्तर तक बढ़ाना, सरकार की अंश पूंजी को समाप्त करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है।
- वित्तीय पनर्संरचना विधिक और संस्थागत सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध और उनके कार्यान्वयन के सापेक्ष होनी चाहिए।
- विभिन्न पणधारियों की देयता को सुनिश्चित करने के लिए मानदंड हानियों का स्रोत होना चाहिए।
- सदस्यों द्वारा संचालित संस्थाएं होने के कारण सहकारिताओं की पूरी अंश पूंजी तर्कसंगत रूप से केवल उसके सदस्यों के योगदान से होनी चाहिए एवं राज्य सरकारों का योगदान, यदि कोई हो, वापिस कर दिया जाना चाहिए।
- सहकारिताओं को प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु कम्प्यूटरीकृत करने एवं ठोस लेखा प्रणाली और मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- वित्तीय सहायता अनिवार्य रूप से सशर्त होनी चाहिए और कानूनी एवं सांस्थानिक सुधारों हेतु सिफारिशों के कार्यान्वयन होने पर ही जारी की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य सहकारिताओं को किसी भी प्रकार की सरकारी भागीदारी अथवा हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त, सदस्यों द्वारा प्रबन्धित एवं आत्मनिर्भर सत्ता बनाना है।
- सहकारिताओं के प्रबंधन एवं अधिशासन में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिनियमों जैसे विभिन्न राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम, बैंकिंग विनियम अधिनियम, नाबार्ड अधिनियम इत्यादि में उचित संशोधन किए जाने चाहिए।
- विधिक संशोधनों से अन्य के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं के सभी प्रयोगकर्ताओं जिसमें जमाकर्ता भी शामिल हैं, के पूर्ण वोटिंग सदस्यता अधिकार को सुनिश्चित करने, सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को पूरी विनियामक शक्तियां देना, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पी.ए.सी.एस.) इत्यादि समेत सभी सहकारिताओं में विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

- भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के बोर्डों के चुनाव के लिए, बोर्ड में पेशावरों को शामिल करने के लिए और नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की न्यूनतम योग्यता इत्यादि के लिए सही एवं उचित मानदंड निर्धारित करें।

विवरण-II

ग्रामीण दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एल.टी.सी.सी.एस.) के संदर्भ में वैद्यनाथन समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

- संचित हानियों को कवर करने, विशेष लेखा-परीक्षा की लागत एवं तकनीकी सहायता हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- भारत सरकार कृषि के दीर्घावधि ऋणों की वजह से होने वाली सभी हानियों, सीधे गैर-कृषि ऋणों के कारण होने वाली हानियों का एक तिहाई, सी.आर.ए.आर. को 7 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए संसाधनों और विशेष लेखा परीक्षा की सम्पूर्ण लागत जिसमें मानव संसाधन विकास प्रयास एवं कार्यान्वयन लागत भी शामिल है, को वहन करेगी।
- राज्य सरकारें उनके द्वारा एल.टी.सी.सी.एस. को देय सभी देय राशि वहन करेगी।
- प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पी.सी.ए.आर.डी.बी.) को सदस्यों की सभी प्रकार की जमा धरोहर तक पहुंच की अनुमति देना।
- पी.सी.ए.आर.डी.बी. को इसके सभी सदस्यों को सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने की अनुमति देना।
- पी.सी.ए.आर.डी.बी. को किसी भी नियमित वित्तीय संस्थान, जिसमें एस.टी.सी.सी.एस. की फेडरल इकाई भी शामिल है, से उधार लेने की अनुमित प्रदान करना।
- एल.टी.सी.सी.एस. में सभी राज्य इक्विटी समाप्त कर दी जाए।
- ऐकिक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शाखाओं को स्वायत पी.सी.ए.आर.डी.बी. में परिवर्तित करना।
- एस.सी.ए.आर.डी.बी. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को सार्वजनिक जमा को उचित नियमित एवं पर्यवेक्षक प्रबंधन के तहत लागू करने की अनुमति प्रदान करना।
- पी.सी.ए.आर.डी.बी. को उनकी पसंद के ऊपरी टीयर से संघ बद्ध होने की अनुमति प्रदान करना।
- एस.सी.ए.आर.डी.बी. को अपने राज्य के राज्य सहकारी बैंक (एस.सी.बी.) से सम्बद्ध हो जाना चाहिए और दोनों संरचनाओं में निम्नतर टीयरों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पारस्परिक स्वीकृत शर्तों पर समर्थन सेवा स्थापित करना।
- सी.आर.ए.आर. न्यूनतम 7 प्रतिशत निर्धारित हो और पांच वर्षों में 12 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए।
- चूंकि बैकिंग विनियम अधिनियम के तहत एल.टी.सी.सी.एस. के अधीन कोई इकाई बैंक नहीं है, शब्द "बैंक" या इसके व्युत्पन्न शब्दों के प्रयोग को निषेध किया जाए।

विमान विनिर्माण

5405. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान एयरोनाटिक लिमिटेड (एच.ए.एल.) को विमान विनिर्माता एयरबस इंडस्ट्रीज से अपने 'सिंगल आइल' विमानो के लिए 2000 दरवाजों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एयरबस इंडस्ट्रीज' के सहयोग से देश में ए-318, ए-319, ए-320 और ए-321 विमानों के विनिर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह):

(क) और (ख) जी, हां। मार्च, 2008 के दौरान 150 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के फारवर्ड पैसेन्जर डोर्स के 2000 शिप सेटों की आपूर्ति करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.एस.एन.एल. में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन

5406. डा. के.एस. मनोज: क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) विशेषतः केरल क्षेत्र में सुरक्षा पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती नहीं कर रहा है और असैनिकों की भर्ती के लिए कई पदों को हाऊसकीपिंग में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. ने कई भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं चार वर्ष की अवधि पूरा होने पर समाप्त कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में पुनर्वास महानिदेशक (डी.जी.आर.) के दिशा-निर्देश क्या है; और

(ङ) इन सैनिकों के बी.एस.एन.एल. में पुनर्नियोजन हेतु सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) में केरल क्षेत्र सहित सुरक्षा गार्डों की तैनाती लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पी.एस.यू.) को पुनर्वास महानिदेशालय (डी.जी.आर.) द्वारा प्रायोजित एजेंसियों अथवा राज्य भूतपूर्व-सैनिक निगम के जरिए सुरक्षा सेवाएं लेना आवश्यक होता है। असैनिकों की भर्ती के लिए किसी भी सुरक्षा पद को हाउसकीपिंग में नहीं बदला गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बी.एस.एन.एल. ने सुरक्षा सेवा में भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं चार वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के कारणों से समाप्त नहीं की है। डी.जी.आर. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी एजेंसी को प्रारंभ में दो वर्ष के लिए प्रायोजित किया जाता है। उसी एजेंसी को डी.जी.आर. द्वारा आगे दो वर्ष के लिए पुनः प्रायोजित किया जाता है बशर्ते कि उसका कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को सस्ती दरों पर मोबाइल फोन देना

5407. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास किसानों को 500 रुपए में मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की कोई योजना है ताकि वे अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य का पता लगा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कृषि मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का आयात

5408. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान उक्त उत्पादों का वर्ष-वार कितना आयात किया गया है; और

(ग) उक्त उत्पादों के बढ़ते आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सबा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरी ध्रुव का अभियान

5409. श्री एस.के. खारवेन्थन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना का विचार उत्तरी ध्रुव का अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई अभ्यास शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय नौसेना के तीन अफसरों और सात नाविकों सहित 10 सदस्यों के एक दल ने मार्च, 2008 के अंतिम सप्ताह में उत्तरी ध्रुव के एक अभियान में भाग लिया। यह दल उत्तरी ध्रुव पर 9 अप्रैल, 2008 को पहुंचा। इस अभियान पर लगभग 1.19 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इसमें सहायता एजेंसी शुल्क, भोजन, झंडा आरोहण/अवरोहण, टीम किटें, विशेष वस्त्र और उपस्कर, यात्रा, कार्य की प्रारंभिक शुरूआत इत्यादि पर हुआ खर्च शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल युद्ध के लिए राहत धनराशि

5410. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल युद्ध से प्रभावित लोगों की राहत के लिए विभिन्न दानों से एकत्रित पैसा पीड़ितों तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार लाइसेंसों का जारी किया जाना

5411. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पक्षों से तदर्थ और अनियमित स्पेक्ट्रम आबंटन के संबंध में लगाए गए कतिपय आरोपों के बावजूद 120 दूरसंचार लाइसेंसों को मंजूरी दे दी है और आशय-पत्र जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जारी किए गए आशय-पत्र के तथ्य क्या हैं;

(ग) कब तक ये लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे;

(घ) क्या लाइसेंस के कई आवेदन पत्र अब भी सरकार के पास लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक सभी आवेदन पत्र मंजूर कर दिए जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 28-08-2007 की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाता की संख्या के संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए, 22 सेवा क्षेत्रों में 16 कंपनियों को 10-1-2008 को जारी किए गए आशय पत्र के लिए उन्हें फरवरी-मार्च, 2008 में 120 नये एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, यू.ए.एस. लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार स्पेक्ट्रम का आवंटन उपलब्धता के अध्यधीन और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) 22 सेवा क्षेत्रों में यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान करने के लिए 26 कंपनियों से 343 आवेदन सरकार के पास लंबित हैं। इन लंबित आवेदनों पर उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात विद्यमान यू.ए.एस. लाइसेंसिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार यथा-समय कार्रवाई की जाएगी और इस अवस्था में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

सॉफ्टवेयर इकाइयों की स्थापना

5412. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के बैंगलौर, चेन्नै तथा पुणे में स्थापित किए गए आई.टी. पार्कों के समान अपने आई.टी. पार्कों में और अधिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वुक्षी यांग्जे रिवर डेल्टा में उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र का शिष्टमण्डल सॉफ्टवेयर उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिला था तथा उनके जिले को चीन का बैंगलौर जिला बनाने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रस्ताव पर भारत किस सीमा तक सहमत हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (च) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार, चीन की सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवा व्यावसाय को आकर्षित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। चीन के कई प्रान्त भारत में नियमित आधार पर प्रतिनिधि मण्डल ला रहे हैं। कई प्रान्त (वुक्षी सहित) सूचना प्रौद्योगिकी - व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (आई.टी.-बी.पी.ओ.) केन्द्र तैयार का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय कम्पनियों को वहां प्रचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भारतीय कम्पनियों ने चीन में केन्द्र स्थापित किए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य उनके विद्यमान वैश्विक ग्राहकों को स्थानीय प्रचालन उपलब्ध कराना, जापानी तथा कोरियाई बाजारों का लाभ उठाना तथा चीन में विकसित हो रहे देशीय बाजार के अवसर में स्वयं को स्थापित करना है।

अर्जुन युद्धक टैंक

5413. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1974 में 15.5 करोड़ रुपए की लागत से अर्जुन युद्धक टैंक का विनिर्माण किया जाना स्वीकृत किया गया था तथा उसके बाद इसकी लागत बढ़कर 306 करोड़ रुपये हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस टैंक के विनिर्माण में विलंब के क्या कारण हैं तथा इसके विनिर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नोटिस में लाई गई टैंक की समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां। राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 26 मार्च, 1974 को हुई अपनी बैठक में 15.50 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य युद्धक टैंक के अभिकल्पन और विकास के लिए एक परियोजना मंजूर की थी। जनरल स्टाफ गुणता आवश्यकताओं और मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि हो जाने के कारण यह राशि बढ़ाकर 305.60 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

(ख) सेना द्वारा टैंकों के अभिकल्पन में आशोधन करने और विभिन्न परीक्षणों के दौरान देखे गए दोषों को दूर करने के कारण इन्हें सेना को प्रदान करने में कुछ विलंब हुआ। सचिव (रक्षा उत्पादन) और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की सह-अध्यक्षता में महानिदेशक यंत्रीकृत बल और संचालन समिति की देखरेख में एक कार्यकारी समूह अर्जुन टैंक के विनिर्माण कार्य की नियमित तौर पर मानीटरी कर रहा है।

(ग) सेना द्वारा किए गए चालू त्वरित प्रयोक्ता सह विश्वसनीयता परीक्षणों के दौरान निम्नलिखित दोष पाए गए हैं:-

(i) पावर पैकों की विफलता

(ii) निम्न परिशुद्धता और नियमित कार्यनिष्पादन में कमी

(iii) हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन यूनिटों की विफलता

(iv) शीर्ष रोलरों का फट जाना

(v) तोप बैरलों में दरार पड़ना

दोषों के परिशोधन और टैंकों के कार्यनिष्पादन की सघन रूप से मानीटरी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

32 सदस्यों से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने संबंधी अनुरोध के बारे में

[अनुवाद]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, इस समय अन्य कोई काम नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: स्पीकर साहब के चैम्बर में जब बैठक होती है और उसमें कोई बात होती है तो वह डिस्कलोज नहीं होती है। वहां क्या डिसीजन होता है, यह बात तब तक सामने नहीं आती है, जब तक वह हाउस में न आ जाए। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जब हम लोग बैठक कर रहे थे तो एक न्यूज चैनल पर यह आ रहा है कि स्पीकर ने जो फैसला दिया था, वह विड्रा कर लिया गया है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है और चैनल का यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इसलिए मैं चाहता हूं आप इस पर कोई फैसला दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप इन्डोर्स कर दीजिए।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। लोक सभा में राजनीतिक दलों के नेता आज सुबह में माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिले तथा उन्होंने उनको सभा के कार्य संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसको देखते हुए नेताओं ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे 32 सदस्यों से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने संबंधी निर्णय पर कृपया पुनः विचार करें।

महोदय, तदनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप इस विषय में पुनः विचार करें और इस गतिरोध को खत्म होने दें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के भी साथ हूं...*(व्यवधान)*। सदन के नेता भी आप से पुनः विचार करने के लिए वही अनुरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या वे पहले से ऐसा सोच रहे थे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी ने इसका समर्थन किया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जब चेम्बर में बात हो रही थी तो पूरे देश को इसकी जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमने आपसे निवेदन भी किया था कि चैम्बर में जो कुछ भी हुआ, उस पर सदन में सभी दल के माननीय नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इन्डोर्स कर दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: चूंकि चैम्बर में जिन नेताओं ने *...इस बात के लिए कि हाउस का संचालन ठीक से हो।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा। *[अनुवाद]* मुझे यह स्वीकार नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सदन के स्मूथली संचालन के लिए इन लोगो ने जो *...उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। राम गोपाल जी ने ठीक कहा कि चैम्बर में जो बात हुई, वह बाहर मीडिया में कैसे आ पाई?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: *...इन लोगों को देश के सामने चेयर का आदर करते हुए, वह बात स्पष्ट करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं टिप्पणी कर रहा हूं। श्री देवेन्द्र प्रसाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। *[हिन्दी]* यह ठीक नहीं है। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: चेयर सुप्रीम है और देश के सामने वह बात आनी चाहिए। यह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में सभा के सुचारू संचालन के संबंध में माननीय सदस्यों के आश्वासन के लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं, यह मेरी एक मात्र चिंता थी। जो अनुरोध किया गया है उसको देखते हुए, मैंने इस विषय पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया है तथा इसको मैं वापस ले लूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: हां, हां, वह सब हो गया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): जब मीडिया में यह बात आ गई है तो चैम्बर की बात सदन में भी आनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आप लोगों ने एश्योरेंस दिया है।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कर्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सदन में गलत परम्परा स्थापित नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उत्तेजित न हों। कार्यवाही वृत्तांत में

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(अनुवाद)

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बी.ई.एम.एल. लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8761/2008]

(2) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8762/2008]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): महोदय, मैं श्री सैफुद्दीन सोज़ की तरफ से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8763/2008]

(2) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8764/2008]

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्सकरण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* सं. एल.टी. 8765/2008]

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (आठवां संशोधन) नियम, 2007 जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 262 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8766/2008]

(4) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263, जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजन से अधिसूचना में ल्लिखित व्यवसायों अथवा विषयों के साथ व्यावसायिक परीक्षण अथवा परीक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा के लिए दो राज्य परिषदों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8767/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) उड़ीसा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8768/2008]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* सं. एल.टी. 8769/2008]

(3) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* सं. एल.टी. 8770/2008]

(5) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8771/2008]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 747(अ) जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 12क के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8772/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) दि कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* सं. एल.टी. 8773/2008]

(2) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

[श्री पवन कुमार बंसल]

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* सं. एल.टी. 8774/2008]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* सं. एल.टी. 8775/2008]

(3) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* सं. एल.टी. 8776/2008]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ..रतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8777/2008]

(2) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2008 जो 28 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* सं. एल.टी. 8778/2008]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इर्रीगेशन डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इर्रीगेशन डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004-05 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* सं. एल.टी. 8779/2008]

अपराह्न 2.07½ बजे

याचिका समिति

41वां और 42वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग), कोयला और वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित अभ्यावेदनों के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(2) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सम्बन्धित अभ्यावेदनों के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रीयों द्वारा वक्तव्य

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में समाविष्ट निर्देशों के अनुपालन में रक्षा संबंधी स्थायी (चौदहवीं लोक सभा) की 16वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 16वीं रिपोर्ट 'रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांग (2007-08)' से सम्बद्ध है। 16वीं रिपोर्ट 28 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में और 3 मई, 2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी।

16वीं रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 22 अगस्त 2007 को भेजे गए थे।

समिति द्वारा उनकी 16वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I में दी गई है जोकि सभा-पटल पर रख दी गई है। अनुबंध-I की सारी विषय-वस्तु पढ़कर मैं सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8780/2008।

अपराह्न 2.08½ बजे

(दो) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित भू-संपदा प्रबंधन के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदयं, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से, मैं लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में, सदन का बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए, डाक विभाग के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की 48वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.09 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन हेतु विनियमों में संशोधन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समितियों के लिए निर्वाचन कराने के लिए विनियमों के विनियम 1, 2, 4 और 6 के संबंध में अध्यक्ष द्वारा किए गए संशोधनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8781/2008।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, सभा के कार्य की अनुपूरक सूची परिचालित नहीं की गई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: स्पीकर को थोड़ी तो पावर दीजिए, यह डिप्टी स्पीकर साहब का मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.09½ बजे

प्रतिकारात्मक वनरोपण विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे अभिकरणों से वसूल की गई अन्य सभी रकमों को जमा करने; निधि के प्रशासन के लिए प्राधिकरण के गठन और कृत्रिम पुनरुत्पादन (पादपरोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन संरक्षण, अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य-जीव संरक्षण का कार्य करने के लिए इस प्रकार संगृहीत धन-राशियों के उपयोजन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकरात्मक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण, शास्तिक प्रतिकरात्मक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य मद्दे उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे अभिकरणों से वसूल की गई अन्य सभी रकमों को जमा करने; निधि के प्रशासन के लिए प्राधिकरण के गठन और कृत्रिम पुनरुत्पादन (पादपरोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन संरक्षण, अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य-जीव संरक्षण का कार्य करने के लिए इस प्रकार संगृहीत धन-राशियों के उपयोजन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. रघुपति: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.09¾ बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) अलवर में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रही कीमतों के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का अलवर जिला पूरा ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। जिले के बहरोड़, नीमराणा, भिवाड़ी, खुश खेड़ा, चौपानकी आदि क्षेत्रों में तीव्रगति से औद्योगिकीकरण हो रहा है तथा आवासीय कालोनियां बन रही हैं। एन.सी.आर. में शामिल होने के कारण अलवर जिले के निवासियों को कतिपय कारणों से डीजल व पेट्रोल महंगी दरों पर खरीदना पड़ता है। शेष राजस्थान से अलवर जिले के पेट्रोल व डीजल पर एन.सी.आर. में शामिल होने से अधिक टैक्स

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 5-5-08 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**सभापटल पर रखे माने गए।

देना पड़ता है। माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से प्रार्थना है कि अलवर जिले में भी शेष एन.सी.आर. दिल्ली व हरियाणा की समान दरों पर पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करवाया जाये।

(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धौला में एक रेल ऊपरिपुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली से अहमदाबाद के रास्ते पर ग्यारह रेलवे क्रॉसिंग पड़ते हैं जिसमें एक धौला क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर अक्सर यातायात जाम हो जाता है। इस क्षेत्र में दो रेलवे क्रॉसिंग हैं, इसी क्षेत्र से डबल डेकर मालगाड़ी चल रही है जो काफी लम्बी होती है जिसके पार करने में एक एक घंटा लग जाता है, जिसके कारण अमरेली से अहमदाबाद जाने वाला यातायात जाम हो जाता है और काफी समय इस मार्ग पर रुकना पड़ता है। अतः इस क्रॉसिंग पर एक रेलवे उपरी पुल बनाया जाये जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सके।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अमरेली से अहमदाबाद के बीच धौला क्षेत्र पर एक उपरी पुल तत्काल बनाया जाये।

(तीन) तमिल में कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना को चालू किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना लगभग 15 वर्ष पूर्व शुरू की गयी थी और पिछले वर्ष ही इसका विद्युत उत्पादन शुरू करना प्रस्तावित था। परियोजना के पहले चरण में 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का कार्य चल रहा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना के कार्य की गति बढ़ाने और शीघ्रातिशीघ्र इसका कार्य शुरू करने हेतु रूकसी इंजीनियरों से अनुरोध करने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र कदम उठाये जाएं।

कुडनकुलम परियोजना के दूसरे चरण में 4000 मेगावाट के विद्युत उत्पादन को स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के कारण दक्षिण तमिलनाडु के लोगों में गहरा असंतोष है। इसके साथ ही रूसी सरकार ने पहले ही 4000 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना के लिए अपनी सहमति के बारे में भारत सरकार को बता दिया है।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति देने के लिए भारत-अमरीका परमाणु करार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दक्षिण तमिलनाडु, जहां कुडनकुलम परियोजना स्थित है, देश के निर्धनतम क्षेत्रों में से एक है और यहां उल्लेख करने योग्य कोई उद्योग या संगठन नहीं है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए हर संभव उपाय किये जाएं।

(चार) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तमिल, कन्नड़, मलयालम तथा तेलगु भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने दिनांक 29-04-08 को भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में लोक सभा के सामने एक वक्तव्य रखा था।

इस वक्तव्य में उन्होंने आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं का स्पष्ट जिक्र किया था।

वर्तमान में आठवीं अनुसूची में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ समेत 22 भाषाएं शामिल हैं।

माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में परीक्षा देने की अनुमति होती है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में परीक्षा संलाचिल करने में आयोग के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) की परीक्षा योजना से आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं का वर्तमान संबंध समाप्त कर देना चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा यथा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के माध्यम से यू.पी.एस.सी. परीक्षा में

[श्री एस.के. खारवेनथन]

शामिल होने वाले अनेक ग्रामीण गरीब छात्र सफल हो चुके हैं।

मैं समझता हूं कि इन परीक्षाओं के लिए उपर्युक्त भाषाओं के प्रावधान को समाप्त करने का यू.पी.एस.सी. का वर्तमान प्रस्ताव गरीब दक्षिण भारतीय युवाओं को सिविल सेवा में प्रवेश करने से रोक सकता है और यह उनके साथ घोर अन्याय होगा।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यू.पी.एस.सी. को निदेश दे कि वह आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रीय भाषाओं यथा तमिल, तेलुगु, मलायलम, कन्नड़ में संचालित परीक्षा को रद्द न करे।

(पांच) जयपुर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सवाई मानसिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर हवाई अड्डे का नाम अंतर्राष्ट्रीय एरोड्रम बनने की ओर तीव्र गति से हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस एरोड्रम के नाम के बारे में मैंने कई बार निवेदन किया है कि अन्य प्रांतों के अंतर्राष्ट्रीय एरोड्रम के नाम विभिन्न नेताओं के नाम पर रखे गए हैं तो इस प्रकार जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एरोड्रम का नाम सवाई मानसिंह अंतर्राष्ट्रीय एरोड्रम रखा जाना नितान्त आवश्यक है।

(छह) रामगंज मंडी - भोपाल रेलवे लाईन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन कार्य को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि 727 करोड़ की इस रेल लाइन परियोजना में विलंब हो रहा है। इस रेल लाइन से आम आदमी को निम्नलिखित सहायता करेगी:

(i) यह दक्षिण को जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी।

(ii) यह एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी से शेष विश्व तक कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करेगी।

(iii) इससे 1000 मेगावाट वाली काली सिंध परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार रेल मंत्रालय से इस परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए पहले ही अनुरोध कर चुकी है।

मैं रेल मंत्रालय से झालावाड़ जिले से गुजरने वाली इस परियोजना का निर्माण सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह करता हूं।

(सात) उत्तर प्रदेश के बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत विभिन्न रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से रेल विभाग की निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जो पूर्व से स्वीकृत है, तत्काल प्रारंभ करने का आग्रह करता हूं।

1. बरेली महानगर के मध्य हार्टमैन क्रॉसिंग व कुडेशिया फाटक व इज्जतनगर चौराहा एवं घंटाघर क्रासिंग, सभी पूर्वोत्तर रेल, रेल ओवरब्रिज निर्माण। इन सबके बारे में पहले कहा जा चुका है तथा रेल विभाग द्वारा यह कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

2. काठगोदाम (लालकुआं), बहेड़ी, बरेली, मथुरा, आगरा का प्राथमिकता के आधार पर आमान परिवर्तन।

3. बरेली-पीलीभीत, मैलाती-गोला-सीतापुर-लखनऊ मार्ग का आमान परिवर्तन।

(आठ) मध्य रेलवे में ग्वालियर-श्योपुर कलां रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर से श्योपुरकलां 100 वर्ष पुरानी नैरोगेज लाईन है। उसके गेज परिवर्तन का सर्वे हो चुका है तथा उक्त रेल मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजस्थान के कोटा नगर को जोड़ेगा। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त मार्ग के आमान परिवर्तन हेतु राशि जारी कराई जाये तथा शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाये।

(नौ) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के विकास करने संबंधी प्रस्ताव में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): गुजरात सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) के संपूर्ण विकास के लिए और डी.एम.आई.सी. के लिए सड़क संपर्कों के विकास के लिए भी विभिन्न अवसंरचनात्मक संपर्कों के विकास हेतु भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

मैं सरकार से इन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह करती हूं।

(दस) देश में आम पर आधारित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): दो दशकों के बाद कुछ देशों द्वारा लगाए प्रतिबंध हटा लेने के बाद भारतीय आम का निर्यात पुनः आरंभ हो गया है।

वर्ष 2006 में प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात्, 2007 में 160 टन आम का निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका को तथा 30-40 टन का निर्यात जापान को किए जाने से घरेलू खपत के लिए उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जापान, अमरीका, चीन, आस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय बाजारों में 2000 टन आम के निर्यात का अस्पष्ट लक्ष्य रखे जाने से स्थिति और भी खरीब हुई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1250% अधिक है। इससे घरेलू उपभोक्ता इन आमों से वंचित रह जाएंगे।

सरकार को यह समझना चाहिए कि ये आम मृदु पेय बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चटनी (सॉस) और जूस बनाने के लिए खरीदे और प्रसंस्कृत किए जाते हैं जिनका विभिन्न आकर्षक नामों से, हमारे देश सहित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन किया जाता है। इसलिए, मैं सरकार से घरेलू बाजार के लिए जूस और गूदा (पल्प) निर्माण हेतु परिरक्षण और प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जिससे रोजगार के अवसर सृजित करने, पौष्टिक मृदु पेयों की उपलब्धता और आम-उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

(ग्यारह) पेयजल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए संसद सदस्यों को अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांच सौ इंडिया मार्क-2 हैंड पंप लगाने की अनुमति के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं पेयजल समस्या को देखते हुए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल इसी बजट सत्र में (संसद भवन) प्रधान मंत्री कार्यालय में माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला। उक्त समस्या हेतु एक लिखित पत्र जो प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित था। जिसमें यह मांग की गई थी कि संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया मार्ग-2 हैंडपंप लगाने हेतु केन्द्र सरकार प्रति निर्वाचन क्षेत्र 500 हैंडपंप दे जिसमें यह भी प्रदर्शित किया गया था कि ग्रामीण मंत्रालय में धन की उपलब्धता है। माननीय प्रधान मंत्री जी अपनी सहमति दें तो पेयजल समस्या के समाधान हेतु 500 हैंडपंप प्रति संसद सदस्य को मिल सकता है। प्रधान मंत्री जी ने मौखिक सहमति व्यक्त की थी। मैं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने हेतु तत्काल 500 हैंडपंप देने की व्यवस्था करें। प्रतिनिधि मंडल द्वारा लिखित पत्र को तत्काल क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जौनपुर में पेयजल का घोर संकट है। जनपद जौनपुर भौगोलिक दृष्टि से चार बड़ी नदियों तथा छोटे नालों से घिरा है तथा जनपद में 21 विकास खंड हैं। नदियों के किनारे पड़ने वाले गांवों में जहां आवागमन का अभाव है वहीं पर पेयजल एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। जिले में बिजली की उपलब्धता नाममात्र की है। पानी की कोई सुविधा नहीं है। इंडिया मार्क दौ हैंडपंप का अभाव है।

[श्री पारसनाथ यादव]

अतः मेरी सरकार से मांग है कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(तेरह) बिहार के बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर जिले में आपदा प्रबंधन दल तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर बिहार के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित 2 जिलों में एक है। वर्ष 2007 की बाढ़ में पानी में डूबकर लगभग 115 लोगों की मृत्यु हो गयी। कारण यह था कि समय पर मोटरबोट, गोताखोर और अन्य संसाधन नहीं रहने की वजह से लोग बचाए नहीं जा सके। आपदा प्रबंधन से संबंधित आयोग बनाए गए। असम और पश्चिम बंगाल में इस आयोग की व्यवस्था के तहत आपदा प्रबंधन दस्ता तैनात किए गए हैं। बिहार में समरतीपुर की तरह दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया आदि जिलों में बाढ़ से भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। अतः समस्तीपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्र बिन्दु होने के नाते वहां भी आपदा प्रबंधन दस्ता तैनात किए जायें।

(चौदह) स्वर्गीय श्री सी.एन. अन्नादुरई का जन्मशती वर्ष मनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): स्व. श्री सी.एन. अन्नादुरई द्रविड़ मुन्नेत्रकषगम के संस्थापन नेता, जिन्हें पेरारीगनार अन्ना कहा जाता है, का देश के इतिहास में संकट की घड़ी में देश की एकता और अखंडता को बनाने रखने के लिए एक विशेष स्थान है। जब वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक सुधार की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 'आत्म-सम्मान दिया है।' (सैल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजस) को वैध बनाने के लिए एक कानून बनाया था और जिसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। भारतीय संघ की संघीय राजव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने राज्य की स्वायत्तता की अवधारणा की शुरुआत की जिसके लिए केन्द्र सरकार अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना करने पर विचार कर रही है। जैसा कि तमिलनाडु की सरकार ने घोषणा की है, वर्ष 2009 को महान अन्ना की शताब्दी के रूप में मनाया जाएगा। शताब्दी समारोह इस वर्ष 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन सभी लोगों को जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में योगदान किया है उन्हें याद और सम्मानित किया जाएगा। इसलिए केन्द्र से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इसे एक वर्षीय राष्ट्रीय समारोह के रूप में पूरे देश में मनाए जिससे नई पीढ़ी के मनमस्तिष्क के पुनर्जागरण की भावना पैदा हो। केन्द्र सरकार को उस महान नेता के जन्मशती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के अतिरिक्त 'आत्म-सम्मान-विवादों को विधिक मान्यता देने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।' मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सामाजिक न्याय के इस युग में सामाजिक सरोकार रखने वाले अन्ना शताब्दी समारोह की तैयारी शुरू करें।

(पन्द्रह) सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना की शर्तों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अनिल शुक्ल वारसी (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने किसानों के ऋण माफी का निर्णय लिया है लेकिन मूलधन (देय एवं भविष्य में देय) की स्थिति तथा ब्याज (overdue, panel आदि) पर दिनांक 31-3-2008 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, स्थिति स्पष्ट की जाये ताकि किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ है और कितना देना है, की स्थिति स्पष्ट हो जाये।

(सोलह) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): ग्रामीण डाकखाने एक सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवा का काम करते हैं क्योंकि डाक विभाग जो कि मूलतः एक सेवा संबंधी विभाग है, अपने पहुंच के दायरे में समाज के सभी वर्गों के बीच संचार की आवश्यकता की पूर्ति करता है और इस कार्य में लाभ या घाटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ग्रामीण डाक प्रणाली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें शोचनीय और पुरानी युग की है। उन्हें अभिकर्ता, अंशकालिक कामगार, ग्रामीण डाक सेवक के नामों से पुकारा जाता है जिससे ऐसा लगता है कि उनकी सेवाओं के लिए मजदूरी सरकारी सेवकों की तुलना में कमीशन के भुगतान के रूप में की जाती है न कि वास्तविक मजदूरी के रूप में जबकि वे नियमित डाक कर्मचारियों के सभी कार्य करते हैं। जी.डी.एस. कर्मचारियों को उचित मजदूरी संचरना और सेवा शर्तों से वंचित रखा गया है। जी.डी.एस. कर्मचारियों को अभी भी अंशकालिक कर्मचारी के रूप में समझा जाता है

क्योंकि पारम्परिक सेवाओं को छोड़कर नए क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए 90% कार्य के लिए कहीं भी समय-कारक लागू नहीं है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए समय-कारक नहीं है या उनको पत्रों को बांटने के कार्य और आने-जाने के लिए संयुक्त रूप में ड्यूटी भत्ता के रूप में मात्र 100 रुपये की छोटी राशि के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता है जोकि एक बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि वे अन्य सभी पदों के कार्यों को करते हैं तथा विशिष्ट श्रेणियों से आते हैं। मैं सरकार से इन ग्रामीण डाक सेवकों को डाक संगठन के नियमित कर्मचारी के रूप में प्रोन्नत करने के लिए अनुरोध करता हूं क्योंकि वे डाक और तार विभाग में एक ही पद पर 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। हमें भारत सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के समान उनको बेहतर मजदूरी संरचना प्रदान करनी चाहिए। उन्हें आवास किराया, कार्यालय रख-रखाव भत्ता, छुट्टी तथा चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए।

(सत्रह) तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सत्तूर रेलवे स्टेशन पर नेल्लई एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): नेल्लई एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई और तिरुनेलवेली के बीच प्रतिदिन चलती है। चेन्नई से यह 9.00 बजे चलती है। चेन्नई से दक्षिण तमिलनाडु के लिए यह अंतिम रेल सेवा है। दक्षिण तमिलनाडु से चेन्नई पहुंचने वाली यह प्रथम गाड़ी है। दक्षिण तमिलनाडु ने इस गाड़ी के जितने भी ठहराव है उन में सत्तूर ही एक ऐसी नगरपालिका है जिसे छोड़ दिया गया है। रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि विरुधुनगर जिले में सत्तूर स्टेशन पर नेल्लई एक्सप्रेस के लिए ठहराव का प्रबंध किया जाए।

(अठारह) जम्मू-कश्मीर के लेह और कारगिल क्षेत्रों हेतु स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (ए.एच.डी.सी.) के लिए योजना सहायता के रूप में अनुपूरक धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख): जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह और करगिल क्षेत्र के लिए स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना करने के लिए लद्दाख क्षेत्र की जनता भारत सरकार की आभारी है। पर्वतीय परिषद की स्थापना ने लद्दाख क्षेत्र के लोगों में सहभागिता की भावना पैदा की है और इस संवेदनशील क्षेत्र में विकास प्रक्रिया में इससे तेजी आई है। लेह और लद्दाख में स्थित दोनों परिषदें बहुत ही संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं और अपनी काम जिम्मेदारी के साथ कर रही है तथा उत्तरदायित्व के मामले में उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। तथापि वित्तीय संकट के कारण उनके कार्य में बाधा आ रही है। इन परिषदों की स्थापना के 12 वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी परिषद की अवसंरचना स्थापित करने के मद में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रत्येक को 40 करोड़ रुपये दिए जाने के अतिरिक्त इन दोनों परिषदों को कोई विशेष आवंटन प्राप्त नहीं हुए हैं। निधियों में आवंटन के मामले में जम्मू-कश्मीर के अन्य जिलों की तरह ही इन्हें समझा जा रहा है। मैं भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह परिषद के योजना खर्च के लिए पूरक कोष स्वीकृत करे जिससे कि परिषद लद्दाख क्षेत्र के लोगों की आकंक्षाओं को पूरा कर सके तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार, दोनों, से अनुरोध करता हूं कि वह ए.एच.डी.सी. (लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद) अधिनियम की समीक्षा करे जिससे कि यह ज्यादा प्रभावी हो और ज्यादा कारगर रूप से काम करने के लिए वह पर्याप्त रूप से सक्षम है।

अपराह्न 2.10 बजे

32 सदस्यों से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने संबंधी अनुरोध के बारे में - *जारी*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यहां पर माफी की जो बात कही गई, इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों करते हैं? हमने जो बोला है, वह रिकार्ड पर है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन शब्दों का लोप कर दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में जो बैठक हुई और जो चर्चा हुई, जो

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

देवेन्द्र जी ने कहा तो अब आपको आसन से स्पष्ट करना चाहिए कि वहां क्या बात हुई।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: जो हुआ, हमने बता दिया है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, आप तो वहां नहीं थे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदन के नेता जो टिप्पणी करना चाहते हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिसका समर्थन किया है वह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कम और ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं सभी माननीय नेताओं का उनके सहयोग के लिए अभारी हूं क्योंकि जो अनुरोध उन्होंने किया है उसे मैं पसंद करता हूं - मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं - मैंने मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, एक नयी चर्चा उठ गयी कि लोगों ने क्षमा मांगी।

अध्यक्ष महोदय: क्षमा तो नहीं मांगी है।

...(*व्यवधान*)

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...(*व्यवधान*) सदन को गुमराह किया जा रहा है। देश को गुमराह किया जा रहा है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसलिए यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और यह स्थिति आप के द्वारा ही स्पष्ट होनी चाहिए। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी बात सुनिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा प्रतीत हुआ कि आधिकारिक तौर पर खेद व्यक्त किया गया है। इसमें बदला लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह किसी के 'पक्ष' और 'विरुद्ध' का मुद्दा नहीं है। क्षमा संबंधी कुछ भी चर्चा नहीं की गई थी। जो भी चर्चा की गई, उसका यहां उल्लेख किया गया है। मैं पुनः कह रहा हूं और मेरा विश्वास करें कि मेरी एक मात्र चिंता यह है कि सभा का कार्य सुचारू रूप से चले जिसके लिए मुझे आप का सहयोग चाहिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मुझे एक अति महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों अब शायद आप खुश होंगे। मेरे विचार से आप अब खुश होंगे।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.12 बजे

विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों चौदहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र आज समाप्त हो जाएगा।

...(*व्यवधान*)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: इस बजट सत्र का पहला भाग केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 25 फरवरी, 2008 को प्रारंभ हुआ। 19 मार्च, 2008 को सभा स्थगित हुई जिससे कि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें तथा उनके सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें। बजट सत्र का दूसरा भाग अवकाश के पश्चात्, 15 अप्रैल, 2008 को आरंभ हुआ।

इस सत्र के दौरान कुल 28 बैठकें हुईं जो 162 घंटे और 09 मिनट तक चली। इसमें से 16 बैठकें सत्र के पहले भाग के दौरान और 12 बैठकें दूसरे भाग के दौरान हुईं।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण, जिसकी प्रति 25 फरवरी, 2008 को सभा पटल पर रखी गई थी, पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन दिन से अधिक समय तक चर्चा की। धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे और 33 मिनट से अधिक समय तक चर्चा हुई तथा इसे 5 मार्च, 2008 को पारित किया गया। चर्चा पूरी होने से पूर्व, 51 संशोधन प्रस्तुत किए गए तथा उन्हें अस्वीकृत किया गया।

वर्ष 2008-09 के बजट (रेल) और बजट (सामान्य) क्रमशः 26 और 29 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत किए गए।

सभा में, अन्य विषयों के साथ-साथ वर्ष 2008-2009 के बजट (रेल), वर्ष 2008-2009 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) और वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) तथा वर्ष 2005-06 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को पूरा-पूरा स्वीकृत किए जाने तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए जाने से पूर्व, संयुक्त रूप से चर्चा हुई जो 14 घंटे 53 मिनट तक चली। 16 तथा 17 अप्रैल, 2008 को सत्र के दूसरे भाग के दौरान वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा हुई। अनुदानों की मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत होने तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित होने के पूर्व 6 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए तथा वे अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (सामान्य), वर्ष 2008-2009 की लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) तथा वर्ष 2007-2008 की अनुपूरक अनुदानों की मागें (सामान्य) पूरी-पूरी स्वीकृत किए जाने तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए जाने से पूर्व सभा ने उन पर 16 घंटे और 24 मिनट से अधिक समय तक संयुक्त रूप से चर्चा की।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में गृह, रक्षा, ग्रामीण विकास तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों की मांगों को पूरी-पूरी स्वीकृत दिए जाने से पूर्व 24 घंटे और 25 मिनट तक चर्चा की गयी। वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (सामान्य) से संबंधित शेष सभी मंत्रालयों की सभी बकाया अनुदानों की मांगों को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें 24 अप्रैल, 2008 को पूरा-पूरा स्वीकृत किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

वर्ष 2008-2009 के लिए कर्नाटक राज्य हेतु बजट तथा वर्ष 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (कर्नाटक) 10 मार्च, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत की गयी। 11 मार्च, 2008 को कर्नाटक राज्य के बजट 2008-09, लेखानुदानों की मांगें (कर्नाटक) 2008-09 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (कर्नाटक) 2007-08, पर एक साथ सामान्य चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात मांगें पारित हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ।

सदन ने वित्त विधेयक, 2008 को पारित करने के पूर्व इस पर लगभग 9 घंटे 5 मिनट तक चर्चा की और केन्द्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाया।

सत्र के दौरान 17 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और एक विधेयक वापस लिया गया। कुल मिलाकर सदन ने 20 विधेयक पारित किए, जिनमें से पांच विधेयक अध्यादेश के स्थान पर लाए गए। पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों में परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008; लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008; चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008; खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008; प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008; जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी विधेयक 2008 तथा विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2008 शामिल हैं।

नियम 193 के अंतर्गत लोक महत्व के एक विषय, 'आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपाय' पर सदन में 6 घंटे 52 मिनट तक सार्थक चर्चा हुई। संबंधित मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के माध्यम से तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए जिन पर संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मंत्रियों द्वारा 51 वक्तव्य दिए गए।

[अध्यक्ष महोदय]

इस सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के 23 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा मौजूदा निर्वाचन प्रणाली में व्यापक सुधार करने की दृष्टि से एक निर्वाचन सुधार आयोग का गठन करने के आशय से पेश किए गए निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006 पर आंशिक रूप से चर्चा हुई।

श्री राम कृपाल यादव द्वारा पेश किए गए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर 17 अप्रैल, 2008 को आगे चर्चा की गई और इसे अस्वीकृत किया गया। श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा पेश किए गए अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के समग्र विकास के बारे में एक अन्य संकल्प पर आंशिक रूप से चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान सूचीबद्ध 560 तारांकित प्रश्नों में से 105 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका। इस प्रकार प्रतिदिन औसतन लगभग 3.75 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। शेष तारांकित प्रश्नों और 5413 अतारांकित प्रश्नों के निर्वाचन उत्तर सभापटल पर रखे गए। एक आधे घण्टे की चर्चा भी की गई।

इस सत्र में समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्रश्नकाल के बाद और सायं काल में देर तक बैठकर सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 307 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 298 मामले उठाए।

इस सत्र के दौरान व्यवधानों और मजबूरी में किए गए स्थगनों के कारण 28 घंटे और 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ, हालांकि इसकी भरपाई के लिए सभा 36 घंटे और 38 मिनट देर तक भी बैठी।

इस अवसर पर मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मैंने हमेशा ही यह चाहा है कि जन-साधारण, खासतौर पर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर वाद-विवाद और चर्चा सभा के कार्य के नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।

हमारे लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं का भी यही उद्देश्य है। तथापि, इस प्रकार के व्यवधानों और मजबूरी में किए गए स्थगनों तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकारी की अवेहलना से हमें जन-कल्याण और कार्यपालिका की जवाबदेही के साझे लक्ष्य को हासिल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। हम वाद-विवाद और चर्चा के जरिए ही राष्ट्रीय नीतियों और बजट प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसा करने से हम संसदविदों के रूप में अपनी भूमिका को सही ठहरा सकेंगे।

अंत में, मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति-तालिका में मेरे सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सभा का कार्य पूरा करने में अपना सहयोग दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्यमंत्री और विभिन्न दलों और समूहों के नातों तथा मुख्य सचेतकों और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लोक सभा, महासचिव तथा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी सभा के प्रति उनके समर्पित और त्वरित सेवा के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं सभा की कार्यवाही चलाने में सम्बद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा दिए गए कुशल सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 2.20 बजे

राष्ट्र गीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य खड़े हो जाएं, राष्ट्र गीत की धुन बजाई जाएगी।

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एस. अजय कुमार श्री जे.एम. आरून रशीद	541
2.	श्री पी.सी. थामस	542
3.	श्री नरहरि महतो श्री सुब्रत बोस	543
4.	श्री श्रीपाद येसो नाईक डा. धीरेंद्र अग्रवाल	544
5.	श्री सर्वे सत्यनारायण	545
6.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	546
7.	श्री निखिल कुमार श्री भर्तृहरि महताब	547
8.	श्री पन्नियन रवीन्द्रन श्री सी.के. चन्द्रप्पन	548
9.	श्री चन्द्रभान सिंह श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	549
10.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	550
11.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री हरिकेवल प्रसाद	551
12.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	552
13.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्रीमती करूणा शुक्ला	553
14.	श्री संतोष गंगवार	554
15.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	555
16.	डा. के.एस. मनोज	556
17.	डा. चिन्ता मोहन श्री सूरज सिंह	557
18.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली श्रीमती सुमित्रा महाजन	558
19.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री पंकज चौधरी	559
20.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री प्रभुनाथ सिंह	560

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम	5361, 5408
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	5286
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5321, 5363, 5381, 5405
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	5326, 5373, 5396
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5282, 5334, 5367, 5385
6.	आठवले, श्री रामदास	5394
7.	आजमी, श्री इलियास	5390
8.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	5276, 5332, 5378
9.	भगोरा, श्री महावीर	5279, 5322, 5357, 5379
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	5298, 5347
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	5400
12.	चक्रवर्ती, श्री अजय	5306, 5354

1	2	3
13.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5303
14.	चौरे, श्री बापू हरी	5317
15.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5291
16.	चौधरी, श्री अधीर	5292
17.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	5303
18.	देव, श्री बिक्रम केशरी	5287
19.	दूबे, श्री रमेश	5290
20.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	5391
21.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5316
22.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	5398
23.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	5399
24.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	5314
25.	हसन, चौ. मुनव्वर	5284, 5335
26.	जगन्नाथ, डा. एम.	5319
27.	जटिया, डा. सत्यनारायण	5283
28.	जेना, श्री मोहन	5263
29.	जिन्दल, श्री नवीन	5267
30.	जोगी, श्री अजीत	5300, 5348
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5339, 5369
32.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5266, 5324, 5404, 5409
33.	कृष्ण, श्री विजय	5318, 5362, 5380
34.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	5386
35.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5302, 5352
36.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5372
37.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5349, 5376

1	2	3
38.	महरिया, श्री सुभाष	5269, 5299, 5355
39.	महताब, श्री भर्तृहरि	5351, 5377
40.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	5310, 5359
41.	मनोज, डा. के.एस.	5341, 5406
42.	मसूद, श्री रशीद	5307, 5310, 5376
43.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	5320
44.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	5296
45.	मंडल, श्री अबु अयीश	5294, 5345
46.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5288, 5356, 5393
47.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	5293, 5344
48.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	5328
49.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5337
50.	निहाल चन्द, श्री	5299, 5322
51.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	5280
52.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5285, 5339 5402
53.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	5277
54.	पाण्डा, श्री प्रबोध	5312
55.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5270, 5350
56.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5297, 5340, 5370, 5387
57.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	5295, 5346
58.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	5264
59.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	5273
60.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5330, 5373

1	2	3
61.	प्रसाद, श्री लालमणि	5289
62.	राजगोपाल, श्री एल.	5297, 5308
63.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	5268
64.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5274, 5331, 5407
65.	राणा, श्री काशीराम	5343
66.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5305
67.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	5272, 5329, 5375, 5386, 5389
68.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5301, 5397
69.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5392
70.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5343, 5374, 5398
71.	साय, श्री नन्द कुमार	5297, 5364, 5382, 5387, 5395
72.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5262, 5323, 5372, 5411, 5412
73.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	5278, 5401
74.	सत्पथी, श्री तथागत	5275
75.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	5315
76.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	5393
77.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5304, 5321, 5363, 5381, 5405
78.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5325, 5365, 5383
79.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5350, 5374
80.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	5322
81.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	5304, 5353
82.	सिंह, श्री चन्द्रभान	5338
83.	सिंह, श्री गणेश	5322
84.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	5342, 5371, 5410, 5413
85.	सिंह, श्री राकेश	5313
86.	सिंह, श्री सुग्रीव	5297, 5364, 5382, 5387
87.	सिंह, श्री सूरज	5302
88.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	5265, 5333, 5403
89.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5271, 5327, 5366, 5384, 5388
90.	सुमन, श्री रामजीलाल	5352
91.	थामस, श्री पी.सी.	5336, 5368
92.	तुम्मर, श्री वी.के.	5270, 5291, 5398
93.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5311, 5360, 5363, 5381
94.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5396
95.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5304, 5321, 5363, 5381, 5405
96.	वारसी, श्री अनिल शुक्ल	5281
97.	यास्खी, श्री मधु गौड	5398
98.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5309, 5358, 5371

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	542, 545, 548, 550, 552, 557, 558
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	544, 549, 555
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	543, 547, 559, 560
रक्षा	541, 546, 553, 556
श्रम और रोजगार	551, 554.
वस्त्र	
जल संसाधन	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	5264, 5266, 5278, 5279, 5284, 5289, 5295, 5296, 5297, 5298, 5302, 5304, 5305, 5315, 5318, 5319, 5326, 5332, 5333, 5337, 5343, 5345, 5350, 5352, 5359, 5370, 5377, 5383, 5387, 5389, 5393, 5395, 5397, 5402, 5404
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	5262, 5263, 5265, 5268, 5271, 5272, 5276, 5280, 5282, 5286, 5288, 5290, 5291, 5299, 5308, 5309, 5313, 5316, 5317, 5320, 5322, 5323, 5330, 5334, 5336, 5338, 5339, 5344, 5351, 5354, 5355, 5363, 5364, 5365, 5367, 5368, 5369, 5372, 5375, 5376, 5378, 5379, 5380, 5386, 5392, 5394, 5400, 5406, 5407, 5411, 5412
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	5267, 5269, 5274, 5281, 5285, 5307, 5347, 5349, 5358, 5362, 5371, 5381, 5391, 5408
रक्षा	5273, 5294, 5314, 5321, 5328, 5329, 5348, 5353, 5382, 5396, 5398, 5399, 5401, 5403, 5405, 5409, 5410, 5413
श्रम और रोजगार	5293. 5303, 5311, 5312, 5325, 5327, 5341, 5346, 5356, 5390
वस्त्र	5270, 5277, 5300, 5301, 5324, 5331, 5335, 5340, 5342, 5357, 5360, 5361, 5366, 5384, 5385, 5388
जल संसाधन	5275, 5283. 5287, 5292, 5306, 5310, 5373, 5374.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।